चतुर्दश माला, खंड 35, अंक 6

बुधवार, 22 अक्तूबर, 2008
30 आश्विन, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र (भाग–दो) 2008/1930 (शक)

अंक 6, बुधवार, 22 अक्तूबर, 2008/30 आश्विन, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
चन्द्रयान–1 के प्रक्षेपण के संबंध में इसरो के वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों की टीम और पंजाब के मोहाली में आस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई।	1-2
सदस्य का सभा से बाहर जाना	6-7
प्रश्नों के लिखित उत्तर	8-401
तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80	8-51
अतारांकित प्रश्न संख्या 623 से 852	51-401
सभा पटल पर रखे गए पत्र	402-422
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	422-423
लोक लेखा समिति	
75वां और 76वां प्रतिवेदन	423
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
7वां और 8वां प्रतिवेदन	423
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
20वां प्रतिवेदन	423
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
20वां और 21वां प्रतिवेदन	424
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
25वां और 26वां प्रतिवेदन	424
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
10वां और 11वां प्रतिवेदन	424
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
210वां प्रतिवेदन	424-425
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
194वां प्रतिवेदन	425

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

28वां प्रतिवेदन 425

कार्य मंत्रणा समिति

50वां प्रतिवेदन 425

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) श्रीलंका में स्थिति 426-427

श्री प्रणब मुखर्जी 426-427

(दो) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री वायालार रवि 427

(तीन) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मणिशंकर अय्यर 427-428

(चार) चन्द्रमा तक भारत के पहले मानव रहित वैज्ञानिक मिशन चन्द्रयान–1 का सफल प्रक्षेपण

श्री पृथ्वीराज चव्हाण 428-429

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड 429-430

(दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी 430

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महान देशभक्त तथा स्वतंत्रता पूर्व युग के रंगमंच कलाकार स्व. श्री विश्वनाथ दास के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 431

(दो) उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रस्तावित रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने के वैकल्पिक स्थल के रूप में बरेली के इज्जतनगर पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 432

(तीन) गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 432-433

(चार) अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान के समाधि स्थल की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों को तीर्थयात्री सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा 433

(पांच) मध्य प्रदेश में जलाभाव के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय कोटा से विद्युत आपूर्ति किए जाने तथा केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया 433

(छह) देश के करदाताओं को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना 434

(सात) समुद्री कूकुम्बर को पकड़ने पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन 434-435

(आठ) सहकारी सोसाइटियों तथा बाजारों में डीएपी और एपी उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 435

(नौ) बिहार के समस्तीपुर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता 435

(दस) कृषि ऋण माफी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कठोर मार्गनिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 436

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के विद्युतकरघा उद्योग में संकट के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे विद्युतकरघा बुनकरों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु 436-437

लोक सभा सदस्यों के पुराचरण की जांच करने संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 437-438

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल), 2008-09

श्री लालू प्रसाद 438-439, 471-472

श्री प्रहलाद जोशी 439

श्री संतोष गंगवार 440-441

श्री अधीर चौधरी 441-442

श्री जे.एम. आरुन रशीद 442-444

श्री एस.के. खारवेनथन 444-447

श्री हरिभाऊ जावले 447-448

श्री सनत कुमार मंडल 448-449

श्रीमती के. रानी 449-451

श्री राकेश सिंह 451-456

श्री के. सुब्बारायण 456-458

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 458-460

श्री ब्रजेश पाठक 460

श्री भर्तृहरि महताब 460-465

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 465

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 466-467

श्री निखिल कुमार 467

श्री हंसराज गं. अहीर 467-468

श्री मानु प्रताप सिंह वर्मा 468-469

श्री ब्रह्मानन्द पंडा 469-470

श्री गिरधारी लाल भार्गव 470

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008 473-474

विचार करने के लिए प्रस्ताव 473-474

खण्ड 2, 3 और 1 474

पारित करने के लिए प्रस्ताव 474

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007

विचार करने के लिए प्रस्ताव 474-484

श्री प्रफुल पटेल 474-477, 478

श्री टोकचोग मैन्या 477-478

खण्ड 2 से 55 और 1 479-482

पारित करने के लिए प्रस्ताव 483-484

अनुबंध-I 485-490

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 485-486

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 486-490

अनुबंध-II 491-492

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 491-492

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 491-492

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 22 अक्तूबर, 2008/30 आश्विन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं खुश हूं कि पूर्व मित्र अब अच्छे पदों पर हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

बैठ जाइए। अपने नेता की बात सुनिए। खड़ा होना तो बहुत आसान हो गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय, सदस्यगण, आज भारतीय वैज्ञानिक

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, क्या आपको इससे कोई सरोकार नहीं है? कृपया शान्त रहें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

चन्द्रयान-1 के प्रक्षेपण के संबंध में इसरो के वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों की टीम और पंजाब के मोहाली, में आस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद सदस्यों, आज 6.22 बजे सुबह स्वदेश में निर्मित रॉकेट पीएसएलवीसी 11 द्वारा दो वर्षों के मिशन पर सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र श्री हरिकोटा, आन्ध्र प्रदेश से भारत का प्रथम मानव रहित अन्तरिक्ष यान–चन्द्रयान–1 छोड़कर भारतीय वैज्ञानिकों ने महान उपलब्धि हासिल की है और देश को गौरवान्वित किया है।

मैंने सुबह उठकर इसे देखा। इस आश्चर्यजनक लांच को देखना बड़ा आनन्ददायक था। यह ऐतिहासिक घटना चन्द्र अन्वेषण देशों के चयनित समूह में भारत के प्रवेश को और एक उभरते अन्तरिक्ष शक्ति के रूप में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करता है।

इस अवसर पर हम सब डा. जी माधवन नायर, अध्यक्ष, इसरो और उनके वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों की समर्पित टीम को, जिनके अथक प्रयासों से यह संभव हुआ, बधाई देते हैं।

हम कामना करते हैं कि उन्हें और अधिक स्वर्णिम सफलतायें प्राप्त हों।

माननीय सांसद, भारतीय क्रिकेट टीम की कल पंजाब के मोहाली में 320 रनों की जोरदार जीत, जो कि भ्रमणकारी आस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी जीत है, हम सब के लिए गर्व और खुशी की बात है। हम सब भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन पर उनका अभिनन्दन करते हैं और जारी टेस्ट श्रृंखला और आगामी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों के लिए उनकी सफलता की कामना करते हैं।

मैं आशा करता हूं कि सदन में भी स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना बनी रहेगी।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रश्न पूछने के अवसर देने का प्रयास करूंगा। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया प्रश्न काल चलने दे। मैं आपको बुलाऊंगा, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

इस तरह करने से तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसमें मेरा दोष नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 61 -- श्री अनन्त नायक।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं, प्रश्न काल के बाद एक एक कर आपका सबके नाम बुलाऊंगा। मैं यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं। मैं आप सबको एक साथ कैसे सुन सकता हूं? आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। मैं आपको कैसे सुन सकता हूं और किस प्रकार मैं निर्णय ले सकता हूं? मैं एक–एक कर बुलाऊंगा। मैं यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोगों को समायोजित करने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य मैं आपसे अपील करता हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए....केवल मेरी टिप्पणियों को छोड़कर आरम्भ से एक शब्द भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)...**

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस दिया है?

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई नोटिस दिया है?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपने किस विषय पर नोटिस दिया है?

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल के बाद 12 बजे बोलिए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जो सभापटल के निकट या गलियारे में आ गए हैं उनके नाम नोट किए जाएं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जो वहां खड़े हैं उनके नाम दर्ज किए जाएंगे।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुजाता आप अपनी सीट पर वापस जाएं। अब आपका नाम दर्ज किया जा रहा है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वे जो सभापटल या गलियारे के निकट खड़े हैं उनका नाम नोट किया जाएगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमें अपने खिलाड़ियों पर भी गर्व है किन्तु पूरा देश सांसदों के व्यवहार से शर्मिंदा है।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(तत्पश्चात् श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.10 बजे

(इस समय श्री सर्वानन्द सोनोवाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। या तो प्रश्न काल शुरू किया जाएगा अन्यथा कुछ नहीं।

*...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी सदन के अन्दर हो रहा है उसके बारे में कुछ भी मीडिया में न आए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे आग्रह पर ध्यान दें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह मीडिया में न आए।

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.12 बजे

(इस समय श्री सर्वानन्द सोनोवाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए)

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक मुद्दे पर बहस की अनुमति देने के लिए सहमत हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं इस मुद्दे पर बहस की अनुमति दूंगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप बहस के बारे में गंभीर नहीं हैं। आप इस सत्र में प्रश्न काल नहीं होने देना चाहते हैं। पूरा देश हमें देख रहा है। यहां क्या हो रहा है? मैं आपसे अपील करता हूं कृपया इस देश को बचाइए, कृपया इस संस्था को बचाइए।

मुझे किसी विषय को दबाने में कोई रुचि नहीं है लेकिन इसे उचित ढंग से किया जाना चाहिए। यह प्रश्न काल है। कृपया प्रश्न काल चलने दें। मैं प्रश्न काल के बाद महत्वपूर्ण विषयों को उठाने की अनुमति दूंगा। हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी ही होगी। आज रेलवे की अनुपूरक मांगे बहस और मतदान के लिए सूचीबद्ध हैं। मुझे लगता है कि प्रत्येक सांसद इसमें भाग लेने का इच्छुक होगा। लेकिन क्या किया जा सकता है?

जब मुझसे यह कहा जाता है कि व्यवस्था कायम रखना अध्यक्षपीठ का कर्तव्य है, किस प्रकार कोई ऐसे सदन में व्यवस्था कायम रख सकता है? क्या हम इस देश में उच्छृखंल सांसद के रूप में नहीं जाने जाएगें? आप सदन के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कृपया इस पर विचार कीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहनवाज हुसैन, आप एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना और उस पर बहस करना चाहते हैं। लेकिन क्या इसका यही तरीका है? मैं आपको अवसर प्रदान कर सकता था। मैं क्या कर सकता हूं? कृपया मुझे बताइए।

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.15 बजे

सदस्य का सभा से बाहर जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आइए और यहां बैठिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल्लाकुट्टी, उसे मत दिखाइए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चेतावनी देता हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अब्दुल्लाकुट्टी को जिनका व्यवहार काफी अनुशासनहीन रहा है, एतद् द्वारा सदन से तुरन्त बाहर जाने का निदेश देता हूं। वह आज की बैठक के बाकी समय के दौरान अनुपस्थित रहेंगे।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल्लाकुट्टी आपको सदन से बाहर जाना होगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल्लाकुट्टी, मैंने आपको सदन से बाहर जाने का निदेश दिया है।

...(व्यवधान)...

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपको सदन से बाहर जाना होगा।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

(तत्पश्चात् श्री अब्दुल्लाकुट्टी सभा-भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.17¼ बजे

(इस समय श्री रामचन्द्र पासवान, श्री रामकृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.18 बजे

(इस समय श्री पी. करूणाकरन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.18¼ बजे

(इस समय श्री सर्वानन्द सोनोवाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर चुपचाप नहीं बैठूंगा। आप वापस जाइए। मैं आप सभी को निलंबित करने जा रहा हूं। मैं ऐसा करूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह सकता हूं कि आप अति निंदनीय व्यवहार कर रहे हैं। मैंने किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए 'मना' नहीं किया है। आप जानबूझकर सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। आप बहुत ही गैर-जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

श्री रामकृपाल यादव आप सबसे अधिक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यदि आपने कोई पत्र दिखाया तो मैं आपको सभा से बाहर जाने को कह दूंगा। मैंने श्री अब्दुल्लाकुट्टी को सभा से बाहर जाने को कह दिया है, मैं आपसे भी बाहर जाने को कह दूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा।

...(व्यवधान)...

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

'बाघों का शिकार'

*61. **श्री अनन्त नायक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007 में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के बाद से बाघों के शिकार के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) बाघों के शिकार को रोकने के लिए बाघ कृतिक बल द्वारा कौन-कौन से विशिष्ट कदमों की सिफारिश की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) 6 जून, 2007 को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना के बाद से कथित रूप से अवैध शिकार के कारण कुल 13 बाघों की मृत्यु होने की जानकारी मिली है। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित टाइगर फोर्स ने देश में बाघों के संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ अत्यावश्यक सिफारिशें की थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बाघ और संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) की स्थापना करना, बाघ संबंधी अपराधों के बारे में डेटाबेस तैयार करना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना तथा विद्रोहिता/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित, प्रत्येक रिजर्व की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कार्य नीति तैयार करना शामिल हैं।

(ग) (i) वर्ष 2006 में किए गए एक संशोधन द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में उपलब्ध समर्थकारी प्रावधानों के आधार पर 6 जून, 2007 से वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, कोचीन, गुवाहाटी में स्थित मौजूदा क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय वन्यजीव कार्यालय ब्यूरो के अंतर्गत लाए गए हैं और उनके क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है। उक्त ब्यूरो के अंतर्गत जबलपुर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया है। वन्यजीव अपराध ब्यूरो के अधिदेश में मुख्य रूप से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त अपराधों का नेटवर्क तैयार करना और अपराधों का पता लगाना, वन्यजीव अपराध संबंधी डेटा एकत्र करना तथा उनको राज्यों व अन्य प्रवर्तन प्राधिकरणों को प्रसारित करना, राज्यों और अन्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों

और प्रोटोकॉल के अंतर्गत वचनबद्धताओं को कार्यान्वित करना शामिल है।

(ii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 4 सितंबर, 2006 से की गई है।

(iii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को एक समिति से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इस समिति को प्राधिकरण ने उग्रवादियों के उपद्रवों से ग्रस्त टाइगर रिजर्वों का समाधान करने के संबंध में एक रणनीति सुझाने के लिए गठित किया था। वर्ष 2006 में यथा–संशोधित वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में बाघों का संरक्षण करने हेतु रिजर्व विशिष्ट बाघ संरक्षण योजना तैयार करने की व्यवस्था है।

(iv) बाघ रिजर्व में अपराध करने की दण्ड व्यवस्था को और सख्त बना दिया गया है।

विवरण

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना के बाद से जानकारी में आए/सूचित किए गए अवैध शिकार के कारण बाघों की हुई मृत्यु का विवरण

1. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

वर्ष	राज्य का नाम जहां पर जब्ती की गई	ब्यौरा
1	2	3
2008	हरियाणा	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (उत्तरी क्षेत्र) और गुडगांव पुलिस ने संयुक्त रूप से दिनांक 7.7.2008 को एक बाघ के शरीर के अंग/हड्डियां जब्त कीं, और दिनांक 7.7.2008 को मुल्जिमों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (167) दर्ज की गई और जांच जारी है।
	हिमाचल प्रदेश	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो उत्तरी क्षेत्र ने दो बाघों की खालें और उनके शरीरांगों की जब्ती के दौरान हिमाचल पुलिस के साथ सक्रिय रूप साथ दिया। इस संदर्भ में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुल्जिमों के खिलाफ दिनांक 20.7.2008 को स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (10) दर्ज की गई है और जांच जारी है।
	पश्चिम बंगाल	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा राज्य तथा केन्द्रीय फॉरेंसिक लैब, कोलकाता पुलिस और फील्ड डायरेक्टर, सुन्दरवन बाघ रिजर्व के साथ समन्वय करके सुन्दरवन बाघ रिजर्व में बाघ की अवैध शिकार की घटना की जांच (अक्तूबर, 2008 का एक सप्ताह) में सहयोग किया।
2007	असम	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पूर्वक्षेत्र ने ओरांग राष्ट्रीय पार्क, असम में बाघ की मृत्यु के संबंध में जांच की है (2 और 10 अक्तूबर, 2007)।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की भागीदारी/सहभागिता से नोटिस में आए/सूचित किए गए अवैध शिकार के कारण मारे गए बाघों की कुल संख्या	3

2. राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार*

वर्ष	राज्य का नाम	बाघों की संख्या
2007	केरल	4
	असम	2
	आंध्र प्रदेश	1
	उत्तर प्रदेश	1
	जोड़	8
2008	केरल	1
	पश्चिम बंगाल	1
	जोड़	2

*टिप्पणी : राज्यों द्वारा चलाए गए मुकदमों/की गई जांच से संबंधित मामलों के विवरण का भारत सरकार के स्तर पर मिलान नहीं किया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनशक्ति की कमी

*62. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश में अधिसंख्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, लैब टैक्निशियनों और फार्मासिस्टों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अधिसंख्य चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने की रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ङ) रिक्त पदों को भरने और देश में निर्धन ग्रामीणों के लिए समुचित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी हां। "बुलेटिन ऑन रूरलहैल्थ स्टैटिस्टिक्स, 2007" के अनुसार पूर्ववर्ती मानकों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1410 डाक्टरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 2341 कार्यचिकित्सकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 9455 विशेषज्ञों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 9795 प्रयोगशाला तकनीशियनों एवं 4910 फार्मासिस्टों की कमी है। भारतीय जन स्वास्थ्य मानदण्डों ने संस्थाओं के लिए उच्चतर मानक निर्धारित किए। सरकार को इस कमी की जानकारी है और यह समस्या का प्रशमन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न उपाय कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। जैसाकि राज्यों द्वारा (अगस्त, 2008) सूचित किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुल 10,489 मेडिकल डाक्टरों, 2231 विशेषज्ञों, 3933 आयुष डाक्टरों, 17,979 स्टाफ नर्सों, 32,321 सहायक नर्स धात्रियों, 7,590 पराचिकित्सकों एवं 831 आयुष पराचिकित्सकों को संविदा पर नियोजित किया गया है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक कार्यकर्ताओं के रूप में नियोजित 6.24 लाख आशा स्वयंसेविकाओं के अलावा है।

(ग) और (घ) किसी राज्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत डाक्टरों की व्यापक अनुपस्थिति की सूचना नहीं दी है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की अनुपलब्धता के मामले की सूचना प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। भर्ती, तैनाती एवं अनुशासनिक मामलों सहित सेवा मामले संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के विषय हैं। इस संबंध में कार्रवाई संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नियमों के अनुसार की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने पंचायती राज संस्थाओं/रोगी कल्याण समितियों इत्यादि के प्रति उनकी जिम्मेवारी को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। इसने रेजिडेंट स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय मानदण्डों के आधार पर संस्था विशिष्ट संविदात्मक नियोजन को भी प्रोत्साहित किया है।

(ङ) मानव संसाधन विनियोजन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जोर दिए जाने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है और यह राज्यों के साथ आगे बढ़ाई जा रही एक प्राथमिकता है। विभिन्न पहलों में स्थानीय निवास मानदण्डों के आधार पर स्वास्थ्य स्टाफ का संविदात्मक विनियोजन, डाक्टरों और परा-चिकित्सकों को बहु-कौशलयुक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था जैसे कि सम्मिश्रित भुगतान, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, पी जी भत्ता, मामला आधारित भुगतान, बेहतर आवास व्यवस्था शामिल है, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त डाक्टरों के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष डाक्टरों एवं पराचिकित्सकों की व्यवस्था, अल्पसेवित क्षेत्रों में डाक्टरों की ब्लाक पूलिंग, मानव संसाधनों के भीतर अथवा बाहर संविदा के जरिए अल्पघोषित क्षेत्रों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ विनियोजन करना, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए समुदाय को सशक्त बनाना, अनटाइड एवं फ्लेक्सिबल निधियों की व्यवस्था देश में ग्रामीण गरीब लोगों के लिए समुचित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे अनेक उपायों में से कुछ उपाय हैं। सभी राज्य स्वास्थ्य सचिवों/स्वास्थ्य निदेशकों एवं एन आर एच एम के मिशन निदेशकों के साथ 16-18 अक्तूबर, 2008 को मानव संसाधनों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

पारम्परिक खेलों को बढ़ावा

*63. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारम्परिक खेलों के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चिन्हित पारम्परिक खेलों के नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) विशेषकर ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में खेल अवसंरचना के संवर्धन और विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण (भा. खे.प्रा.) की वर्तमान योजनाओं में पारम्परिक व देशी खेलों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के तहत, तीरंदाजी, शतरंज, खो–खो, रस्साकशी, कबड्डी, कुश्ती इत्यादि जैसे देशी/पारम्परिक खेलों के क्षेत्र में कार्य कर रहे खेल परिसंघों को सरकारी मान्यता प्रदान की गई है तथा अपनी–अपनी खेल–विधाओं में प्रोत्साहन संबंधी व विकास परक गतिविधियों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के तहत देशी/पारम्परिक खेलों के क्षेत्र में कार्य कर रहे खेल परिसंघों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(लाख रु.)

क्र.सं.	योजना का नाम	2005–06	2006–07	2007–08
1.	भारतीय तीरंदाजी संघ	51.75	94.68	81.67
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	78.94	112.46	239.94
3.	भारतीय आत्या–पात्या परिसंघ	12.00	15.50	8.50
4.	भारतीय खो–खो परिसंघ	12.00	2.00	0.00
5.	भारतीय हॉकी (पुरुष) परिसंघ	96.46	92.09	125.18
6.	भारतीय हॉकी (महिला) परिसंघ	78.81	111.64	191.65
7.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	24.69	13.95	25.68
8.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	11.50	20.75	3.50
9.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	209.82	32.58	6.15

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण भी पारम्परिक/देशी खेलों के संवर्धन और विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं संचालित करता है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा योजना के तहत, भा.खे.प्रा. ने 27 स्कूल अंगीकृत किए हैं, स्पर्धाओं में प्रशिक्षण व भाग लेने के अनुरूप चिन्हित एथलीटों को व्यापक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। भा.खे.प्रा. विशेष क्षेत्र खेल योजना भी संचालित करता है जिसका विशिष्ट लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है।

(घ) सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी वाई के के ए) नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका लक्ष्य 10 वर्षों की अवधि में सभी गांवों तथा ब्लाक पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से बुनियादी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और गांव व पंचायत स्तर पर संगठित खेल स्पर्धाओं का आयोजना करना है। योजना में पारम्परिक और देशी खेलों के संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारत-अमरीका असैन्य परमाणु समझौता

***64. श्री पी. करूणाकरन :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–अमरीका असैन्य परमाणु समझौते की मुख्य बातें और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारत द्वारा देश के सुरक्षा हितों में परमाणु परीक्षण करने की स्थिति में, यदि कोई, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो वह क्या है;

(ग) क्या भारत ने परमाणु ऊर्जा के असैन्य प्रयोग हेतु रूस और फ्रांस के साथ भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) "परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच सहयोग हेतु करार" पर विदेश मंत्री और यू.एस. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच 10 अक्तूबर, 2008 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए गए। इस करार का प्रयोजन भारत और अमरीका के बीच असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग को समर्थ बनाना है जिसके दायरे में परमाणु रियेक्टर और संबद्ध परमाणु ईंधन

चक्र जिसमें संवर्धन और पुनर्संसाधन भी शामिल है, के पहलुओं को रखा गया है। करार में 18 जुलाई, 2005 और मार्च, 2006 के संयुक्त वक्तव्यों की महत्वपूर्ण सूझ-बूझ और हमारी पृथक्करण योजना को पूरी तरह परिलक्षित किया गया है। इस करार से भारत के रियेक्टरों के जीवन काल में आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट से बचने के लिए परमाणु ईंधन का सामरिक भंडार निर्मित किया जा सकेगा। करार आई.ए.ई.ए. रक्षोपायों के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्राप्त परमाणु सामग्री के पुनर्संसाधन की पूर्व सहमति प्रदान करता है। करार में खासतौर पर यह व्यवस्था की गई है कि भारत के सामरिक परमाणु कार्यक्रम, तीन स्तरीय परमाणु कार्यक्रम और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप अबाधित और अप्रभावित रहेंगे।

द्विपक्षीय करार में परीक्षण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

करार में उस स्थिति में जब दोनों में से कोई पक्षकार करार को समाप्त करने का निर्णय लेता है, हमारे रियेक्टरों के निर्बाध संचालन के संबंध में हमारे हितों की रक्षा के लिए बहुस्तरीय परामर्शी तंत्र की व्यवस्था की गई है। करार में दोनों पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है और 17 अगस्त, 2006 को संसद में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने 30 सितम्बर, 2008 को फ्रांस सरकार के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी के असैनिक उपयोग में सहयोग हेतु 'असैनिक परमाणु सहयोग पर भारत-फ्रांस अंतर सरकारी करार' पर हस्ताक्षर किया है। सरकार आशा करती है कि इस वर्ष के अंत में रूस के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ङ) ये करार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ परमाणु व्यापार और वाणिज्य के पुनरारम्भ के सूचक हैं। इससे हमें अपने ऊर्जा स्रोतों में परमाणु शक्ति के हिस्से को बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाने में मदद मिलेगी और हमारी ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलेगा। इन करारों को संपन्न किए जाने के साथ ही भारत के विरुद्ध लक्षित प्रौद्योगिकी इंकार व्यवस्थाओं का भी अंत होगा और भविष्य में उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार का विस्तार भी होगा।

'एम्स' जैसे संस्थान

*65. **श्री सर्बानन्द सोनोवाल :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से उनके 'एम्स' जैसे संस्थानों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विभिन्न राज्यों के कतिपय मेडिकल कालेजों और अस्पतालों का 'एम्स' के अनुरूप उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में देश में तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने और गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा भी प्रदान करने के लिए एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना करने और मेडिकल कालेज संस्थाओं के उन्नयन की परिकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण में मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों तथा जनसंख्या-बिस्तर अनुपात, गंभीर संचारी रोगों की व्यापकता दर, नवजात मृत्यु दर इत्यादि जैसे स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर छह एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना की जा रही है जिसमें से बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्यप्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) एवं उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक संस्था होगी।

इसके अलावा, अवसंरचना तथा उपकरणों के संदर्भ में 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कालेज संस्थाओं का उन्नयन किया जा रहा है। जिन संस्थाओं का उन्नयन किया जा रहा है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

तीन राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र से एम्स जैसी नई संस्थाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, संसाधनों की तंगी को देखते हुए दो राज्यों में एम्स जैसी केवल दो और संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे चरण के दौरान पांच मौजूदा सरकारी मेडिकल कालेज संस्थाओं का उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

विवरण

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण में मेडिकल कालेज संस्थाओं का उन्नयन

1. सरकारी मेडिकल कालेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
2. सरकारी मेडिकल कालेज, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
3. कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
4. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
5. आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तरप्रदेश)
6. निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)
7. श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरूपति (आंध्रप्रदेश) (उन्नयन की 50% लागत टी.टी.डी. ट्रस्ट द्वारा वहन की जाएगी)
8. सरकारी मेडिकल कालेज, सेलम (तमिलनाडु)
9. बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद (गुजरात)
10. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर (कर्नाटक)
11. मेडिकल कालेज, तिरूवनंतपुरम (केरल)
12. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, (आर.आई.एम.एस.), रांची
13. ग्रांटस मेडिकल कालेज एंड सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुम्बई (महाराष्ट्र)

आर.आई.एम.एस., रांची को छोड़कर जिसके लिए आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का दिनांक 26.4.2007 को अनुमोदन प्राप्त किया गया था, उपर्युक्त संस्थाओं के उन्नयन का आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिनांक 22.6.2006 को अनुमोदन किया गया था।

[हिन्दी]

काबुल में भारतीय दूतावास के निकट बम विस्फोट

*66. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के निकट बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या और सम्पत्ति के नुकसान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को अफगानिस्तान की सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अफगानिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस बम विस्फोट के शिकार व्यक्तियों और उनके परिवारों को दिए गए/दिए जा रहे मुआवजे और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत सरकार ने भी उक्त घटना की स्वयं जांच कराई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) अफगानिस्तान में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ज) 7 जुलाई 2008 को स्थानीय समय 0831 बजे काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास के प्रवेश द्वार के निकट एक आत्मघाती हमलावर द्वारा वाहन पर रखे स्वचालित विस्फोटक यंत्र से विस्फोट किया गया। इस हमले से राजदूतावास में श्री वी.वी. राव, कोंसूलर, बिग्रेडियर आर.डी. मेहता, रक्षा अताशे और उनके अफगानी चालक श्री नियामूतुल्ला, जो राजदूतावास के वाहन पर सवार थे, की दुःखद मृत्यु हो गई। कांस्टेबल अजय सिंह पठानिया (आई.टी.बी.पी.), कांस्टेबल रूप सिंह (आई.टी.बी.पी.) और 55 अफगान राष्ट्रिकों (जिनमें 11 सुरक्षा कर्मी और 17 स्कूली बच्चे भी थे) की भी मृत्यु हो गई। 150 से अधिक व्यक्ति इस हमले में हताहत हुए। अनेक वाहन जो चांसरी परिसर के भीतर और बाहर दोनों ओर खड़े थे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। चांसरी भवन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हमारे राजदूतावास पर हुए हमले को सरकार द्वारा गंभीरता से देखा गया है जो अफगानिस्तान और हमारे क्षेत्र में शांति के दुश्मनों द्वारा किया गया कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला था। हमले की छानबीन कराने और हमारे कार्मिकों की सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से अफगानिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही सकारात्मक रही है। भारत सरकार ने मुआवजा और सहायता प्रदान किया है। हमले की छानबीन और सभी हमलावरों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। हमले के बाद राजदूतावास, कोंसलावास और उसके कार्मिकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अफगान सरकार को अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में भारतीय परियोजना के कामकारों और कार्मिकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैय्या कराने के लिए पूरी तरह सजग कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

*67. **श्री एल. राजगोपाल :**

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं और उसके फलस्वरूप हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए हैं;

(घ) क्या सरकार की योजना आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में राजमार्ग यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी हां। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाएं	सभी सड़कों पर मृत व्यक्ति
2004	429910	92618
2005	439255	94968
2006	460920 (अनंतिम)	105749 (अनंतिम)

सड़क दुर्घटनाएं और उनमें मृत्यु मुख्यतः चालक की गलती, वाहन में यांत्रिक दोष, पैदल यात्रियों की गलती, खराब सड़कों, खराब मौसम, विषम यातायात आदि जैसे अनेक कारणों से होती हैं।

(ग) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तथापि, इस विभाग ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं :–

i) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना बनाते समय सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग होती है।

ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्हांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है।

v) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा देश के 13 राज्यों में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की गई है।

vi) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा दृश्य–श्रव्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार और जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

vii) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

viii) वाहनों के सुरक्षा मानक समय–समय पर कठोर बनाए जाते हैं।

ix) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर–सरकारी संगठनों को क्रेनें और एंबुलेंस प्रदान की जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते हैं, पर 50 किमी. के अंतराल पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

x) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को छः लेन का बनाया और सुधारा जा रहा है।

(घ) और (ङ) लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत सभी राज्यों में राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था की योजना नहीं है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निम्नलिखित खंडों पर राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था बना रहा है :–

i) अहमदाबाद–वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग (गुजरात)

ii) राजस्थान/मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश राज्यों में पूर्व पश्चिम महामार्ग (एशिया विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं) पर लगभग 150 किमी. का एक खंड।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण III और v के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण परियोजनाओं में राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रावधान किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में रारा 8 पर जयपुर–किशनगढ़ खंड (बी ओ टी परियोजना) पर पहले से ही यह व्यवस्था प्रचालन में है।

'आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य उत्पाद'

***68. डा. आर. सेनथिल :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जी.ई.ए.सी.) द्वारा देश में अनुमति प्राप्त/प्रतिबंधित आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य उत्पादों और बीजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ प्रतिबंधित उत्पाद अभी भी बाजार में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) आज की तारीख तक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जी ई ए सी) जोकि पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए परिसंकटमय सूक्ष्मजीव/आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीव अथवा कोशिका विनिर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण नियम, 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, ने भारत में केवल बीटी कॉटन को ही वाणिज्यिक आधार पर रिलीज किया है। हालांकि आनुवंशिक रूप से परिवर्तित उत्पादों और बीजों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तथापि, उनके वाणिज्यिक उपयोग से पूर्व जी ई ए सी का अनुमोदन लेना अनिवार्य है। जी ई ए सी को भारत में केवल आनुवंशिक रूप से परिवर्तित सोयाबीन तेल के आयात और उसके वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसे जुलाई, 2007 में मान लिया गया था। अभी तक कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि यदि आनुवंशिक रूप से परिवर्तित किसी उत्पाद का भारत में अवैध रूप से विपणन करते पाया जाता है तो इसके लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय कामगारों का शोषण

***69. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों में निर्माण कार्य में नियोजित भारतीय कामगारों का शोषण किया जाता है और उन्हें वहां की स्थानीय कंपनियों/ठेकेदारों के अत्याचारों को भी सहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) भारतीय उत्प्रवासी कामगारों के शोषण की घटनाएं समय–समय पर सरकार के ध्यान में आती हैं। ऐसे कामगारों में से 90 प्रतिशत से अधिक खाड़ी देशों में नियोजित हैं। प्राप्त शिकायतें विभिन्न मुद्दों से संबंधित हैं जिनमें भर्ती एजेंटों द्वारा शोषण की घटनाएं शामिल हैं। गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जारी की गई अभियोजन स्वीकृतियां	कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/ उत्प्रवास संरक्षियों को भेजे गए मामले
2006	78	21	57
2007	41	7	34
2008 (09/2008 तक)	71	37	34

पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	निलम्बित/ रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की संख्या	बंद कर दी गई/ हल कर दी गई शिकायतों की संख्या	लम्बित मामले जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है
2006	167	167	80	84	03
2007	98	94	12	51	35
2008 (30.09.2008)	89	89	17	30	42

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऐसी शिकायतों के आधार पर 345 विदेशी नियोक्ताओं को पूर्व अनुमोदन श्रेणी में रखा गया है।

(घ) विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

* कामगारों की सभी श्रेणियों (कुशल और अकुशल) के लिए 6 देशों अर्थात यमन, लेबनान, लीबिया, जोर्डन, सूडान और कुवैत के संबंध में रोजगार दस्तावेजों का संबंधित भारतीय मिशनों से सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है जबकि सभी ईसीआर देशों के लिए उपेक्षित श्रेणियों जैसे कि घरेलू आयाओं/घरेलू नौकरों और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार दस्तावेजों का भारतीय मिशनों से सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

* 500 अथवा अधिक कामगारों की सभी मांगों के मामले में संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा विदेशी नियोक्ता के साथ–साथ उसकी मांग की वास्तविकता की जांच की जाती है।

* मंत्रालय की सतर्कता सूची में दर्ज भर्ती एजेन्टों की सभी मांगों को स्वीकृति देने से पूर्व संबंधित भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित कराया जाता है। उत्प्रवास संरक्षियों को कहा गया है कि मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उत्प्रवास स्वीकृति देते समय उचित जांच और कड़ी सावधानी बरती जाए।

* उत्प्रवासी कामगारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन किए हैं और कतर के साथ विद्यमान करार को अद्यतन बनाया है। मलेशिया और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ओमान के साथ बातचीत जारी है। अन्य श्रमिक आयातक देशों के साथ समझौता ज्ञापन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन समझौता ज्ञापनों में एक संयुक्त समिति का प्रावधान होता है जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होते हैं जो कामगारों की शिकायतों पर चर्चा करते हैं और उनका समाधान करते हैं।

* उत्प्रवासियों के उपेक्षित वर्गों जिनमें महिला उत्प्रवासी शामिल हैं, के बेहतर संरक्षण और कल्याण के लिए विशेष उपाय किए गए हैं:

1. ईसीआर पासपोर्टों पर उत्प्रवास करने वाली सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 कर दी गई है।

2. मेजबान देशों में उत्प्रवासियों की जानकारी और सहायता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल सेवा द्वार के रूप में कार्य करने के लिए प्रवासी भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र खोले गए हैं।

3. 24 घंटे सातों दिन की एक हैल्प लाइन अर्थात प्रवासी भारतीय स्रोत केन्द्र स्थापित किया गया है ताकि उत्प्रवासी/संभावित उत्प्रवासी जानकारी प्राप्त कर सकें और भर्ती एजेंटों/विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करा सकें।

* एक व्यापक बीमा योजना अर्थात प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2006 विद्यमान है जिसमें प्रत्येक उत्प्रवासी कामगार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करते समय योजना के अंतर्गत शामिल हो। योजना में अन्य बातों के अलावा कामगारों को जीवन बीमा, चिकित्सा खर्च, कानूनी खर्च और साथ ही जब कभी आवश्यकता हो स्वदेश वापसी का खर्च शामिल होता है। 1.4.2008 से अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हुए प्रीमियम की दरों को कम करके योजना को प्रोन्नत किया गया है। कामगारों को अब 10 लाख रुपये का जीवन बीमा (पहले 5 लाख रुपये के स्थान पर), चिकित्सा खर्च 75 हजार रुपये (पहले 50 हजार रुपए के स्थान पर), परिवार के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के रूप में में 50 हजार रुपये (पहले 25 हजार रुपये के स्थान पर), मातृत्व खर्च 25 हजार रुपये (पहले 20 हजार

रुपये के स्थान पर) और कानूनी खर्च 30 हजार रुपये (पहले 25 हजार रुपये के स्थान पर) आदि दिया जाता है। बीमा प्रीमियम की राशि को कम करके दो वर्ष की बीमा अवधि के लिए 275 रुपये और तीन वर्ष की अवधि के लिए 375 रुपये कर दिया गया है।

कानूनी और अवैध उत्प्रवास के क्रमशः लाभों और परेशानियों का प्रचार करने के लिए श्रमिकों और अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे महिला उत्प्रवासियों को शिक्षित करने के लिए समाचार पत्र–पत्रिकाओं और इलैक्ट्रानिक मीडिया की मार्फत व्यापक प्रचार अभियान शुरु किया गया है।

मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में वृद्धि

*70. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**

श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) ने देश में मलेरिया और डेंगू के मामलों में अत्यधिक वृद्धि होने की भविष्यवाणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या हाल ही में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित देश में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार और बीमारी–वार, इन बीमारियों के कितने मामलों का पता चला और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(च) सरकार द्वारा इन बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में मलेरिया और डेंगू मामलों संबंधी भविष्यवाणियों वाली कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

(ग) से (च) डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया के हालिया मामले देश में प्रकट नहीं हुए हैं। बल्कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों सहित देश इन रोगों से लंबे समय से जूझते आ रहा है।

डेंगू के पहले प्रकोप की सूचना तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से वर्ष 1956 में मिली थी। इस समय यह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली राज्यों सहित देश के 18 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों से सूचित किया जा रहा है।

पिछली सहस्त्राब्दि के दौरान चिकुनगुनिया कोलकाता में वर्ष 1963, पांडिचेरी और तमिलनाडु में चैन्नई, आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी, विशाखापट्टनम एवं काकीनाडा, मध्य प्रदेश के सागर और महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ष 1965 तथा महाराष्ट्र के वर्सी में वर्ष 1973 में पहली बार दर्ज की गई। तत्पश्चात् कोई मामले 3 दशकों तक सूचित नहीं किए गए परन्तु यह देश के अंदर वर्ष 2006 में पुनः फैल गई है एवं इससे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली सहित 16 राज्य प्रभावित हुए हैं।

डेंगू एवं चिकुनगुनिया सदृश रोगवाहक अर्थात् एडीज एजिप्टि मच्छरों द्वारा संचारित विषाणुज रोगों का रूप लेने वाले प्रकोप हैं। एडीज एजिप्टि मच्छर मानव निर्मित कंटेनर में पनपते हैं जिसमें जल सप्ताह भर से अधिक जमा रहता है। तीव्र शहरीकरण, जीवनशैली में परिवर्तनों तथा अनुचित जल भंडारण सहित सदोष जल प्रबंधन जिनके कारण रोगवाहक मच्छर के पनपने के स्थानों में वृद्धि हो जाती है, के परिणामस्वरूप इन रोगों की घटना में हालिया वर्षों में बढ़त देखी गई है। इसके अलावा, वैश्विक आवागमन में वृद्धि होने से भी स्थानिकमारी वाले देशों से देश में विषाणुओं के प्रवेश या पुनः प्रवेश करने के अवसरों में बढ़त हो गई है।

मलेरिया महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों सहित देश में स्थानिकमारी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में और पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली राज्यों में मलेरिया के मामलों में समग्र गिरावट देखी गई है। तथापि, पिछले वर्ष की इसी अवधि (जनवरी–सितम्बर) की तुलना में ऐसे मामलों में महाराष्ट्र राज्यों से मामूली बढ़त सूचित की गई है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

देश/राज्य	वर्ष (जनवरी–सितम्बर)	मलेरिया के मामले
कुल राज्य	2007	653827
	2008	599906
महाराष्ट्र	2007	36149
	2008	39348
पश्चिम बंगाल	2007	43796
	2008	25476
दिल्ली	2007	120
	2008	59

राज्य–वार और रोग–वार सूचित रोगों की संख्या तथा डेंगू, चिकुनगुनिया एवं मलेरिया से विगत तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में मरे व्यक्तियों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण–I, विवरण –II, और विवरण–III में दी गई है।

देश में डेंगू और चिकुनगुनिया के निवारण तथा नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने विशेष रोग नियंत्रण कार्यक्रम पहले तैयार किया है। इसके अलावा, कार्यक्रम की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और उसे राज्यों को कार्यान्वयन के लिए दिनांक 27.01.07 को भेजा गया है। इस कार्यक्रम में क्रियाकलाप निम्नवत् हैं:–

1. अनुवीक्षण और निगरानी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रहरी निगरानी केन्द्र 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान विभिन्न 137 अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं। इन प्रहरी निगरानी केन्द्रों के अलावा 13 प्रयोगशालाएं देश के विभिन्न भागों के विभिन्न अस्पतालों में खोली गई शीर्ष परामर्श प्रयोगशालाओं के रूप में डेंगू की पुष्टि के लिए चिन्हित की गई हैं।

2. डेंगू परीक्षणार्थ, डेंगू परीक्षण किटें (आईजीएम एमएसी एलिजा किटें जो राष्ट्रीय विष विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा निर्मित हैं।) प्रहरी निगरानी अस्पतालों तथा शीर्ष परामर्श प्रयोगशालाओं को आपूर्ति की जा रही हैं। ये केन्द्र भारत सरकार द्वारा भी कुछ हद तक निधि प्राप्त कर रहे हैं।

3. राज्यों को फागिंग मशीनों के प्रापणार्थ निधि दी जा रही है।

4. प्रशिक्षण के जरिए क्षमता निर्माण किया जा रहा है।

5. आवश्यकता के आधार पर प्रचालन अनुसंधान किया जा रहा है।

6. स्थानिकमारी से निपटने की तैयारी, अनुवीक्षण और मूल्यांकन तथा समुदाय में जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा व संचार इस कार्यक्रम में प्रारंभ किए गए अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं।

इस प्रयोजनार्थ 11वीं पंचवर्षीय योजना में डेंगू एवं चिकनगुनिया के लिए अलग बजट आबंटित किया गया है। वर्ष 2007–08 के दौरान 2.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी जिसे 2008–09 में बढ़ाकर 16.69 करोड रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, आपातकालीन पैकेजों के रूप में चिकनगुनिया प्रभावित राज्यों को वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान क्रमशः 21.60 करोड़ रुपए तथा 8.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

मलेरिया के संबंध में भारत सरकार राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया–रोधी औषधों, कीटनाशकों, लार्वानाशकों, त्वरित नैदानिक किटों इत्यादि सहित तकनीकी सहायता एवं संभार–तंत्रीय सहायता प्रदान करती है। मलेरिया के नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए निम्नलिखित कार्यनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं:

I रोग प्रबंधन

* शुरू में ही रोगी पहचान एवं पूर्ण उपचार
* रेफरल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण
* महामारी से निपटने की तैयारी एवं त्वरित अनुक्रिया

II मच्छरों के घनत्व को कम करने के लिए समेकित वेक्टर प्रबंधन

* चुनिंदा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अंतरंग अवशिष्ट छिड़काव
* कीटनाशी युक्त मच्छरदानियों का प्रयोग
* लार्वारोधी मछलियों का प्रयोग
* शहरी क्षेत्रों में जैव लार्वानाशकों सहित लार्वारोधी उपाय
* लघु पर्यावरणिक अभियांत्रिकी

III सहायक कार्यकलाप :

* व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण
* सार्वजनिक–निजी भागीदारी एवं अंतर–क्षेत्रीय समानिरूपता
* क्षमता निर्माण के जरिए मानव संसाधन विकास

विवरण-I

देश में डेंगू रोगी एवं मौतें

क्र.सं.	राज्य	2005		2006		2007		15 अक्तूबर, 2008 तक	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	99	2	197	17	587	2	111	1
2.	बिहार	0	0	4	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	चंडीगढ़	2	0	182	0	99	0	85	0
4.	दिल्ली	1023	9	3366	65	548	1	860	2
5.	गोवा	1	0	1	0	36	0	25	0
6.	गुजरात	454	11	545	5	570	2	440	2
7.	हरियाणा	183	1	838	4	365	11	899	10
8.	कर्नाटक	587	17	109	7	230	0	232	3
9.	केरल	1028	8	981	4	603	11	380	3
10.	महाराष्ट्र	349	56	736	25	614	21	326	20
11.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	पंजाब	251	2	1166	6	28	0	94	0
13.	राजस्थान	370	5	1805	26	540	10	296	2
14.	तमिलनाडु	1142	8	477	2	707	2	314	1
15.	उत्तर प्रदेश	121	4	639	14	132	2	22	2
16.	पश्चिम बंगाल	6375	34	1230	8	95	4	308	3
17.	पुडुचेरी	0	0	0	0	274	0	32	0
18.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	0	0	16	0	51	2	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	1	0	4	0	0	0
21.	जम्मू–कश्मीर	0	0	24	1	0	0	0	0
22.	मणिपुर	0	0	0	0	51	1	0	0
	कुल	11985	157	12317	184	5534	69	4424	49

विवरण-II

देश में चिकनगुनिया ज्वर की जानपदिक रोग विज्ञानी रूपरेखा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006		2007		2008 (15 अक्तूबर तक)	
		कुल संदिग्ध चिकनगुनिया ज्वर रोगी	मौतों की संख्या	कुल संदिग्ध चिकनगुनिया ज्वर रोगी	मौतों की संख्या	कुल संदिग्ध चिकनगुनिया ज्वर रोगी	मौतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	77535	0	39	0	5	0
2.	कर्नाटक	762026	0	1705	0	46033	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	महाराष्ट्र	270116	0	1762	0	440	0
4.	तमिलनाडु	64802	0	45	0	15	0
5.	मध्य प्रदेश	60132	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	75419	0	3223	0	172	0
7.	केरल	70731	0	24052	0	24631	0
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1549	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	560	0	203	0	3	0
10.	राजस्थान	102	0	2	0	3	0
11.	पुडुचेरी	542	0	0	0	0	0
12.	गोवा	287	0	93	0	18	0
13.	उड़ीसा	6461	0	4065	0	0	0
14.	पश्चिम बंगाल	21	0	19138	0	0	0
15.	लक्षद्वीप	35	0	5184	0	0	0
16.	उत्तर प्रदेश	4	0	4	0	0	0
17.	हरियाणा	0	0	20	0	23	0
	कुल	1390322	0	59535	0	71343	0

विवरण-III

राज्य वार वार्षिक मलेरिया स्थिति (2005–08)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005		2006		2007		2008 (सितम्बर, 2008 तक)	
		पोजिटिव रोगी	मौत	पोजिटिव रोगी	मौत	पोजिटिव रोगी	मौत	पोजिटिव रोगी	मौत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	39099	0	34081	0	27406	2	16671	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	31215	0	39182	196	34125	0	8621	0
3.	असम	67885	113	126178	304	93555	152	64470	70
4.	बिहार	2733	1	2744	1	1595	1	75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	187950	3	190590	3	145949	0	29251	0
6.	गोवा	3747	1	5010	7	9755	11	6365	11
7.	गुजरात	179023	54	89835	45	71296	56	28010	5
8.	हरियाणा	33262	0	47142	0	30895	1	24841	0
9.	हिमाचल प्रदेश	129	0	114	0	104	0	76	0
10.	झारखंड	193144	21	193888	4	184878	31	57326	0
11.	जम्मू–कश्मीर	268	0	164	0	223	1	93	0
12.	कर्नाटक	83181	26	62842	32	48415	18	30310	7
13.	केरल	2554	6	2111	7	1769	5	127	1
14.	मध्य प्रदेश	104317	44	96160	56	90709	0	41678	0
15.	महाराष्ट्र	47608	104	54420	133	69844	174	39348	84
16.	मणिपुर	2071	3	2709	8	1194	4	467	2
17.	मेघालय	16816	41	29924	167	33979	237	20431	49
18.	मिजोरम	10741	74	10668	120	6563	75	3878	40
19.	नागालैंड	2987	0	3361	75	4748	26	3399	13
20.	उड़ीसा	396573	255	380216	257	365593	214	113258	60
21.	पंजाब	1883	0	1888	0	2017	0	1260	0
22.	राजस्थान	52286	22	99529	58	55043	46	7356	0
23.	सिक्किम	69	0	93	0	48	0	24	0
24.	तमिलनाडु	39678	0	28219	0	20523	0	11967	0
25.	त्रिपुरा	18008	20	23375	31	17933	40	19411	44
26.	उत्तरांचल	1242	0	1108	0	953	0	591	0
27.	उत्तर प्रदेश	105303	0	91566	0	83019	0	39750	0
28.	पश्चिम बंगाल	185964	175	159646	203	86132	100	25476	55
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3954	0	2993	1	3973	0	2790	0
30.	चंडीगढ़	432	0	449	0	340	0	227	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दादरा और नागर हवेली	1166	0	3786	0	3780	0	2196	0
32.	दमन और दीव	104	0	140	0	99	0	71	0
33.	दिल्ली	1133	0	928	0	182	0	59	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	44	0	50	0	68	0	33	0
	कुल	1816569	963	1785109	1708	1496705	1194	599906	441

[अनुवाद]

नैदानिक परीक्षण

*71. **श्री मानिक सिंह :**

श्रीमती करूणा शुक्ला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में नैदानिक परीक्षणों के कारण हुई मृत्यु के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नैदानिक परीक्षणों के दौरान अनेक बच्चों/शिशुओं की मृत्यु हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नैदानिक परीक्षणों के दौरान जिन औषधियों का परीक्षण किया गया था उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाया गया था;

(च) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों द्वारा नैदानिक परीक्षणों के लिए विनिर्मित औषधियों के नाम क्या हैं;

(छ) सरकार द्वारा बच्चों/शिशुओं की मौत के जिम्मेदार दोषी डॉक्टरों/कंपनियों के विरुद्ध और उक्त घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ज) क्या सरकार ने मृतक बच्चों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में नैदानिक परीक्षणों के कारण कुछ मौतों की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सरकार को नैदानिक परीक्षणों के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में बच्चों की मृत्यु के कुछ मामलों की सूचना दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 42 नैदानिक अध्ययनों में नामांकित 4142 बच्चों में से कुल 49 बच्चों की मृत्यु हुई है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने बताया है कि ये मौतें मुख्य रूप से गंभीर/जानलेवा रोगों के कारण हुई है। नैदानिक परीक्षणों में बच्चों की मृत्यु के बारे में मीडिया की रिपोर्टों के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. सभी अध्ययनों का वैज्ञानिक मूलाधार था और इनमें आवश्यक वैज्ञानिक समीक्षाएं की गई थीं। एम्स, नई दिल्ली की नैतिक समिति ने सभी अध्ययन प्रोटोकॉलों का अनुमोदन किया था।

2. नैदानिक अध्ययनों के दौरान कोई भी मौत जांची गई प्रक्रियाओं के कारण नहीं हुई थी बल्कि उन मूल उच्च जोखिम वाली बीमारियों एवं गंभीर सह-रूग्ण रोगों से हुई थी जिनसे बच्चे पीड़ित थे। ये मौतें सभी रोगियों चाहे वे अध्ययन का नियंत्रण समूह से संबंधित हैं या नहीं, के लिए मानक उपचार के शुरू किए जाने के बावजूद भी हुई। इन परीक्षणों के अंतर्गत सूचित कोई भी मृत्यु दर इसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित रोगियों में सूचित मृत्यु दर से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त समिति ने नोट किया कि परीक्षण के लिए परस्पर अपेक्षित गहन मानीटरिंग के कारण कई जिंदगियां बचाई जा रही हैं।

(ङ) ऐसे परीक्षणों में कोई मौतें नहीं हुई जिनमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधों का प्रयोग किया गया था।

(च) से (झ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को औषध के चिकित्सकीय दुष्प्रभावों की सूचना न दिया जाना

*72. **श्री मधु गौड यास्खी :**
मो. मुकीम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय औषण निगरानी डाटाबेस को औषध के चिकित्सकीय दुष्प्रभाव संबंधी एक भी मामले की सूचना नहीं दी है जैसा कि 23 जुलाई, 2008 के "मिन्ट" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के औषध महानियंत्रक (डी सी जी आई) द्वारा नये औषध को अनुमति देने के लिए बाजार पूर्व निगरानी अध्ययन (पी एस एस) की कोई शर्त रखी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पीएमएस डाटा नहीं भेजा है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां।

भारत ने सॉफ्टवेयर और परिचर शुल्क विषय के कारण वर्ष 2005 से 2007 की अवधि के दौरान डब्ल्यू.एच.ओ. उपसाला निगरानी प्रणाली को एडवर्स ड्रग रिएक्शन्स की सूचना नहीं दी है। तथापि, अब भारतीय फार्माकोविजिलेंस डाटा को डब्ल्यू.एच.ओ. प्रायोजित उपसाला प्रणाली के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

(ग) नई औषधों के अनुमोदन की प्रक्रिया के दौरान विपणन–पूर्व निगरानी अध्ययन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची वाई की आवश्यकता के अनुरूप चरण–I, II और III के क्लिनिकल जांच के आंकड़ों को ध्यान मे रखा गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों में एचआईवी-एड्स

*73. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाथ बच्चों सहित एच आई वी/एड्स से पीड़ित बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराया गए सर्वेक्षण के राज्य–वार क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड का विचार केवल ऐसे बच्चों के लिए देखभाल केन्द्रों/अनाथालयों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले खर्चों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को विद्यालयों में ऐसे बच्चों के साथ भेदभाव किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों के निवारण के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) एच आई वी से संक्रमित बच्चों/अनाथ बच्चों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय एन्टी रीट्रो वायरल कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कार्यक्रम आंकड़ों के अनुसार 42,106 बच्चों में एच आई वी प्लस की पहचान की गई और उनमें से उपयुक्त बच्चों का एन्टी रीट्रोवायरल उपचार किया गया। राज्यवार सूची विवरण में रूप में संलग्न है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण–III के तहत नीति का उद्देश्य एचआईवी/एड्स से संक्रमित/प्रभावित बच्चों को अंगीकार करने को बढ़ावा देना है, ऐसे बच्चों की देखभाल करने की कोई संभावना न होने को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू करने के लिए 10 सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया गया है। एक सामुदायिक केन्द्र में 50 बच्चों को इलाज करने की परिकल्पना है। ऐसे प्रत्येक केन्द्र के नवीकरण और चमकाने, अचल परिसम्पत्तियों और उपकरण के लिए 4.00 लाख रुपए की गैर आवर्ती सहायता के रूप में तथा भोजन,

औषधियों और कार्मिकों के वेतन के लिए आवर्ती व्यय और प्रचालन व्यय के लिए 17.5 लाख रुपए की प्रति वर्ष की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

विद्यालयों में एचआईवी पीड़ित बच्चों के साथ भेद–भाव किए जाने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और स्थानीय स्तर पर उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है। बच्चों सहित एच आई वी से पीड़ित रोगियों के प्रति कलंक और भेदभाव रोकने को सुनिश्चित करने के लिए मीडिया और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

विवरण

सितम्बर, 2008 तक ए आर टी में पंजीकृत बच्चे

क्र.सं.	राज्य	एआरटी केन्द्र की संख्या	पंकीकृत बच्चे	उपयुक्त पाए गए बच्चे और एआरटी पर रखे गए बच्चे
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	25	6050	1891
2.	महाराष्ट्र	28	9984	3059
3.	आन्ध्र प्रदेश	25	9708	2433
4.	कर्नाटक	27	5713	1642
5.	मणिपुर	6	1650	388
6.	नागालैंड	4	327	62
7.	दिल्ली	9	1238	403
जीएफएटीएम राज्यों में कुल रोगी		124	34670	9878
8.	चंडीगढ़	1	343	145
9.	राजस्थान	4	831	307
10	गुजरात	6	1450	353
11	पश्चिम बंगाल	4	410	123
12	उत्तर प्रदेश	6	979	314
13	गोवा	1	196	39
14	केरल	5	516	167
15	हिमाचल प्रदेश	1	122	61
16	पांडिचेरी	1	90	44
17	बिहार	4	468	86
18	मध्य प्रदेश	3	389	148
19	असम	3	74	17
20	अरुणाचल प्रदेश	1	2	0
21	मिजोरम	1	73	22
22	पंजाब	3	512	161
23	सिक्किम	1	1	1
24	झारखंड	2	186	32
25	हरियाणा	1	241	45
26	उत्तराखंड	1	67	24
27	जम्मू व कश्मीर	2	54	27
28	उड़ीसा	1	283	32
29	छत्तीसगढ़	1	145	89
30	त्रिपुरा	1	0	0
31	मेघालय	1	4	1
गैर जीएफएटीएम राज्यों में कुल रोगी		55	7436	2238
नाको केन्द्र में कुल रोगी		179	42106	12116

देश में वनभूमि

*74. **श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वनभूमि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कम वनभूमि वाले राज्यों को राष्ट्रीय औसत के स्तर के बराबर लाने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) वन स्थित रिपोर्ट 2005 के अनुसार, सरकारी रिकार्ड में दर्ज वनभूमि 7,69,626 वर्ग कि.मी. है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। जिन राज्यों के पास कम वन भूमि है, उन्हें राष्ट्रीय औसत स्तर के बराबर लाने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश मे रिकार्ड किए गए वन क्षेत्र के ब्यौरे

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आर एफ	पी एफ	यू एफ	कुल	भौगोलिक क्षेत्र का %
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	50479	12365	977	63,821	23.20
अरुणाचल प्रदेश	10546	9528	31466	51,540	61.55
असम	17864	0	8968	26,832	34.21
बिहार	693	5779	1	6,473	6.87
छत्तीसगढ़	25782	24036	9954	59,772	44.21
दिल्ली	78	7	0	85	5.73
गोवा	237	0	987	1,224	33.07
गुजरात	14067	696	4199	18,962	9.07
हरियाणा	249	1158	152	1,559	3.53
हिमाचल प्रदेश	1896	33043	2094	37,033	66.52
जम्मू–कश्मीर	17643	2551	36	20,230	9.10
झारखंड	4387	19185	33	23,605	29.61
कर्नाटक	28,690	3931	5663	38,284	19.96
केरल	11,123	142	0	11,265	28.99
मध्य प्रदेश	61,886	31098	1705	94,689	30.72
महाराष्ट्र	49226	8195	4518	61939	20.13
मणिपुर	1467	4171	11780	17418	78.01
मेघालय	1112	12	8372	9496	42.34

1	2	3	4	5	6
मिज़ोरम	7909	3568	5240	16717	79.30
नागालैंड	86	508	8628	9222	55.62
उड़ीसा	26329	15525	16282	58136	37.34
पंजाब	44	1137	1903	3084	6.12
राजस्थान	11860	17652	2976	32488	9.49
सिक्किम	5452	389	0	5841	82.31
तमिलनाडु	19388	2183	1306	22877	17.59
त्रिपुरा	4175	2	2117	6294	60.02
उत्तर प्रदेश	11509	1837	3450	16796	6.97
उत्तरांचल	24638	9882	131	34651	64.79
पश्चिम बंगाल	7054	3772	1053	11879	13.38
अंडमान और निकोबार	2929	4242	0	7171	86.93
चंडीगढ़	31	0	2	33	28.95
दादरा और नगर हवेली	199	5	0	204	41.55
दमन और दीव	0	6	0	6	5.72
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0
कुल	4,19,028	2,166,05	1,33,993	7,69,626	23.41

स्रोतः वन स्थिति रिपोर्ट – 2005 भारतीय वन सर्वेक्षण

राष्ट्रीय खेल नीति

*75. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेलों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त खेल नीति कब तक तैयार और कार्यान्वित की जाएगी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 प्रचालन में है। इस समय, खेलों के लिए नई नीति तैयार करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

*76. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में खामियों को दूर करने के लिए नये परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि क्या केन्द्रीय सूचना आयोग को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वह उसे पूरा कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आम जनता को शीघ्र सूचना प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने आम जनता को शीघ्र सूचना प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों के विवरणों का प्रकाशन, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सूचना का प्रकटन, आवेदनों और अपीलों को प्राप्त करने के लिए लोक प्राधिकरणों के भीतर केन्द्रीय स्थानों का निर्धारण, सूचना मांगने वालों, लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों, लोक प्राधिकारियों आदि के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया जाना शामिल है। इस अधिनियम के बारे में जागरूकता लाने के लिए राज्य स्तर पर भी सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि आयोजित करके कई कदम उठाए गए हैं।

नौवहन पोतों का अर्जन

***77. श्री पुएल ओराम : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निर्यात के प्रयोजनार्थ कार्गो उठाने के लिए बड़ी संख्या में जहाजों और नौवहन पोतों के अर्जन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इन जहाजों/नौवहन पोतों का अर्जन कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय नौवहन निगम ने संलग्न विवरण के अनुसार 76 नए जलयानों की खरीद की योजना बनाई है।

(ग) इन जलयानों की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रु. है।

(घ) राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय नौवहन निगम द्वारा खरीद की योजना में आने वाले 76 नए जलयानों में से आज तक भारतीय नौवहन निगम ने 34 जलयानों का आदेश दिया है जिनमें से 2 जलयान पहले ही सुपुर्द कर दिए गए हैं, 3 जलयानों की सुपुर्दगी बहुत जल्द हो जाने का कार्यक्रम है और बाकी 29 जलयानों की सुपुर्दगीवर्ष 2009 और 2012 के बीच चरणबद्ध रूप में किए जाने का प्रस्ताव है। बाकी 42 जलयानों को 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष हिस्से में खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संख्या	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	कच्चे तेल के बहुत बड़े वाहक	2	जलयान सुपुर्द
2.	कच्चे तेल के बहुत बड़े वाहक	2	करार पर हस्ताक्षर
3.	एल आर–1 उत्पाद टैंकर	6	करार पर हस्ताक्षर
4.	4,400 टी ई यू जलयान	2	करार पर हस्ताक्षर
5.	एम आर उत्पाद टैंकर	2	करार पर हस्ताक्षर
6.	एल आर–II उत्पाद टैंकर	2	करार पर हस्ताक्षर
7.	एफ्रामैक्स टैंकर	4	करार पर हस्ताक्षर
8.	एंकर हैंडलिंग, टोविंग और आपूर्ति जलयान	4	करार पर हस्ताक्षर
9.	हैंडीमैक्स बल्क कैरियर	6	करार पर हस्ताक्षर
10.	पैनामैक्स बल्क कैरियर	4	करार पर हस्ताक्षर
11.	केपसाईज बल्क कैरियर	4	प्रक्रियाधीन
12.	कच्चे तेल के बहुत बड़े वाहक	4	प्रक्रियाधीन
13.	5,000 टी ई यू वाले कंटेनर जलयान	2	
14.	रसायन वाहक	4	
15.	एल पी जी वाहक	2	
16.	रसायन वाहक	4	
17.	हैंडीमैक्स बल्क कैरियर	4	

1	2	3	4
18.	एम आर लाईटरेज/ उत्पाद टैंकर	2	इन परियोजनाओं पर 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में काम किया जाएगा
19.	सूएजमैक्स टैंकर	2	
20.	पैनामैक्स बल्क वाहक	4	
21.	हैंडीसाईज बल्क वाहक	4	
22.	5,000 टी ई यू कंटेनर जलयान	2	
23.	एंकर हैंडलिंग, टोविंग और आपूर्ति जलयान	4	
	कुल जोड़	76	

[हिन्दी]

चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को आठ लेन में बदलना

***78. श्री वी. के. दुग्गर :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को आठ लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राष्ट्रीय राजमार्ग वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख में राज्य–वार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत चार लेन, छह लेन और आठ लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं; और

(घ) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जहां मंजूरी मिलने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को 8 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कतिपय राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों को यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार 8 लेन का बनाया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के मुकाबले में 4 लेन 6 लेन और 8 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रतिशत के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) दिल्ली में रारा 24 को 5.7 से 6.8 किमी. तक 4 लेन से 8 लेन बनाने का एक कार्य जो जनवरी, 2008 में स्वीकृत किया गया था, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है और इस कार्य के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के मुकाबले में 4 लेन 6 लेन और 8 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रतिशत के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	राज्य में रारा लंबाई का प्रतिशत		
		4–लेन का रारा	6–लेन का रारा	8–लेन का रारा
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	35%		
2	असम	1%		
3	बिहार	9%		
4	चंडीगढ़	47%	53%	
5.	छत्तीसगढ़	2%		
6.	दिल्ली	26.5%	30%	43.5%
7.	गोवा	10%		
8.	गुजरात	43%	1%	
9	हरियाणा	26%	3%	1%
10	जम्मू–कश्मीर	2%		
11	झारखंड	10%		
12	कर्नाटक	18%		
13	केरल	4%		
14	मध्य प्रदेश	6%		
15	महाराष्ट्र	25%		
16	मणिपुर	2%		
17	उड़ीसा	11%		
18	पुडुचेरी	7%		
19	पंजाब	20%		

1	2	3	4	5
20	राजस्थान	28%	2%	
21	तमिलनाडु	26%		
22	उत्तर प्रदेश	20%		
23	उत्तराखंड	0.4%		
24	पश्चिम बंगाल	18%		

[हिन्दी]

पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से गांवों का विकास

*79. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पंचायतों में सदस्यों के कथित भेदभावपूर्ण/पक्षपाती रवैये सहित विभिन्न कारणों से पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से गांवों का संतुलित विकास नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गांवों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने और पंचायतों की निधियों के दुरुपयोग पर भी रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में ग्राम सभा संस्थान, ग्राम पंचायत के सदस्यों के संभावित पक्षपाती रवैये पर बढ़िया नियंत्रण मुहैया कराते हैं। सामान्यतया, राज्य विधायिकाओं ने ग्राम सभाओं को विचार करने तथा ग्राम पंचायत को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करने व सुझाव देने की शक्ति प्रदान की है:

(i) योजनाओं, लाभार्थियों व उसकी अवस्थिति के चयन में।

(ii) ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण तथा ऐसे खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट;

(iii) पूर्व के वित्तीय वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत प्रशासन की रिपोर्ट;

(iv) गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता व सद्भाव को प्रोत्साहन;

पंचायतें सामान्य अकाउंटिंग व लेखा परीक्षा प्रणाली के शर्ताधीन है। राज्यों ने अपने पंचायती राज विधानों में वित्तीय नियंत्रण तथा ऑडिट के संबंध में प्रावधान किए हैं तथा बजट व खातों के रख–रखाव के लिए नियम भी बनाए हैं। राज्यों को पंचायतों के अकाउंटिंग व लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विकसित किए गए तकनीकी दिशा–निर्देश व पर्यवेक्षण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

समुद्री जल का खारापन दूर करना

*80. **श्री मो. ताहिर :**
श्री नन्द कुमार साय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समुद्री जल का खारापन दूर करना संभव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई परियोजना स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) जल का खारापन दूर करने की प्रति लीटर अनुमानित लागत कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा इस परियोजना की कम लागत सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रक्रिया विकसित की गयी है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्री जल का विलवणीकरण प्रतिलोम परासरण (आरओ) या तापीय प्रक्रियाओं की सहायता से किया जाना संभव है। परमाणु बिजलीघर अथवा नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर से प्राप्त विद्युत और/अथवा तापीय ऊर्जा का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने, प्रतिलोम परासरण और उसके साथ–साथ तापीय प्रक्रियाओं पर आधारित विलवणीकरण संयंत्र विकसित किए हैं। प्रतिलोम परासरण संयंत्रों की क्षमता पांच हजार लीटर प्रतिदिन से लेकर अठारह लाख लीटर प्रतिदिन तक होती है। मल्टी स्टेज़ फ्लैश (एमएसएफ) वाष्पन आधारित तापीय प्रक्रिया का प्रदर्शन चार लाख लीटर प्रतिदिन के स्तर तक किया गया है और पैंतालीस लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एक मल्टी स्टेज फ्लैश संयंत्र निर्माणाधीन।

(ङ) तीन रुपए प्रति किलोवाट घंटे के विद्युत शुल्क पर क्रमशः प्रतिलोम परासरण और मल्टी स्टेज़ फ्लैश औद्योगिकी को काम में लाने वाले एक 5 एमएलडी संयंत्र के संबंध में उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों का

इस्तेमाल करते हुए समुद्री जल को पेय–जल में परिवर्तित करने पर आने वाली लागत पांच से दस पैसे प्रति लीटर के बीच आती है।

(घ) जब बड़े स्केल के संयंत्रों का निर्माण किया जाता है, तब स्केल में किफायत के फलस्वरूप लागत में और अधिक कमी आएगी। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने, प्रौद्योगिकीय नवीकरणों के माध्यम से लागत को कम करने संबंधी नीतियां तैयार करने के लिए विलवणीकरण एवं जल शोधन की प्रौद्योगिकियों संबंधी अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं भी हाथ में ली हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं हैं:

(i) प्रतिलोम परासरण प्रक्रिया के लिए झिल्ली का विकास

(ii) प्रगत विलवणीकरण प्रौद्योगिकी अध्ययन

(iii) सौर ऊर्जा चालित विलवणीकरण प्रणालियां

(iv) ब्राइन से मूल्यवान तत्व प्राप्त करने के लिए परीक्षणात्मक अध्ययन।

[अनुवाद]

गरीबी पर सर्वेक्षण

623. श्री ई. दयाकर राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार शहरी गरीबी में कमी की दर ग्रामीण गरीबी की कमी की दर से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग–अलग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता और संख्या का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा लगभग 5 वर्षों के अंतराल पर परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में कराए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। यह अनुमान गरीबों के अनुपात और संख्या का अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में निहित कार्यपद्धति का पालन करते हुए लगाया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता ओर संख्या का नवीनतम अनुमान वर्ष 2004–05 के लिए उपलब्ध है जो एनएसएस के 61वें दौर के उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित है। इस प्रकार, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी के दो नवीनतम तुलनात्मक अनुमान वर्ष 1993–94 (एनएसएस के 50वें दौर के उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़ों से अनुमानित) और वर्ष 2004–05 (एनएसएस के 61वें दौर के उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़ों से अनुमानित) के उपलब्ध हैं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है :

गरीबों की प्रतिशतता
(योजना आयोग द्वारा यथा अनुमानित)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1993–94	37.3	32.4
2004–05	28.3	25.7

वर्ष 1993–94 से 2004–05 के दौरान गरीबी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष औसत 0.8 प्रतिशतता बिन्दु तक घटा तथा शहरी क्षेत्रों में 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक घटा। शहरी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से गरीब व्यक्तियों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के कारण था, इसे ग्रामीण गरीबी की तुलना में शहरी गरीबी में कमी की दर में मंद गिरावट के संभावित कारणों के रूप में समझा जा सकता है।

(ग) ग्यारहवीं योजना में इस योजना अवधि (2007–12) के लिए प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका उद्देश्य इस अवधि की समाप्ति तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत के संधारणीय विकास पर लाने का है। ग्यारहवीं योजना का केन्द्रीय दृष्टिकोण एक ऐसी तीव्र विकास प्रक्रिया शुरू करनी है जो लोगों की विशेष रूप से गरीबों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों आदि की जीवन गुणवत्ता में व्यापक सुधार सुनिश्चित करती हो। सरकार सामान्य विकास प्रक्रिया से सृजित आय के अतिरिक्त, गरीबों की आय बढ़ाने के लिए मजदूरी रोजगार और बहुत से परिसम्पत्ति सृजन कार्यक्रमों जैसे गरीबी रोधी कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। गरीबी उपशमन और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का लक्ष्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करना है। ग्यारहवीं योजना में शहरी गरीबी उपशमन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य हैं : (i) सस्ते आवास उपलब्ध कराना और शिष्ट जीवन एवं कार्य दशाएं, (ii) स्व–रोजगार उद्यमों को विकसित करने और मजदूरी रोजगार कमाने वालों के लिए कार्य सृजित करने में सहायता करना।

उत्तर-पूर्व राज्यों में बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं

624. श्री नकुल दास राई : क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम सहित उत्तर पूर्व के राज्यों में चलाई जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर पूर्व के उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भविष्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ग) उत्तर पूर्व के प्रत्येक राज्य द्वारा एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से कितनी धनराशि प्राप्त की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जिन पाइपलाइन प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है, वे इस प्रकार हैं :–

1. एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी राज्य व्यापार तथा निवेश सृजन पहल (एनईएसटीआईसीआई) परियोजना 100 मिलियन डॉलर की राशि से पूर्व 2011 के लिए निर्धारित है।

2. एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी राज्य सड़क परियोजना (एन ई एस आर डी) प्रस्ताव 200 मिलियन डॉलर की लागत से 2010 के लिए निर्धारित है।

3. एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त असम के लिए उत्तर पूर्व एकीकृत बाढ़ और नदी तटबंध कटाव प्रबंधन परियोजना (एन ई आर एफ आर ई एम पी) प्रस्ताव 120 मिलियन डॉलर की लागत से 2009 के अंत तक के लिए निर्धारित है।

4. एशियाई विकास बैंक की सहायता से अरूणाचल प्रदेश के लिए 80 मिलियन डॉलर की लागत से तकनीकी सहायता परियोजना प्रस्ताव 2010 के लिए निर्धारित है।

5. विश्व बैंक सहायता–प्राप्त उत्तर पूर्व क्षेत्र आजीविका परियोजना (एन ई आर एल पी), जो विस्तृत परियोजना तैयार करने के स्तर पर है जिसके लिए विश्व बैंक से 1.215 डॉलर की परियोजना तैयारी सुविधा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय को बतौर ऋण दी है।

खाड़ी देशों की जेलों में बंद भारतीय

625. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों की जेलों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक बंद हैं जो देश की भर्ती एजेन्सियों के पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लोगों को रिहा करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भर्ती एजेंटों के शिकार होने के कारण भारतीय नागरिकों के जेल में होने का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

निजी-सरकारी भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाएं

626. श्री के. एस. राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी–सरकारी भागीदारी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा तत्संबंधी कितना समग्र लाभ प्राप्त हुआ;

(ख) इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने/ क्रियान्वयन करने को सुनिश्चित करने के लिए निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में तैनाती करने हेतु निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध कुशल तथा प्रशिक्षित श्रमशक्ति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी–निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने तथा सरकारी–निजी भागीदारी परियोजनाओं में तैनात सरकारी अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) वर्ष 2006–07 में 14,258.21 करोड़ रु. परिकल्पित निवेश की 32 पीपीपी परियोजनाएं प्राप्त हुई थी और उनका पीपीपी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 2007–08 के दौरान, सड़क, पत्तन व विद्युत क्षेत्रक में 21,606.24 करोड़ रुपये के निवेश वाली 24 पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जोर मूलभूत उपभोक्ताओं जैसे उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्रक की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त दक्षतायुक्त उपयुक्त संख्या में कुशल कार्मिकों के पूल के सृजन पर होगा।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार किया गया है कि चूंकि गरीबों के लिए विभिन्न सरकारी क्षेत्रक और जीविकोपार्जन सहायता कार्यक्रमों का सार्वजनिक संसाधनों पर पहला अधिकार होगा, अतः अवसंरचना विकास के लिए कार्यनीति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह सार्वजनिक निजी भागीदारी के विभिन्न रूपों के माध्यम से निजी क्षेत्रक निवेश पर यथा संभव निर्भर रहे।

(घ) योजना आयोग पीपीपी परियोजनाओं में तैनात किए गए सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने सहित विभिन्न कदम उठा रहा है। योजना आयोग केन्द्र/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु आईआईएम, अहमदाबाद में दिनांक 17 नवम्बर, 2008 से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

[हिन्दी]

वन भूमि का अतिक्रमण

627. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि का उपयोग किया जा सकता है। 30 सितम्बर, 2008 तक लगभग 11.59 लाख हेक्टेयर वन भूमि को विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए उपयोग हेतु परिवर्तित किया गया है।

(ग) और (घ) वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए विभिन्न अधिनियमों/नियमों/दिशानिर्देशों जैसे कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-35, राज्य वन अधिनियमों की संगत धाराएं, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत दिनांक 18.9.90 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान विद्यमान है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाना

628. श्री वसंतराव भोरे : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने संबंधी चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने धुले से भुसावल तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 को चार लेनों वाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के इस खंड को चार लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन करने के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने की संभावना है।

विवरण

महाराष्ट्र में चार लेन बनाने की चालू परियोजनाओं की स्थिति

क्रम.सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई	पूर्ण हो चुकी लंबाई	वर्तमान लागत (करोड़ रुपए)	वर्तमान स्थिति	पूरा होने की तिथि (पूरा होने की अनुमानित तिथि)
1	2	3	4	5	6	7	8
राराविप चरण-II (प्रगति संपर्क)							
1	जवाहर लाल नेहरूपत्तन चरण II	एस एच 54	14.35	12	143	कार्यान्वयनाधीन	दिस. 2008

1	2	3	4	5	6	7	8
राराविप चरण II (उत्तर-दक्षिण महामार्ग)							
2.	बोरखेडी–जाम (एनएस–22/एमएच)	7	27.4	22.25	110	कार्यान्वयनाधीन	मार्च, 2009
3.	जाम–वाडनेर (आईएनएस–59/एमएच)	7	30	20.92	145	कार्यान्वयनाधीन	मार्च, 2009
4.	बूटीबोरी आरओबी/एनएस–29/एमएच)	7	1.8	0	26	कार्यान्वयनाधीन	नव, 2008
5.	वाडनेर–देवधारी (एनएस–60/एमएच)	7	29	0	145	कार्यान्वयनाधीन	जून, 2009
6.	देवधारी–केलापुर (एनएस–61/एमएच)	7	30	20.92	144	कार्यान्वयनाधीन	मार्च, 2009
7.	केलापुर–पिंपलखट्टी (एनएस–62)	7	22	0	117.4	कार्यान्वयनाधीन	जून, 2009
राराविप चरण III							
8.	कोंधली–तेलेगांव	6	50	50	212	कार्यान्वयनाधीन	मार्च, 2009
9.	धुले–पिंपलगांव	3	118	104	556	कार्यान्वयनाधीन	दिस. 2008
10.	गोंडे–वडापे (थाणे)	3	100	43	579	कार्यान्वयनाधीन	अप्रैल, 2009
11.	नागपुर–कोंधली	6	40	12.5	168	कार्यान्वयनाधीन	दिस. 2008
12.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा–वेनगंगा पुल	6	80.055	0	424	कार्यान्वयनाधीन	सितम्बर, 2010
अन्य परियोजनाएं							
13.	महाराष्ट्र के रारा–17 पर जारप से पत्रादेवी तक चार लेन के मिसिंग लिंक का निर्माण	17	21.5	0	183.43	कार्यान्वयनाधीन	अक्तूबर, 2010

[हिन्दी]

भारत निर्माण योजना

629. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारत निर्माण योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में निधियों का आबंटन नहीं किया जाना एक प्रमुख बाधा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत निर्माण योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष–वार किया गया बजटीय आबंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	भारत निर्माण स्कीमों के लिए बजट आबंटन (करोड़ रुपये)
2005–06	12160.00
2006–07	18696.00
2007–08	24603.00
2008–09	31280.00

(घ) भारत निर्माण योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, योजना आयोग और ग्रामीण अवसंरचना समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।

विवरण

घटक	2005–09 4 वर्षों के लिए लक्ष्य	2005–08 3 वर्षों के लिए लक्ष्य	2005–08 तीन वर्षों में उपलब्धियां	2008–09 के लिए लक्ष्य	2008–09 में दर्ज की गई उपलब्धियां
सिंचाई (मिलियन हेक्टेयर में)	10	7.15	5.00	2.85	दिसम्बर, 2008 तक उपलब्ध होने की आशा
पेयजल (आवास स्थानों की संख्या)	6,03,639	2,84,889	2,85,353	2,19,783	46,567
सड़कें					
(क) आवास–स्थान	66802	43,235	20,871	18,100	1,948
(ख) उन्नयन एवं नई कनेक्टीविटी कि. मी. में	3,40,316	2,20,044	1,46,905	87,940	16,656
आवासों की आवास संख्या	60 लाख	51.01 लाख	50.41 लाख	21.27	6.82
विद्युतीकरण गांवों की संख्या बीपीएल	125000	90,366	48,176	25,000	3,114
परिवारों की संख्या	230 लाख	80 लाख	22.94 लाख	60 लाख	12.49 लाख
टेलीफोन कनेक्टीविटी गांवों की संख्या	66822	40093*	51973	26729$	3108

*दिसम्बर, 2004 से नवम्बर, 2006 तक का लक्ष्य

$दिसम्बर, 2007 से अगस्त 2008 तक का लक्ष्य

[अनुवाद]

हैदराबाद के निजाम द्वारा धन का अंतरण

630. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के तत्कालीन निजाम के वित्त मंत्री ने नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक ऑफ लंदन में एक मिलियन पौंड अंतरित किया जिसे बाद में उसी बैंक में पाकिस्तान उच्चायोग के खाते में अंतरित कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका अद्यतन मूल्य कितना है; और

(ग) इस धन को देश में वापस लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) 20 सितंबर, 1948 को हैदराबाद के निजाम की सरकार के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक, लंदन के खाते में से एक मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से अधिक की राशि (1,007,940 पाउंड स्टर्लिंग और 9 शिलिंग) लंदन स्थित पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त के नाम के खाते में अंतरित की गयी थी। यह अंतरण निजाम सरकार की अनुमति के बिना की गयी थी। यह राशि जनवरी, 2008 में 31,966,253.77 पाउंड स्टर्लिंग (इकतीस मिलियन नौ सौ छियासठ हजार दो सौ तिरपन पाउंड स्टर्लिंग और सतहत्तर शिलिंग मात्र) थी और इसे फिर से जमा कर दिया गया है।

(ग) वर्ष 1960 और उसके पश्चात इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गयी है। भारत और पाकिस्तान हैदराबाद के निजाम के उत्तराधिकारियों के साथ न्यायालय के बाहर किसी समझौते पर पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन संबंधी सुन्दर समिति

631. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री के. फ्रांसिस जार्ज :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन सुन्दर समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन बोर्ड स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा निधि भी गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके गठन के पश्चात् निधि का कितना उपयोग किया गया तथा इसके कितने संगठन लाभान्वित हुए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस. सुन्दर की अध्यक्षता में गठित समिति ने दिनांक 20.2.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन तथा 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा' नामक एक समर्पित कोष के सृजन की भी सिफारिश की गई थी। सचिवों की समिति ने दिनांक 4.3.2008 को हुई अपनी बैठक में सुन्दर समिति द्वारा संस्तुत बोर्ड के सृजन का प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सचिवों की समिति के निर्देशानुसार, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति से बोर्ड और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष के सृजन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्प्रवासियों के लिए कल्याणकारी निधि

632. श्री भवीन जिन्दल :
श्री एस.के. खारवेलन :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्प्रवासियों के हित के लिए एक कल्याणकारी निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है तथा उपयोग की गई है;

(घ) क्या उत्प्रवासियों की कुशलता बढ़ाकर उनकी संभावना बढ़ाने की कोई योजना विद्यमान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) 'उत्प्रवास स्वीकृति अपेक्षित (ईसीआर) वाले देशों में श्रमिकों, जो कठिनाई में हैं, के कल्याण के लिए भारतीय मिशनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक 'भारतीय समुदाय कल्याण कोष' स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। योजना के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने संभावित उत्प्रवासी कामगारों के कौशल उन्नयन और पलायन पूर्व अभिमुखीकरण के लिए एक योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य भारतीय कामगारों के कौशल को उन्नत बनाना और उन्हें गंतव्य देशों के कानूनों, भाषा और संस्कृति की बुनियादी जानकारी देना है ताकि प्रवासी रोजगार मंडी में उनके अवसरों को बढ़ाया जा सके और वे अच्छी मजदूरी पा सकें। योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय, चुनिंदा राज्य सरकारों, शीर्ष औद्योगिक एसोसिएशनों और इस क्षेत्र में अग्रणी गैर-संगठनों की साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। मंत्रालय इन कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रति प्रशिक्षणार्थी 5,000 रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

सी.पी.सी.बी. द्वारा कारखानों तथा मिलों का निरीक्षण

633. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने विभिन्न राज्यों में पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों तथा मिलों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों, मिलों तथा कारखानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पर्यावरणीय मापदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है; और

(घ) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित मानकों के अनुपालन की मानीटरिंग हेतु पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत, उद्योगों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 465 निरीक्षण किए गए हैं। निरीक्षण का राज्य-वार, वर्ष-वार, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्षवार, प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाई गई इकाइयों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	उल्लंघन कर रहे उद्योगों की संख्या
2005–06	74
2006–07	140
2007–08	62

(घ) उल्लंघन कर रहे उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में शामिल है :

(i) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निदेशों का जारी करना।

(ii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 18 (i) (ख) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत निदेश जारी करना।

(iii) गत तीन वर्षों के दौरान 102 इकाइयों के संबंध में बंद करने के निदेश जारी किए गए हैं अर्थात 2005–06 में 64 इकाइयां, 2006–07 में 26 इकाइयां और 2007–08 में 12 इकाइयां।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	0	8	6
2	असम	0	1	9
3	बिहार	6	0	4
4	छत्तीसगढ़	2	4	6
5	गोआ	0	0	5
6	गुजरात	11	134	9
7	हरियाणा	1	1	15
8	हिमाचल प्रदेश	2	3	2
9	जम्मू और कश्मीर	0	1	4
10	झारखंड	7	4	7
11	कर्नाटक	1	2	3
12	केरल	0	1	3
13	मध्यप्रदेश	4	3	6
14	महाराष्ट्र	6	4	18
15	मेघालय	0	1	0
16	उड़ीसा	5	3	12
17	पंजाब	0	0	2
18	राजस्थान	6	0	16
19	तमिलनाडु	0	16	10
20	त्रिपुरा	0	0	4
21	उत्तरांचल	0	10	3
22	उत्तर प्रदेश	5	9	2
23	पश्चिम बंगाल	21	9	8
24	चंडीगढ़	0	12	0
25	दमन	3	0	2
26	दिल्ली	0	0	3
	कुल	80	226	159

[हिन्दी]

आयुर्वेद के लिए स्वर्णिम त्रिभुज योजना

634. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्युवेद में शोध के लिए स्वर्णिम त्रिभुज योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आयुर्वेद की विद्यमान दवाओं की गुणवत्ता और इनके नैदानिक परीक्षण में सुधार लाने संबंधी किसी योजना को तैयार करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामावाका लक्ष्मी) : (क) सरकार वर्ष 2004 से ही स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी स्कीम का कार्यान्वयन करती आ रही है।

(ख) स्कीम का उद्देश्य यह है कि आयुष विभाग/केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के बीच त्रिपक्षीय भागीदारी के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा पद्धति, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति एवं आधुनिक विज्ञान की समक्रमिक कार्य विधि पर आधारित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के विकासार्थ एक समेकित प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की जाए। इस स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

(i) चिन्हित रोग दशाओं के लिए सुरक्षित, प्रभावी और मानकीकृत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू और एच) उत्पादों का वैज्ञानिक मानकीकरण और विकास प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने के साथ–साथ राष्ट्रीय/वैश्विक महत्व की रोग दशाओं में प्रभावी नये उत्पादों को विकसित करना

(ii) एकल और बहु–जड़ी बूटीय उत्पादों को वैश्विक आधार पर स्वीकार्य बनाने के प्रयोजनार्थ उनका विकास करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित करना।

(iii) आधुनिक चिकित्सा पद्धति/आधुनिक वैज्ञानिक संस्थानों के साथ आयुष के संबंध में सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना।

(ग) और (घ) एएसयू और एच. औषधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:–

* विभाग द्वारा एएसयू और एच. औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित केन्द्र प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 10वीं योजना में एएसयू और एच औषधों के परीक्षण तथा विनिर्माण के लिए उत्कृष्ट उपकरणों को स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्रक की 29 औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और 46 फार्मेसियों तथा निजी क्षेत्रक के 48 जीएमपी विनिर्माण एकांशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। 11वीं योजना में अपने अर्न्तगृह गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को स्थापित अथवा उन्नयनकृत करने के इच्छुक विनिर्माण एकांशों को उनके द्वारा खर्च की गई राशि (अधिकतम 30.00 लाख रुपये) की 30% वित्तीय सहायता दी जा रही है।

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत "आयुष उद्योग समूह विकास" हेतु लघु और मध्यम क्षेत्रक में विनिर्माण एकांशों के समूह हेतु सामान्य परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का विनिर्धारण किया गया है। यह वित्तीय सहायता परियोजना लागत की 60% राशि तक सीमित होगी बशर्ते की यह राशि 10.00 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

* "स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी" स्कीम में नैदानिक परीक्षण संबंधी एक घटक विद्यमान है जिसे देश भर के विभिन्न चयनित केन्द्रों (आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा) में समेकित नयाचारों का उपयोग करके आईसीएमआर के सहयोग से संचालित किया जाएगा।

(ङ) 11वीं योजना के दौरान निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं:

* स्वर्णिम त्रिभुज स्कीम–75.00 करोड़ रुपये।

* एएसयू और एच औषध गुणवत्ता नियंत्रण स्कीम–225.00 करोड़ रुपये।

* आयुष उद्योग समूह का विकास–100 करोड़ रुपये।

पारिस्थितिकी संतुलन के संबंध में प्रस्ताव

635. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य–वार तथा वर्षवार सरकार द्वारा कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया गया; और

(ग) इसमें अंतर्ग्रस्त लागत का ब्यौरा क्या है तथा इस धनराशि को इन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) पारिस्थितिकी संतुलन" नामक कोई भी विशिष्ट स्कीम मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयनाधीन नहीं है तथा इसलिए मंत्रालय के पास कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) तथापि "पारि–विकास बल" नामक एक स्कीम मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। "पारि–विकास बल" स्कीम का उद्देश्य ऐसे भू–भागों का पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार करना है जहां अत्यधिक अवक्रमण अथवा सुदूर स्थल अथवा कठिन कानून और व्यवस्था के कारण पहुंचाना कठिन है। यह स्कीम नियमित सेवा/प्रादेशिक सेना तथा सेवा–निवृत कार्मिकों को लगाने के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में वनीकरण कार्य तथा वृक्षारोपण के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात पारि–विकास बल की ओवर हेड लागत के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। पारि–विकास बल स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

असम में दो पारि–विकास बल की स्थापना को हाल ही में स्वीकृत दी गई है।

विवरण

विभिन्न बटालियनों को पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी की गई राशि के राज्य–वार ब्यौरे

(लाख रुपये)

वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09*
राज्य				
उत्तराखंड (बटा, 127 एवं 130)	371.93	338.91	470.38	79.14
राजस्थान (बटा, 128)	360.14	291.14	347.69	208.08
जम्मू और कश्मीर (बटा, 129)	125.77	88.73	140.02	74.09
योग	857.84	718.78	958.09	361.31

* 20.10.2008 के अनुसार व्यय

पारिस्थितिकी अनुकूल जीव

636. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पारिस्थितिकी अनुकूल जीवों की संख्या कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) 'पारिस्थितिकी अनुकूल जीव' नाम से कोई मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है। सभी जीवों की पर्यावरण में अपनी अपनी भूमिका है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जिनमें नीतिगत कानूनी और सांस्थानिक उपाय शामिल हैं।

कोयला ब्लाकों के आबंटन की संचालन समिति द्वारा संवीक्षा

637. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कोयला ब्लाकों का आबंटन कर दिया है जो विभिन्न इस्पात कंपनियों की संचालन समिति की संवीक्षा के अधीन थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) कोयला ब्लाकों के आबंटन की संवीक्षा के लिए कोई संचालन समिति नहीं है। तथापि, जांच समिति नामक एक अंतर–मंत्रालयी और अंतर–सरकारी समिति है, जो पात्र कंपनियों को कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच करती है। ब्लाक आबंटन एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी कोयला ब्लाकों की पेशकश आबंटन के लिए की जाती है तो जांच समिति की बैठकें समय–समय पर होती हैं। जांच समिति की पिछली बैठक (36वीं बैठक) 3 जुलाई, 2008 को हुई थी। जांच समिति की 36वीं बैठक की सिफारिशों पर सरकार ने ब्लाकों के आबंटन के बारे में निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

सिंधुम्बर सिंचाई योजना हेतु पर्यावरण मंजूरी

638. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने वालसाड (गुजरात) में धरमपुर ताल्लुका के सिंधुम्बर सिंचाई परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने संबंधी प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिमालयी क्षेत्र हेतु पारिस्थितिकीय अनुकूल नीति

639. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमालयी क्षेत्र के लिए एक पारिस्थितिकीय अनुकूलन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) और (ख) गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान (जी बी पी आई एच ई डी) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संस्थान है। इसका मुख्यालय अलमोड़ा, उत्तराखंड में है और इसकी चार क्षेत्रीय इकाइयां कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), श्री नगर–गढ़वाल (उत्तराखंड), पांगथांग (सिक्किम) और ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश) में स्थित हैं। इसे समेकित प्रबंधन रणनीति विकसित करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने और पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र (आई एच आर) में पर्यावरणीय अनुकूल विकास सुनिश्चित करने के लिए एक फोकल अभिकरण के रूप में अभिस्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिमालयी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है।

(ग) जीबीपीआईएचईडी द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं :– अवक्रमित भूमियों के लिए पुनः स्थापन और पुनर्वास पैकेज, वाटरशेड प्रबंधन, जल संसाधन विकास, जलविद्युत परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन और न्यूनीकरण योजनाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्वत जोखिम इंजीनियरिंग, आपदा जोखिम में कमी, सतत आजीविका और क्षमता निर्माण।

विदेश मंत्री का आस्ट्रेलिया दौरा

640. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्री ने हाल में आस्ट्रेलिया का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, और

(ग) उनकी यात्रा के दौरान आस्ट्रेलिया के साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां, विदेश मंत्री ने 23 जून, 2008 को आस्ट्रेलिया की यात्रा की।

(ख) विदेश मंत्री ने भारत–आस्ट्रेलिया विदेश मंत्री ढांचागत वार्ता के पांचवे दौर के लिए कैनबरा की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ–साथ प्रधानमंत्री से भेंट की और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस यात्रा से विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने और उन्हें मजबूत बनाने का अवसर मिला।

(ग) इस यात्रा के दौरान प्रत्यर्पण संधि और परस्पर विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

दंत महाविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर

641. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् ने देश में दंत महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दंत महाविद्यालयों के मानक के उन्नयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) शिक्षा संकाय की भारी कमी है जो चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने के लिए और देश में दंत चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानक को बनाए रखने के उद्देश्य से भी, केन्द्र सरकार ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों पर शिक्षण पदों हेतु 65 से 70 वर्ष के बीच के आयु के शिक्षण संकाय सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी है।

इसके अलावा, संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 के अनुसार अंशकालिक शिक्षण संकाय भी पात्र है बशर्ते कि वे दिन में चार घंटे का समय दें और केवल एक ही स्नातकोत्तर छात्र को अपने अधीन रख सकते हैं।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् समय–समय पर शिक्षण एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सत्यापन के लिए डेंटल कालेजों का निरीक्षण करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेंटल कालेजों में न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध हैं।

एन.एस.जी. देशों के साथ वार्ता

642. श्री भाईलाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप (एन.एस.जी.) देशों के साथ कोई वार्ता शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह वार्ता किन–किन देशों के साथ शुरू की गई है;

(ग) क्या किसी एन.एस.जी. देश ने रिएक्टरों तथा परमाणु ईंधन की आपूर्ति की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में संपूर्ण ऊर्जा मिश्र में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने के लिए, यह जरूरी है कि यूरेनियम की सीमित घरेलू आपूर्ति या तो स्वदेशी स्रोतों द्वारा या आयात द्वारा वृद्धि की जाए। अतः, भारत, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) के सदस्यों जैसेकि संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस तथा रूस के साथ, भारत के साथ असैन्य नाभिकीय व्यापार शुरू करने के लिए बातचीत करता रहा है, भारत ने, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास पर 30.09.2008 को फ्रांसिसी गणराज्य सरकार के साथ एक सहकार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में, 10.10.2008 को भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच सहयोग के लिए भी एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने, कुडनकुलम स्थल पर स्थित अतिरिक्त परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिटों के निर्माण तथा उसके साथ–साथ भारत गणराज्य में स्थलों पर अतिरिक्त परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिटों के निर्माण में सहयोग के लिए भी भारत सरकार और रूसी परिसंघ सरकार के बीच हुए एक करार पर आद्याक्षर किए हैं, भारत, उन अन्य देशों के साथ असैन्य नाभिकीय सहकार करने के बारे में भी कार्रवाई कर रहा है, जो भारत के साथ ऐसा सहकार विकसित करने में दिलचस्पी रखते हैं।

[हिन्दी]

पुलों तथा बाई-पासों का निर्माण

643. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कोटा बाइपास सहित पूर्व–पश्चिम गलियारा पर बाइपासों तथा पुलों के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) शेष कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय की जानी है;

(ग) कार्य पूर्ण होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) ये कार्य कब तक पूरे कर लिए जाएंगे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पूर्व–पश्चिम महामार्ग योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन अधिकांश बाइपासों और पुलों का कार्य विभिन्न सिविल कार्य निर्माण पैकेजों जिसमें सड़कें भी शामिल हैं, के भाग के तौर पर किया जा रहा है। सिविल निर्माण पैकेज का भाग होने की वजह से ऐसे कार्यों के लिए लागत अलग से नहीं दी जा रही है। पूर्व पश्चिम महामार्ग में निर्माणाधीन बाइपासों और बड़े पुलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

कोटा बाइपास में चंबल नदी पर एक केबल आधारित पुल का निर्माण भी शामिल है। जिसका कार्य एक पृथक पैकेज के रूप में शुरु कर दिया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 340 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में 18% भौतिक प्रगति हो चुकी है और अभी तक 78.6 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। इस परियोजना में विलंब हुआ है क्योंकि इस कार्य को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही शुरु किया जा सका था।

(ग) और (घ) पूर्व–पश्चिम महामार्ग में कार्य में विलंब भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं, सुविधाओं के स्थानांतरण, वृक्ष काटने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब और प्रतिकूल कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं आदि के कारण हुआ है। पूर्व–पश्चिम महामार्ग खंडों का अधिकांश कार्य दिसंबर, 2009 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण

पूर्व–पश्चिम महामार्ग में निर्माणाधीन बाइपासों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	बाइपास	रारा सं.	पूरा होने की अनुमानित तिथि
1	2	3	4	5
1	असम	उधारबंद बाइपास (3.11 किमी.)	54	जून–09
2	असम	नॉगाव बाइपास (15.836 किमी.)	37	जून–09
3	असम	बैहाटा चरियाली बाइपास (1.58 किमी)	31	जून–09
4	असम	दाबोका बाइपास (4.2 किमी)	54	जून.–09
5	असम	मैबंग बाइपास (3.35 किमी)	54	दिस.–09
6	असम	लुमडिंग बाइपास (2.00 किमी)	54	दिस.–09
7	असम	माहौर बाइपास (7.508 किमी)	54	दिस.–09
8	असम	लंका बाइपास (5.25 किमी)	54	सित.–10
9	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर बाइपास (किमी. 279.80–251.70)	28	अक्तू.–09
10	उत्तर प्रदेश	रामस्नेह घाट बाइपास (6.6 किमी.)	28	दिस..–09
11	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी बाइपास (12.40 किमी.)	28	दिस..–09
12	उत्तर प्रदेश	अयोध्या बाइपास (8.05 किमी.)	57	दिस..–09
13	उत्तर प्रदेश	लखनऊ बाइपास (22.5 किमी.)	56 ए और बी	24.03.08 को रद्द
14	उत्तर प्रदेश	झांसी बाइपास (15 किमी.)	25	दिस..–09
15	उत्तर प्रदेश	उरई बाइपास (14 किमी.)	25	दिस..–09
16	उत्तर प्रदेश	चिरगांव बाइपास (7.035 किमी.)	25	दिस..–09
17	उत्तर प्रदेश	मोठ बाइपास (5.0 किमी.)	25	दिस..–09
18	बिहार	मुजफ्फरपुर बाइपास (10 किमी.)	28 और 57	दिस..–09
19	बिहार	दरभंगा बाइपास (9.1 किमी.)	57	दिस..–09
20	बिहार	झंझारपुर बाइपास (10.7 किमी.)	57	दिस..–09
21	बिहार	फारबिसगंज बाइपास (4.95 किमी.)	57	दिस..–09
22	पश्चिम बंगाल	इस्लामपुर बाइपास (10.31 किमी.)	31	दिस..–09
23	मध्य प्रदेश	शिवपुरी बाइपास (23.879 किमी.)	76	अक्तू.–08
24	राजस्थान	पिंडवारा बाइपास (5.45 किमी.)	76	दिस.–08

1	2	3	4	5
25	राजस्थान	जसवंतगढ़ बाइपास (3.5 किमी.)	76	दिस.–08
26.	राजस्थान	उदयपुर बाइपास (19.724 किमी.)	76	दिस.–08
27.	राजस्थान	चितौड़गढ़ बाइपास (17.3 किमी.)	76	दिस.–08
28	राजस्थान	कोटा बाइपास (25 किमी.)	76	दिस.–08
29.	राजस्थान	अंता बाइपास (5.10किमी.)	76	जून.-09
30.	राजस्थान	बारान बाइपास (15.5 किमी.)	76	जून.–09
31.	गुजरात	उपलेटा बाइपास (8 कि.मी.)	8 बी	नव.– 08

पूर्व–पश्चिम महामार्ग में निर्माणाधीन बड़े पुलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	पुल/स्थान का नाम	रारा सं.	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	असम	विप्रो नाले पर पुल (किमी. 189.102)	54(ई)	प्रगति पर है
2	असम	नाले पर पुल (किमी. 282.065)	54(ई)	प्रगति पर है
3	असम	मदुरा नदी पर पुल (किमी. 300.717)	54(ई)	प्रगति पर है
4	असम	किमी. 113.678 पर पुल	54	प्रगति पर है
5	असम	किमी. 116.675 पर पुल	54	प्रगति पर है
6	असम	किमी. 95.850 पर पुल	54	प्रगति पर है
7	असम	किमी 97.225 पर पुल	54	प्रगति पर है
8	असम	किमी 110.650 पर पुल	54	प्रगति पर है
9	असम	किमी. 110.850 पर पुल	54	प्रगति पर है
10	असम	किमी. 44.950 पर पुल	54	प्रगति पर है
11	असम	किमी. 51.645 पर पुल	54	प्रगति पर है
12	असम	किमी. 57.400 पर पुल	54	प्रगति पर है
13	असम	किमी. 216.422 पर पुल	37	प्रगति पर है
14	असम	किमी. 220.089 पर पुल	37	प्रगति पर है
15	असम	किमी. 231.076 पर पुल	37	प्रगति पर है
16	असम	किमी. 250.786 पर पुल	37	प्रगति पर है
17	असम	किमी. 252.807 पर पुल	37	प्रगति पर है

1	2	3	4	5
18	असम	किमी. 254.316 पर पुल	37	प्रगति पर है
19	असम	किमी. 3.865 पर पुल	37	प्रगति पर है
20	असम	दाबोका बाइपास पर किमी. 02.012 मे पुल	54	प्रगति पर है
21	असम	पगलडिया पुल (किमी. 1066+300)	31	प्रगति पर है
22	असम	सेसा पुल (किमी. 1068+329)	31	प्रगति पर है
23	असम	बरालिया पुल (किमी. 1083+685)	31	प्रगति पर है
24	असम	पुथिमाडी पुल (किमी. 1092+428)	31	प्रगति पर है
25	असम	बुराडिया पुल (किमी. 1059+805)	31	प्रगति पर है
26	असम	पहुमारा पुल (किमी. 1025+505)	31	प्रगति पर है
27	असम	दिगारु नदी (किमी. 183+675)	37	प्रगति पर है
28	असम	कत्लकत्ल पुल (किमी. 184+500)	37	प्रगति पर है
29	असम	ब्रह्मपुत्र पर पुल (किमी. 1121–1126)	31	प्रगति पर है
30	असम	हराफुटा पुल (किमी. 1.335)	31सी	प्रगति पर है
31	असम	गारुफेला पुल (किमी. 22.275)	31सी	प्रगति पर है
32	असम	लंगे पुल (किमी. 41.241)	31सी	प्रगति पर है
33	असम	सपकाता पुल (किमी. 45.133)	31सी	प्रगति पर है
34	असम	सपकाता पुल (किमी. 45.470)	31सी	प्रगति पर है
35	असम	सरलभंग पुल (किमी. 46.846)	31सी	प्रगति पर है
36	असम	हेला पुल (किमी. 34.00)	31सी	प्रगति पर है
37	असम	चंपा पुल (किमी 62.830)	31सी	प्रगति पर है
38	असम	आई नदी पर पुल (किमी. 963.894)	31सी	प्रगति पर है
39	असम	मानस नदी पर पुल (किमी. 75.233)	31	प्रगति पर है
40	असम	भालुकडोबा नदी पर पुल (किमी. 986.304)	31	प्रगति पर है
41	असम	बेकी नदी पर पुल (किमी. 965.95)	31	प्रगति पर है
42	उत्तर प्रदेश	किमी. 15.444, 72.600, .1.865 और 3.450– अयोध्या बाइपास, 194.393, 214.449, 241.949, 289.00, 310.00, 311.00, 328.00, 346.00–12 संख्या	28	प्रगति पर है

1	2	3	4	5
43	बिहार	किमी. 423.00, 443.00–2 संख्या	28	प्रगति पर है
44	बिहार	किमी. 1.375, 3.8, 5.495, 31.575, 35.910 38.554, 39.662, 41.061, 41.501, 43.70, 8.48, 30,53.178, 55.275, 57.425, 64.60, 66.987, 67.838, 68.825, 94.730, 104.47, 135.35, 144.675, 155–165, 199.032, 210.588, 213.559, 219.163–30 संख्या	57	प्रगति पर है
45	बिहार	9 संख्या (किमी. 417, 424.71, 426.59, 428.45, 429.15, 430.59, 432.27, 436.96, 439.10)	31	7 पूरे हो चुके हैं और 2 प्रगति पर हैं
46	पश्चिम बंगाल	संख्या 6 (इस्लामपुर बाइपास के किमी. 446, 520.65, 533.12 और सीएच 0.75, 6.275 और 9.2 बाइपास)	31	1 पूरा हो चुका है और 5 प्रगति पर हैं
47	पश्चिम बंगाल	(किमी. 226.61, 231.70, 240.63, 244.48, 248.17) संख्या 5	31सी	प्रगति पर है
48	गुजरात	किमी. 52/500–117/000 में 9 पुल	8बी	प्रगति पर है
49	गुजरात	किमी. 182/600–254/000 में 6 पुल	8ए	प्रगति पर है
50	गुजरात	किमी. 281.300–245/000 में 8 पुल	15	प्रगति पर है
51	गुजरात		8ए	प्रगति पर है
52	गुजरात	138.800–किमी. 245.000 किमी. में एक पुल	15	प्रगति पर है
53.	गुजरात	458.000–किमी. 372.600 में 7 पुल	14	प्रगति पर है
54.	राजस्थान	रारा–14 के 249.70–340 किमी., 0.00 से किमी. 104.73 में 11 पुल	14 और 76	प्रगति पर है
55.	राजस्थान	किमी. 213.2 किमी. 53 में 2 पुल	76	प्रगति पर है
56.	राजस्थान	किमी. 509 किमी. 579 में 3 पुल	76	प्रगति पर है
57	मध्य प्रदेश	किमी. 579–किमी. 610 में 2 पुल	76 और 25	प्रगति पर है
58	मध्य प्रदेश	किमी. 15 किमी. 50 में एक पुल	25	प्रगति पर है
59	मध्य प्रदेश	किमी. 50–किमी. 91 में 2 पुल	25	प्रगति पर है

पंजाब में युवक और खेल कार्यक्रम हेतु सहायता

644. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान युवक तथा खेल कार्यक्रम हेतु पंजाब के लिए कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) इस संबंध में पंजाब राज्य द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव क्या हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण तथा पंजाब में इसके केन्द्रों द्वारा कौन से क्रियाकलाप किये गये हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आज की तारीख तक पंजाब को युवा और खेल कार्यक्रमों के लिए जारी धनराशि 1886.87 लाख रुपये है।

(ख) पंजाब सरकार से प्राप्त 30 प्रस्तावों में से, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 18 प्रस्तावों पर विचार किया गया है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) तथा इसके केन्द्रों द्वारा पंजाब में चलायी जा रही गतिविधियां निम्नानुसार है (01.06.2008 तक की स्थिति के अनुसार) :–

क्र.सं.	योजना का नाम	केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र योजना	4	438
2	विस्तार केन्द्र	7	121
3	उत्कृष्टता केन्द्र	1	83
4	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता	1	20
5	अपनाये गये अखाड़े	2	76

[अनुवाद]

विदेशी चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता

645. श्री के.सी. पल्लानी शानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ विदेशी चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने को इच्छुक छात्रों को उपलब्ध सुविधाएं कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में कुछ और चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) सरकार ने पांच देशों अर्थात् यू.के., संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान डिग्रियों को मान्यता प्रदान की है ताकि विदेशों में काम कर रहे उन भारतीय डाक्टरों जिन्होंने इन अंग्रेजी भाषी देशों में अपनी विशिष्ट अर्हताएं प्राप्त की होगी और साथ ही उन भारतीय छात्रों जो विदेशों में उच्चतर अध्ययन करने के इच्छुक है, की वापसी को प्रोत्साहित किया जा सके। विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्रियों को मान्यता देना एक अग्रगमन प्रक्रिया है।

कोयला विनियामक अधिकरण

646. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला विनियामक अधिकरण का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अधिकरण का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) से (ग) कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक निकाय की स्थापना का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विगत में, विभिन्न समितियों तथा विशेषज्ञ दलों ने इस संबंध में सिफारिशें की थीं। हाल ही में शंकर समिति, जिसे कोयला क्षेत्र के लिए रूपरेखा का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, ने भी निजी तथा राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से कोयला क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए और छोटे प्रवेशकों को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने का सुझाव दिया है। कोयला विनियामक प्राधिकरण से संबंधित एक प्रारूप विधेयक तैयार कर दिया गया है और यह अंतर–मंत्रालयी जांच के अधीन है। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद उस उक्त विधेयक को संसद में पेश कर दिया जाएगा।

समुद्री प्रशिक्षण संस्थान

647. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा विदेश में पोत परिवहन उद्योग में युवाओं के रोजगार की पर्याप्त संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कुछ ही मान्यताप्राप्त समुद्री प्रशिक्षण संस्थान/समुद्री अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश के समुद्र तटीय राज्यों में और अधिक ऐसे संस्थान खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी कर्नाटक सहित राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ द्वारा, वर्ष 2005 की स्थिति के अनुसार, भारतीय और विदेशी पताकाओं वाले पोतों पर नियोजित भारतीय नाविकों (अधिकारियों और नाविकों) के बारे में दिया गया विवरण निम्नलिखित हैं :–

श्रेणी	भारतीय पताका वाले जलयान	विदेशी पताका वाले जलयान	जोड़
अधिकारी	9800	18000	26900
नाविक	21000	34000	55000
जोड़	29900	52000	81900

(ग) जी, नहीं।

(घ) इंजीनियरिंग और नौचालन विषयों में समुद्र पूर्व और समुद्र में जाने के बाद का प्रशिक्षण देने वाले सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ–साथ गैर सरकारी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान भी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। इस प्रकार के संस्थानों की कुल संख्या 125 है। इनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	राज्य	प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
3.	बिहार	1
4.	दमन व दीव	1
5.	दिल्ली	4
6.	गोवा	6
7.	केरल	7
8.	महाराष्ट्र	48
9.	उड़ीसा	2
10.	पांडिचेरी	2
11.	तमिलनाडु	26
12.	उत्तर प्रदेश	6
13.	उत्तरांचल	2
14.	पश्चिम बंगाल	15
	प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या	125

(ङ) और (च) वर्ष 1997 में, भारत सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र को समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी। इस समय, देश में 125 समुद्री प्रशिक्षण संस्थान हैं जो कि नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। तथापि, कर्नाटक में कोई अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं क्योंकि जिस समय इस प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृत किया जा रहा था, नौवहन महानिदेशालय को इस राज्य से स्वीकार्य रूप में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

राष्ट्रीय सेवा योजना का विस्तार

648. श्रीमती प्रिया दत्त :
डा. के.एस. मनोज :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान को बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) से (घ) इस समय, सरकार के पास राष्ट्रीय सेवा योजना का उच्च विद्यालयों तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं

है। 11वीं योजनावधि के दौरान 425 करोड़ रु. के अनुमोदित परिव्यय में विद्यमान मानदंडों (पैसमीटर) के अनुसार यह योजना जारी है।

बाघों की संख्या में सुधार

649. श्री मिलिन्द देवरा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने बाघों के लिए अपनी सीमाओं को खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बाघों की संख्यात्मक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इस योजना पर कितना व्यय आने की संभावना है; और

(ङ) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) जी, नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, जैवविविधता संरक्षण पर भारत और नेपाल का एक संयुक्त संकल्प है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, अनुसंधान, प्रशिक्षण, में परस्पर सहयोग करना, जनजागरूकता को बढ़ावा देना तथा जंगली वनस्पतिजात और प्राणिजात के अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए इन–कंट्री मैकेनिज्म की स्थापना करना शामिल है।

रक्षित कोयला ब्लाकों का खनन

650. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन कंपनियां रक्षित उपयोग के लिए सुरक्षित कोयला ब्लाकों का खनन कार्य कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयले की स्वदेशी उपलब्धता सहित कोयले की मांग और आपूर्ति के संबंध में संदर्शी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने के प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) किसी स्वतंत्र कोयला/लिग्नाइट खनन कंपनी को इस शर्त पर केप्टिव ब्लाक का आबंटन किया जा सकता है कि इस प्रकार से खनिज सम्पूर्ण कोयला/लिग्नाइट निर्धारित अन्त्य उपयोगों के लिए उनकी केप्टिव खपत हेतु किसी अन्य उपयोगकर्ता कंपनी (कंपनियों) को अन्तरित किया जाएगा, बशर्ते कि उक्त खनन कंपनी का विशिष्ट अन्त्य उपयोगकर्ता कंपनी (कंपनियों) के साथ निश्चित तौर पर निरंतर संबंध हो, कानूनी रूप से बाध्यता हो और लागू–योग्य आपूर्ति ठेका/करार से समर्थित हो।

(ग) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दस्तावेज के अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2011–12) के लिए कोयले की अनुमानित क्षेत्रवार मांग निम्नानुसार है :

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमानित मांग (मिलियन टन)
1.	कोकिंग कोल	
	स्टील/कोक ओवन/कुकरीज	27.65
	स्टील (आयात)	40.85
	उप जोड़	68.50
2.	नॉन कोकिंग कोल	
	पावर (उपयोगिता)	
	कच्चा कोयला	483.00
	पावर (कैप्टिव)	
	कच्चा कोयला	57.06
3.	सीमेंट (सीपीपी के साथ)	31.90
4.	स्पांज आइरन/सीडीआई	28.96
5.	अन्य (कच्चा कोयला)	61.68
	उप जोड़	662.50
	कुल–कच्चा कोयला	731.00

731.00 मिलियन टन की मांग को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2011–12) हेतु कोयले का स्रोतवार घरेलू उत्पादन निम्नानुसार होगा :

स्रोत	उत्पादन मिलियन टन में (अनंतिम)
कोल इंडिया लि.	520.50
सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि.	40.80
अन्य	118.70
कुल स्वजनित उत्पादन	680.00

(घ) कोयले की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

– कोल इंडिया लि. में दसवीं पंचवर्षीय योजना में 91 परियोजनाओं की पहचान की गई जिनमें से 87 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

– इसके अलावा, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 298 मिलियन टन क्षमता की अन्य 125 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

– सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को 193 केप्टिव कोयला ब्लाकों का आबंटन किया गया है जिनसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2011–12) तक 104 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होने की संभावना है।

अस्पतालों में आवश्यक दवाएं

651. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पतालों में बीमारियों का इलाज करने के लिए आवश्यक दवाओं के आबंटन तथा उपलब्धता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में राज्यवार आंकड़े क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के कारण ऐसी सूचना का रखरखाव केन्द्र स्तर पर नहीं किया जाता है। जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामतः डा. राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं इससे संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, तो आवश्यक औषधों एवं दवाओं के लिए अलग से कोई बजट आबंटन नहीं है और आवश्यक औषधों आदि पर व्यय संबंधित अस्पतालों के सकल बजटीय आबंटन से किया जाता है। आवश्यक दवाएं केन्द्र सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध रहती हैं।

कोयला खान श्रमिकों का जीवन बीमा

652. श्री मदन लाल शर्मा :
प्रो. एम. रामदास :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खानों में काम कर रहे श्रमिकों को जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) प्रत्येक श्रमिक को सरकार द्वारा कितनी राशि का जीवन बीमा आवरण दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में कोयला खानों में कार्यरत मजदूरों के लिए बीमा कवरेज पहले से ही मौजूद है। अतः इस समय कोई अलग प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

653. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान कृषि, पशुपालन तथा मात्स्यिकी की संभावित विकास दर कितनी होगी तथा सकल घरेलू उत्पाद में इन प्रत्येक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत योगदान होने की संभावना है तथा प्रत्येक के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है; और

(ख) देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए चयनित विशेष बल दिये जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं तथा ग्यारहवीं योजना में परिकल्पित विशिष्ट कार्य योजना, यदि कोई हो तो क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) कृषि, पशुपालन, मात्स्यिकी जैसे क्षेत्रकों की विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रत्येक क्षेत्रक का प्रतिशत योगदान अलग–अलग उपलब्ध नहीं है। तथापि, कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रकों की लक्षित विकास दर, जिसमें कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रक शामिल हैं, ग्यारहवीं योजना के लिए 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। सार्वजनिक क्षेत्रक संसाधनों के क्षेत्रकीय आबंटन में ग्यारहवीं योजना हेतु कृषि व संबद्ध क्षेत्रकों के लिए 2006–07 की कीमतों पर केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का संयुक्त परिव्यय 136381 करोड़ रुपये है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कृषि, पशुपालन व मात्स्यिकी क्षेत्रक के लिए परिव्यय शामिल हैं।

(ख) ग्यारहवीं योजना में देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में कार्रवाई की जानी परिकल्पित है :

– किसानों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना।

– निवेश की कुशलता में सुधार, प्रणाली सहायता में वृद्धि करना और सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना।

– खाद्य सुरक्षा सरोकारों का संरक्षण करने के साथ–साथ विविधीकरण।

– समूह दृष्टिकोण के माध्यम से समावेशिता का पोषण करना जिससे गरीबों की भूमि, ऋण व दक्षता तक बेहतर पहुंच होगी।

कृषि के विकास में सुधार के लिए हाल की कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

– ग्यारहवीं योजना के दौरान अन्य चालू कार्यक्रमों के अतिरिक्त चालू कीमतों पर 25000 करोड़ रुपये के आबंटन से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई है।

– सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पृथक बागबानी प्रौद्योगिकी मिशन सहित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से बागवानी व पशुधन की ओर विविधीकरण जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू कीमतों पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

– मिशन मोड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) शुरू किया गया है जिसका लक्ष्य तीन फसलों, अर्थात् गेहूं, चावल और दालों को कवर करते हुए चालू कीमतों पर लगभग 4882 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित ग्यारहवीं योजना के अंत तक कम से कम 20 मिलियन टन तक खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है।

– कृषि सुधारों के लिए राज्यों को सहायता और जनसंचार के प्रयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी के कुशल अंतरण हेतु कृषि विस्तार को सुदृढ़ किया जा रहा है।

– केन्द्र सरकार राज्यों को कृषि विपणन सुधार और विपणन अवसंरचना और फसलोत्तर अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए भी आग्रह करती रही है।

– ग्यारहवीं योजना के दौरान सिंचाई व जल प्रबंधन के लिए अधिक परिव्यय के अतिरिक्त ध्यान केन्द्रित किए जाने हेतु मुख्य क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विशेष रूप से शुष्क भूमि में जल संभर विकास और वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र हैं और

– कृषि क्षेत्रक के लिए संस्थागत ऋण के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित करना।

पूर्वोत्तर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

654. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या उत्तर पूर्व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) हेतु सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में उत्तर पूर्व क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए गत 2 वर्षों के दौरान कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

1. केन्द्र सरकार, संबद्ध मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सुविधा प्राप्त संगठनों, सिविल सोसाइटी, कारोबार संघों और अन्य सभी पणधारकों को सहयोजित करके सेक्टर सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। अभी तक विभिन्न विषयों पर 9 सेक्टर सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, यथा (1) विद्युत सेक्टर (2) सड़क और राजमार्ग सेक्टर (3) कमोडिटी बोर्ड और ए पी ई डी ए जिनमें बाढ़ तथा कटाव नियंत्रण, सिंचाई और अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल है (4) पर्यटन तथा आतिथ्य सेक्टर (5) हवाई संपर्क मामले (6) रेलवे संपर्क (7) आई टी एवं आई टी से जुड़ी सेवाएं तथा दूर संचार (8) मानव संसाधन तथा खेल सेक्टर जिसमें कला और संस्कृति शामिल है और (9) कृषि एवं संबद्ध सेवाएं।

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग, उद्योग और ऋण मुद्दों पर एक विशेष सम्मेलन 04 अक्टूबर 2008 को हुआ था जिसका कार्य औपचारिक वित्त–पोषण प्रणाली में भूमिका का विस्तार करना, माइक्रो वित्त आंदोलन को सुदृढ़ बनाना और भविष्य में इस क्षेत्र में निरंतर आर्थिक विकास के लिए नीतियां तैयार करना था।

3. इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित उत्तर पूर्व व्यापार सम्मेलन के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। चौथा उत्तर पूर्व कारोबार सम्मेमलन 15–16 सितम्बर, 2008 को गुवाहाटी में आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन भारत के माननीय उप राष्ट्रपति ने किया था। इस सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों एवं मंत्रियों तथा उत्तर पूर्व राज्यों के अधिकारियों ओर 13 देशों के राजदूतों ने भाग लिया। केन्द्र सरकार की और से वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इस कारोबार सम्मेलनों में भारतीय तथा विदेशी उद्यमियों की आर्थिक अभिरुचि में वृद्धि की है।

4. लुक ईस्ट पॉलिसी कलादान मल्टी–मॉडल परिवहन परियोजना, चीन के साथ सीमावर्ती व्यापार को सुविधाजनक बनाने के

लिए सिक्किम में नाथुला को खोलने, मणिपुर राज्य में मोरेह और म्यांमार में तामू के बीच दूरसंचार में सुधार के जरिए व्यापार तथा वाणिज्य संपर्क पर बल देती है।

5. एशियान देशों के राजदूतों में वाणिज्यिक संपर्कों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आगामी महीनों में 3 दलों में उत्तर पूर्व की यात्रा करने की तीव्र इच्छा अभिव्यक्त की है।

6. नार्डिक देशों, इटली और चेक गणराज्य के राजदूतों ने उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की है और उन्होंने मौजूदा आर्थिक संभावनाओं और प्रक्रियाधीन विकास के प्रति संतोष व्यक्त किया है।

7. चेक गणराज्य ने हाइड्रो पावर सेक्टर, विशेष रूप से छोटी हाइड्रो-पावर परियोजनाएं, उड्डयन सेक्टर/हवाईअड्डा उपकरण, कोयला खनन उपकरणों और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में अपनी रुचि दर्शाई है।

अतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्पष्टतः भारतीय तथा विदेशी पूंजी-निवेश की ओर अग्रसर है। भारतीय उद्योगों के महासंघ (सी आई आई) भारतीय वाणिज्य मण्डल (आईसीसी), उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उद्योग एवं वाणिज्य संघ (फाइनर) और उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम (नेडफी) जैसे कारोबार संगठनों को इस क्षेत्र में उद्योग एवं व्यापार साझेदारी स्थापित करने के लिए अनेक संगठनों ने अपनी रुचि दशाई है। आई सी सी ने थाईलैण्ड, बंगलादेश की फर्मों और अनेक स्वदेशी उद्यमियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

बोतलबंद पेयजल में कीटनाशी अवशिष्ट

655. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ब्रांडों के बोतलबंद पेयजल में कीटनाशी अवशिष्ट की उपस्थिति के मामले को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में जांच के मानकों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने सूचित किया है कि विभिन्न ब्रांडों के बोतलबंद पेयजल और बोतलबंद प्राकृतिक खनिजयुक्त जल में नाशकजीवमारों की मौजूदगी भारतीय मानक संस्थान निशानयुक्त बोतलबंद पेयजल और बोतलबंद प्राकृतिक खनिजयुक्त जल के परीक्षण के दौरान अब तक नहीं पाई गई है।

(ग) और (घ) बोतलबंद जल में नाशकजीवमार अवशिष्टों के परीक्षण के मानक में बदलाव करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के पेय और कार्बोनेटिड पेय अनुभागीय समिति, खाद्य और कृषि प्रभाग 14 में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

चीन उत्पादित दुग्धोत्पादों में विषैले रसायन

656. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदसव विठोबा अडसूल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेबी फार्मूला फूड तथा अन्य चीन उत्पादित दुग्धोत्पादों में विषैले रसायन पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चीन से दुग्ध तथा दुग्धोत्पाद का आयात करती है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से एहतियाती उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) बेबी फार्मूला तथा भारत में अन्य चीन उत्पादित दुग्ध उत्पादों में विषैले रसायन पाये जाने के संबंध में कोई भी दृष्टांत इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आए हैं।

(ग) पशु पालन, दुग्ध उत्पाद एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात हेतु 01.01.2008 से अब तक कोई भी सेनेटरी इम्पोर्ट परमिट जारी नहीं किया गया है।

(घ) पशुपालन, दुग्ध उत्पाद एवं मत्स्य पालन विभाग ने चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात हेतु सेनिटरी इम्पोर्ट परमिट जारी करने के लिए किसी भी आवेदन को प्रोसेस न करने का निर्णय लिया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्य सचिवों से चौकसी रखने का अनुरोध किया गया है ताकि उनके संबंधित राज्यों में चीनी दुग्ध उत्पादों का अवैध प्रवेश न हो सके।

गधुली सन्तालपुर सड़क निर्माण

657. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** गुजरात में गधुली सन्तालपुर सड़क निर्माण/सुधार हेतु धनराशि प्रदान करने के बारे में 16 अप्रैल, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 127.16 करोड़ रु. की राशि पर विचार किया गया है/स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान स्थिति क्या है तथा गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर अंतिम रूप से कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। गधुली–सन्तालपुर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। राज्य सरकार का गधुली – सन्तालपुर सड़क के लिए 127.16 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को संशोधन के लिए वापस कर दिया गया था। अब 165.83 करोड़ रुपए का संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा

658. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने मेडिकल कालेजों में शिक्षा के गिरते स्तर को मद्देनजर रखते हुए निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु एकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि स्ववित्त पोषित मेडिकल कालेज अपनी विवरणिका में अपने शुल्क ढांचे के बारे में स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आयोग की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निजी कालेजों में प्रवेश की नीतियों और फीस संरचना को विनियमित करने की सिफारिश न केवल उन्हें राजनैतिक और वित्तीय शक्तियों का स्रोत बनने से रोकने बल्कि उनके गिरते हुए स्तर पर रोक लगाने के लिए भी की है। स्व–वित्तपोषित मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के लिए केवल एक एकल अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए। सरकारी मेडिकल कालेजों में 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के लिए सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के बैठने के कारण यह एक आदर्श परीक्षा सिद्ध होगी जिसकी परिधि का विस्तार किया जा सकता है।

(ग) और (घ) जी हां। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सिफारिश की है कि "सभी स्व–वित्तपोषित मेडिकल कालेजों को अपनी विवरणिका में अपनी फीस के संबंध में घोषणा करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी प्रवेश हेतु चुनाव कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रवेश परीक्षा, प्रशासन, शिक्षण, विषय सामग्री सुपुर्दगी और अन्य संबंधी प्रक्रियायों में पारदर्शिता व कुशलता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।" राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें www.knowledgecommission.gov.in नामक वैबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

(ङ) कार्यान्वयन मंत्रालय अर्थात स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का विचार है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर निजी मेडिकल संस्थानों में फीस और प्रवेश के विनियमन हेतु केन्द्रीय विधान के प्रारूप को अंतिम रूप देते समय विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

बायोमीट्रिक पासपोर्ट

659. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धोखाधड़ी, दुरुपयोग तथा छेड़छाड़ से बचने के लिए ई–पासपोर्ट नामक बायोमीट्रिक पासपोर्ट शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पासपोर्टों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) जी हां, धोखाधड़ी से दुरुपयोग तथा हेरफेर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रारंभिक तौर पर राजनयिकों व अधिकारियों के लिए पायलट परियोजना के रूप में ई–पासपोर्ट, जिन्हें बायोमीट्रिक पासपोर्ट भी कहा जाता है, शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे 25 जून 2008 को पहले ही शुरू किया जा चुका है। राजनयिक एवं अधिकारिक श्रेणियों में ई–पासपोर्ट जारी करने के पालयट चरण के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर साधारण पासपोर्ट श्रेणी में ई–पासपोर्ट जारी करने से संबंधित कार्य वर्ष 2009 के अंत तक शुरू किया जाएगा।

खतरनाक कचरा प्रबंधन नियम

660. श्री अर्जुन सेठी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि खतरनाक कचरा (प्रबंधन तथा संभलाई) नियम, 2003 तथा नगरपालिका ठोस कचरा (प्रबंधन तथा संभलाई) नियम, 2000 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : मंत्रालय ने खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989, 2000 और 2003 में यथा संशोधित अधिसूचित की थी। इस नियमावली के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से पूर्व नियमावली को निरसत करते हुए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचालन) नियमावली, 2008 को अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय ने नियमावली के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी) को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु साझा शोधन, भंडारण और निपटान सुविधाएं जुटाने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, समय–समय पर मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) नियमावली में निर्धारित किए गए उपबंधों के बारे में जागरूकाता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 2000 के अनुसार संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश के शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव की महानगरों में इस नियमावली के उपबंधों के प्रवर्तन की समग्र रूप से जिम्मेदारी होती है। संबंधित जिले के जिलाधीश (जिला मजिस्ट्रेट) अथवा उपायुक्त की अपने क्षेत्राधिकार की क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर इन नियमों के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समय–समय पर अपने राज्यों में नियमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास विभागों को निदेश भी जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न शहरों में मॉडल लैण्डफिल साईट स्थापित करने और विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की है।

जार्डन के पोत का अपहरण

661. श्री एस. अजय कुमार :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सोमालिया के समुद्री तट के समीप जार्डन के पोत चालक दल सहित अपहरण किया गया था जिसमें भारतीय भी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय चालक दल को सुरक्षित मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) पोत परिवहन मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जार्डन के एक जलयान एम.वी. "विक्टोरिया" का 17.05.2008 को मोगादिशू से 40 मील दूर 0508 बजे जलदस्युओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस जलयान में 10 भारतीय थे। जलयान को मोगादिशू के उत्तर में 500 कि.मी. दूर हाबू की ओर ले जाया गया था। बाद में 23.05.2008 को जलदस्युओं द्वारा इस जलयान को छोड़ दिया गया था।

चिकित्सा संस्थाओं का असंतुलित विकास

662. श्री अबु अयीश मंडल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा संस्थाओं का असंतुलित विकास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में मेडिकल कालेजों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यथासंशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के अनुसार मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता के बारे में निर्णय राज्य सरकार को करना है। केंद्र सरकार संबंधित राज्य द्वारा दिए गए अनिवार्यता प्रमाणपत्र और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति दे रही है। तथापि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अल्पसेवित क्षेत्रों में एम्स जैसी छह संस्थाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य में भी एम्स जैसी दो और संस्थाओं की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, मेडिकल कालेजों के वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

30.9.2008 को देश में मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या		कुल	सीटों की कुल संख्या		कुल
		सरकारी	प्राइवेट		सरकारी	प्राइवेट	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13	21	34	1775	2650	4425
2.	असम	3	–	3	426	–	426
3.	बिहार	6	3	9	390	220	610
4.	चंडीगढ़	1	–	1	50	–	50
5.	छत्तीसगढ़	3	–	3	250		250
6.	दिल्ली	5	1	6	560	100	660
7.	गोवा	1	–	1	100	–	100
8.	गुजरात	8	5	13	1205	550	1755
9.	हरियाणा	1	2	3	150	200	350
10.	हिमाचल प्रदेश	2	–	2	115	–	115
11.	जम्मू और कश्मीर	3	1	4	250	100	350
12.	झारखंड	3	–	3	190	–	190
13.	कर्नाटक	10	29	39	1050	3755	4805
14.	केरल	6	14	20	950	1350	2300
15.	मध्य प्रदेश	5	4	9	620	500	1120
16.	महाराष्ट्र	19	22	41	2200	2460	4660
17.	मणिपुर	1		1	100	–	100
18.	उड़ीसा	3	3	6	464	300	764
19.	पांडिचेरी	1	7	8	100	900	1000
20.	पंजाब	3	5	8	350	470	820
21.	राजस्थान	6	4	10	650	500	1150
22.	सिक्किम	1	–	1	50	–	50
23.	तमिलनाडु	16	14	30	1745	1820	3565
24.	त्रिपुरा	1	1	2	200	–	200

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	उत्तर प्रदेश	10	9	19	1112	900	2012
26.	उत्तरांचल	2	2	4	200	200	400
27.	पश्चिम बंगाल	9	1	10	1105	150	1255
	कुल	142	148	290	16357	17125	33482

[हिन्दी]

पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ

663. श्री संतोष गंगवार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा पार से पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी गोलाबारी के साये में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की घटनाओं के मद्देनजर पाकिस्तान से अपना विरोध दर्ज कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत से आतंकवादियों की घुसपैठ की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सीमापार घुसपैठ और युद्धबंदी के उल्लंघन के मामले पाकिस्तान सरकार के साथ सर्वोच्च स्तरों सहित जोरदार ढंग से उठाए गए हैं। पाकिस्तान सरकार से अपनी इस वचनबद्धता को कार्यान्वित करने के लिए आग्रह किया गया है जिसके तहत वह अपने भू-क्षेत्र या अपने नियंत्रणाधीन भूक्षेत्र का उपयोग किसी तरह से भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए करने की अनुमति नहीं देगा।

(ग) सरकार अपने नागरिकों और भूक्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

एड्स के मामलों का लिंगवार ब्यौरा

664. श्री महावीर भगोरा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 12 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1853 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए एड्स के मामलों के लिंगवार ब्यौरे की वर्तमान स्थिति का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए एड्स मामलों की वर्षवार और लिंगवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार एड्स के मामलों का लिंगवार ब्यौरा

राज्य	2005		2006		2007		2008 अब तक					
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	4	0	0	0	0	0	0			
आंध प्रदेश	4264	3542	7806	5553	4614	10167	4011	2962	6973	1868	1396	3264
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	13	0	13	4	3	7	12	6	18
असम	29	11	40	78	29	107	17	5	22	29	4	33
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
चंडीगढ़	480	269	749	289	162	451	468	245	713	287	135	422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	67	20	87	36	8	44
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0			0			0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0			0			0
दिल्ली	1,015	449	1,464	1,335	590	1,925	1464	599	2063	644	257	901
गोवा	108	59	167	15	8	23	96	48	144	42	19	61
गुजरात	1280	675	1955	563	296	859	1285	470	1755	511	488	699
हरियाणा	123	75	198	126	76	202	154	53	207	145	53	198
हिमाचल प्रदेश	39	34	73	3	3	6	67	22	89	24	19	43
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	22	12	34	154	57	211	122	41	163
झारखंड	102	71	173	93	66	159	258	214	472	255	179	434
कर्नाटक	1228	991	2219	0	0	0			0			0
केरल	0	0	0	0	0	0			0			0
मध्य प्रदेश	225	134	359	144	86	230	372	144	516	172	80	252
महासष्ट्र	3292	2391	5683	2518	1829	4347	1962	1054	3016	2277	1426	3703
मणिपुर	0	0	0	44	36	80	241	137	378	93	40	133
मेघालय	0	0	0	0	8	8	9	10	19			0
मिजोरम	0	0	0	2	2	4	19	16	35	11	6	17
नागालैंड	9	9	18	3	0	3	154	143	297	276	255	521
उड़ीसा	115	62	177	75	41	116	46	12	58	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	3	3			0			0
पंजाब	60	43	103	140	99	239	181	85	266	27	8	35
राजस्थान	186	117	303	185	117	302	358	193	551	161	69	230
सिक्किम	2	1	3	0	0	0	10	3	13			0
तमिलनाडु	2173	1683	3856	6470	5011	11481			0			0
उत्तर प्रदेश	201	138	339	406	279	685	124	99	223			0
उत्तरांचल	29	20	49	0	0	0	44	19	63	6	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	8	8	72	31	103			0
अहमदाबाद एम ए सी एस	0	0	0	0	0	0	72	29	101			0
चेन्नई एम ए सी एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
मुम्बई एम ए सी एस	0	0	0	0	0	0	3557	1863	5420	1325	788	2113
कुल	14962	10776	25738	18074	13356	31430	15266	8536	23802	8323	4977	13300

[अनुवाद]

उत्तर-दक्षिण गलियारा

665. श्री के. सुब्बारायण : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सहित उत्तर–दक्षिण गलियारा परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उत्तर–दक्षिण गलियारा परियोजना के सेंगापल्ली से कोचीन तक के मार्ग के काम में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा परियोजना के काम की निर्बाध प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) उत्तर–दक्षिण गलियारा परियोजना के अंतर्गत 3699 किमी. लंबाई को 4/6/8 लेन का बनाए जाने की परिकल्पना की गई है। इसमें से 1385 किमी. में 4/6/8 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 1724 किमी. लंबाई में यह कार्य चल रहा है और शेष 590 किमी. लंबाई अभी सौंपी जानी है।

(ख) और (ग) सेनगापल्ली से कोचीन खंड अर्थात् तमिलनाडु में सेनगापल्ली से वालायर खंड और केरल में वायालर से त्रिसूर खंड पर कार्य में देरी आंशिक रूप से परामर्शदाता द्वारा साध्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलंब के कारण हुई है।

(घ) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानान्तरण, पर्यावरण स्वीकृति जैसे निर्माण पूर्व कार्यों में तेजी लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है ताकि निर्माण के दौरान अच्छी प्रगति हो।

(ङ) तमिलनाडु में सेनगापल्ली से यालायर खंड और केरल में वालायर से त्रिसूर खंड पर कार्य अभी सौंपा जाना है। त्रिसूर से अंगमाली खंड पर कार्य मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है तथा अंगमाली से कोचीन तक चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

[हिन्दी]

एन. आर. एच. एम. के अंतर्गत
स्वास्थ्य बीमा योजना

666. श्री गणेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत देशव्यापी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने गरीब परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत करने वाला एक ढांचा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत तैयार किया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यकता आधारित, समुदाय–उन्मुख, नवाचारी तथा नम्य बीमा योजनाएं प्राथमिकता से कार्यान्वित करने हेतु तैयार करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के लिए अधिकतम 300/– रु. के अध्यधीन 75% तक वार्षिक प्रीमियम की लागत में इमदादी सहायता करता है।

गंभीर बीमारी स्वास्थ्य बीमा योजना के अमल की प्रायोगिक परियोजना आंध प्रदेश से अनंतपुर, महबूबनगर, श्रीककुलम जिलों के लिए प्राप्त की गई जिसमें 46.20 करोड़ रु. की निधियां देने का अनुरोध किया गया था। तब 10 करोड़ रु. की रकम देने पर सहमति हुई क्योंकि यह योजना वर्ष 2007–08 के दौरान केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में एन आर एच एम कार्यढांचे की तर्ज पर नहीं थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने और पांच जिलों चित्तूर, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, नलगोंडा एवं रंगारेड्डी में आरोग्यश्री समुदाय स्वास्थ्य बीमा योजना को दूसरे चरण में 5 दिसम्बर 2007 से लागू किया है और 15 जिलों में योजना का विस्तार तीन चरणों में वर्ष 2008–09 में करने का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए एन आर एच एम के तहत वर्ष 2008–09 के दौरान कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में 10 करोड़ रु. मांगे हैं तथा उसे मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया है। कुल 73.50 बी पी एल जनता आंध प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभान्वित है।

राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त प्रायोगिक परियोजना श्री गंगानगर, उदयपुर, चितौड़गढ़, डुंगरपुर और बंसबरन जिलों के लिए है। प्रस्ताव पर मंत्रालय में विचार किया गया है तथा किंचित् सुझावों/संशोधनों सहित उस पर अनुमोदन राज्य सरकार तक 8 दिसम्बर, 2007 को पहुंचाया गया है। कुल 37.82 करोड़ रु. की प्रीमियम के मुकाबले 23.64 करोड़ रु. (कुल 75% प्रीमियम) की रकम एन आर एच एम नम्य पूल के तहत वर्ष 2007–08 के लिए मंजूर की गई है। एन आर एच एम नम्यपूल के अधीन राज्य के पास ये निधियां वर्ष 2007–08 में उस वर्ष की शेष अवधि में व्यय की जानी थीं।

उक्त प्रस्ताव इस शर्त पर अनुमोदित किए गए कि बी पी एल परिवार की संख्या योजना आयोग, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। राज्य सरकार सुनिश्चित करती है कि संबंधित बीमा एजेंसियों से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्राप्त रकम का उपयोग उन्नयन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के आवर्ती व्यय पूरे करने में किया जाएगा। राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे योजनागत मातृत्व लाभों का विस्तार एवं इस योजना में जननी सुरक्षा योजना में लाभ समेकित करें।

राज्य सरकार ने और 6 जिलों नामतः प्रतापगढ़, जैसलमेर, बरान, धोलपुर, सिरोही एवं भीलवाड़ा में प्रायोगिक परियोजना का वर्ष 2008–09 में विस्तार करने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की है। 2008–09 में राज्य ने 39.29 करोड़ रु. का प्रावधान 2008–09 के लिए अपने पी ई पी में रिस्क पूलिंग हेतु किया है और उसे एन आर एच एम के तहत 11 जिलों (5 पहले एवं 6 नए) के वास्ते मंजूर किया गया है।

योजना की उपलब्धियों का जायजा लेना जल्दबाजी होगा। फिर भी कुल 378066 मरीज जांचें गए तथा 37558 रोगी आंध्र प्रदेश राज्य में उपचारार्थ भेजे गए और राजस्थान राज्य में 24452 बी पी एल रोगियों का उपचार 9 दिसम्बर, 2007 से अगस्त 2008 तक योजना के तहत किया गया।

श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रारंभ होने से असंगठित क्षेत्र मे बी पी एल कामगारों तथा उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा लाभ इसकी विस्तार योजना के अनुसार प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण

667. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल :
श्री हरिन पाठक :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री काशीराम राणा :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के अंतर्गत विभिन्न सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सड़कवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य में हाल ही की बारिश से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) एनएचडीपी के अंतर्गत जहां कहीं 4/6 लेन बनाने का कार्य चल रहा हो, वहां विद्यमान सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए विद्यमान सड़कों का अनुरक्षण ठेकेदा/रियायतग्राही द्वारा ठेका/रियायत करार के तहत उनके दायित्व के रूप में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए खंडों के मामलों में जहां 4/6 लेन बनाने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है वहां विद्यमान सड़कों का अनुरक्षण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई धनराशि से राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से किया जाता है।

4/6 लेन बनाने का कार्य पूरा होने के बाद व्यापक अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

(ख) और (ग) उन खंडों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनकी छोटी मोटी मरम्मत/पुनः सतहीकरण किया गया है।

(घ) और (ङ) हाल ही के मानसून के कारण सड़कों को क्षति हुई है। तथापि, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि से सड़कों को मानसून के दौरान सड़कों को यातायात योग्य स्थित में रखा गया है।

विवरण

खंड	की गई मरम्मत/पुनः बनाई गई सतह
रारा 8 का बडोदरा – सूरत खंड	वर्ष 2007–08 में 45 किमी. में सतह पुनः बनाई गई।
रारा 8 के 263.4 से 381 किमी. तक चलथान से दहीसर खंड	गड्ढे, पेचवर्क जैसे छोटे–छोटे मरम्मत कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
रतनपुर–हिम्मतनगर खंड	छोटे–छोटे मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं और कार्यों को दिसंबर, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
रारा 8 के 306 – 362.160 किमी. तक समख्याली – गांधीधाम खंड	30 कि.मी. (2 लेन) में सतह पुनः बनाने के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है जिसमें से 27.5 किमी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर कार्य

668. श्री सुनील खां : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पानगढ़ बाजार के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग–2 पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको पूरा किए जाने हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पानगढ़ बाजार क्षेत्र अर्थात् 520.103 किमी. से 515.236 किमी. तक दोनों ओर सड़क पहले से ही चार लेन की है। पानगढ़ बाजार में रारा–2 का खंड अभी दो लेन वाला है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–5 के अंतर्गत पानगढ़ बाजार क्षेत्र के लिए एक बाइपास बनाने की परिकल्पना की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के पानगढ़–दनकुनी खंड, जिसके लिए डी पी आर परामर्शदाता की पहले ही नियुक्ति कर दी गई है, को छह लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ ही शीघ्र शुरू किया जाना है। इसे पूरा करने के लिए समय सीमा के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गरीब मरीजों का मुफ्त उपचार

669. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख अस्पतालों में जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मुफ्त उपचार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) मंत्रालय का देश के बड़े अस्पतालों में जीवनघातक रोगों से पीड़ित और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने की विशेष योजना तैयार करने का विचार नहीं है।

(ख) यद्यपि मंत्रालय यथोपरि विशेष योजना तैयार करने का विचार नहीं रखता तथापि मंत्रालय के पास दो योजनाएं नामतः राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान है जिनके तहत वित्तीय सहायता गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में शल्यक्रिया/उपचार के लिए प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश/हिदायतें संलग्न विवरण–I, II और III में दी गई हैं।

विवरण-I

स्वास्थ्यमंत्री का विवेकाधीन अनुदान

स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता बड़ी शल्य क्रियाएं एवं बड़े रोगों का उपचार करवा रहे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने पर आंशिक व्यय को वहन करने के लिए प्रदान की जाती है। इसमें अनुदान हृदय रोगों, गुरदा प्रतिरोपण, नितंब और जानु प्रतिस्थापन, कैंसर, एड्स, यकृतशोथ, अबुर्दों आदि के लिए स्वीकृत किए जाते हैं।

ऐसे अनुदान स्वीकृत करने संबंधी अधिकथित व्यापक मानदंड निम्नवत हैं:–

(क) (i) आवेदक से विहित प्रपत्र में सप्रयोजन आवेदन करने की आशा की जाती है।

(ii) किसी एक मामले में अनुदान राशि आमतौर पर 20,000 रु. से अधिक नहीं होती। अनुदान 'एक बारगी अनुदान' के रूप में मंजूर किया जाता है और उसे उस अस्पताल, के जहां मरीज उपचार करवा रहा हो, चिकित्सा अधीक्षक को जारी किया जाता है।

(iii) वित्त सहायता मंजूर करने के प्रयोजनार्थ मात्र 50,000/– रु. (पचास हजार रुपए) तक की वार्षिक परिवारिक आय को सहायता को पात्रता होने के लिए अधिकतम सीमा के रूप में माना जाता है।

(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक प्रतिबद्धता पत्र संबंधित अस्पताल को जारी किया जाता है जिसमें वित्तीय सहायता की मंजूरी की सूचना मरीज के भर्ती होने/उसकी शल्यक्रिया की तारीख की बाबत अस्पताल से उत्तर मिलने के बाद दी हुई रहती है, वित्तीय सहायता की रकम अस्पताल को जारी की जाती है।

(ख) (i) सरकारी सेवक (केंद्र, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान में से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

(ii) सभी अनुदान अनावर्ती किस्म के होते हैं और बारंबार देयता नहीं रहती।

(iii) पहले से व्यक्ति रकम की प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं है।

(iv) अनुदान स्वीकृति सरकारी अस्पतालों में उपचार करवा रहे मरीजों के लिए ही होती है। सहायता निजी अस्पताल में उपचार हेतु नहीं दी जाती है।

(v) सामान्य किस्म के रोग जिसका उपचार महंगा नहीं होता, के लिए वित्तीय सहायता की अनुमति नही दी जाती है।

योजना को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों की प्रति अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है।

अनुबंध - क

स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान

अधिकतम 20,000/– रु. की वित्त सहायता स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान से गरीब और निर्धन रोगियों के वास्ते अस्पताल में भर्ती होने/उपचार के मामलों में जहां मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ नहीं हों अंशतः व्यय का वहन करने को उपलब्ध हैं।

ऐसे अनुदान स्वीकृत करने संबंधी अधिकथित व्यापक मानदंड निम्नवत हैं :–

(i) पहले से व्ययित रकम की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमत नहीं है।

(ii) आवर्ती व्यय कराने वाले लंबे उपचार की प्रतिपूर्ति भी नियमानुसार अनुमत नहीं है।

(iii) सामान्य किस्म के रोग जिसका उपचार महंगा नहीं होता, के लिए वित्तीय सहायता की अनुमति नहीं दी जाती है।

(iv) वित्तीय सहायता क्षय रोग के उन मामले में अनुमत नहीं है जिनका मुफ्त उपचार राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में उपलब्ध है।

(v) केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारीगण अनुदान के पात्र नियमानुसार नहीं हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के रूप में पुनः नामित राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि की स्थापना 1997 के दौरान 5 करोड़ रु. के शुरूआती अंशदान से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अलावा 24 राज्यों अर्थात् आंध प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में भी राज्य बीमारी सहायता निधियां स्थापित की गई है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत यथानुमत सहायता अनुदान जारी किए गए हैं। अन्य राज्यों/संघ राज्यों से निधि की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है। सभी 5 संघ राज्य क्षेत्रों (बगैर विधायिका वाले) ने भी चिकित्सा उपचार के मामलों की जांच करने के लिए समितियां गठित की हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1998–99 के दौरान प्रत्येक को 50 लाख रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी गई थी। जनवरी, 1998 में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्थित केंद्रीय सरकार के 3 अस्पतालों के चिकित्सा पर्यवेक्षक तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठाप्राप्त तीन संस्थानों अर्थात डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली; लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती एस. के. अस्पताल, नई दिल्ली, एम्स, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ तथा जिपमेर, पांडिचेरी को एन आई ए एफ से एक ही समय 10 से 20 लाख रुपए की धनराशि की मंजूरी दी जाए ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को दिनांक 02.06.2008 से प्रति मामला 50,000 रुपए के स्थान पर 1,00,000/– (यथाप्रतिस्थापित) रुपए की वित्तीय सहायता तुरंत प्रदान की जा सके। बाद में इस स्कीम का विस्तार निम्हांस, बंगलौर, सी एन सी आई, कलकत्ता, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, गांधी स्मारक एवं संबद्ध अस्पताल, लखनऊ के जी एन सी, लखनऊ, नीग्रेम्स, शिलांग एवं आई आई एम एस, इम्फाल, जिन्हें ऐसा ही अग्रिम प्रदान किया गया है, में किया गया।

इस स्कीम के दिशानिर्देशों की एक प्रति अनुबंध 'ख' के रुप में संलग्न है।

अनुबंध - ख

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

विभाग से संबद्ध मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण पर अपनी 31वीं रिपोर्ट में बड़ी बीमारियों के लिए गरीब रोगियों के उपचार के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। समिति ने महसूस किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में विशिष्ट जान लेवा बीमारियों का उपचार करवाने के लिए आने वाले गरीब रोगियों की सहायता करने के लिए निधियों के सभी उचित स्रोतों का पता लगाना आवश्यक है।

उपर्युक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य निधि के नाम से एक राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया। गैर–योजना व्यय संबंधी समिति ने 17 अक्तूबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में इस निधि को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तदनुसार भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा प्रकाशित दिनांक 13.1.97 के संकल्प संख्या एफ–7–2/96–वित्त–।। के तहत राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना की गई है और इस निधि को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसकी स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 5 करोड़ रुपए के शुरूआती अंशदान से की गई थी। इस निधि में एफ सी आर ए के अनुमोदन से भारत या विदेश में रहने वाले लोग, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के निगमित निकाय, लोकोपकारी संगठन भी अंशदाता बन सकते हैं और इस निधि में दिए गए सभी अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–छ के अंतर्गत आयकर भुगतान से पूरी तरह से मुक्त है।

यह निधि किसी भी अतिविशिष्टता वाले अस्पताल/संस्थान या अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के लिए प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता 'एक बारगी अनुदान' के रूप में जारी की जाएगी जो उस अस्पताल, जहां पर उपचार दिया गया हो/दिया जा रहा है, के चिकित्सा अधीक्षक को जारी की जाएगी। जरूरतमंद रोगियों को सहायता देने के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से योजना को जनवरी, 98 में संशोधित किया गया है और एम्स, नई दिल्ली, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, एल एच एम सी और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, पी जी आई एम ई आर–चंडीगढ़, जे आई पी एम ई आर–पांडिचेरी के चिकित्सा अधीक्षकों के पास 10 से 20 लाख रु. की अग्रिम राशि रखी गयी है ताकि वे अपने–अपने अस्पताल/ संस्थान में उपचार के लिए आने वाले प्रत्येक पात्र रोगी को 1,00,000/– रु. तक की राशि (दिनांक 02.06.2008 से 50,000/– रु. से प्रतिस्थापित) स्वीकृत कर सकें। अस्पताल/संस्थान से इस राशि के उपयोग की सूचना मिलने पर अग्रिम राशि की पुनः पूर्ति की जाएगी।

निम्हांस, बंगलौर तथा सी एन सी आई, कलकत्ता, एस जी पी जी आई एम एस, लखनऊ, गांधी मैमोरियल और एसोसिएटेड हास्पिटल (के जी एम सी) लखनऊ, एन ई आई जी आर आई एच एम एस, शिलांग और आर आई एम एस, इम्फाल को भी ऐसी ही अग्रिम राशि इस योजना को लागू करने के उचित निर्देश के साथ दी गयी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11/11/96 के पत्र के तहत सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीमारी सहायता निधि स्थापित करने की सलाह दी गई है। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार से ऐसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) जहां ऐसी निधियां स्थापित की गई हैं, को सहायता-अनुदान जारी किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु सहायता-अनुदान राज्य की निधि/सोसाइटी को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अंशदान का 50% तक होगा जो गरीबी रेखा से नीचे वृहत्तर जनसंख्या तथा प्रतिशतता वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के लिए अधिकतम 5 करोड़ रु. तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रु. के अध्यधीन होगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय निधियां राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि के लिए यथा उल्लिखित दाताओं से अंशदान/दान भी प्राप्त कर सकती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर बीमारी सहायता निधि किसी वैयक्तिक मामले में 1.5 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता उनके संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रह रहे रोगियों को जारी करेगी और ऐसे सभी मामलों को राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि को अग्रेषित करेगी, जहां वित्तीय सहायता की मात्रा के 1.5 लाख रु. से अधिक होने की संभावना है।

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) ने बीमारी सहायता निधि स्थापित की है :- कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, राजस्थान, गोवा, गुजरात, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी। इन राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया सहायता अनुदान दर्शाया गया है।

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद अभी तक राज्य बीमारी सहायता निधि की स्थापना नहीं की है:-

1. असम
2. मणिपुर
3. अरूणाचल प्रदेश
4. मेघालय
5. उड़ीसा
6. नागालैंड

राष्ट्रीय आरोग्य निधि का प्रबंधन एक प्रबंधन समिति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर किया जाता है:-

1. स्वास्थ्य मंत्री	–	अध्यक्ष
2. सचिव (स्वास्थ्य/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री)	–	सदस्य
3. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा	–	सदस्य
4. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	–	सदस्य सचिव
5. मुख्य लेखा नियंत्रक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	–	कोषाध्यक्ष

निधि के प्रमुख दानदाताओं के बीच में दो गैर-सरकारी सदस्यों को सहयोजित करने का भी प्रावधान है।

प्रबंधन समिति को तकनीकी मामलों यथा योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली बीमारी की प्रकृति तथा अन्य गौण विषयों पर सलाह देने के लिए एक तकनीकी समिति है।

तकनीकी समिति में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:-

1. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा
2. संयुक्त सचिव
3. चिकित्सा अधीक्षक, डा. आर एम एल अस्पताल
4. विभागाध्यक्ष, हृदय रोग विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बीमारी सहायता सोसाइटी/समिति की स्थापना किए जाते ही संघ राज्य क्षेत्रों (जहां विधान मंडल नहीं है) को राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि में से बजट परिव्यय मंजूर किया जाएगा। 21.10.98 को हुई प्रथम बैठक में यह तय किया गया कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को 50 लाख रु. का बजट परिव्यय मंजूर किया जाएगा। तदनुसार, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1998-99 के दौरान 50-50 लाख रु. का बजट परिव्यय मंजूर किया गया है।

1. लक्षद्वीप
2. दमन और दीव
3. दादरा और नगर हवेली

4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

5. चंडीगढ़

निधि से प्रदान किए जाने वाले उपचार की श्रेणियों की निदर्शी सूची उपाबंध–ग में दी गई है।

विस्तृत सूचना के लिए संपर्क करें:

अवर सचिव (अनुदान)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
टेलीफोन–23061986

विवरण-III

निधि में से उपलब्ध कराए जाने वाले उपचार की श्रेणियों की व्याख्यात्मक सूची निम्नानुसार है:

1. हृदय रोग विज्ञान एवं हृदय शल्य चिकित्सा

टी एम टी, इकोकार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एथेरेटोमी समेत अंतराक्षेपण प्रक्रिया हेतु पेसमेकर डिस्पोजेबल, जन्मजात और अवाप्त स्थितियों के लिए सी ए बी जी, वास्कुलर सर्जरी स्टेंट् तथा हृदय प्रत्यारोपण आदि समेत हृदय शल्य चिकित्सा।

2. कैंसर

सभी प्रकार की रेडियेशन उपचार
कैंसर रोधी कीमोथेरेपी

3. मूत्र विज्ञान/वृक्क विज्ञान

उपभोज्य वस्तुओं (कायल्ज एवं डायलिसिस सोलूशन इत्यादि) समेत डायलिसिस। डायलिसिस, पी सी एन तथा पी सी एन एल किटो हेतु वास्कुलर शंटज, लिथोट्रिप्सी (पथरी हेतु)–डिस्पोजेबल तथा एंडोस्कोपिक शल्यात्मक प्रक्रिया हेतु स्टेंटस मूत्र विज्ञान तथा जठरांत्रशोथ विज्ञान में वृक्क एवं यकृत प्रत्यारोपण

4. अस्थि रोग विज्ञान

पैरों के लिए कृत्रिम प्रोस्थेसिस, प्रत्यारोपण एवं पूरा कूल्हा और घुटना प्रतिस्थापन, बाह्य फिक्सेटर, अस्थि रोग एवं हड्डी टूटने के उपचार में प्रयुक्त एओ प्रतिरोपण।

5. विविध

अंर्तनेत्र लैंस प्रत्यारोपण, श्रव्य सामग्री एवं हाइड्रोसिफेलस के लिए शंटज।

6. जांचें

अल्ट्रासाउंड, डोपलर शिडरेज, रेडियो आनयूकोलइड स्कैन, सी टी स्कैन, मेमोग्राफी सभी अंगों की एंजियोग्राफी, एम. आर. आई., ई. ई. जी., ई. एम. जी., यूरोडायनमिक अध्ययन।

7. औषधियां

प्रतिरक्षा दमन औषधियां, टी वी रोधी औषधियां, एंटी डी, एंटी हीमोफीली ग्लोबूलिन, एरिथ्रोपोयटेन, जलन के रोगियों के लिए रक्त एवं रक्तोपाद/प्लाजमा।

8. चिकित्सा अधीक्षक/डाक्टर की समिति द्वारा सहायता हेतु उपयुक्त समझी जाने वाली मुख्य बीमारियों को सूची में शामिल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल-2010

670. श्री किरिप चालिहा : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी राष्ट्रमंडल खेलों, 2010 में किन–किन खेलों/खेलकूद प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है और इन खेल प्रतिस्पर्धाओं को किन–किन स्टेडियमों में आयोजित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस संबंध में आवश्यक अवसंरचना पूरी तरह से विकसित कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) उन खेल विधाओं जो राष्ट्रमंडल खेल–2010 में शामिल की गई है, के नामों को उनके स्थल/स्टेडियमों सहित दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रमंडल खेल–2010 से संबंधित खेल अवसंरचना परियोजनाओं के विकास/निर्माण से संबंधित कार्य पूरे जोर–शोर से चल रहा है और सभी परियोजनाएं 2009 के अंत तक पूरी हो जाने की संभावना है।

(घ) खेल स्थलों के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न पणधारियों को आवश्यक धनराशि जारी की गई है। निरंतर रूप से

चल रहे कार्य की निगरानी विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा की जा रही है। परियोजनाओं की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब आधारित निगरानी तंत्र भी स्थापित किया गया है जो विभिन्न पणधारियों तथा निगरानी संबंधी एजेंसियों को जोड़ता है।

विवरण

क्र.सं.	खेल विधा	स्थल/स्टेडियम
1.	एथलेटिक्स	ज.ला.ने. स्टेडियम, भा.खे.प्रा.
2.	लान बॉल्स	ज.ला.ने. खेल परिसर, भा.खे.प्रा.
3.	भारोत्तोलन	ज.ला.ने. खेल परिसर, भा.खे.प्रा.
4.	हाकी	मेजर, ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम, भा.खे.प्रा.
5.	साईक्लिंग	वेलोड्रम, इं.गां. खेल परिसर, भा.खे.प्रा.
6.	जिम्नास्टिक्स	इं.गां. इं. स्टेडियम, भा.खे.प्रा.
7.	कुश्ती	इं.गां. खेल परिसर, भा.खे.प्रा.
8.	निशानेबाजी	डा. कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज, भा.खे.प्रा.
9.	एक्वाटिक्स	डा. एस.पी. मुखर्जी तरणताल, भा.खे.प्रा.
10.	नेटबाल	त्यागराज खेल परिसर, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार
11.	मुक्केबाजी	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, न.दि.न.पा.प.
12.	बैडमिंटन	सीरी फोर्ट खेल परिसर, दिविप्रा
13.	स्क्वैश	सीरी फोर्ट खेल परिसर, दिविप्रा
14.	टेबल टेनिस	यमुना खेल परिसर, दिविप्रा
15.	तीरंदाजी	यमुनाखेल परिसर, दिविप्रा
16.	रग्बी	दिल्ली विश्वविद्यालय
17.	टेनिस	आर.के. खन्ना टेनिस परिसर

भाखेप्रा	–	भारतीय खेल प्राधिकरण
रा.रा. क्षे., दिल्ली सरकार	–	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
न.दि.न.पा.प.	–	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
दिविप्रा	–	दिल्ली विकास प्राधिकरण
ज.ला.ने. स्टेडियम	–	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
इं.गां.इं. स्टेडियम	–	इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम

परमाणु ऊर्जा की लागत

671. श्री सांताश्री चटर्जी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय प्रति मेगावाट परमाणु ऊर्जा की उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) भारत में आयातित परमाणु रिएक्टरों से प्रति मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर कितनी लागत आने की संभावना है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा लागत प्रभावी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) स्वदेशी परमाणु विद्युत रिएक्टरों की स्थापना पर आने वाली लागत, वर्ष 2008 के मूल्यों पर लगभग 5.8 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट–ई है।

(ख) न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय से, विदेशी सहकार के आधार पर परमाणु विद्युत रिएक्टरों को स्थापित करने की संभावना का मार्ग खुलेगा। ऐसे रिएक्टरों की स्थापना पर आने वाली लागत का पता, इन करारों के बारे में बातचीत होने के बाद ही लगेगा।

(ग) जी हां।

(घ) परमाणु विद्युत, कोयले की खानों से दूर जगहों पर कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली के प्रतिस्पर्धात्मक है। वर्ष 2007–08 के दौरान, औसत परमाणु विद्युत शुल्क 2.28 रुपए प्रति किलोवाट घंटा था, जोकि काफी प्रतिस्पर्धात्मक माना जाता है।

विलंबित केन्द्रीय परियोजनाएं

672. श्रीमती जयाप्रदा : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई केन्द्रीय परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्सा ऐसी परियोजनाओं में विलंब के कारण इनकी लागत में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी हां।

(ख) परियोजनाओं के निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रहने के कारणों में सहायक अधिसंरचना की कमी, ठेके प्रदान करने में विलंब, ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति, भूमि अधिग्रहण एवं उससे संबंधित पुनर्वास में विलम्ब, कानून और व्यवस्था की समस्याएं, निधि की कमी एवं भौगोलिक आकस्मिकताएं शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 20 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत वाली 909 परियोजनाओं का प्रबोधन कर रहा है। इनमें से 346 परियोजनाएं अपने अद्यतन अनुमोदित समय से पीछे चल रही हैं। इन 346 विलंबित परियोजनाओं में लागतवृद्धि 24,689 करोड़ रुपए है जो 1,85,089 करोड़ रुपए की अद्यतन अनुमोदित लागत का 13.33 प्रतिशत है। ऐसी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं :

(i) दो–स्तरीय क्लियरेंस प्रणाली अपनाना तथा निवेश के अनुमोदन से पूर्व परियोजनाओं का अत्यंत सम्यक् मूल्यांकन;

(ii) निधियों की पूर्णतः व्यवस्था के बाद ही परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए लेना;

(iii) सरकार द्वारा मासिक और तिमाही आधार पर परियोजनाओं की गहन समीक्षा;

(iv) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मामलों, वन अनुमतियों, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं तथा परियोजनाओं स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई करना;

(v) विभागीय तौर पर क्रियान्वित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों में अधिकार प्राप्त समिति का गठन;

(vi) अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर–मंत्रालयिक समन्वय;

(vii) समय और लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन;

(viii) प्रत्येक परियोजना के लिए, कार्यकाल की निरंतरता के साथ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; और

(ix) मानक बोली दस्तावेज अपनाने के लिए दिशा–निर्देश जारी करना।

[हिन्दी]

भारत नेपाल संधि - 1950 की समीक्षा

673. **श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' :**
योगी आदित्यनाथ :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल से भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि–1950 की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर संधि में प्रस्तावित संशोधन का क्या प्रभाव पड़ेगा?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) नेपाल के प्रधानमंत्री की 14 सितंबर–18 सितंबर, 2008 तक हुई हाल की भारत की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने यह नोट किया कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी और घनिष्ठ संबंधों को भविष्य उन्मुखी तरीकों से सुदृढ़ और विस्तृत करने की आवश्यकता है ताकि मौजूदा वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। इस संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों की खास–खास बातों को उचित सम्मान देते हुए अन्य बातों के साथ शांति एवं मैत्री संधि, 1950 की समीक्षा करने, ताजमेल बैठाने और उसे अद्यतन बनाने पर सहमति हुई।

[अनुवाद]

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध

674. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में देश में सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर धूम्रपान करने पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई नीति और उसकी मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) दिनांक 30 मई, 2008 के सा.का.नि. सं. 417(अ) के तहत अधिसूचित सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध नियम,

2008 2 अक्तूबर, 2008 को लागू हो गए हैं। नये नियमों का उद्देश्य धूम्रपान न करने वालों को अप्रत्यक्ष धूमपान पर्यावरणिक तम्बाकू धुएं के दुष्प्रभावों से बचाना है।

सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान सख्तीपूर्वक निषिद्ध है। "सार्वजनिक स्थल" में समागार, अस्पताल भवन, स्वास्थ्य संस्थाएं, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक कार्यालय, न्यायालय के भवन, शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, जन सुविधाएं, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप, कार्यस्थल, शापिंग माल, सिनेमा हाल, जलपान कक्ष, डिस्कोथेक, काफी हाउस, पब, बार, एयरपोर्ट लाउंज इत्यादि शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

– इस नियम का किसी भी प्रकार उल्लंघन 200 रुपए तक जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है।

– तथापि, तीस अथवा अधिक कमरों वाले होटल अथवा तीस अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट अथवा एयरपोर्ट एक अलग धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान उपलब्ध करा सकते हैं, जैसा कि नियमानुसार अपेक्षित है।

– सार्वजनिक स्थल के मालिक, प्रोपराइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक अथवा मामला प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि :–

क) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल (अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत/अंतर्निहित) पर धूम्रपान न करें।

ख) नियमों की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बोर्ड सार्वजनिक स्थल तथा भीतरी सुस्पष्ट स्थल (स्थलों) पर स्पष्टतया प्रदर्शित किया जाए।

ग) सार्वजनिक स्थल पर कोई एश्ट्रे, माचिस, लाइटर अथवा धूम्रपान को सुकर बनाने वाली अन्य चीजें उपलब्ध न हों।

– सार्वजनिक स्थल का मालिक, प्रोपराइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक अथवा मामला प्रभारी स्पष्ट और पर उस व्यक्ति का नाम अधिसूचित अथवा प्रदर्शित करेगा जिसे किसी उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है।

– यदि सार्वजनिक स्थल का मालिक, प्रोपराइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक अथवा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे उल्लंघन की सूचना पर कार्रवाई करने में असफल रहता है तो स्वामी, प्रोपराइटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को व्यष्टिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माने का भुगतान करना होगा।

[हिन्दी]

स्टाम्प शुल्क पर राजस्व की हानि

675. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कोयला कंपनियों के साथ किसी प्रकार का अनुबंध न होने के कारण पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क के कारण राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कोयलाधारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 को निरस्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष बागड़ोदिया) : (क) से (घ) कोयलाधारी क्षेत्रों (अधिग्रहण तथा विकास अधिनियम, 1957 (सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957) के अधीन भूमि का अधिग्रहण उक्त अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन करके किया जाता है। पंजीकरण तथा स्टाम्प शुल्क के कारण राज्यों को राजस्व की किसी हानि का प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकारें कोयले को हटाने अथवा कोयला कंपनियों द्वारा कोयले के खपत पर रायल्टी/निष्क्रिय किराए आदि के रूप में राजस्व अर्जित करती हैं। कोयला खनन के लिए भूमि मुख्यतः सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिगृहीत की जाती है और इस समय सरकार का उक्त अधिनियम को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व मद्य-निषेध दिवस

676. श्री एम. शिवन्ना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा में यह प्रस्ताव किया है कि महात्मा गांधी जयंती 2 अक्तूबर को प्रतिवर्ष "विश्व मद्य निषेध दिवस" घोषित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्री, भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य सभा, 2008 में अपने संबोधन में प्रस्ताव किया था कि शराब से परहेज के एक प्रबलतम प्रचारक और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी की जन्म वर्ष गांठ 2 अक्तूबर को विश्व मद्यपान निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाना चाहिए।

मारमुगावो पत्तन पर कोयला संभलाई के कारण प्रदूषण

677. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारमुगावो पत्तन पर कोयला संभलाई के कारण धूल संबंधी प्रदूषण होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले के ढेर से होने वाले धूल संबंधी प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) घाट संख्या 11 पर, जहां अर्द्धयांत्रिकरण सुविधा के साथ पारंपरिक उपस्करों का प्रयोग किया जाता है, कोयले की संभलाई करते समय तेज तूफानी हवाएं चलने पर धूल उड़ने की घटनाएं होती रही हैं।

(ग) गोवा राज्य प्रदूषण बोर्ड के परामर्श से प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपाय किए गए हैं, जैसे कि, काम के दौरान उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना, कोयले/कोक के ढेरों को ढकना, सड़कों पर झाड़ू लगवाना, ट्रकों आदि को उचित रूप से साफ करना और ढकना। गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से वास्को में स्थित हाई वॉल्यूम एंबियन्ट सैम्पलर स्टेशनों के द्वारा एंबियन्ट एयर क्वालिटी की मॉनीटरिंग करता है। इसके अलावा पत्तन प्रयोक्ताओं ने भी वायु की गुणता की मॉनीटरिंग के लिए तीन स्टेशन स्थापित किए हैं।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री का चीन दौरा

678. **श्री चंद्रमणि त्रिपाठी :**
श्रीमती करूणा शुक्ला :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्री ने हाल ही में चीन का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हुई चर्चा और किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेश मंत्री नें 4 से 7 जून, 2008 तक चीन जनवादी गणराज्य की राजकीय यात्रा की। उन्होंने चीन के उप राष्ट्रपति मि. जी. जिनपींग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत–चीन संबंधों की महत्ता और 21वीं सदी के विश्व में दोनों देशों की भूमिका पर सकारात्मक विचार–विमर्श किया।

अपनी बातचीत में विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री श्री यांग जिइची ने प्रधान मंत्री की जनवरी, 2008 में की गयी चीन की यात्रा के दौरान हुए समझौते की समीक्षा की और साथ ही और अधिक विश्वास एवं समझ को ठोस रूप में बढ़ावा देने पर विचार–विमर्श किया। यह परस्पर सहमति हुई कि एनपीसी के अध्यक्ष वु बांगुओं की भारत की यात्रा और राष्ट्रपति जी की चीन की यात्रा सहित भविष्य में होने वाले उच्च स्तरीय दौरे द्विपक्षीय संपर्कों की सकरात्मक संपुष्टि होगी। यह सहमति हुई कि चीन के दिदेश मंत्री वर्ष 2008 में भारत की यात्रा पर आएंगे (यह यात्रा 8 सितंबर, 2008 को हुई)। व्यापार घाटे के मामले को चीनी पक्ष के साथ उठाया गया। चीन के विदेश मंत्री ने इस चिंता का समाधान करने की इच्छा व्यक्त की और यह भी कहा कि चीन एक निगमित क्रय मिशन भेजेगा (जो कि अब अक्तूबर, 2008 में भारत की यात्रा पर आया है)। दोनों पक्षों ने भारत–चीन क्षेत्रीय व्यापार करार को अंतिम रूप देने के संबंध में भावी उपायों पर चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि इस पर दोनों के वाणिज्य मंत्रियों द्वारा विचार–विमर्श किया जाएगा। दोनों मंत्रियों ने भारत–चीन सीमा प्रश्न पर विचार–विमर्श किया और यह सहमति जताई कि विशेष प्रतिनिधियों को एक निष्पक्ष, विवेकसंगत और परस्पर स्वीकार्य हल ढूंढने के लिए अपने विचार–विमर्श जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वे जब तक कि सीमा प्रश्न का अंतिम रूप से समाधान नहीं कर लिया जाता सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की महत्ता कि पुष्टि की। वे दिसंबर, 2008 में भारत में द्वितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास और द्वितीय रक्षा वार्ता आयोजित करने पर सहमत हुए। जल संसाधन, ऊर्जा, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के क्षेत्रों में कार्यात्मक सहयोग पर विचार–विमर्श किया गया। दोनों मंत्रियों ने एक–दूसरे देश की संस्कृति के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में चीन में "भारत महोत्सव" और भारत में "चीन महोत्सव" आयोजित करने के निर्णय का भी स्वागत किया। चीनी पक्ष ने कहा कि वे "सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संघ में वृहत्तर भूमिका अदा करने की भारत की आकांक्षा को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं"। दोनों पक्ष क्षेत्रीय प्रक्रियाओं में एक दूसरे की भागीदारी को सकारात्मक रूप से

देखने, क्षेत्रीय तंत्रों के अंतर्गत समन्वय और परामर्शतंत्र को मजबूत बनाने और एशिया में गहन क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक–दूसरे और अन्य देशों के साथ मिलकर एक नए ताने बाने का पता लगाने पर सहमत हुए।

यात्रा के दौरान, चीन द्वारा भारत को बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी की जल विज्ञान संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं: विदेश मंत्री द्वारा ग्वांग्झु में भारत के नए प्रधान कॉंसलावास का औपचारिक रूप से उद्घाटन करना; "आज की भारतीय विदेश नीति" पर बीजिंग विश्वविद्यालय में विदेश मंत्री का संबोधन; भारत–चीन द्विपक्षीय संबंधों के स्मरणोत्सव मनाने के लिए भारतीय डाक विभाग और चीन के डाक विभाग द्वारा टिकटों का संयुक्त रूप से लोकार्पण करने के लिए आयोजित समारोह में विदेश मंत्री ने भाग लिया; और प्रो. जी. जियानलिन को पदम भूषण पुरस्कार देने के लिए आयोजित समारोह में भी उपस्थित हुए। विदेश मंत्री ने गुआनडोंग सीपीसी प्रांतीय समिति के पार्टी सचिव श्री वांग यांग के साथ भी ग्वांगझु में एक बैठक की।

राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

679. श्री हरिकेवल प्रसाद :
योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री टेक लाल महतो :
श्री अजीत जोगी :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई सड़कें जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सड़कवार और राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल के मानसून के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी राष्ट्रीय राजमार्गवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनके रख–रखाव के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन राजमार्गों की मरम्मत हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (छ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात घनत्व तथा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। बाढ़, वर्षा आदि के कारण कई राज्यों में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति हुई है। हाल के मानसून के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति के लिए किए गए मूल्यांकन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए है। बाढ़, वर्षा आदि के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के मरम्मत और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और वर्ष 2008–09 के दौरान उनकी मरम्मत और अनुरक्षण के लिए निर्धारित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार ये प्रस्ताव स्वीकृति के विभिन्न स्तरों पर हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के इन क्षतिग्रस्त खंडों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए मरम्मत हेतु आवश्यक अस्थायी उपाय प्रगति के विभिन्न स्तरों में है।

विवरण-I

हाल के मानसून के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति के लिए किए गए मूल्यांकन के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति की सीमा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221	गड्ढे, सतह को क्षति, सड़क का टूटना, तटबंध का कटाव और क्षय होना और मिट्टी के शोल्डर सीडी कार्यों और उनके पहुंचे मार्गों को क्षति आदि
2.	अरूणाचल प्रदेश	52, 52ए	गड्ढे, सड़क का टूटना, आदि

1	2	3	4
3.	असम	31, 31बी, 37, 38, 52, 53, 54	गड्ढे, धंसाव और मिट्टी के शोल्डर का टूटना, पुलियाओं को क्षति, सड़क का टूटना आदि
4.	बिहार	2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 31सी, 57सी, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110	सड़क का टूटना, गड्ढे, सड़क की परत को क्षति, सीडी कार्यों और उनके पहुंच मार्गों को क्षति, संरक्षण कार्य आदि
5.	चंडीगढ़	21	गड्ढे, सतह को क्षति
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 216, 217 और 221	गड्ढे, रारा–6, रारा–78 और रारा–200 पर कुछ पुलों के पहुंच मार्गों को क्षति, सतह को क्षति, आदि
7.	गोवा	4ए, 17, 17ए, 17बी	गड्ढे, मिट्टी के शोल्डर का टूटना, सड़क की सतह का टूटना, सतह को क्षति, भूस्खलन आदि।
8.	गुजरात	6, 8ए, 8सी, 8डी, 8ई 15, 59, 60, 113	गड्ढे, दरारें, मिट्टी के शोल्डर का टूटना, सड़क की सतह का टूटना, सतह को क्षति, सीडी कार्यों और पहुंच मार्गों को क्षति आदि
9	हरियाणा	10, 20, 21ए, 65, 71, 71ए, 71बी	बर्म कार्य क्रस्ट को क्षति, बड़े गड्ढे, आदि
10	हिमाचल प्रदेश	21, 21ए, 22, 70, 72, 73ए, 88	गड्ढे, क्षतिग्रस्त पेच्स, भूस्खलन, आदि
11	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1डी	सतह को क्षति, कटाव, रारा–1 डी पर पुलिया का बह जाना
12	झारखंड	6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99, 100	गड्ढे, मिट्टी के शोल्डर का टूटना, सड़क की सतह का टूटना, उपरि परत को क्षति, सीडी कार्यों और पहुंच मार्गों को क्षति, आदि
13	कर्नाटक	9, 13, 17, 63, 209, 212, 218	गड्ढे, सतह को क्षति, सड़क का टूटना, मिट्टी के शोल्डर का कटाव और टूटना, सीडी कार्यों और उनके पहुंच मार्गों को क्षति आदि
14.	केरल	17, 208	गड्ढे, सतह को क्षति, मिट्टी के शोल्डर का कटाव और टूटना, सीडी कार्यों को क्षति आदि
15	मणिपुर	39, 53, 150	गड्ढे, भूस्खलन, पुलियाओं और सीडी कार्यों के पहुंच मार्गों को क्षति, सड़क फारमेंशन में टूटन, आदि
16	मेघालय	40, 44, 51, 62	गड्ढे, भूस्खलन, पुलियाओं को क्षति, सड़क फारमेंशन में टूटन
17.	मिजोरम	44ए, 54, 150, 154	गड्ढे, भूस्खलन, पुलियाओं को क्षति, सड़क फारमेंशन में टूटन
18	महाराष्ट्र	3, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211, 222	गड्ढे, मिट्टी के शोल्डर का टूटना, पुलियाओं को क्षति, भूस्खलन, रारा–204 के डूबने के कारण चुनिंदा खंडों में क्षति, आदि

1	2	3	4
19	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86, 92	गड्ढे, शोल्डर को क्षति, सीडी कार्यों और उनके पहुंच मार्गों को क्षति, आदि
20	नागालैंड	39, 61, 155	धंसाव, गड्ढे, भूस्खलन, पुलियाओं को क्षति, सड़क फारमेंशन में टूटन
21	उड़ीसा	5, 6, 23, 42, 43, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 224	गड्ढे, धंसाव, सड़कों में दरारें, शोल्डर को क्षति सीडी कार्यों और उनके पहुंचमार्गों को क्षति आदि
22.	पंजाब	15, 20, 64ए, 70, 71	क्षतिग्रस्त पेच्स, गड्ढे, सुरक्षा दीवार को क्षति, गड्ढे आदि
23.	राजस्थान	8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 79, 89, 90, 112, 113, 114, 116	गड्ढे, बड़े गड्ढे, बर्म्स को क्षति, सुरक्षा दीवारों को क्षति, तटबंध कटाव, पुलों के पहुंचमार्गों की पटरियों को नुकसान आदि
24.	सिक्किम	31ए	धंसाव, दरारें, टो वॉल, सुरक्षा कार्यों और संरक्षण कार्यों को नुकसान, आदि,
25.	उत्तराखंड	29, 58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123, 125	गड्ढे, दरारें, सड़क की सतह को क्षति, बर्म्स की स्लाइड आदि
26.	उत्तर प्रदेश	7, 19, 24, 27, 28, 28सी, 29, 56, 76, 86, 91, 92, 93, 97	गड्ढे, क्षतिग्रस्त पेच्स, सतह को क्षति, दरारें, आदि
27.	पश्चिम बंगाल	6, 31, 31ए, 31सी, 32, 35, 55, 60, 60ए, 81, 117	गड्ढे, एलिगेटर दरारें, स्टाइपिंग, रेवलिंग, धंसाव, अनड्यूलेशन, सड़क का पानी में डूबना, सीडी कार्यों और पुलों के पहुंच मार्गों की क्षति, भूस्खलन, आदि

विवरण-II

वर्ष 2008–09 के दौरान बाढ़ और वर्षा आदि के कारण क्षतिग्रस्त इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, उन पर की गई कार्रवाई और उनके अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए निर्धारित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव		वर्ष 2008--09 के दौरान धनराशि का आबंटन (लाख रु.)
		रारा संख्या	अनुमानित लागत (लाख रु.)	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221	1259.5	75
2.	अरुणाचल प्रदेश	52ए	225	75
3.	असम	52	31	125
4.	बिहार	19	383.91	1050
5.	चंडीगढ़	21	75	0

1	2	3	4	5
6.	चंडीगढ़	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		50
7.	गोवा	4ए, 17	257	50
8.	गुजरात	6, 8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15, 59, 113	1230	50
9.	हरियाणा	10, 21,ए, 65, 71, 71ए, 71बी	781.71	75
10.	हिमाचल प्रदेश	21, 21ए, 22, 70, 72, 73ए, 88	5677	200
11.	झारखंड	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		200
12.	कर्नाटक	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		150
13.	केरल	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		175
14.	मणिपुर	39	174	50
15.	मेघालय	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		50
16.	मिजोरम	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		100
17.	महाराष्ट्र	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		350
18.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 27, 59, 59ए, 75, 86	1838	75
19.	नागालैंड	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		100
20.	उड़ीसा	5	572	922
21.	पंजाब	15, 20, 64ए, 70, 71	462	50
22.	राजस्थान	89	120	75
23.	तमिलनाडु	45ए, 49, 208, 210	1238	350
24.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 119, 121 123, 125	1767	50
25.	उत्तर प्रदेश	7, 19, 24, 27, 28सी, 29, 56, 76, 86, 91, 92, 93, 97	683	696
26.	पश्चिम बंगाल	अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है		225

चिकित्सा अवसंरचना का उन्नयन

680. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान चिकित्सा अवसंरचना का उन्नयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी. एच. सी.) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) में चिकित्सा अवसंरचना उन्नयन हेतु कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 145272 उप केन्द्रों, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक नेटवर्क के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकार द्वारा उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के जरिए प्रतिबिंबित की गई अपेक्षा के अनुसार मौजूदा उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन तथा नए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

एम्स का विस्तार

681. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में विद्यमान स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी अवसंरचना का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम्स में मरीजों की भीड़–भाड़ की तुलना में उपलब्ध बिस्तरों आवास की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्तमान उपलब्ध अवसंरचनात्मक स्थान कार्य के भार की तुलना में अपर्याप्त है। वर्तमान उपलब्ध स्थान 2332 बिस्तर है और रोगी भार (वर्ष 2007–08 के दौरान उपचारित अंतरंग+बहिरंग रोगी) 16,12,090 है।

विवरण

एम्स की योजना

1. ओ पी डी का विस्तार
2. वार्ड ब्लाक में ई विंग का निर्माण
3. मातृ एवं बाल स्वास्थ्य केन्द्र
4. सेंटर फार नेफ्रोलाजी/यूरोलाजी
5. डा. आर पी सी एक्स–रे विंग का शीर्ष विस्तार
6. बहुमंजिले जंतु गृह का निर्माण
7. किचन सर्विस ब्लाक एवं सर्विस ब्लाक का निर्माण
8. करीब 1500 वाहनों के लिए 95 स्तरीय पार्किंग
9. सेंटर पर गस्ट्रोइन्टरोलॉजी एवं जी आई सर्जरी
10. कंवेश हाल एवं लाइब्रेरी का निर्माण
11. पीसी एवं टीचिंग ब्लाक का निर्माण
12. प्रशासनिक ब्लाक/पुस्तकालय का निर्माण
13. गैराज/केन्द्रीय स्टोर के लिए यूटिलिटी ब्लाक
14. करीब 700 बिस्तरों के लिए होस्टल ब्लाक स्टूडेंट्स/रेजिडेंटस डाक्टर/नर्सिंग स्टूडेंट
15. पराचिकित्सा के लिए उन्नत केन्द्र

पश्चिमी अंसारी नगर कैम्पस बहु–मंजिले घरों वाला आवासीय स्थान होगा।

स्थिति – उपर्युक्त विशिष्ट भवनों के साथ अंसारी नगर कैम्पस एवं मस्जिद मोठ कैम्पस के मास्टर प्लान को तैयार करने का कार्य सी पी डब्ल्यू डी को फरवरी, 2008 में सौंपा गया था। तथापि, गैर–निष्पादन के कारण सितम्बर, 2008 में परियोजना एच एच सी सी को सौंप दी गई है।

अनुमानित व्यय

क्रम सं.	कार्य कलाप	कुल रु. करोड़ में
1.	मातृ एवं बाल केन्द्र	285.78
2.	पी सी ब्लाक का निर्माण	99.87
3.	शल्य चिकित्सा केन्द्र का निर्माण	99.54
4.	ए,बी एवं सी टाईप का निर्माण	120.37
5.	होस्टल का निर्माण	73.13
6.	सुदृढ़ीकरण	158.32
	कुल	833.21

16. क) राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र एम्स का प्रस्ताव इसकी मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का है।

ख) निजी वार्ड (नया) का निर्माण

ग) जे पी ए एन टी सी के लिए फर्शों/भवन और आगे विस्तार पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और अतिरिक्त स्टाफ के लिए एक कार्यसूची ईएफसी की हाल की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई। मेट्रो रक्त बैंक एवं बर्न एकक की स्थापना करने के लिए मंत्रालय से प्राप्त एक प्रस्ताव की भी योजना बनाई जा रही है।

घ) किशोर/किशोरियों एवं महिला रोगियों के लिए विशेष स्कंध का निर्माण।

ङ) 3 जिलों नामतः मंदसौर, मध्य प्रदेश, मोरेगांव, असम और मेरठ, उत्तर प्रदेश में जिला–आधारित नशा–मुक्ति सेवाएं एवं कार्यकलाप पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

खेलों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी

682. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेलों के क्षेत्रों में अभी तक क्या मुख्य कमजोरियां पायी गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में खेलों के समुचित विकास हेतु निजी क्षेत्र को खेलों के विकास और प्रबंधन में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) देश में खेलों के क्षेत्र में पायी गई मुख्य कमजोरियां – खेल अवसंरचना का असमान विकास तथा संगठित खेलकूद तक पहुंच का, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अभाव है।

(ख) और (ग) सरकार निजी क्षेत्र द्वारा खेलों के संवर्धन का स्वागत करती है और इसे प्रोत्साहित करती है। आधारभूत स्तर पर खेलों के संवर्धन के लिए, सरकार ने पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम और ब्लॉक पंचायतों में आधारभूत खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना तथा संगठित खेल प्रतियोगिता तक पहुंच प्रदान करना है। सरकार खेल अवसंरचना के संवर्धन के लिए प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराती है, तथा उन पंचायतों को कवरेज के लिए प्राथमिकता दी जाती है जो विभिन्न स्रोतों, जिनमें निजी अंशदान भी शामिल है, के माध्यम से अतिरिक्त निधियां जुटाने में सक्षम हैं।

इसी प्रकार, सरकार ने गैर–सरकारी स्रोतों, जिसमें निजी/निगमित क्षेत्र तथा अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, से संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्थापित की है जिससे देश में खेल–कूद का संवर्धन हो सके। इस निधि में अंशदान को प्रोत्साहित करने के लिए सभी अंशदानों पर आयकर में 100% छूट प्राप्त है। राष्ट्रीय खेल विकास निधि में उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल मुख्यतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए किया जाता है। वर्ष 2007–2008 के दौरान, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1.00 करोड़ रु. का अंशदान किया था। बीसीसीआई ने खेलों के संवर्धन और विकास के लिए 25.00 करोड़ रु. देने की प्रतिज्ञा की थी जिसमें से उसने 15.00 करोड़ रु. का अंशदान किया है।

प्रतिपूरक वनरोपण कोष (सीएएफ)

683. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से प्रतिपूरक वनरोपण कोष (सी.ए.एफ.) में राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित राशि का उपयोग करने के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु एक कार्ययोजना तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों ने वर्ष 2007–08 के दौरान सीएएफ में प्रेषित की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों द्वारा इस कोष में प्रेषित राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास राशि के उपयोग हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (काम्पा) के गठन के संबंध में दिनांक 23 अप्रैल, 2004 को जारी आदेश संख्या का. आ. 525 (अ) में एसी कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रावधान है।

(ख) उन राज्यों की सूची जिन्होंने वर्ष 2007–08 के दौरान धन के उपयोग के लिए प्रतिपूरक वनरोपण कोष (सी ए एफ) को कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं, संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा तदर्थ प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (काम्पा) को प्रेषित की गई राशि को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किए गए 22 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं, क्योंकि तदर्थ प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (काम्पा) को अभी तक धन जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है।

(ङ) प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (काम्पा) के प्रचालन सहित प्रतिपूरक वनरोपण कोष के सृजन के लिए "प्रतिपूरक वनरोपण कोष विधेयक, 2008" पारित किए जाने के परिणामस्वरूप राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चरणबद्ध रूप से धन जारी किया जाएगा।

विवरण-I

उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम, जिन्होंने वर्ष 2007–08 के दौरान तदर्थ प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (काम्पा) को प्रेषित की गई राशि के उपयोग के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की है

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2.	आंध्र प्रदेश
3.	अरूणाचल प्रदेश
4.	असम
5.	चण्डीगढ़
6.	छत्तीसगढ़
7.	दादरा एवं नागर हवेली
8.	गोवा
9.	गुजरात
10.	हिमाचल प्रदेश
11.	कर्नाटक
12.	मध्य प्रदेश
13.	महाराष्ट्र
14.	मेघालय
15.	उड़ीसा
16.	पंजाब
17.	राजस्थान
18.	सिक्किम
19.	तमिलनाडु
20.	उत्तर प्रदेश
21.	उत्तराखंड
22.	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (काम्पा) को प्रेषित की गई राशि

30.09.2008 तक

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	109,297,921.00
2.	आंध्र प्रदेश	7,447,821,682.48
3.	अरूणाचल प्रदेश	1,467,579,907.74
4.	असम	320,285,065.00
5.	बिहार	628,963,533.00
6.	चण्डीगढ़	17,652,067.00
7.	छत्तीसगढ़	10,859,006,456.39
8.	दादरा एवं नगर हवेली	11,829,000.00
9.	दमन एवं दीव	–
10.	दिल्ली	1,124,655,387.00
11.	गोवा	1,062,176,638.40
12.	गुजरात	1,644,856,907.00
13.	हरियाणा	718,069,055.79
14.	हिमाचल प्रदेश	2,162,673,122.60
15.	जम्मू एवं कश्मीर	–
16.	झारखंड	8,006,847,672.28
17.	कर्नाटक	5,470,817,399.00
18.	केरल	171,370,863.58
19.	लक्षद्वीप	–
20.	मध्य प्रदेश	4,196,877,333.00
21.	महाराष्ट्र	5,940,541,169.50
22.	मणिपुर	74,568,219.00

1	2	3
23.	मिजोरम	–
24.	मेघालय	6,840,186.00
25.	नागालैण्ड	–
26.	उड़ीसा	9,714,787,273.00
27.	पांडिचेरी	–
28.	पंजाब	1,686,418,071.00
29.	राजस्थान	2,749,953,735.76
30.	सिक्किम	565,951,665.00
31.	तमिलनाडु	161,988,835.00
32.	त्रिपुरा	314,200,34.00
33.	उत्तर प्रदेश	4,233,335,272.46
34.	उत्तराखंड	6,785,060,307.65
35.	पश्चिम बंगाल	275,150,837.00

ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन

684. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुनील खां :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 2004 में यूनाइटेड नेशन्स फेमवर्क कन्वेंशन आन कलाइमेट चेंज को भेजे जाने वाले प्रारंभिक राष्ट्रीय पत्र तैयार करने की भारत की वचनबद्धता को पूरा करने के क्रम में मानवजनित मूल के 1994 के ग्रीनहाउस गैसों (जी एच जी) की एक इन्वेंटरी तैयार की थी। इस इन्वेंटरी में वर्ष 1994 में ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रियाओं, कृषि, भू उपयोग, भू उपयोग परिवर्तन और वानिकी और अपशिष्ट जैसे क्षेत्रों से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड के अनुमान पर सूचना दी गई है। भारत में जी एच जी का अनुमानित उत्सर्जन 1228 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड के समतुल्य था। कार्बन डाई–आक्साइड, मीथेन और नाइट्रस आक्साइड का उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का क्रमशः 65 प्रतिशत, 31 प्रतिशत और 4 प्रतिशत था।

(ग) सरकार, वर्ष 2000 के लिए यू एन एफ सी सी सी को भेजे जाने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रीय पत्र के तत्वाधान में उपरोक्त क्षेत्रों में जी एच जी की सूची तैयार करने में लगी हुई है, जिसे वर्ष 2011 में यूएनएफसीसीसी को भेजा जाना है।

[हिन्दी]

प्रतिरक्षण कार्यक्रम हेतु टीका

685. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री मो. ताहिर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में निमोनिया और ज्वर की रोकथाम हेतु नए टीकों को शामिल करने पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 26 जून, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रोगों से प्रतिवर्ष मरने वाले बच्चों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रति वर्ष कुल कितने बच्चों का टीकाकरण किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त टीकों को इस कार्यक्रम में कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार न्यूमोनिया एवं मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम करने के लिए रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में पेंटावैलेंट फार्मूलरी में एच आई बी वैक्सीन की शुरूआत करने पर विचार कर रही है। तथापि, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) अनुमान है कि भारत में प्रति वर्ष हीमोफिलस इनफ्लुऐंजा–बी (एच आई बी) द्वारा उत्पन्न न्यूमोनिया एवं मेनिनजाइटिस से 5 वर्ष से कम आयु के करीब 73,826 बच्चों की मौत हो जाती है।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोयला खानों के लिए भूमि का अधिग्रहण

686. श्री भाईलाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) ने खनन हेतु स्थानीय लोगों से जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.सी.एल. ने समझौते के अनुसार मुआवजा और अन्य लाभ दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) ने कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 (सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957) के अंतर्गत जिला–सोनभद्र में कोयला खानों के लिए स्थानीय लोगों से 1189 हेक्टेयर काश्तकारी भूमि अधिगृहीत की है।

(ग) से (ङ) मुआवजा और अन्य लाभ सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 में किए गए प्रावधानों तथा कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एंड आर) नीति के अनुसार प्रदान किए गए हैं। ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

अधिगृहीत काश्तकारी भूमि (हेक्टेयर)	दिया गया मुआवजा (लाख रु.)	दिए गए रोजगारों की संख्या	उन परिवारों की संख्या जिन्हें पुनर्वास स्थल पर प्लाट आबंटित किए गए	उन परिवारों की संख्या जिन्हें पुनर्वास स्थल पर प्लाट संख्या के बदले नकद भुगतान किया गया
1189	380.90	1029	997	11

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी

687. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा इसमें परमाणु विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु किन स्रोतों से परमाणु–ईंधन प्राप्त किया जाता है तथा प्रत्येक संयंत्र हेतु कितनी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति की गयी और परमाणु ऊर्जा उत्पादन की प्रति इकाई लागत कितनी है; और

(घ) परमाणु विद्युत उत्पादन में स्वदेशी रेडियोधर्मी पदार्थों की उपलब्धता की स्थिति और उनके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) वर्ष 2007–08 में, देश में कुल विद्युत उत्पादन 7,04,469 मिलियन यूनिट था जिसमें नाभिकीय विद्युत का हिस्सा लगभग 2.4% था।

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर 4120 मेगावाट–ई की मौजूदा परमाणु विद्युत क्षमता वर्ष 2011 तक बढ़कर 7280 मेगावाट–ई हो जाएगी। 11वीं योजनावधि के प्रस्तावों के अंतर्गत, 700 मेगावाट–ई क्षमता वाले आठ स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों और लगभग 1000 मेगावाट–ई और उससे अधिक क्षमता वाले दस आयातित साधारण पानी रिएक्टरों पर काम शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) परिचालनरत 4120 मेगावाट–ई क्षमता में, 320 मेगावाट–ई (तारापुर परमाणु बिजलीघर–यूनिट 1 तथा 2) में आयातित कम समृद्ध यूरेनियम (एलईयू) को ईंधन के रूप में काम

में लाया जाता है, जबकि शेष 3800 मेगावाट–ई की क्षमता के दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्युआर) में स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम को काम में लाया जाता है, जिसकी आपूर्ति यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा झारखंड स्थित उसकी खानों में से की जाती है। तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 के लिए कम समृद्ध यूरेनियम का आयात विभिन्न देशों में किया जाता है। वर्ष 2007–08 में परमाणु विद्युत का औसत शुल्क, जिसमें उत्पादन लागत, ईक्विटी पर लाभ आदि शामिल है, 2.28 रुपए प्रति किलोवाट घंटा था।

(घ) वर्तमान में, स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम के मामले में, मांग और आपूर्ति के बीच बेमेलता है, तथापि, यह स्थिति अस्थायी है और नई खानें खुल जाने के बाद इसके बेहतर होने की आशा है।

पासपोर्ट आवेदनों की बढ़ती संख्या

688. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पासपोर्ट जारी करने हेतु आवेदकों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों में क्षेत्रीय स्तरों पर अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हां, पासपोर्ट के लिए आवेदकों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(ख) संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार ने नैशनल इस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी), हैदराबाद को आई टी पहलुओं सहित पासपोर्ट जारी करने से संबंधित प्रणाली का समयबद्ध अध्ययन करने का कार्य सौपा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को समय पर पारदर्शी, और सुविधाजनक तथा विश्वसनीय तरीके से पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। सरकार ने एन आई एस जी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप "पासपोर्ट सेवा परियोजना" शुरु की गई है।

देश भर में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, जहां पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच, शुल्क की प्राप्ति, दस्तावेजों की स्केनिंग तथा फोटो लेने इत्यादि जैसे अशासकीय कार्य एक खुली बोली प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चयनित सेवा प्रदाता द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। दस्तावेजों के सत्यापन, पासपोर्ट प्रदान करने के निर्णय, पासपोर्ट के मुद्रण व प्रेषण जैसे संवेदनशील कार्यकलाप सरकारी कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। आशा है कि परियोजना के परिणामस्वरूप 3 दिनों के भीतर तथा जिन मामलों में पूर्व पुलिस सत्यापन अपेक्षित है, पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के 3 दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे। यह परियोजना 2010 के शुरू होने तक पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिए जाने की आशा है।

विवरण

पासपोर्ट आवेदनपत्रों की प्राप्ति का ब्यौरा

क्र. सं.	पासपोर्ट कार्यालय	राज्य/संघ का नाम	जनवरी–सितम्बर, 2007 में प्राप्त हुए आवेदन	जनवरी–सितम्बर, 2008 में प्राप्त हुए आवेदन
1	2	3	4	5
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	297623	287682
2.	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	59246	59645
3.	गुवाहाटी	आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश	18902	24051
4.	पटना	बिहार	107531	152884
5.	चंडीगढ़	पंजाब (15 जिले), हरियाणा (12 जिले) और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	216910	227080
6.	रायपुर*	छत्तीसगढ़	0	16006
7.	दिल्ली	दिल्ली और हरियाणा (8 जिले)	198230	212756
8.	पणजी	गोवा	22,051	23772
9.	अहमदाबाद	गुजरात	216003	216009
10.	सूरत	गुजरात	71,989	69059
11.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	8,231	19314
12.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	14145	10865
13.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	6986	8886

1	2	3	4	5
14.	रांची	झारखंड	23575	32260
15.	बैंगलूर	कर्नाटक	206191	225279
16.	त्रिरुवनंतपुरम्	केरल	113627	124691
17.	कोचीन	केरल	162186	170116
18.	कोझिकोड़े	केरल	113264	144872
19.	मालापुरम्	केरल	103546	117035
20.	भोपाल	मध्य प्रदेश	62401	55039
21.	मुंबई	महाराष्ट्र	228693	237506
22.	थाणे	महाराष्ट्र	107591	116699
23.	पुणे	महाराष्ट्र	83426	92788
24.	नागपुर	महाराष्ट्र	37601	42092
25.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	29090	35472
26.	जालंधर	पंजाब	170839	155924
27.	अमृतसर*	पंजाब	0	27634
28.	जयपुर	राजस्थान	121012	136865
29.	चेन्नै	तमिलनाडु और पांडिचेरी	230587	213156
30.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	196361	103709
31.	मदुरै*	तमिलनाडु	0	113217
32.	कोयम्बटूर*	तमिलनाडु	0	2051
33.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	201803	247081
34.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	62189	72247
35.	बरेली	उत्तर प्रदेश	52682	59367
36.	देहरादून*	उत्तरांचल	0	12078
37.	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम	117080	136748
		कुल	3,660,591	4,001,935

प्रतिशत वृद्धि 9.32%

* ये पासपोर्ट कार्यालय 09/2008 के बाद खोले गए थे।

[अनुवाद]

यूथ हॉस्टल योजना

689. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूथ हॉस्टल योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी–निजी–भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से देश में और अधिक यूथ हॉस्टलों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) और (ख) जी हां। यूथ हॉस्टल पर केन्द्रीय नीति समिति ने यूथ हॉस्टल योजना की समीक्षा की है और लिये गये मुख्य निर्णय निम्नानुसार हैं :–

(1) भूमि की उपलब्धता और उपयुक्तता तथा यूथ हॉस्टल की प्रभावी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, जगह का चयन किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा जगह के उपयुक्त आकार पर निर्णय लिया जा सकता है, तथ्य पर विचार करते हुए जगह की स्थिति कार्यरत शहरी क्षेत्र के अंदर किये जाने की आवश्यकता है जिसे युवाओं द्वारा आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। स्थल की व्यवहार्यता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, सिफारिश की गई जगह पर भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से विचार और निर्णय लिया जाएगा।

(2) यूथ हॉस्टल के निर्माण के लिए, निष्पादक एजेंसी भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा और निम्न में से किया जा सकता है :

(क) के.लो.नि.वि.

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो सिविल निर्माण कार्य कर रहा हो।

(ग) राज्य सरकार लो. नि. वि., और

(घ) राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा राज्य सरकार की सिविल निर्माण एजेंसी।

(3) नये हॉस्टल की योजना बनाते समय, प्रचलित संदर्भ में युवाओं की आवश्यकता और अपेक्षाओं को सुसंगत किया जाए।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आईएईए के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षोपाय समझौता

690. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–विशिष्ट सुरक्षोपाय और शर्तों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और भारत सरकार के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस समझौते के माध्यम से आईएईए को भारतीय परमाणु रिएक्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के हित एवं संप्रभुता की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हुए मसौदा करार, जिसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 1.8.2008 को अनुमोदित किया था, के अंतर्गत असैन्य नाभिकीय सुविधाओं पर सुरक्षोपाय लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) करार की शर्तों के अनुसार, भारत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच सहकार, विधान के उद्देश्यों हेतु पूर्ण सम्मान के साथ और भारत के संप्रभुता अधिकारों को यथोचित रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

एच आई वी/एड्स को नियंत्रित करने हेतु उपाय

691. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

श्री शिशुपाल एन. पटले :

श्री मो. ताहिर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एच आई वी/एड्स मामलों को फैलने से रोकने हेतु उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान एड्स के मामलों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) एच आई वी/एड्स के फैलाव को रोकने के इरादे से भारत सरकार 100% केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर अमल कर रही है ताकि निवारण, परिचर्या, सहयोग एवं उपचार के कार्यक्रमों को समेकित करते हुए अगले पांच वर्षों में देश के अंदर इस महामारी को रोकने और मिटाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस कार्यक्रम में चौमुखी रणनीति अपनाई जाती है–

1. अधिक जोखिम वाले समूहों और आम जनता में नए संक्रमणों का निवारण।
2. पी एल एच ए के अधिकांश लोगों को बड़ी परिचर्या, सहायता और उपचार प्रदान करना।
3. निवारण, परिचर्या, सहायता और उपचार कार्यक्रमों में अवसंरचना, तंत्रों और मानव संसाधनों को जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर सुदृढ़ करना।
4. राष्ट्रव्यापी कार्यनीतिक सूचना प्रबंध तंत्र को सुदृढ़ करना।

इन्हें बीच–बीच में होने वाले संक्रमणों के उपचार, एंटीरिट्रोवायरल औषधों और एच आई वी उपचार विधियों को मुख्य धारा में लाने समेत अधिक जोखिम वाले समूहों में लक्षित उपचार विधान बढ़ाते हुए, विकसित जागरूकता के लिए व्यवहार परिवर्तन संदेश, विस्तारण, परामर्श और परीक्षण सेवाएं, रक्त सुरक्षा, सहायता और एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के उपचार से प्राप्त किया जाता है।

(ग) वार्षिक एच आई वी प्रहरी निगरानी के परिणामों के आधार पर देश में वयस्क एच आई वी व्याप्तता दर में 2004 में 0.41 प्रतिशत, 2005 में 0.39 प्रतिशत, 2006 में 0.36 प्रतिशत से 2007 में 0.34 प्रतिशत तक स्थायी प्रवृत्ति दर्ज की गई है। व्यावहारिक निगरानी सर्वेक्षण 2001 तथा 2006 में कराया गया और इससे एच आई वी/एड्स के जागरूकता स्तर में 67.4 प्रतिशत से 80.4 प्रतिशत तक बढ़त देखी गई है एवं आम जनता में कंडोम का उपयोग 40.1 प्रतिशत से 58.3 प्रतिशत तक वाणिज्यिक रतिक्रिया में भी बढ़ गया है।

(घ) और (ङ) देश में परिचर्या एवं सहायता कार्यक्रम में विस्तार के कारण एड्स के अधिक मामले पता लगाए जाते हैं तथा

उन्हें ए आर टी पर वर्षों तक रखा जाता है। एड्स के ज्ञात मामले एवं ए आर टी पर रखे गए मामलों का ब्यौरा विगत तीन वर्ष में निम्नलिखित है:–

वर्ष	ए आर टी संबंधी एड्स रोगियों की संचयी संख्या
2005–06	29,746
2006–07	70,276
2007–08	1,41,163
2008(सितम्बर)	1,77,808

[अनुवाद]

कैंसर अस्पतालों की स्थापना

692. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की वजह से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस रोग के संबंध में अनुसंधान व इलाज हेतु और अधिक कैंसर अस्पताल स्थापित करने का है जो ग्रामीण लोगों के पहुंच के भीतर हों; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों की सही संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि इसे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। आई सी एम आर आधारित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार हर वर्ष भारत में कैंसर से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या करीब 4.4 लाख है।

(ग) और (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कैंसर की शीघ्र पहचान, निदान एवं उपचार की पर्याप्त सुविधाएं कैंसर के रोगियों को उपलब्ध कराई जाएं। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय ने कैंसर के उपचार में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है। राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी जाती है और सरकारी अस्पतालों में आंकोलाजी स्कंधों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. द्वारा आसपास के गांवों का विकास

693. श्री टेक लाल महतो : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा आसपास के गांवों के विकास हेतु आबंटित और इसमें से व्यय की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु और अधिक धन व्यय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष बागड़ोदिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आसपास के गांवों के विकास सहित सामुदायिक विकास कार्यक्रम शीर्ष के अंतर्गत आबंटित राशि तथा वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि और वर्ष 2008–09 के लिए आबंटित राशि के कंपनी–वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(आंकड़े लाख रुपए)

कंपनी	2005–06		2006–07		2007–08		2008–09
	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि (अंन.)	आबंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	220.00	107.36	200.00	125.98	200.00	387.68	240.00
भारत कोकिंग कोल लि.	200.00	128.33	230.00	156.44	240.00	185.79	252.00

1	2	3	4	5	6	7	8
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	260.46	203.73	445.58	291.91	500.00	348.96	725.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	375.00	335.52	432.00	374.97	439.07	351.46	435.12
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	800.73	957.75	930.00	746.39	885.00	734.66	937.91
महानदी कोलफील्ड्स लि.	907.00	379.47	820.00	395.89	800.00	980.21	880.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	272.45	183.27	512.00	235.78	520.00	441.33	*416.00
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	6.53	6.53	10.40	11.40	11.38	11.38	12.00
कुल	3032.17	2301.96	3479.48	2338.76	3595.45	3441.45	3898.03

*एनसीएल के संबंध में आबंटित राशि अक्तूबर, 2008 तक दर्शायी गई है।

(ख) और (ग) सी. आई. एल. की वास्तविक तथा परिधीय विकास हेतु एक सुपरिभाषित नीति हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास भी शामिल है। निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सहायक कंपनियां ऐसे कार्यक्रमों के लिए निधियों का आबंटन करती हैं तथा उन पर खर्च करती हैं।

खिलाड़ियों द्वारा पदकों की नीलामी

694. डा. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ी/पहलवान अपने पदक नीलाम करने पर मजबूर हो रहे हैं जैसा दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के हिन्दी दैनिक "द हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) से (ग) खिलाड़ियों को उपकरण व अन्य सुविधाएं दोनों ही दृष्टि से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के विषय पर सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए अलग-अलग खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को पेंशन देती है, जिसे हाल ही में दुगना कर दिया गया है तथा दयनीय परिस्थिति में जीवन-यापन कर रहे विगत खिलाड़ियों को पेंशन देती है जिसे चौगुना कर दिया गया है।

जहां तक खेल सुविधाओं को व्यापक करने का संबंध है, यह राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। तथापि, सरकार ने हाल ही में युवा क्रीडा और खेल अभियान (पी वाइ के के ए) नामक एक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की है जो आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश में गांवों तथा ब्लॉक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉक पंचायतों का चयन कर सकती हैं, जहां प्राथमिकता के आधार पर खेल सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता है, और अनुमोदन के लिए भारत सरकारं को उसकी सूचना दे सकती है। एकमुश्त मूल पूंजीगत सहायता के अलावा, सरकार खेल उपकरण प्राप्त करने, दैनिक मरम्मत व रखरखाव तथा स्पर्धाओं के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

इस मामले में, सरकार ने समुचित कार्रवाई करने के लिए उल्लिखित समाचार को नोट कर लिया है।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीयों की मौत

695. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री ई. दयाकर राव :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवासी भारतीयों द्वारा आत्महत्या/मौत के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को उनका शव भारत लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत से

बाहर अन्य देशों में मरने वाले लोगों के परिवारों पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक उनको कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बायालार रवि) : (क) से (ङ) विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों से संबंधित ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग - 213 का उन्नयन

696. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नए पुलों और बाइपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग – 213 के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. – 213 जिसकी लंबाई 126 किमी. है जो केवल केरल राज्य में ही है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–ivक कार्यक्रम के अंतर्गत इस संपूर्ण लंबाई का उन्नयन करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग को इस प्रावधान के साथ पेव्ड शोल्डर्स सहित प्रारंभ में दो लेन का बनाया जाएगा ताकि बाद में इसे डिजायन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण पद्धति के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी से चार लेन का बनाया जा सके। साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है। नए पुलों, बाइपासों आदि की आवश्यकता का उक्त रिपोर्ट तैयार किए जाने के दौरान मूल्यांकन किया जाना है। तथापि, मन्नारकड बाईपास के निर्माण के लिए साध्यता रिपोर्ट और प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट एक पृथक परामर्शदाता द्वारा पहले से ही तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

जयपुर के चारों तरफ बाइपास

697. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को राजस्थान राज्य सरकार की ओर से बाइपास के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन बाइपासों का निर्माण कार्य कब तक शुरु होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) जी हां। राजस्थान सरकार ने यह सूचना दी है कि राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर शहर के लिए रिंग रोड परियोजना पहले ही प्रारंभ कर दी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अंतर्गत जयपुर के रिंग रोड़/बाइपासों को अनुमोदित भी किया है। तथापि, राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजना प्रारंभ करने की इच्छुक नहीं है।

[अनुवाद]

'जैव संवर्धित डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हेतु अनिवार्य परीक्षण'

698. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने अपने मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत देश में बेचे जा रहे जैव संवर्धित डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का परीक्षण करना अनिवार्य बनाने हेतु आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डिब्बा बंद खाद्य का सुरक्षा आकलन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे सुरक्षा आकलन सार्वजनिक जांच के अध्यधीन होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्गेनिज्म और उनसे बने उत्पादों के वाणिज्यिक उपयोग से पूर्व पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित खतरनाक

सूक्ष्मजीव/आनुवंशिक अभियांत्रिक जीव अथवा कोशिका विनिर्माण उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण नियमावली 1989 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। जी ई ए सी अनुमोदन के लिए मामला दर मामला सिस्टम अपनाती है जिसके लिए उनको पर्यावरणीय और स्वास्थ्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए व्यापक नियमावली और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। अब तक, जीईएसी ने भारत में केवल बीटी कॉटन के पर्यावरणीय रिलीज को अनुमोदित किया है। जीईएसी को केवल जैव संवर्धित सोयाबीन तेल के वाणिज्यिक उपयोग के लिए आयात हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसे जुलाई, 2007 में स्वीकार कर लिया गया था। अब तक कोई अन्य अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक रूप से रिलीज्ड सभी जैव संवर्धित फसलों की विषाक्तता और एलर्जीपन आंकड़ा सहित जैव सुरक्षा अध्ययनों के परिणाम www.envfor.nic.in और www.egmoris.nic.in के पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। वाणिज्यिक रिलीज से पूर्व उनके स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों पर विचार किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

घटते कोयला भंडार

699. श्री प्रहलाद जोशी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला भण्डारों की घटती मात्रा के बारे में प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीट्यूट द्वारा एकीकृत कोयला संसाधन सूचना पद्धति (आईसीआरआईएस) विकसित की जा रही है जिसमें घटते भारतीय कोयला संसाधनों से संबंधित डाटा होगा तथा 2011–12 तक रिपोर्ट पूरी हो जाने की संभावना है।

विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

700. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर.डी.पी.) के अंतर्गत शुरू की गई/शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का राज्यवार और सड़क खंडवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु स्वीकृत निधियों और उनमें से उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या धोला और साडिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के लोहित चैनल पर पुल का निर्माण कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–37 का अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार का कार्य पूरा हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे पूरा करने हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण–क और चरण–ख में विभाजित है और चरण–क को कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है और चरण–ख को केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना चरण–क और चरण–ख के अंतर्गत सड़कों का ब्यौरा राज्यवार और खंडवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण–क के लिए सरकार ने 4,823 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें से 1319 करोड़ रुपए सितंबर, 2008 तक व्यय हो चुके हैं। चरण–क को मार्च, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पुल का निर्माण कार्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम में शामिल सड़कों की राज्यवार लंबाई

लंबाई किमी. में

राज्य	चरण 'क'			चरण 'ख'			चरण 'क'+'ख'		
	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय सड़कें	जोड़	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय सड़कें	जोड़	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय सड़कें	जोड़
अरूणाचल प्रदेश	57	212	269	335	2372	2707	392	2584	2976
असम	1174	0	1174	0	471	471	1174	471	1645
मणिपुर	39	108	147	92	58	150	131	166	297
मेघालय	176	0	176	179	223	402	355	223	578
मिजोरम	102	0	102	535	272	807	637	272	909
नागालैंड	81	8	89	706	511	1217	787	519	1306
सिक्किम	80	87	167	0	233	233	80	320	400
त्रिपुरा	330	0	330	110	336	446	440	336	776
कुल जोड़	2039	415	2454	1957	4476	6433	3996	4891	8887

नोट :
एसएआरडीपी–एनई का चरण 'क' निष्पादन हेतु अनुमोदित कर दिया गया है।
एसएआरडीपी–एनई का चरण 'ख' डीपीआर तैयार किए जाने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम में शामिल सड़कों की सूची

राज्यः अरूणाचल प्रदेश

चरण 'क'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1	2	3	4
1.	रारा–153 (स्टीलवेल रोड)	लेडो–पांसु पास खंड को 2 लेन का बनाना	32
2.	52ए	ईटानगर के लिए 4 लेन का सड़क संपर्क (असम/अरुणाचल प्रदेश सीमा से ईटानगर)	25
3.	राज्यीय सड़क	दुदुनघर के रास्ते लुमला से ताशीगांग तक सड़क का सुधार (भारत–भूटान सड़क)	36
4.	इंटर–बेसिन सड़क	तलिहा–टाटो सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	100
5.	इंटर–बेसिन सड़क	मिगिंग–बिले सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	76
	जोड़ (चरण 'क')		269

1	2	3	4
चरण 'ख'			
क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	स्वरूप/सड़क खंड	अनंतिम लंबाई (किमी)
1.	रारा–52	जोनई–सीतापानी खंड को दो लेन का बनाना	335
2.	भारत–म्यांमार सड़क	विजयनगर से मियाओ तक सुधार/दो लेन बनाना	157
3.	भारत–म्यांमार सड़क	मियाओ से जयरामपुर तक सड़क का सुधार/दो लेन बनाना	32
4.	भारत–म्यांमार सड़क	जयरामपुर (रारा–153) – लालपुल ब्रिज तक सुधार/दो लेन बनाना	9
5.	भारत–म्यांमार सड़क	लालपुल ब्रिज–मनमाओ सड़क तक सुधार/दो लेन बनाना	32
6.	भारत–म्यांमार सड़क	मनमाओ–चंगलांग सड़क तक सुधार/दो लेन का बनाना	44
7.	भारत–म्यांमार सड़क	चंगलांग से खितयांग सड़क तक सुधार/दो लेन का बनाना	35
8.	भारत–म्यांमार सड़क	खितयांग–संगकुहावी सड़क तक सुधार/दो लेन का बनाना	33
9.	भारत–म्यांमार सड़क	संगकुहावी–लाजु सड़क तक सुधार/दो लेन का बनाना	40
10.	भारत–म्यांमार सड़क	लाजु–वक्का सड़क तक सुधार/दो लेन का बनाना	75
11.	भारत–म्यांमार सड़क	वक्का–खानु सड़क तक सुधार/दो लेन बनाना	21
12.	भारत–म्यांमार सड़क	खानु–कोंसा सड़क तक सुधार/दो लेन बनाना	30
13.	भारत–म्यांमार सड़क	कोंसा–पंचाओ सड़क तक सुधार/दो लेन बनाना	29
14.	भारत–म्यांमार सड़क	पंचाओ–नगालैंड सीमा सड़क तक सुधार/दो लेन बनाना	25
15.	राज्यीय सड़क	यिंग्क्योंग से बिशिंग तक सुधार/दो लेन बनाना (पोर्गो वाया गेट्टे–पुगिंग–लिकोर–पालिंग–जिदो) सड़क	160
16.	–वही–	जिदो–सिंघा सड़क तक सुधार/दो लेन बनाना	94
17.	–वही–	पांगो–जोरगिंग सड़क तक सुधार/दो लेन बनाना	90
18.	–वही–	एको–डोम्पिंग सड़क के रास्ते सरकाम प्वाइंट–सिंगा तक सुधार/दो लेन बनाना	125
19.	–वही–	यूपिया–पप्पू सड़क को 2 लेन का बनाना	10
20.	–वही–	सेप्पा–नेचिपू सड़क को 2 लेन का बनाना	96
21.	–वही–	कोलोरियांग–जोरम सड़क को 2 लेन का बनाना	158
22.	–वही–	यिंग्क्योंग–पनगिन सड़क को 2 लेन का बनाना	86
23.	–वही–	अनिनी–मेका सड़क को 2 लेन का बनाना	235
24.	–वही–	हवाई–हवा कैंप सड़क को 2 लेन का बनाना	126
25.	–वही–	अलांग–बामे सड़क को 2 लेन का बनाना	31
26.	–वही–	तवंग–बालीपाड़ा सड़क को 2 लेन का बनाना	283
27.	–वही–	जिरो–पहुमाडा सड़क को 2 लेन का बनाना	106
28.	–वही–	लेकाबाली–डेपोरिजो सड़क को 2 लेन का बनाना	210
		जोड़ (चरण 'ख')	2707
		जोड़ (क+ख)	2976

राज्य असम

चरण 'क'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1	2	3	4
1.	रारा–36	दाबोका–दीमापुर खंड में पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाना	71
2.	रारा–37	नागांव–जोरहाट–डिब्रूगढ़ खंड को 4 लेन का बनाना	315
3.		डिब्रूगढ़–माकुम–रूपई खंड में पेव्ड शोल्डर सहित विद्यमान 2 लेन का सुधार	73
4.	रारा–38	माकुम–लेखापनी खंड में पेव्ड शोल्डर सहित विद्यमान 2 लेन का सुधार	56
5.	रारा–44	रातापेड़ा–चुरईबाड़ी खंड को 2 लेन का बनाना	29
6.	रारा–51	पैकन से असम/मेघालय सीमा खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	22
7.	रारा–52	उत्तरी लखीमपुर–जोनई और दीरक–रूपई खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	196
8.	रारा–53	बदरपुर से जिरीबाम तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	66
9.		दो लेन के सिलचर बाइपास का निर्माण	20
10.	रारा–54	सिलचर–लेलापुर खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	32
11.	रारा–61	विद्यमान दो लेन की जांजी सड़क से असम/नागालैंड सीमा खंड तक पेव्ड शोल्डर सहित	18
12.	रारा–152	पाठशाला–असम/भूटान सीमा खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	38
13.	रारा–153 (स्टीलवेल रोड)	लेखपानी–लेडो खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	24
14.	रारा–154	धालेश्वर–बैरावी खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	89
15.	रारा–37ए, 52 और 52ए	ईटानगर के लिए 4 लेन का सड़क संपर्क (सिलिघाट से असम/ अरूणाचल प्रदेश सीमा तक)	125
		जोड़ (चरण 'क')	1174

चरण 'ख'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1.	राज्यीय सड़क	गोलाघाट–रंगाजन सड़क को 2 लेन का बनाना	7
2.	–वही–	दिफू–मंजा सड़क को 2 लेन का बनाना	16
3.	–वही–	हाफलांग–जतिंगा सड़क को 2 लेन का बनाना	8
4.	–वही–	को 2 लेन का बनाना दुबरी–गौरीपुर सड़क	8.5
5.	–वही–	को 2 लेन का बनाना बसका–बामरा सड़क	25
6.	–वही–	मारीगांव–जागी सड़क को 2 लेन का बनाना	23
7.	–वही–	बारपेटा–हाउली सड़क को 2 लेन का बनाना	12
8.	–वही–	गोलपाड़ा–सोलमाड़ी सड़क को 2 लेन का बनाना	6.5
9.	–वही–	कोकड़ाझार–कारिगांव सड़क को 2 लेन का बनाना	18
10.	–वही–	असम में तवांग–बालीपाड़ा खंड को 2 लेन का बनाना	32

1	2	3	4
11.	–वही–	असम मे जिरो–पाहुमारा सड़क खंड को 2 लेन का बनाना	18
12.	–वही–	असम में लेखाबाली–डेपोरिजो सड़क खंड को 2 लेन का बनाना	12
13.	–वही–	हरंगाजो–तुरूक के रास्ते बराक घाटी (सिलचर) में गुवाहाटी सड़क के बीच वैकल्पिक मार्ग को दो लेन का बनाना	285
		जोड़ (चरण 'ख')	471
		जोड़ (क+ख)	1645

राज्य मणिपुर

चरण 'क'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1.	रारा–53	जिरिबाम–इम्फाल खंड को 2 लेन का बनाना (शेष खंड)	39
2.	राज्यीय सड़क	मारम–पारेन सड़क को 2 लेन का बनाना	108
		जोड़ (चरण 'क')	147

चरण 'ख'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	अनंतिम लंबाई किमी में
1.	रारा–150	उखरूल–येंगपांगपोकपी खंड को 2 लेन का बनाना	92
2.	राज्यीय सड़क	तामेंगलांग–खोनसांग सड़क को 2 लेन का बनाना	40
3.	–वही–	पल्लेल चंदेल सड़क को 2 लेन का बनाना	18
		जोड़ (चरण 'ख')	150
		जोड़ (क+ख)	297

राज्य : मेघालय

चरण 'क'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1.	रारा–40	जोरबाट–बाडापानी खंड का 4 का बनाना	62
2.	रारा–40 और 44	2 लेन के शिलांग बाइपास का निर्माण	50
3.	रारा–40 और 44	शिलांग शहर में विद्यमान दो लेन के बाडापानी–शिलांग खंड का सुधार	54
4.	रारा–44	दो लेन के जोवई बाइपास खंड का निर्माण	10
		जोड़ (चरण 'क')	176

चरण 'ख'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	अनंतिम लंबाई किमी में
1	2	3	4
1.	रारा–44ई	नोंगस्टोइन–शिलांग खंड को 2 लेन का बनाना	83
2.	रारा–62	असम/मेघालय सीमा से बागमारा तक 2 लेन बनाना	96

1	2	3	4
3.	राज्यीय सड़क	नॉगस्टाइन–रोंगजेंग–तुरा सड़क को 2 लेन का बनाना	201
4.	–वही–	विलियम नगर–नेंगखरा सड़क और अन्य सड़क को 2 लेन का बनाना (14 और 8 किमी. की संबंधित लंबाई के लिए दो तरफ से सड़क संपर्क)	22
		जोड़ (चरण 'क')	402
		जोड़ (क+ख)	578

राज्य : मिजोरम

चरण 'क'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1.	रारा–54	लेलापुर–आईजोल खंड को 2 लेन का बनाना	58
2.	रारा–154	बैराबी–कोलासिब खंड को 2 लेन का बनाना	44
		जोड़ (चरण 'क')	102

चरण 'ख'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	स्वरूप/सड़क खंड	अनंतिम लंबाई किमी
1.	रारा–44ए	किमी. 11.500 से 130 तक रारा–44ए को दो लेन का बनाना/पुनर्सरेखण	119
2.	रारा–54	आइजोल से तुइपांग तक रारा–54 को 2 लेन का बनाना	380
3.	रारा–54ए	लुंगलेई–थेरियट खंड को दो लेन का बनाना	9
4.	रारा–54 बी	जिरो प्वाइंट से सैहा तक दो लेन बनाना	27
5.	राज्यीय सड़क	को 2 लेन का बनाना लुंगलेई–दीमागिरी सड़क	92
6.	–वही–	चंपई–थाउ सड़क को 2 लेन का बनाना	30
7.	–वही–	चंपई–सेलिंग सड़क को 2 लेन का बनाना	150
		जोड़ (चरण 'ख')	807
		जोड़ (क+ख)	909

राज्य : नागालैंड

चरण 'क'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1.	रारा–39	दीमापुर–खंड और दीमापुर तथा कोहिमा बाइपासों को 4 लेन का बनाना	81
2.	राज्यीय सड़क	मारम–पारेन सड़क को 2 लेन का बनाना (नागालैंड खंड)	8
		जोड़ (चरण 'क')	89

चरण 'ख'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	स्वरूप/सड़क खंड	अनंतिम लंबाई किमी
1	2	3	4
1.	रारा–61	असम/नागालैंड सीमा से कोहिमा खंड को 2 लेन का बनाना	234
2.	रारा–150	कोहिमा से नागालैंड/मणिपुर सीमा तक दो लेन का बनाना	132

1	2	3	4
3.	रारा–155	मोकुकचुंग से जेसामी खंड को 2 लेन का बनाना	340
4.	राज्यीय सड़क	फुटसेरो–झमई सड़क को दो लेन का बनाना	18
5.	–वही–	अतिबंग से खेलमा तक दो लेन का बनाना	55
6.	–वही–	फेक–फुटसेरो सड़क को 2 लेन का बनाना	79
7.	–वही–	लोंगलेंग–चांगतोग्या सड़क को 2 लेन का बनाना	35
8.	–वही–	तामुल–मेरांगकांग सड़क को 2 लेन का बनाना	50
9.	–वही–	पारेन–कोहिमा सड़क को 2 लेन का बनाना	96
10.	–वही–	जुन्हेबोटो–चाकाबामा सड़क को 2 लेन का बनाना	128
11.	–वही–	मोन–तामुल सड़क को 2 लेन का बनाना	50
		जोड़ (चरण 'ख')	1217
		जोड़ (क+ख)	1306

राज्य : सिक्किम

चरण 'क'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1.	रारा–31 ए	सिवोक से गंगटोक तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना	80
2.	राज्यीय सड़क	2 लेन का गंगटोक बाइपास	22
3.	राज्यीय सड़क	गंगटोक बाइपास के छोर से नथुला तक सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप दो लेन का बनाना	65
		जोड़ (चरण 'क')	167

चरण 'ख'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	स्वरूप/सड़क खंड	अनंतिम लंबाई किमी
1.	राज्यीय सड़क	मेली से सिंगतम तक नया वैकल्पिक राजमार्ग	27
2.	–वही–	ग्यालशिंग–सिंगतम सड़क को 2 लेन का बनाना	80
3.	–वही–	तारकु–नामची सड़क को 2 लेन का बनाना	32
4.	–वही–	लेगशिप–जोरथांग सड़क को 2 लेन का बनाना	26
5.	–वही–	गंगटोक–मंगम सड़क को 2 लेन का बनाना	68
		(चरण 'ख')	233
		जोड़ (क+ख)	400

राज्य : त्रिपुरा

चरण 'क'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	खंड/कार्य का स्वरूप	लंबाई किमी में
1.	रारा–44	चुरईबाड़ी–अगरतला–सबरूम खंड को 4 लेन का बनाना	330
		जोड़ (चरण 'क')	330

चरण 'ख'

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	स्वरूप/सड़क खंड	अनंतिम लंबाई किमी में
1.	रारा–44ए	मानु से त्रिपुरा/मिजोरम सीमा तक रारा–44ए को 2 लेन बनाना/पुनर्संरेखण	110
2.	राज्यीय सड़क	कैलाशहर–कुमारघाट सड़क को 2 लेन का बनाना	26
3.	–वही–	कुकीताल से सबरूम तक सड़क का सुधार	310
		जोड़ (चरण 'ख')	446
		जोड़ (क+ख)	776

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलों को प्रोत्साहन

701. श्री एम. अप्पादुरई : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एस ए आई) के पास देश में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु अवसंरचनात्मक सुविधा में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस ए आई का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु तालुका/ब्लॉक स्तर पर खेल केन्द्र की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) जी हां।

(ख) अवसंरचना संबंधी सुविधाएं जैसे सिंथेटिक सतह, छात्रावास, आधुनिक फिटनेस केन्द्र तथा खेल विज्ञान केन्द्र आदि खिलाड़ियों को सुविधाओं के द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदान की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण के पास सभी तालुकों में खेल केन्द्रों को स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य 10 वर्षों की अवधि में देश के सभी ग्राम और ब्लाक पंचायतों में चरणबद्ध ढंग से मूलभूत खेल अवसंरचना प्रदान करता है।

[हिन्दी]

बच्चों में दृष्टिहीनता

702. श्री बापू हरी चौरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अत्यधिक संख्या में बच्चे दृष्टिहीनता के शिकार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारत में दृष्टिहीनों के विद्यालयों और अपवर्तक दोष के अध्ययनों से उपलब्ध सूचनानुसार अनुमान है कि 0–15 वर्ष के आयु–समूह में दृष्टिक विकास के कारण 3.5 लाख दृष्टिहीन बच्चे हैं। दृष्टिहीन बच्चों का यह समूह विगत लगभग पांच वर्ष से निरंतर बना हुआ है।

भारतीय बच्चों में दृष्टिहीनता के मुख्य कारण हैं:–

* विटामिन–ए की कमी
* खसरा
* नेत्र न्यूनेटोरम
* रेटिनोपैथी आफ प्री–मैद्‌यूरिटी
* मोतियाबिन्द
* ग्लूकोमा
* चोटें

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो केन्द्र प्रायोजित योजना है, बच्चों में दृष्टिहीनता नियंत्रण के निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

* मेडिकल कालेजों/क्षेत्रीय नेत्रविज्ञान संस्थानों में बाल चिकित्सा नेत्रविज्ञान एककों/गैर सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र में राज्य स्तरीय नेत्र अस्पताल की स्थापना करना।

* परिधीय क्षेत्रों में दृष्टिचिकित्सा केन्द्र स्थापित करना
* बच्चों में नेत्र परिचर्या के लिए डाक्टरों और पराचिकित्सकों का प्रशिक्षण
* विद्यालय में नेत्र जांच तथा गरीब बच्चों को चश्में देना
* नेत्र बैंक तथा नेत्रदान केन्द्रों को अनावर्ती तथा आवर्ती सहायता–अनुदान
* शैशवकालीन दृष्टिहीनता की बाबत जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण तथा सूचना, शिक्षा संचार की सामग्री तैयार करना
* कार्यक्रम का नियमित अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन

महानगरों में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

703. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति दयनीय है जैसा कि दिनांक 17 जून, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें महानगरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य धनराशि की उपलब्धता, यातायात की सघनता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जल संकट

704. श्री सुभाष महरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विगत कुछ वर्षों से गंभीर जल संकट से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल संकट वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान और पुनः 2006–07 से 2007–08 के दौरान जल संकट का सामना करना पड़ा। तथापि, चालू वर्ष के दौरान जल की लगभग 540 मिलियन क्यूबिक फीट की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले इस उद्यान को अजान बांध और चिकसाना नहर से लगभग 450–500 मिलियन क्यूबिक फीट जल प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए इससे पहले केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से 2 प्रस्ताव भेजे थे। पहला प्रस्ताव 100 करोड़ रुपये की वित्तीय आशय के साथ 2005 में भेजा गया था। इसमें यह परिकल्पना की गई थी कि इस उद्यान को नियमित आपूर्ति के जरिए चम्बल नदी से पानी को लाया जाए। इस प्रस्ताव को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए योजना आयोग को भेजा गया था।

राज्य सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव मार्च, 2008 में 61.23 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति में वृद्धि के लिए गोवर्धन नाले से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक बाढ़ के पानी को अपवर्तित करना शामिल था। इसके लिए भी योजना आयोग को सिफारिश की गई थी। इस संबंध में, योजना आयोग से एक विशेषज्ञ दल द्वारा अगस्त, 2008 में परियोजना की संभाव्यता के लिए भरतपुर स्थल का पहले ही दौरा किया जा चुका है।

(ङ) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जल की उपलब्धता क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा के होने पर निर्भर करती है। उद्यान में जल समस्या के निदान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) आपात स्थिति से निपटने के लिए उद्यान के भीतर 4 नए गहरे नलकूपों और 2 नए शैलों नलकूपों की खुदाई की गई है।

(ii) राज्य सरकार ने चिकसाना नहर परियोजना को पूरा कर लिया है जो आजान बांध के साथ लगभग 200 मिलियन क्यूबिक फीट बाढ़ का पानी मानसून अवधि के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को लाएगी।

(iii) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति संबंधी प्रावधान धौलपुर–भरतपुर चम्बल पेय जल परियोजना में किया गया है।

(iv) पर्यावरण और वन मंत्रालय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। चालू वित्त वर्ष (2008–09) के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारणयों के विकास के लिए सहायता" के तहत पहली किश्त के रूप में 28.00 लाख रुपये. की धनराशि जारी की गई है।

(v) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बेहतर प्रबंधन के लिए यूनेस्को वित्त पोषित परियोजना को शुरु किया गया है।

देश में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री

705. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में प्रतिबंधित अनेक दवाओं को भारत में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। औषधियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई वैश्विक प्रणाली नहीं है। एक देश में प्रतिबंधित औषधि का अन्य देशों में संबंधित सरकार द्वारा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर विपणन जारी रह सकता है। विशेषज्ञों से परामर्श करके औषधियों को बाजार प्राधिकार की अनुमति देने से पहले अथवा किसी औषधि का प्रयोग करने से होने वाली प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टों के मामले में देश में औषधियों की सुरक्षा एवम् प्रभावकारिता के मूल्यांकन की पद्धति मौजूद है।

(ग) 1. देश में विपणन किए गए और वर्तमान तकनीकी ज्ञान के संदर्भ में हानिकारक अथवा असंगत समझे जाने वाले औषध फार्मूलेशनों की जांच 80 के दशक के शुरू में आरंभ की गई थी और केन्द्र सरकार को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत अधिसूचना के जरिए हानिकारक एवं असंगत समझी जाने वाली औषधों के विनिर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया था।

2. वे औषधियां जिनके लिए हानिकारक प्रभावों की सूचना मिली हो अथवा जिनके लिए मौजूदा चिकित्सीय साक्ष्य के संदर्भ में चिकित्सीय औचित्य को अपर्याप्त समझा गया हो उनकी सतत् आधार पर औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीएटीबी) के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा जाच की जाती है।

3. अभी तक, औषधियों/औषध फार्मूलेशनों की 78 श्रेणियों का देश में विपणन करने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

'सार्क' देशों के लिए टेली-मेडिसिन सुविधा

706. श्री पंकज चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'सार्क' देशों को टेलि–मेडिसिन सुविधाएं मुहैया कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं। सार्क देशों को टेलि–मेडिसिन सुविधा मुहैया कराने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

ट्रांस-हिमालयन प्राधिकरण का गठन

707. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पर्वतीय राज्यों के पर्यावरणीय एवं कृषि जलवायु मुद्दों के समाधान के लिए एक ट्रांस–हिमालयन प्राधिकरण का गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) पर उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथापि, पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए ट्रांस–हिमालयन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक स्वायत्त

संस्थान गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा स्थित मुख्यालय उत्तराखंड में तथा हिमालय में चार क्षेत्रीय इकाइयों सहित ग्लेशियरों एवं ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान एवं अध्ययन में लगा हुआ है। सीबकथोर्न कल्टिवेशन, एक ऐसी प्रजाति जिसका संवर्धन ट्रांस हिमालयन के ठंडे मरूस्थल/ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है, को उन्नत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर एव हिमाचल प्रदेश के राज्यों को कवर करते हुए एक ठंडा मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व अधिनामित करने के लिए एक संभावित स्थल पर विचार किया जा रहा है।

चिकित्सा व्यवसाय के प्रति अनिच्छा

708. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान के कई छात्र भारी लागत तथ पाठ्यक्रम की लंबी अवधि के कारण चिकित्सा व्यवसाय अपनाने के प्रति अनिच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो विज्ञान के छात्रों को चिकित्सा व्यवसाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास यह दर्शाने वाले कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि विज्ञान धारा के छात्रों का पाठयक्रम की भारी लागत और लंबी अवधि के कारण चिकित्सा व्यवसाय की ओर झुकाव नहीं है।

एवियन फ्लू की रोकथाम

709. श्री विजय कृष्ण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एवियन फ्लू की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) देश में इस रोग के और विस्तार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) एवियन एनफ्लूएंजा की पिछली घटना पश्चिम बंगाल में 16 मई, 2008 को अधिसूचित की गई थी जिसके बाद इस रोग का और कोई प्रकोप नहीं हुआ है। एवियन इनफ्लूएंजा का कोई मानव मामला नहीं हुआ है।

(ख) सरकार के पास स्वास्थ्य और पशुपालन क्षेत्र दोनों के लिए तैयारी, नियंत्रण और संरोधन के लिए कार्य योजना है जिसे उपर्युक्त प्रकोप के दौरान क्रियान्वित किया गया था।

[हिन्दी]

पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

710. श्री अजीत जोगी : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान राज्य–वार कितने पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देश में विभिन्न नदियों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का राज्य–वार ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से 238 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान निर्माण किए जाने के लिए क्रमशः 43 और 55 पुलों का प्रस्ताव किया गया था। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न नदियों पर पुलों के निर्माण के अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं। तथापि, प्रस्तावों को मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन, धनराशि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	राज्य सरकारों से प्राप्त कुल प्रस्तावों की संख्या				
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (30.9.2008 को)	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1	6	5	2	14
2	असम	0	1	0	1	2
3	बिहार	12	7	16	1	36
4	चंडीगढ़	0	1	0	0	1
5	छत्तीसगढ़	6	1	6	4	17
6	गुजरात	5	1	8	1	15
7	हरियाणा	1	5	3	0	9
8	हिमाचल प्रदेश	1	10	1	2	14
9	झारखंड	0	1	2	2	5
10	कर्नाटक	9	14	11	4	38
11	केरल	1	1	1	1	4
12	मध्य प्रदेश	0	2	0	11	13
13	महाराष्ट्र	0	2	2	4	8
14	मेघालय	0	3	1	2	6
15	मिजोरम	2	0	0	2	4
16	उड़ीसा	1	5	0	0	6
17	पुडुचेरी	1	0	0	0	1
18	पंजाब	1	1	1	0	3
19	राजस्थान	0	1	1	4	6
20	तमिलनाडु	1	6	6	2	15
21	उत्तर प्रदेश	0	0	1	5	6
22	उत्तराखंड	7	0	2	1	10
23.	पश्चिम बंगाल	0	3	2	0	5
	जोड़	49	71	69	49	238

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित पुलों की संख्या		
		2007–08	2008–09	कुल
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	0	6	6
2	असम	0	1	1
3	बिहार	11	3	14
4	छत्तीसगढ़	2	3	5
5	गुजरात	1	6	7
6	हरियाणा	2	3	5
7	हिमाचल प्रदेश	0	6	6
8	झारखंड	0	1	1
9.	कर्नाटक	21	6	27
10.	केरल	2	0	2
11.	मध्य प्रदेश	0	1	1
12.	महाराष्ट्र	0	1	1
13.	उड़ीसा	2	3	5
14.	पुडुचेरी	0	1	1
15.	पंजाब	1	2	3
16.	राजस्थान	0	2	2
17.	तमिलनाडु	1	3	4
18.	उत्तर प्रदेश	0	1	1
19.	उत्तराखंड	0	2	2
20.	पश्चिम बंगाल	0	4	4
	जोड़	43	55	98

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदन के लिए लंबित कुल प्रस्तावों की संख्या (30.9.2008 को)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	1
2	असम	1
3	छत्तीसगढ़	4

1	2	3
4	गुजरात	2
5	हिमाचल प्रदेश	2
6	झारखंड	1
7	कर्नाटक	11
8	केरल	1
9	मध्य प्रदेश	9
10	महाराष्ट्र	4
11	मेघालय	2
12	मिजोरम	2
13	उड़ीसा	2
14	राजस्थान	4
15	तमिलनाडु	2
16	उत्तर प्रदेश	4
17.	उत्तराखंड	9
	जोड़	61

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र

711. श्री एन.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों पर कितने प्रवासी भारतीयों ने सहायता का लाभ उठाया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र भारत में प्रवासी भारतीय निवेश का संवर्धन करने और भारतीय व्यावसायिकों तथा प्रवासी भारतीय व्यावसायिकों के बीच व्यापार–दर–व्यापार साझेदारियों को कारगर बनाने के लिए एकल द्वार के रूप में कार्य करता है।

प्रवासी भारतीय कामगारों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय कामगारों और जो रोजगार के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, को परामर्शी सहायता देने के लिए एक प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र भी स्थापित किया है। इस केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

– उत्प्रवास से संबंधित मामलों पर जानकारी का आदान–प्रदान।

– उत्प्रवासी कामगारों से प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण, प्रति उत्तर और शिकायतों की निगरानी।

– शिकायतों का निवारण और दावा धारकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।

प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र उत्प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक निःशुल्क टेलिफोन नम्बर 1800 11 3090 के साथ कार्य करता है जिस पर भारत में किसी भी स्थान से सम्पर्क किया जा सकता है। यह हेल्प लाइन इस सयम सात भाषाओं अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़ और तेलगु में सप्ताह के सातों दिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली है। हेल्प लाइन को अभी तक कुल 4616 प्राप्त हुई हैं जिनमें 43 काल प्रवासी भारतीयों की हैं।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

712. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के गरीब लोगों को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को कितनी निधियां आबंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) सरकार देश के गरीब लोगों के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त नहीं कर रही है। तथापि, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त की जा रही हैं, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ध्वजपोत कार्यक्रम है। इसमें सभी मातृ एवं बाल स्वास्थ्य क्रिया–कलाप, परिवार कल्याण क्रियाकलाप, सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण, 6 रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

समुद्री दुर्घटनाओं में हुई मौतें

713. श्री एल. राजगोपाल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में भारतीय सीमांतर्गत जलक्षेत्र में समुद्री दुर्घटनाओं में हुई मौतों तथा जलयानों की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार समुद्री आपात राहत निधि का सृजन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सभी पहलुओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 के दौरान भारतीय जलसीमा क्षेत्र में पोतों के नुकसान से संबंधित समुद्री मौतों का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) समुद्री मौतों की रोकथाम और आपातकालीन प्रत्युत्तर के लिए तत्काल उपाय करने के लिए जुलाई, 2007 में भारतीय तटीय जलसीमा में "समुद्री मौतों को कम करने के लिए अध्ययन करने एवं उपाय सुझाने के लिए एक समिति" का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण–II में दी गई हैं। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, समुद्री आपातकालीन निधि के सृजन के का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण-I

क्रम सं.	जलयान का नाम	घटना की तिथि	स्थान/क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
वर्ष 2005				
1.	फैज	03.06.2005	सैंड हैड्स, बंगाल की खाड़ी से रवाना	डूब गया
2.	डंब बार्ज राजगिरी	04.07.2005	मुंबई से रवाना	डूब गया
3.	समुद्र सुरक्षा	27.07.2005	मुंबई	डूब गया
4.	जे. केनेडी	03.08.2005	तूतीकोरिन पत्तन	डूब गया
5.	एम.वी.आई आई डी ए	29.08.2005	तूतीकोरिन	डूब गया
6.	एम वी एडना मारिया	09.11.2005	उत्तरी अंडमान	समुद्र तल में धंस गया
वर्ष 2006				
1.	एम एस वी मार्स	28.04.2006	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	डूब गया
2.	डी सी आई टग –VI	06.05.2006	तूतीकोरिन	डूब गया
3.	एम वी ओशन सेराया	30.05.2006	कारावार	समुद्र तल में धंस गया
4.	इस्तावेल 111	16.07.2006	लक्षद्वीप	समुद्र तल में धंस गया
5.	एम वी ऑयल वीजन	02.08.2006	बांबे	डूब गया
6.	टग से मरियम–2	11.08.2006	लिटल ऑयलैंड	समुद्र तल में धंस गया
7.	एम वी मॉक	17.08.2006	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	समुद्र तल में धंस गया
8.	सी पैंथर	03.12.2006	मुंबई	डूब गया

1	2	3	4	5
वर्ष 2007				
1.	मरियम ट्रांस	21.05.2007	पोरबंदर	डूब गया
2.	अकाश	04.06.2007	द्वारका	डूब गया
3.	एम वी जॉन रिचर्डसन	23.06.2007	मयानमार की ओर बह गया	डूब गया मान लिया गया
4.	एम वी डेन डेन	23.06.2007	नव मंगलूर पत्तन	डूब गया
5.	टन विन्यो	23.06.2007	कालीकट	डूब गया
6.	टोव्ड डंब बार्ज	23.06.2007	कालीकट	समुद्र तल में धंस गया
7.	टग कृष्णा–I	24.06.2007	मुंबई	डूब गया
8.	टग कृष्णा–II	24.06.2007	मुंबई	समुद्र तल में धंस गया
9.	बार्ज राधा I	24.06.2007	मुंबई	समुद्र तल में धंस गया
10.	बार्ज राधा IV	24.06.2007	मुंबई	समुद्र तल में धंस गया
11.	मारिया एस.	25.06.2007	कोच्चि	डूब गया
12.	शुजा 3,	25.06.2007	पोरबंदर	समुद्र तल में धंस गया
13.	एम वी सी ग्लोरी	26.06.2007	झकाऊ	समुद्र तल में धंस गया
14.	एम वी रोम्गा	30.06.2007	मूल द्वारका	समुद्र तल में धंस गया
15.	क्लिंकर कैरियर	04.07.2007	मुंबई	डूब गया
16.	समुद्रिका–10	09.07.2007	मुंबई	डूब गया
वर्ष 2008				
1.	अल मनारा	03.05.2008	पोरबंदर	समुद्र तल में धंस गया
2.	अल मुर्तजा	04.06.2008	रत्नागिरी	डूब गया
3.	होमी भाभा	18.09.2008	भावनगर	समुद्र तल में धंस गया

विवरण-II

समुद्री दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थिति को रोकने के लिए तुरंत उपाय किए जाने के बारे में समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

(क) तत्काल निवारक और पुनर्वास उपाय :

(i) भारतीय जलक्षेत्र और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में पुराने जलयानों पर प्रतिबंध।

(ii) नौवहन–महानिदेशालय और भारतीय पोत परिवहन पंजीयक द्वारा जलयानों का कड़ा निरीक्षण करना।

(iii) व्यापारिक जलयानों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए जलयान यातायात और सूचना प्रबंधन प्रणाली आरंभ करना।

(iv) आपत्ति में पड़े जलयानों के लिए एक "शरण स्थल" का प्रावधान करना।

(v) नौचालनात्मक सुरक्षा की संरक्षा के प्रयोजन के लिए राडार, रेडियो संचार प्रणाली और स्वचालित पहचान प्रणाली का इस्तेमाल करके जलयान यातायात सेवा के माध्यम से सुरक्षित पत्तन नौचालनात्मक जल मुहैया करवाना।

(vi) आपातकाल निधि तैयार करना।

(ख) आपातकालीन स्थिति में सहायता तंत्र :

(i) राष्ट्रीय स्तर पर नौवहन–महानिदेशालय और स्थानीय स्तर पर पत्तनों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी, आपातकालिक स्थिति में सहायता के लिए प्राधिकृत हों।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बचाव कंपनियों को भारत में कम से कम प्रत्येक पत्तन पर एक–एक कंपनी स्थापित किए जाने के लिए बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता।

(iii) तेल प्रदूषण समुत्थान और बचाव जलयानों तथा आपातकाल स्थिति में धकेलने वाले जलयानों की खरीद।

(iv) तट रक्षक/नौसेना दोहरे इंजन के हेलीकॉप्टर रखें और उन्हें मानसून के दौरान चौकन्ना रखें।

(ग) लघुकालिक उपाय

(i) तट रक्षक द्वारा चालित पोत सूचना प्रणाली नौवहन महानिदेशालय के सूचना केन्द्र जोड़ दिए जाने से दुर्घटनाओं के होने पर सूचना का आदान–प्रदान करना ताकि सभी समुद्रीय प्राधिकरण और पत्तन, जहां आवश्यक हो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं।

(ii) तट रक्षक, नौसेना, समुद्री पुलिस इत्यादि द्वारा तटीय निगरानी बढ़ाना।

(iii) संबंधित प्राधिकरणों को सुरक्षा और संरक्षा मानदंडों में किसी भी तरह की अनियमितता की पहले से ही चेतावनी देने में संक्षम बनाने, उसे रोकने और उचित उपाय करने में सक्षम बनाने के लिए लम्बी दूरी की पहचान सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करना।

(iv) भारतीय जलक्षेत्रों में विदेशी ध्वज से युक्त जलयानों के संचलन की अनिवार्य सूचना देना।

(v) पोत परिवहन में मौतों के अन्वेषण के लिए दुर्घटना आदि का कारण जानने हेतु दुर्घटना जांच–पड़ताल ब्यूरो की स्थापना।

(vi) आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कानून में उपयुक्त बदलाव करना।

जननी सुरक्षा योजना

714. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में जननी सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) इस योजना के अंतगत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप, जननी सुरक्षा योजना की शुरूआत 12 अप्रैल, 2005 को निर्धन गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन गुजरात राज्य सहित सभी राज्यों में किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां आरसीएच फलैक्सी पूल के भाग के रूप में जारी की जाती हैं। योजना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

2005–06 से 2007–08 तक के दौरान राज्यों द्वारा (गुजरात राज्य सहित) इस योजना से संबंधित सूचित लाभार्थियों की संख्या एवं व्यय निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	व्यय (रुपए करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2005-06	38.29	7,38,911
2006-07	258.22	31,58,317
2007-08	755.01	73,28,601
2008-09	173.68*	1126881*

* 30.6.2008 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध आंकड़े जो राज्यों से प्राप्त आगे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिवर्तन के अध्यधीन है।

विवरण

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है, की शुरूआत निर्धन गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 12 अप्रैल, 2005 को की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना है।

2. इस योजना में निर्धन गर्भवती महिलाओं पर बल दिया गया है जिसमें निम्न संस्थागत प्रसव वाले राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, राजस्थान और जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, इन राज्यों को निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि शेष राज्यों को उच्च निष्पादन करने वाले राज्यों के रूप में नामित किया

गया है। मातृ परिचर्या के अलावा, इस योजना में प्रसव परिचर्या हेतु सभी पात्र माताओं को नकद सहायता दी जाती है।

3. इस योजना में आशा, प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को 10 निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों अर्थात् 8–अधिकार सम्पन्न कार्यसमूह वाले राज्यों तथा असम एवं जम्मू कश्मीर और शेष पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार एवं निर्धन गर्भवती महिलाओं के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में अभिज्ञात किया गया है। उसकी मुख्य भूमिका गर्भवती महिलाओं को मातृत्व परिचर्या की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना एवं रेफरल परिवहन की व्यवस्था करना है।

4. नकद सहायता के लिए पात्रता;

निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों में	सभी महिलाएं जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की महिलाएं शामिल हैं जो उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम रेफरल एकक, जिला तथा राज्य अस्पतालों के सामान्य वार्डों अथवा प्रत्यायित निजी संस्थाओं में प्रसव कराती हैं।
उच्च निष्पादन करने वाले राज्यों में	गरीबी रेखा के नीचे वाली गर्भवती महिलाएं जिनकी आयु 19 वर्ष और उससे अधिक है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्थायी महिलाएं।

5. संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता (रुपए में) का मापदण्ड :

	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	मातृत्व पैकेज	आशा पैकेज	मातृत्व पैकेज	आशा पैकेज
निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों में	1400	600	1000	200
निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों में	700		600	

6. संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता की सीमाएं

निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों में	किस स्वास्थ्य केन्द्र–सरकारी अथवा प्रत्यायित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कराए गए सभी प्रसव
उच्च निष्पादन करने वाले राज्यों में	02 जीवित जन्मों तक

7. आशा पैकज सभी निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जन–जातीय राज्यों में उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं।

– गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र जाने के लिए रेफरल परिवहन हेतु नकद सहायता।

– आशा को उसके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में शेष राशि का भुगतान किया जाना है।

8. इस योजना में उन सरकारी संस्थाओं, जहां सरकारी विशेषज्ञ तैनात नहीं, में सीजेरियन सेक्शन की लागत अथवा प्रसूति संबंधी जटिलताओं के प्रबंधन के लिए प्रति प्रसव 1500/रु. तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

9. निम्न निष्पादन करने वाले राज्यों तथा उच्च निष्पादन करने वाले राज्यों में ऐसी सभी गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाएं, जिनकी आयु 19 वर्ष और अधिक है, जो घर पर प्रसव कराना पसंद करती हैं, दो जीवित जन्मों तक 500/–रुपए प्रति प्रसव की नकद सहायता की पात्र होंगी।

[हिन्दी]

मशीन उपकरणों की खरीद संबंधी जांच रिपोर्ट

715. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) के बल्लारपुर क्षेत्र में मशीन उपकरणों की खरीद में निविदों के गबन के संबंध में आदेशित/की गई जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस मामले में की गई जांच के निष्कर्षों के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से तथाकथित अनियमितताओं के लिए डब्ल्यू. सी. एल. के पांच अधिकारियों के विरुद्ध भारी दण्ड देने की कार्रवाइयां शुरु की गई हैं।

संदूषित पेय जल के कारण होने वाले रोग

716. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ज्यादातर रोग संदूषित पेयजल के कारण होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा पानी पीने के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बच्चों की मौतें होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां।

जल जनित रोग प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण के कारण होते हैं। जल जनित रोगों में हैजा, टायफायड, वायरल हेपेटाइटिस तथा गंभीर अतिसारीय रोग शामिल हैं।

(ख) से (घ) उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान जलजनित रोगों के मामले एवं उसके कारण होने वाली मौतें बच्चों समेत (2002 से 2007 तक) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। हालांकि, विवरण में दिए गए आंकड़े कोई निश्चित रुझान नहीं दर्शाते हैं।

(ङ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान जल जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में तकनीकी दिशा–निर्देश जारी करता है और उन्हें राज्यों में परिचालित करता है। इसके अलावा एनआईसीडी जन जनित रोगों के प्रकोप की जांच करता है और विभिन्न स्तरों पर जल गुणवत्ता अनुवीक्षण क्रियाकलापों का संचालन करता है।

विवरण

वर्ष 2002–2007 (समस्त भारत) के दौरान सूचित जल जनित रोगों के मामले एवं मौतें

क्र.सं.	रोग	2002		2003		2004		2005		2006		2007*	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1.	वायरल हेपेटाइटिस	135859	914	151287	1006	203939	1122	152087	651	152623	694	97827	480
2.	गंभीर आंत्रशोथ संबंधी रोग	9441456	3475	10510476	4709	9575112	2855	9046892	1647	10213917	3176	9478813	2328
3.	हैजा	3455	10	2893	2	4728	9	3155	6	1939	3	1939	3
4.	आंत्र ज्वर	488033	542	596684	839	658301	805	567638	389	789004	658	789004	393

*वर्ष 2007 के आंकड़े अनंतिम है।

स्रोत : सीवीएचआई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

[अनुवाद]

भारत-पाक संयुक्त आतंक-रोधी तंत्र

717. श्री नवीन जिन्दल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त आतंक–रोधी तंत्र को पुनः सक्रिय किया गया है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ 24 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास पर बमबारी की घटना सहित पारस्परिक हित के मुद्दों का समाधान करने के लिए संयुक्त आतंक–रोधी तंत्र की एक विशेष बैठक अक्तूबर, 2008 में आयोजित की जाएगी।

(ख) संयुक्त आतंक–रोधी तंत्र की तीन बैठकें मार्च, 2007, अक्तूबर, 2007 और जून, 2008 में आयोजित हुई हैं।

(ग) इन बैठकों में, दोनों पक्षों ने तंत्र की पूर्व में हुई बैठकों के दौरान आदान–प्रदान किए गए सूचनाओं पर की गयी अनुवर्ती

कार्रवाईयों की समीक्षा की और आतंकवाद का सामना करने के उपायों की पहचान करने, विशिष्ट सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए जांच में सहायता करने और हिंसा एवं आतंकवादी कृत्यों की रोकथाम करने के लिए कार्य करने के लिए सहमति जतायी। सरकार को यह आशा है कि 6 जनवरी, 2004 को दिए गए उस आश्वासन को कार्यान्वित करने में यह तंत्र उपयोगी होगा जिसमें पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण वाले किसी भी भूभाग का किसी भी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन देने के लिए उपयोग न किए जाने की अनुमति देने का भारत को आश्वासन दिया था।

[हिन्दी]

पोत परिवहन उद्योग की घटती आय

718. **श्री श्रीपाद येस्सो नाईक** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में पोत परिवहन उद्योग के उपार्जन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पोत परिवहन उद्योग के उपार्जन में कमी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2012 तक लगभग 44 प्रतिशत पोत उपयोग के लायक नहीं रह जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पोत परिवहन उद्योग की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पोत परिवहन उद्योग के उपार्जन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून, 2008)
1.	भाड़ा और चार्टर किराये से उपार्जन	9,180.25	10,788.52	11,587.00	3042.03
2.	पोतों की बिक्री	2,025.55	1,062.49	1,399.82	460.93
	कुल	11,133.80	11,851.01	12,986.82	4,402.96

(ख) पिछले वर्षों में इस उद्योग के उपार्जन में बढ़ोत्तरी होती रही है।

(ग) जी, हां। पुराने हो जाने/आई एम ओ के पोतों को हटाए जाने के विनियमों के कारण, मौजूदा भारतीय बेड़े में से लगभग 44% अर्थात् 3.97 मिलियन जी टी (6.29 मिलियन डी डब्ल्यू टी) को वर्ष, 2012 तक भंजित किया जाना है।

(घ) इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

पोतों की किस्म	पोतों की सं.	जी टी	डी डब्ल्यू टी
1	2	3	4
शुष्क कार्गो लाइनर्स	34	54977	77702
शुष्क कार्गो कंटेनर, जलयान	10	104612	129311
बल्क कैरियर्स	71	1868523	3153152
अयस्क तेल बल्क कैरियर्स	1	66926	123465
कच्चे तेल के टैंकर	21	609719	1060227
उत्पाद कैरियर्स	36	796743	1340548
यात्री सह कार्गो जलयान	11	36571	18925

1	2	3	4
एल पी जी कैरियर्स	7	127712	159250
आपूर्ति जलयान	115	177980	155853
ड्रेजर	15	59544	22260
अन्य	110	63229	48978
जोड़	431	3966536	6289671

(ख) सरकार ने भारतीय टनभार में वृद्धि लाने के लिए समय–समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं।

(i) भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अंतर्गत 44,535 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष, 2015 तक कार्यान्वित किए जाने हेतु पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए 111 परियोजनाएं चुन ली गई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कार्य–कलापों में टनभार अधिग्रहण, समुद्रीय प्रशिक्षण, तटीय पोत परिवहन नौचालनात्मक साधन–सुविधाएं, पोत निर्माण और अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना तैयार किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, भारतीय नौवहन निगम की 15,000 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत पर 76 जलयान खरीदे जाने की योजना है।

(ii) वर्ष, 2004–05 से टनभार कर आरंभ किया गया है, जिससे कराधान के मामले में भारतीय पोत परिवहन उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय पोत परिवहन उद्योग की तुलना में एक समान अवसर दिए गए हैं।

(iii) जलयानों की खरीद को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत लाया गया है। पोत स्वामी किसी भी प्रकार के पोतों को खरीदें जाने का निर्णय लिए जाने और उनके संचालन के क्षेत्र इत्यादि के बारे में स्वतंत्र है।

(iv) पोत परिवहन क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत है।

(v) नए खरीदे गए जलयानों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को सरल बना दिया गया है।

(vi) बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए समुद्रीय प्रशिक्षण, परीक्षा और प्रमाणीकरण को सुप्रवाही बना दिया गया है।

[अनुवाद]

डॉक्टरों तथा नर्सों का देशान्तरण

719. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष काफी संख्या में डॉक्टर एवं नर्स दूसरे देशों में जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) डॉक्टर या तो उच्च अर्हताएं/प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा प्रतिष्ठित समनुदेश के लिए विदेश जाते हैं। तथापि, देश में रजिस्टर्ड कुल 7,13,428 एलोपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या को देखते हुए विदेश जा रहे डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार इस परिषद ने विदेश जा रहे डॉक्टरों के लिए अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2008 तक की अवधि में लगभग 9825 गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए हैं।

नर्सों के संबंध में केन्द्र स्तर पर कोई डाटा नहीं रखा जाता है। देश में उपचर्या संस्थाओं की कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता फिलहाल 1,05,200 है। सामान्यतया नर्सें बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाती हैं।

गुजरात में समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय

720. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रति व्यक्ति आय एवं व्यय

721. श्री रूपचंद चक्रवर्ती : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सामाजिक क्षेत्रों में राज्य–वार प्रति व्यक्ति व्यय कितना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) संबंधित राज्यों के अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालयों से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार 2002–03 से 2006–07 के दौरान राज्यों की प्रति व्यक्ति आय दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन, "राज्य वित्त: 2007–08 के बजटों का एक अध्ययन" के अनुसार, सामाजिक क्षेत्र में राज्य–वार प्रति व्यक्ति व्यय का ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य; परिवार कल्याण; जलापूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण; श्रम तथा श्रम कल्याण; सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण; पोषण; प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय तथा अन्य शामिल हैं।

विवरण-I

वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय

(रुपये)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शा. राज्य	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22041	23755	26226	29582
2.	अरुणाचल प्रदेश	19322	22185	22335	25836
3.	असम	15487	17013	18211	20166
4.	बिहार	6861	7400	7930	9702
5.	झारखंड	12951	17887	18803	20773
6.	गोआ	54577	66135	70112	एन.ए.
7.	गुजरात	26922	28846	32991	37532
8.	हरियाणा	33910	37648	41988	49038
9.	हिमाचल प्रदेश	28333	31198	33817	36656
10.	जम्मू और कश्मीर	17528	18630	20799	एन.ए.
11.	कर्नाटक	20536	23576	26015	28830
12.	केरल	25645	27864	30668	33609
13.	मध्य प्रदेश	14306	14476	15304	16578
14.	छत्तीसगढ़	16098	18068	20151	एन.ए.
15.	महाराष्ट्र	29165	32481	36090	41331
16.	मणिपुर	14728	18386	20326	22495
17.	मेघालय	19830	21232	22847	24672

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	21963	22417	23900	25679
19.	नागालैंड	20821	20998	21083	एन.ए.
20.	उड़ीसा	14252	16306	17610	20240
21.	पंजाब	31182	33158	36759	40566
22.	राजस्थान	16507	16515	17306	19512
23.	सिक्किम	21476	23791	26412	29521
24.	तमिलनाडु	24106	27137	29958	32733
25.	त्रिपुरा	21138	22836	25700	27777
26.	उत्तर प्रदेश	11425	12023	13316	14685
27.	उत्तरांचल	20220	23069	24870	27800
28.	पश्चिम बंगाल	20804	22526	25041	28753
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	32670	34446	36829	एन.ए.
30.	चंढ़ीगढ़	66512	75181	86629	एन.ए.
31.	दिल्ली	48566	53309	58655	66728
32.	पुडुचेरी	48547	44908	48477	52669

स्रोत: संबंधित राज्यों के अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय

विवरण-II

सामाजिक क्षेत्र में राज्य-वार प्रति व्यक्ति व्यय*

(रुपए में)

	राज्य	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007 सं. अनु.
	1	2	3	4	5
I.	**गैर विशेष श्रेणी**				
	1. आंध्र प्रदेश	1,700	1,738	1,854	2,600
	2. बिहार	806	690	961	1,352
	3. छत्तीसगढ़	1,491	1,644	1,913	2,950
	4. गोआ	4,940	5,584	5,972	7,006
	5. गुजरात	1,698	1,882	2,012	2,353
	6. हरियाणा	1,265	1,540	2,049	2,389
	7. झारखंड	1,532	1,789	2,114	2,500

1		2	3	4	5
8.	कर्नाटक	1,521	1,765	2,085	2,733
9.	केरल	1,818	2,234	2,269	2,922
10.	मध्य प्रदेश	1,068	1,123	1,430	1,695
11.	महाराष्ट्र	1,870	1,992	2,330	2,630
12.	उड़ीसा	1,150	1,200	1,391	1,733
13.	पंजाब	1,396	1,464	1,563	2,260
14.	राजस्थान	1,551	1,623	1,766	2,064
15.	तमिलनाडु	1,814	2,114	2,202	2,870
16.	उत्तर प्रदेश	743	949	1,107	1,384
17.	पश्चिम बंगाल	1,086	1,160	1,349	1,687
II.	विशेष श्रेणी				
1.	अरुणाचल प्रदेश	5,463	5,657	6,380	7,564
2.	असम	1,338	1,698	1,562	2,736
3.	हिमाचल प्रदेश	3,739	3,664	4,363	4,643
4.	जम्मू और कश्मीर	2,362	2,896	3,705	3,940
5.	मणिपुर	2,692	3,849	4,089	4,582
6.	मेघालय	2,670	3,053	3,120	3,923
7.	मिजोरम	7,098	6,956	7,667	8,571
8.	नागालैंड	3,131	3,020	3,813	4,619
9.	सिक्किम	7,267	8,465	8,742	11,495
10.	त्रिपुरा	2,912	3,347	3,307	4,138
11.	उत्तराखंड	2,286	2,582	3,036	3,891
	सभी राज्य	1,386	1,533	1,743	2,216
मेमो आइटम :					
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,317	2,773	2,884	3,385
2.	पुडुचेरी	एन ए	एन ए	7,385	7,214

सं. अनु : संशोधित अनुमान
एनए : लागू नहीं/उपलब्ध नहीं

* : राजस्व व्यय के तहत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य भंडारण तथा वेयरहाउसिंग संबंधी व्यय, पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन "राज्य वित्त : 2007-08 के बजटों का एक अध्ययन"

'बाघों को सरिस्का बाघ अभयारण्य में बसाना'

722. **श्री मणी कुमार सुब्बा :**

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरिस्का बाघ अभयारण्य के बाघों को कहीं अन्यत्र बसाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन बाघ अभयारण्यों में बाघों को अन्यत्र बसाया जाएगा;

(ग) सरिस्का बाघ अभयारण्य में शिकार–चोरों द्वारा कितने बाघों की हत्या की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाई गई रिकवरी रणनीति के आधार पर राजस्थान के रणथम्भौर बाघ रिजर्व से जून/जुलाई, 2008 में सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान) में एक नर बाघ और एक बाघिन छोड़ी गई है। रेडियो टेलीमेट्री द्वारा बाघों की गहन मानीटरी की जा रही है।

(ग) राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार चल रही जांच से सरिस्का बाघ रिजर्व में 13 बाघों के अवैध शिकार का पता चला है।

(घ) बाघ कार्य बल की सिफारिशों के क्रियान्वयन सहित अन्य बातों के साथ–साथ देश में बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए बाघ कार्य बल की सिफारिशों सहित भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. भूतपूर्व सैनिक कर्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए 17 बाघ रिजर्वों को अतिरिक्त रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा, जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6.6.2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए मंजरी दी गई है।

7. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों को पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ रिजर्वों में मेनस्ट्रीमिंग जीविका और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास अवक्रमण करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग का रीकोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघ (सह–जीवियों, शिकारी पशुओं और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंच मार्क हैं।

9. 17 राज्यों में लगभग 31111 वर्ग किमी. संवेदनशील/मुख्य बाघ पर्यावासों की पहचान की गई है।

10. बाघ रिजर्व राज्यों के माध्यम से संरक्षण निवेशों के बेहतर/समन्वित कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बांघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संस्था को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघ छोड़ जाना

15. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाई गई रिकवरी रणनीति के आधार पर सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान) में एक नर बाघ और एक बाघिन छोड़ी गई है। रेडियो टेलीमेट्री द्वारा बाघों की गहन मानीटरी की जा रही है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस टी पी एफ) का गठन

16. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन टी सी ए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, सशस्त्रीकरण और तैनाती के लिए एकमुश्त 50.00 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

723. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बीच क्या अन्तर है;

(ख) इन दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं;

(ग) प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र क्या है;

(घ) उक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत राज्यों के साथ वित्तीय प्रतिनिधायन तथा वित्तीय सहभागिता के तरीके क्या हैं; और

(ङ) केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए क्रमशः क्या निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणस्वामी) : (क) और (ग) केन्द्र क्षेत्रक (सीएस) स्कीमें वे स्कीमें हैं जिनका संबंध केन्द्रीय सूची से संबद्ध विषयों से है तथा इनका निधिकरण एवं कार्यान्वयन केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अथवा इसके अभिकरण द्वारा किया जाता है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) वे स्कीमें हैं जिनका संबंध केन्द्रीय सूची से संबद्ध विषयों से नहीं हैं परंतु जिनका निधिकरण सीधे

केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों द्वारा किया जाता है तथा कार्यान्वयन राज्यों अथवा उनके अभिकरणों द्वारा किया जाता है, वित्त पोषण पद्धति चाहे कोई भी हो।

(ख) बजट अनुमानों के विवरण (एसबीई) के अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान 993 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें तथा 99 केन्द्र प्रायोजित स्कीमें प्रचालन में थी।

(घ) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में राज्य और केन्द्रीय अंश के शेयर की प्रतिशतता स्कीमों की प्रकृति और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुसार अलग–अलग होती है। केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों का निधिकरण पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।

(ङ) मानीटरिंग और मूल्यांकन मैकेनिज्म केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक स्कीम के कार्यक्रम दिशा निर्देशों के रूप में बनाए गए हैं।

आयोडीनयुक्त नमक की यथेष्ट उपलब्धता

724. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर में केवल आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कई भागों में रहने वाले लोगों को आयोडीनयुक्त नमक सुलभ नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी यथेष्ट उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) आयोडीनयुक्त नमक के देशी उत्पादन का नियत लक्ष्य 2008–09 में 52 लाख एमटी है।

(ग) और (घ) आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन 2007–08 में 50 लाख एमटी के लक्ष्य के मुकाबले 49.61 लाख एमटी था। ऐसे में आयोडीनयुक्त नमक देश के प्रत्येक भाग में उपलब्ध रहा करता है। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोडीन की अल्पता से उत्पन्न विकारों के निवारण–नियंत्रण के वास्ते आयोडीनयुक्त नमक के सेवन को बढ़ावा दे रही है। भिन्न–भिन्न अभिकरणों ने इश्तहारों तथा पैम्फलेटों के रूप में प्रचार सामग्रियों को तैयार किए तथा उन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया। इसके अलावा व्यापक सूचना, शिक्षा व संचार क्रियाकलापों का आयोजन दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, गीत तथा नाटक प्रभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों आदि के जरिए किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वन भूमि दिया जाना

725. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई वन भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सरकार के पास लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न उद्देश्यों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदित प्रस्तावों के क्रमशः 202,177.64 हेक्टेयर 26,342.64 हेक्टेयर की वन भूमि शामिल है। ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिये गए हैं।

(ख) 30.09.2008 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति हेतु लंबित मामलों की संख्या 407 है। क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

(ग) परियोजनाओं की समीक्षा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुसार की जाती है। समूह 'क' के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के मामले में पर्यावरणीय निकासी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, पूर्ण ब्यौरे प्राप्त हो जाने के बाद 105 दिन के भीतर जारी कर दी जाती है।

समूह 'ख' के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के मामले में पर्यावरणीय निकासी संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) द्वारा जारी की जाती है। 20 राज्यों के लिए एस.ई.आई.ए.ए. का पहले ही गठन किया जा चुका है।

लंबित मामलों को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां अपनी बैठक नियमित रूप से आयोजित करती है।

विवरण-I

*पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपवर्तित की गई वन भूमि के ब्यौरे**

क्रम सं.	परियोजना का समूह	परियोजनाओं/मामलों की संख्या	अपवर्तित की गई कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	रक्षा	45	52,758.47**
2.	डिस्पेंसरी/अस्पताल	4	41.737
3.	डिस्पुटिड सैटलमैंट क्लेम/दावे	0	0
4.	पेयजल	73	809.51
5.	अवैध कब्जा	8	2,556.08
6.	वन ग्राम कनवर्जन	4	6,963.07
7.	हाइडल	156	2,150.05
8.	सिंचाई	266	14,068.73
9.	खनन	387	25,222.58
10.	अन्य	2496	80,897.89***
11.	रेलवे	90	1,512.33
12.	पुनर्वास	8	545.484
13.	सड़क	1520	9,316.43
14.	स्कूल	19	20.695
15.	थर्मल	10	866.726
16.	ट्रांसमिशन लाइन	276	3,113.33
17.	ग्राम विद्युत	3	0.798
18.	विन्ड पावर	18	1,333.73
	कुल	5383	202,177.64

* अपवर्तित की गई वन भूमि में वे भूमियां शामिल हैं जिन्हें सैद्धान्तिक रूप से पहले अपवर्तित कर लिया गया था परन्तु अंतिम आदेश वर्तमान अवधि में जारी किए गए हैं। इसमें पुरानी खनन लीजों के लिए 8229.41 हेक्टेयर की पहले से अपवर्तित की गई वन भूमि भी शामिल है।

** इसमें असम में फायरिंग रेंज के लिए 42725.04 हेक्टेयर की पहले से इस्तेमाल की गई वन भूमि भी शामिल है।

***इसमें पंजाब में 65,870.26 हेक्टेयर की डीनूड वन भूमि का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित अनावरण शामिल है।

विवरण-II

01.04.2008 से 30.09.2008 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपवर्तित की गई वन भूमि के ब्यौरे*

क्रम सं.	परियोजना का समूह	परियोजनाओं/मामलों की संख्या	अपवर्तित की गई कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	रक्षा	24	7,077.26
2.	डिस्पेंसरी/अस्पताल	1	1
3.	डिस्पुटिड सैटलमैंट क्लेम/दावे	0	0
4.	पेयजल	12	18.425
5.	अवैध कब्जा	1	214.112
6.	वन ग्राम कनवर्जन	1	183.201
7.	हाइडल	18	146.705
8.	सिंचाई	60	3,486.28
9.	खनन	105	8,002.54
10.	अन्य	448	3,559.71
11.	रेलवे	8	240.389
12.	पुनर्वास	0	0
13.	सड़क	275	1,823.23
14.	स्कूल	6	202.529
15.	थर्मल	0	0
16.	ट्रांसमिशन लाइन	73	948.294
17.	ग्राम विद्युत	1	7.374
18.	विन्ड पावर	8	426.591
	कुल	1041	26,342.64

*अपवर्तित की गई वन भूमि में वे भूमियां शामिल हैं जिन्हें सैद्धान्तिक रूप से पहले अपवर्तित कर लिया गया था परन्तु अंतिम आदेश वर्तमान अवधि में जारी किए गए हैं। इसमें खनन मामलों का नवीनीकरण भी शामिल है। इसमें पुरानी खनन लीजों के नवीनीकरण हेतु 4318.09 हेक्टेयर की पहले से अपवर्तित की गई वन भूमि भी शामिल है।

विवरण-III

क्रम सं.	क्षेत्र	लंबित मामलों की संख्या
1.	उद्योग	68
2.	थर्मल	31
3.	न्यूक्लियर	01
4.	रीवर वैली एंड हाइड्रो इलैक्ट्रिक	10
5.	खनन	152
6.	बुनियादी सुविधाएं एवं विविध	58
7.	निर्माण तथा औद्योगिक संपदा	87
	कुल	407

बच्चों में आयोडीन की कमी

726. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काफी बच्चे आयोडीन की भारी कमी से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बच्चों में आयोडीन की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य संस्थानों और राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदित 324 जिलों में से 283 जिलों में आयोडीन अप्लतता विकारों की स्थानिकमारिता है जहां व्यापता 10% से अधिक है। इसके बाद कोई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोडीन अल्पता विकारों से मुक्त नहीं है। अनुमान है कि लगभग 71 मिलियन लोग आयोडीन अल्पता विकारों से पीड़ित है।

(ग) सरकार राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोडीन की अल्पता से उत्पन्न विकारों के निवारण–नियंत्रण के वास्ते आयोडीन युक्त नमक के सेवन को बढ़ावा दे रही है। भिन्न–भिन्न अभिकरणों ने इश्तेहारों तथा पैम्फलेटों के रूप में प्रचार सामग्रियों को तैयार किए तथा उन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया। इसके अलावा व्यापक सूचना, एवं शिक्षा व संचार क्रियाकलापों का आयोजन, दूरदर्शन, आकाशवाणी क्षेत्र प्रचार निदेशालय, गीत तथा नाटक प्रभाग विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों आदि के जरिए किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नर्सिंग कालेजों में नामांकन क्षमता

727. श्री के.सी. पल्लानी शानी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित नर्सिंग कालेजों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें छात्रों की नामांकन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आगामी वर्षों में छात्रों की नामांकन क्षमता में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित कालेजों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिंग स्कूलों का उन्नयन नर्सिंग कालेजों में करने का प्रस्ताव था। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज ने 2007 से प्रतिवर्ष 50 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं सफदरजंग अस्पताल में नर्सिंग कालेज प्रतिवर्ष क्रमशः 50 छात्रों एवं 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ वर्ष 2008 से कार्य करना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक नर्सिंग कालेज प्रतिवर्ष 75 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ जिपमेर, पुडुचेरी में स्थापित किया गया है और यह 2006 से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, एम्स जैसी संस्थाओं के स्थानों पर 6 नर्सिंग कालेजों की स्थापना करने के लिए 120.00 करोड़ रुपए के लिए ई.एफ.सी. ज्ञापन का अनुमोदन किया जा चुका है। आने वाले वर्षों में प्रति संस्था प्रति वर्ष दाखिले को 100 छात्रों तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) इस परियोजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किए जाने की आशा है।

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में नर्सें

728. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल स्वास्थ्य परिचर्या कामगारों की तुलना में नर्सों की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या अन्य अस्पताल कर्मचारियों की तुलना में नर्सें अक्सर सूई चुभने से चोट लगने की शिकार होती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) यह अनुमान है कि नर्सें कुल स्वास्थ्य परिचर्या बल का लगभग 30–40% हैं।

(ख) और (ग) नर्सों को "तीक्ष्ण वस्तुओं" जैसे सुई के जरिए एच.आई.वी. तथा हेपेटाइटिस बी समेत रक्त जनित संक्रमण होने का खतरा रहता है, चोट का कारण सबसे आम उपकरण सिरिंज जिसका प्रयोग नमूने लेने, इंजेक्शन देने के लिए किया जाता था और चोट सूई को दोबारा ढक्कन लगाने की कोशिश करने से लगती थी।

(घ) केन्द्र सरकार के अस्पताल हेपेटाइटिस बी तथा एच. आई.वी. संक्रमणों के लिए प्रभावोतर रोगनिरोधन हेतु दवाइयों तथा टीके प्रदान करते हैं। ये दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं।

इस संबंध में अस्पतालों को अस्पतालों के स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों हेतु पुनरभिविन्यास आयोजित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं ताकि इस प्रकार की चोटों से बचने के लिए सार्वभौमिक सावधानियों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन हो।

भारत-अमरीका द्विपक्षीय समझौते

729. श्री अनन्त नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत–अमरीका द्विपक्षीय समझौतों में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत अमरीका की अगली उच्चस्तरीय वार्ता में केन्द्रित किए जाने वाले मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत और अमरीका का रक्षा, आतंकरोधी, व्यापार एवं वाणिज्य, ऊर्जा कृषि, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, उच्च प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, दोहा दौर एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर द्विपक्षीय सहयोग है। इन क्षेत्रों में सहयोग के कार्यकलाप के प्रत्येक क्षेत्रों के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के अंतर्गत नियमित वार्तालाप के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है। अमरीका के साथ नियमित उच्च–स्तरीय संपर्क बनाए रखा जाता है, जो हमारे द्विपक्षीय संबंध के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है।

छोड़ दी गई खानों से कोयला निकाला जाना

730. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में झारखण्ड में छोड़ दी गई कोयला खानों तथा अन्य कोयला खानों से कोयला निकालते समय अनेक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसे अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) कोलियरी प्राधिकारियों द्वारा उन खानों जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है, में कोई खनन प्रचालन नहीं किया जा रहा है, झारखंड में परित्यक्त कोयला खानों तथा अन्य कोयला खानों से कोयले के निष्कर्षण के कारण जीवन की हानि के बारे में कोई सूचना कोल इंडिया लि. (सीआईएल) से प्राप्त नहीं हुई है तथा सीआईएल इस संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

(ग) सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा गैर–कानूनी खनन गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

i) संदिग्ध क्षेत्रों में सुरक्षा दस्ते द्वारा गस्त के जरिए नियमित निगरानी रखी जाती है।

ii) लीज होल्ड क्षेत्रों में किसी गैर–कानूनी खनन गतिविधि की सूचना के मामले में स्थानीय पुलिस की सहायता से जगह–जगह पर छापा मारने के उपाय किए जा रहे हैं।

iii) अतिक्रमणकारियों को रोकने के लिए परित्यक्त क्षेत्रों की फेंसिंग करना।

iv) परित्यक्त खान में प्रवेश को रोकने के लिए कंक्रीट दीवार लगाकर इन्क्लाइन के मुहाने को सील करना।

v) संदिग्ध अवैध खनन स्थानों पर अनावृत कोयला सीमों को भरने की कार्रवाई।

vi) संदिग्ध अवैध खनन प्रचालनों को रोकने के लिए जिला/राज्य प्राधिकारी के साथ प्रायः बैठक करना।

vii) खान प्राधिकारी द्वारा लीजहोल्ड क्षेत्रों में पता चले अवैध खनन की घटनाओं के मामले में स्थानीय पुलिस स्टेशनों में प्राथमिकियां दर्ज कराई जा रही हैं।

viii) निषिद्ध क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए बोर्ड (जैसे "बंद खान", "परित्यक्त खान क्षेत्र" "निषिद्ध क्षेत्र" आदि) लगाना।

अनुकम्पा आधार पर रोजगार

731. श्री मदन लाल शर्मा :
प्रो. एम. रामदास :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में विभिन्न कोयला कंपनियों के मृत श्रमिकों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर रोजगार देने तथा मुआवजा संवितरण के कंपनी–वार कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने तथा मुआवजा संवितरण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) कंपनी–वार ये मामले कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी एफ एल बल्बों का पर्यावरणीय प्रभाव

732. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट ने उजागर किया है कि भारत में विनिर्मित किए जाने वाले लगभग 50 प्रतिशत कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेन्ट लैम्पस (सी एफ एल) बल्ब पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों ने सीएफएल बल्बों के लिए किसी एक समान बेंचमार्क का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के पर्यावरणविद् इस परियोजना पर भी कार्य कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सी एफ एल बल्बों के लिए नए बेंचमार्क को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड की खानों का बंद किया जाना

733. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की उन खानों का ब्यौरा क्या है जो कि गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन इकाइयों को पुनः शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की जिन कोयला परियोजनाओं/खानों/यूनिटों को पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया है, उनके ब्यौरे उनके बंद करने के कारणों सहित नीचे दिए अनुसार हैं:–

कंपनी	खान का नाम	बंद करने के कारण
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	इन्क्लाइन नं. 25 चोकोबाद	प्रतिकूल आर्थिकी
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	चारगांव ओपनकास्ट	भंडार समाप्त
	भूमिगत	भूमिगत ओपनकास्ट को परिवर्तित
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	सुभाष इन्क्लाइन	भंडारों की कमी
	नौरोजाबाद ईस्ट अंडर ग्राउंड	भंडारों की कमी
	कोतमा वेस्ट अंडर ग्राउंड	भंडारों की कमी
	कुम्दा ओल्ड	भंडारों की कमी
	कोतमा ओपन कास्ट	भंडारों की कमी

(ग) चूंकि भण्डारों की कमी के कारण, अधिकांश खानों को बंद कर दिया गया है, अतः इन इकाइयों को पुनः शुरु करने का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत चाकोबाद इन्क्लाइन नं. 25 भूमिगत खान का संबंध है, इसके विकास हेतु निजी/सार्वजनिक क्षेत्र को पेशकश की जा सकती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की टीका विनिर्माता इकाइयां

734. श्री वसुदेव आचार्य :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री सुनील खां :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री मो. ताहिर :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की टीका विनिर्माता इकाइयां राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए प्राथमिक टीकों की थोक मांग को पूरा करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनका क्या योगदान रहा है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इनमें से कुछ इकाइयों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं तथा आगे से उत्पादन बन्द करने के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इनके योगदान के मद्देनजर इन इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी हां।

(ख) कम्पनियां तथा राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए उनके योगदान का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। तीन विनिर्माणकारी एककों नामतः (1) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर; (2) बीसीजी वेक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी तथा (3) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली के लाइसेंस औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 85 के उपबंधों के अधीन 15 जनवरी, 2008 से प्रलंबित कर दिए गए थे क्योंकि उन्हें उत्तम विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन न करते हुए पाया गया था।

(ङ) और (च) तीन संस्थानों में वेक्सीन उत्पादन की पुनः शुरूआत की संभावना का अध्ययन करने हेतु औषध महानियंत्रक (भारत) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और इनकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

3 सरकारी संस्थानों को दिए गए आपूर्ति आदेशों से संबंधित स्थिति वर्ष 2005–06

वैक्सीन	आर्डर दी गई कुल मात्रा (लाख खुराको में)	वैक्सीन संस्थानों को आर्डर की गई मात्रा (लाख खुराको में)			
		बीसीजी	पी II	सीआरआई	
1	2	3	4	5	6
बीसीजी	637	637	0	0	637
डीपीटी	770		400	120	520
डीटी	210		150	60	210
टीटी	768		100	170	270
वर्ष 2006-07					
बीसीजी	894.8	984.8	0	0	894.8
डीपीटी	1000	0	660	260	920

1	2	3	4	5	6
डीटी	332	0	170	120	290
टीटी	1212	0	962	100	1062
वर्ष 2007-08					
बीसीजी	800	800 (केवल 610.12%) आपूर्ति की गई			800
डीपीटी	1680	0	660	260	920
डीटी	425	0	200	135	335
टीटी	1235	0	1000 (पी II नेकिसी मात्रा की आपूर्ति नहीं की गई	235	1235
वर्ष 2008-09					
बीसीजी	600	0	0	0	0
डीपीटी	1440	0	0	0	0
डीटी	475	0	0	0	0
टीटी	1700	0	0	0	0

पी II भारत पारचर संस्थान, कुन्नूर
सी आर आई केन्द्रीय संस्थान, कसौली
बीसीजी : बीसीजी प्रयोगशाला, गिंडी

नई बंदरगाहों का विकास

735. श्री पी. करुणाकरन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई बंदरगाहों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) पत्तनों का विकास और नए घाटों और टर्मिनलों के निर्माण के द्वारा क्षमता आवर्द्धन एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है जो कि कार्गो के अनुमानों और भविष्य के लिए समुद्री व्यापार की अपेक्षाओं पर आधारित होती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह अनुमानित है कि वर्ष 2011-12 तक पत्तनों द्वारा संभाला जाने वाला पूरा यातायात 1008.95 मिलियन टन होगा जिसमें से महापत्तन 708.09 मिलियन टन की संभलाई करेंगे। यातायात में अनुमानित बढ़ोतरी की मांग को पूरा करने के लिए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ और पत्तनों का विकास किए जाने हेतु व्यवहार्यता और स्थानन अध्ययनों का प्रस्ताव किया गया है। महापत्तनों से इतर पत्तनों का विकास संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह अनुमानित है कि महापत्तनों से इतर पत्तनों की क्षमता 228.31 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 575 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाने की प्रत्याशा है।

बोरडुम्सा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाया जाना

736. श्री सर्बानन्द सोनोवाल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश तथा असम की सीमा के साथ–साथ बोरडुम्सा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने असम में डिब्रूगढ़ तक तिनसुकिया जिलों की सड़कों की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। डिब्रूगढ़ जिले में संपूर्ण लंबाई को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को नगांव से डिब्रूगढ़ तक चार लेन का बनाने का कार्य और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को डिब्रूगढ़ से सैकोवाघाट तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 38 को मकूम से लेखपानी तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को रुपई से दीरक तक और राष्ट्रीय राजमार्ग 153 को लेखपानी से जयरामपुर (असम/अरुणाचल प्रदेश सीमा) तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने का कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' में शामिल किया गया है और इन कार्यों को मार्च, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

मानव अंगों का अवैध प्रत्यारोपण

737. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश के अनेक राज्यों में मानव अंगों के अवैध प्रत्यारोपण तथा दुर्व्यापार की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राज्य सरकारों/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/दिल्ली पुलिस से प्राप्त ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन मानव अंगों की बिक्री और खरीद पहले से प्रतिषिद्ध है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त समुचित प्राधिकारियों को मानव अंगों की बिक्री और खरीद से संबंधित शिकायतों सहित अधिनियम के उपबंधों के भंग की शिकायतों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम में प्राधिकार के बगैर मानव अंगों को निकालने और मानव अंगों के वाणिज्यिक लेनदेन के लिए सजा देने हेतु पहले से ही सख्त प्रावधान है।

विवरण

विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों में अवैध गुर्दे एवं अंग प्रत्योरोपणों के सूचित किए गए मामलों एवं की गई कार्रवाई का ब्यौरा–जैसा कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त किया गया है:–

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	सूचित मामलों का ब्यौरा
1	2	3
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	दिल्ली पुलिस ने रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल, नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली तथा कक्कड़ अस्पताल, अमृतसर में अवैध गुर्दा प्रत्यारोपणों के संबंध में एफ. आई. आर. दर्ज की है। परिणामस्वरुप, दिल्ली पुलिस द्वारा 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी, 2004 में बम्बई अस्पताल, मुम्बई के डा. एस. पी. त्रिवेदी पर मानव अंगों के अवैध व्यापार के संबंध में ठगी और जालसाजी के आरोपों के लिए अभियोजन चलाया गया है।
3.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों में विशेषतौर पर गुर्दों की बिक्री का कुछ मामलों में पता चला था। जिनकी इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष जांच दल द्वारा जांच की जा रही है। जांचों के परिणाम–स्वरूप कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अस्पताल

1	2	3
		नामतः राम शरण दास किशोरी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, अमृतसर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। तथापि, राज्य में अंग प्रत्यारोपण के नाम पर गरीबों का बड़े पैमाने पर शोषण नहीं किया जाता है।
		अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अंगों की वाणिज्यिक बिक्री की कोई सूचना नहीं दी है।
4.	गुड़गांव, हरियाणा	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुड़गांव (हरियाणा) और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से संबंधित दो मामलों को पुनः पंजीकृत किया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 8 संदेहास्पद डाक्टरों एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
5.	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अंगों की वाणिज्यिक बिक्री की कोई सूचना नहीं दी है।

खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

738. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी :
श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
डा. रतन सिंह अजनाला :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दयनीय हालत में जीवन यापन करने वाले उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन खिलाड़ियों का वेतन कितना बढ़ाया जाने का प्रस्ताव है;

(ग) वित्तीय सहायता के लिए पात्र ऐसे खिलाड़ियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितने खिलाड़ियों ने वित्तीय लाभ लिया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धन अवस्था में रह रहे खिलाड़ियों की वित्तीय सहायता बढ़ायी है:–

(i) निर्धन अवस्था में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता की उच्चतम सीमा 36,000 रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष की गई है।

(ii) खिलाड़ी को गंभीर चोट के लिए मिलने वाली सहायता को 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 5.00 लाख रु. कर दिया गया है।

(iii) गंभीर चोट के अलावा अन्य चोट के लिए सहायता को 40,000 से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गई है।

(iv) स्थायी रूप से अक्षम उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन 2500 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रु. प्रतिमाह कर दी गई है।

(v) अन्य मामलों में पेंशन 2000 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 8000 रु. प्रतिमाह कर दी गयी है।

(vi) निर्धन अवस्था में रह रहे खिलाड़ियों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता 40,000 रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गई है।

(vii) चिकित्सा व्यय के लिए सहायता 40,000 रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गई है।

(viii) प्रमुख कोचों, रेफरी तथा अंपायरों की सहायता 20,000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दी गई है।

(ग) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों अथवा निर्धन अवस्था में रह रहे खिलाड़ी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, खिलाड़ी की परिभाषा है, वह व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय स्तर पर (सीनियर, जूनियर अथवा सब–जूनियर) प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में भाग लिया हो, और उत्कृष्टता हासिल करने तथा प्रदर्शन का स्तर ऊंचा करने के लिए, और देश में खेलों के संवर्धन तथा विकास के लिए भी कार्य किया हो। "उत्कृष्ट खिलाड़ी" की परिभाषा है, वह व्यक्ति जिसने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में, व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन में स्थान प्राप्त किया हो अथवा टीम प्रतियोगिता में प्रथम दो में हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कम से कम दो बार प्रतिनिधित्व किया हो या कर रहा हो।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उन खिलाडियों की संख्या जिन्होंने वित्तीय लाभ प्राप्त किया है, नीचे दी गई है:–

	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
खिलाड़ियों की संख्या	47	42	34	30

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों हेतु यूरेनियम की कमी

739. श्री दुष्यंत सिंह :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री हेमंत कुमार खंडेलवाल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरेनियम की कमी का सामना कर रहे हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में इन प्रत्येक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम की अनुमानित आवश्यकता कितनी है; और

(ग) इन परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की यूरेनियम की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। कुल 3800 मेगावाट–ई की स्थापित क्षमता वाले 15 दाबित भारी पानी रिएक्टरों को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रति 1000 मेगावाट–ई की स्थापित क्षमता के लिए ईंधन की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता 180 टन प्राकृतिक यूरेनियम की है।

(ग) सरकार के प्रयास, विशिष्ट संयंत्रों की बजाय संपूर्ण क्षमता के लिए ईंधन की आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में केन्द्रित रहे हैं। तुरूमडीह, झारखंड स्थित तक नई खान परिचालनरत है और एक मिल भी स्थापित की गई है। तुमल्लापल्ली, आंध्र प्रदेश में एक नई खान पर काम शुरू किया गया है। लम्बापुर (आंध्र प्रदेश) और किलेंग पेंगडेंगसोहियांग मावथाबाह (केपीएम), मेघालय में खानें खोले जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। गोगी (कर्नाटक), रोहिल (राजस्थान), वाखिन (मेघालय) तथा चित्रियाल (आंध्र प्रदेश) में नई खानें स्थापित करने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षोपायों के अधीन लाए जाने वाले रिएक्टरों की आवश्यकताओं को पृथक्करण योजना के अनुसार, क्रमिक रूप से आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है।

सड़क परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि

740. श्री एस. अजय कुमार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से राज्य में सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय राज्य में सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम सहित केन्द्रीय सड़क निधि की केन्द्र से सहायता प्राप्त स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए केरल सहित विभिन्न सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त होने से है। सात राज्य सरकारों से 640.71 करोड़ रु. अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम सहित राज्यों में सड़क परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग पर केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बजट आबंटन में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर इस संबंध में राज्यों को पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग के आकलन के पश्चात् विचार किया जाता है।

ओलम्पिक खेलों की मेजबानी

741. श्री अबु अयीश मंडल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ओलम्पिक खेलों की मेजबानी/आयोजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ओलम्पिक खेलों के आयोजन के लिए अपेक्षित बुनियादी संरचना का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित पोत निर्माण राजसहायता योजना

742. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल :
श्री महेश कनोडीया :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संशोधित पोत निर्माण राजसहायता योजना को अंतिम रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल्कॉक एशडाउन गुजरात लिमिटेड (ए ए जी एल) को इस योजना के अंतर्गत कोई राजसहायता स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एएजीएल को कितनी राजसहायता स्वीकृत की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। सहायकी योजना समाप्त होने की तारीख, 14 अगस्त, 2007 तक किए गए चालू पोत निर्माण ठेकों के लिए सहायकी के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध देनदारी का परिसमापन किए जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) चरणबद्ध भुगतान के आधार पर एलक्लॉक एशडाउन (गुजरात) लिमिटेड द्वारा प्राप्य सहायकी राशि कुल 7,73,34,088 रु. बनती है, और यह राशि शिपयार्ड द्वारा किए गए दावे के अनुसार एलक्लॉक एशडाउन (गुजरात) लिमिटेड को पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, मंत्रालय में 86.00 करोड़ रु. (लगभग) तक की सहायकी दिए जाने के प्रति सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, परन्तु एलक्लॉक एशडाउन (गुजरात) लिमिटेड से आवश्यक स्पष्टीकरण, दस्तावेज आदि नहीं प्राप्त होने के कारण सैद्धांतिक अनुमोदन इस योजना के समाप्त होने से पहले नहीं दिया जा सका। पोत निर्माण सहायकी योजना 14 अगस्त, 2007 को समाप्त हो गई।

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नैदानिक परीक्षण

743. श्री मानिक सिंह :
श्री के. फ्रांसिस जार्ज :
श्री उदय सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशी ड्रग्स के नैदानिक परीक्षण के लिए एशिया में प्रमुख गंतव्य देश बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान में ऐसे परीक्षणों के विनियमन/निगरानी के लिए कोई कानून लागू है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) विगत कुछ वर्षों के दौरान देश में नैदानिक अनुसंधान एक अत्यन्त आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। अनेक प्रमुख बहुराष्ट्रीय भेषजीय कंपनियां नैदानिक अनुसंधान संगठनों के जरिए अपने नैदानिक परीक्षण कर रही हैं।

(ख) भारत में अधिक नैदानिक परीक्षण का प्रवाह विविध जेनेटिक समूह, हृदवाहिका, मधुमेह तथा मनश्चिकित्सीय विकारों जैसे रोगों वाले वृहद रोगी समूह जैसे मूलभूत कारकों जो उन औद्योगिकीकृत देशों, ड्रग–नेव जनसंख्या तथा अच्छे अस्पतालों में व्याप्त है जहां परीक्षण किए जा सकते हैं, परीक्षण करने में निम्न लागत, आदि का परिणाम है।

(ग) से (ङ) भारत में नैदानिक परीक्षणों के विनियमन के संबंध में, सरकार ने, नैदानिक परीक्षण करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत उपबंधों को कारगर बनाया है। इस प्रयोजनार्थ नियम क से ङ को संशोधित किया गया है। वर्ष 2005 में औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची "म" को संशोधित किया गया है। उत्तम नैदानिक पद्धतियों से संबंधित दिशानिर्देश 2001 में प्रकाशित किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारत में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले

744. श्रीमती कमला शुक्ला :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री ई. दयाकर राव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई भ्रष्ट राष्ट्रों की सूची में भारत को 85वें स्थान पर रखा गया है जैसाकि 24 सितम्बर, 2008 के 'द टाईम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में निरंतर बढ़ते भ्रष्टाचार के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्ट राष्ट्रों की सूची (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स), 2008 के अनुसार भारत को 180 देशों में 85वें स्थान पर रखा गया है।

(ग) से (ङ) सरकार को भ्रष्टाचार के खतरे की जानकारी है तथा'' भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं'' की अपनी नीति को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए कार्मिक रूप से आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने और सरकार के कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं:–

(i) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का अधिनियमन;

(ii) भंडाफोड़ करने वालों (विसल ब्लोअर्स) का संकल्प, 2004 का अधिनियमन;

(iii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iv) सतर्कता से संबंधित वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की पूर्व–सक्रिय भागीदारी;

(v) निविदा और ठेका देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा व्यापक अनुदेश जारी किया जाना।

सरकारी संगठन भी ई–शासन, नागरिक चार्टर जारी करने तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों के सरलीकरण के माध्यम से अपने कार्यकरण में सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करके भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है।

[अनुवाद]

नेपाल में भारतीयों द्वारा व्यवसाय बंद किया जाना

745. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम के कारण अनेक भारतीय व्यवसायी उस देश में अपना व्यवसाय बंद करने को बाध्य हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को नेपाल सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) नेपाल में चल रहे राजनीतिक परिवर्तन में जबरन वसूली और डराने–धमकाने से संबंधित कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे कि व्यावसायिक उद्यम प्रभावित हुआ है जिसमें कुछ भारतीय व्यवसाय और संयुक्त उपक्रम भी शामिल हैं।

इन मामलों को शीर्षस्थ स्तरों सहित नेपाल की सरकार के साथ उठाया गया है। संविधान सभा के चुनावों के पश्चात् नेपाल की नई सरकार ने नेपाल में भारतीय सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशक अनुकूल, व्यापार करने लायक माहौल को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उपाय करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी की प्रतिशतता

746. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में से कोयले की हिस्सेदारी की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या कुछ वर्षों से कोयले के उत्पादन में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सितम्बर, 2008 के माह की रिपोर्ट के अनुसार, देश में विद्युत उत्पादन क्षमता की कुल 133865 मे.वा. मानीटर की गई क्षमता में से 72249 मे.वा. कोयला आधारित है, जो देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 53% है।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 2005–06 के दौरान देश में कुल कोयला उत्पादन 407.039 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2006–07 के दौरान 430.832 मिलियन टन तथा 2007–08 तक 457.003 मिलियन टन हो गया है। अप्रैल–सितम्बर, 2008 के दौरान अखिल भारतीय कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 190.916 मिलियन टन की तुलना में 205.975 मिलियन टन (अनंतिम) था।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

कोयले की रायल्टी

747. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला रायल्टी दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रायल्टी दरों को निर्धारित करने हेतु क्या फार्मूला अपनाया जाएगा;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्यों को कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या कोयला उत्पादन करने वाले कुछ राज्यों ने कोयला पर रायल्टी दरों को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) संशोधित दरों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने 01.08.2007 से कोयला तथा लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों को संशोधित कर दिया है।

कोयला तथा लिग्नाइट पर रायल्टी का फार्मूला विशिष्ट तथा यथामूल्य वसूलियों के संयोजन पर आधारित है। निर्धारित फार्मूला निम्नलिखित है :

आर(रायल्टी) = ए+बीपी, जहां "ए" निश्चित घटक है, "बी" परिवर्तनीय अथवा यथामूल्य घटक है तथा "पी" बीजक के अनुसार रन आफ माइन कोल का बेसिक पिटहैड मूल्य है।

कोयला उत्पादक राज्य का संभावित लाभ 2004–05 के उत्पादन स्तरों के आधार पर परिकलित किए गए अनुसार कोयला तथा लिग्नाइट से क्रमशः 24% से 29% राजस्व लाभ में वृद्धि होगी।

(घ) और (ङ) अधिकांश कोयला उत्पादक राज्यों ने कोयले की दरों में रायल्टी के संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को अनुरोध किया था। उनमें से कुछ ने रायल्टी की यथामूल्य व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपनाने की मांग की थी। दो समितियों अर्थात कोयला मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल तथा प्रधान मंत्री की सलाहकार परिषद की सिफारिश के सभी तथ्यों के साथ–साथ राज्य सरकारों के विचारों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दर्शाए गए मिश्रित फार्मूले को अपनाने का निर्णय लिया था।

(च) कोयला तथा लिग्नाइट की संशोधित दरों को 1.08.2007 से कार्यान्वित कर दिया गया है।

नियंत्रण रेखा के पार

748. श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री के. फ्रांसिस जार्ज :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार व्यापार शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यविधि तैयार की गई है;

(ग) तत्संबंधी मार्गों और व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) श्रीनगर – मुजफ्फराबाद तथा पुंछ–रावलकोट मार्गों से नियंत्रण रेखा के पार व्यापार 21 अक्तूबर, 2008 से शुरू हुआ था। व्यापार के लिए शुल्क मुक्त आदान–प्रदान हेतु 21 मदें

अभिज्ञात की गई हैं। सलामाबाद से चकोती तथा चकंदबाग से रावलकोट तक व्यापार की जाने वाली मदें हैं–गलीचे, कालीन, वॉल हैंगिंग्स, शॉल व दुपट्टे, ताजे फल तथा सब्जियां, सुगंधित पौधे, अखरोट सहित सूखे मेवे, कश्मीरी मसाले, बटी हुई नारियल की रस्सी/फोम के गद्दे, अखरोट की लकड़ी से बने फर्नीचर सहित फर्नीचर आदि। चकोती से सलामाबाद तथा रावलकोट से चकंदबाग तक व्यापार की जाने वाली मदें हैं – चावल, बहुमूल्य पत्थर, अखरोट सहित शुष्क मेवे, औषधीय जड़ी–बूटियां, ताजे फल व सब्जियां, अखरोट की लकड़ी के बने फर्नीचर सहित फर्नीचर, गलीचे व कालीन, कढ़ाई की मदें, फोम के गद्दे, शॉल तथा दुपट्टे।

(घ) व्यापार तथा वाणिज्य के माध्यम सहित आपसी जनसंपर्क में विस्तार से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने तथा इन्हें सुदृढ़ करने के लिए एक प्रभावशाली मंच प्राप्त होगा।

दवाओं में धातु के अंश

749. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में निर्धारित सीमा से अधिक धातु के अंश वाली दवाएं बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके दुष्प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने किसी जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। भारत में पादप/जड़ी बूटीय, जड़ी बूटीय–खनिजीय तथा जड़ी बूटीय–धातुमय संपाकों वाली आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) औषधियों का विनिर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा संबंधित नियमावली, 1945 के अंतर्गत वैध लाइसेंसों के आधार पर किया जा रहा है। जड़ी बूटीय–खनिजीय और जड़ी बूटीय–धातुमय संपाकों के उपयोग की अनुमति केवल उस समय दी जाती है जब उनका यथोचित शुद्धिकरण हो जाता है और उनका उपयोग औषधियों की प्रभावकारिता बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अन्य जड़ी बूटीय घटकों को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए उत्प्रेरण के रूप में बहुत छोटी सी मात्रा में किया जाता है। धातुमय संपाकों को भस्मों के रूप में धातुओं को पीसकर सम्मिश्रित एवं जड़ी बूटियों द्वारा शुद्धिकरण करके और कई निर्धारित अंतरालों में आग में तपाने के बाद सुरक्षित कर दिया जाता है।

एएसयू औषधियों की सुरक्षा और प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ समय–समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

i) निर्यात की जाने वाली जड़ी बूटीय आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों में भारी धातुओं की मौजूदगी का अनिवार्य परीक्षण दिनांक 01.01.2006 से शुरू कर दिया गया है। ऐसा आयात करने वाले देशों की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

ii) राज्य औषध लाइसेंस प्राधिकारियों को दिश दिए गए हैं कि वे औषधि कंटनेर के लेबल अथवा एएसयू औषध के पैकेज में रखे जाने वाली पर्ची में दवा के विनिर्माण में प्रयुक्त औषधि की मात्राओं सहित सभी घटकों के बारे में उल्लेख करने के प्रयोजनार्थ नियम 161 (1) और (2) से संबंधित उपबंधों का एएसयू औषध विनिर्माताओं द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत देश में एएसयू औषधियों के परीक्षण हेतु 29 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है तथा 26 निजी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं अन्य एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को अनुमोदित कर दिया गया है।

कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति आयुर्वेद औषध अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (इस समय आईआईटीआर, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान), लखनऊ और श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने लगभग 600 पादपों का विश्लेषण करके यह नतीजा बरामद किया था कि उनमें सीसे, संखिया और पारे की मात्रा अनुमत सीमा के भीतर विद्यमान थी।

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची न में संशोधन करके देश के सभी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध विनिर्माण एकांशों हेतु अच्छी विनिर्माण पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है।

विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच गुणवत्ता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 10–11 जून, 2008 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन द्वारा औषधों की गुणवत्ता आश्वासन पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करके राष्ट्रीय अभियान को देश भर में आगे बढ़ाया जा रहा है।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को तकनीकी सहायता

750. श्री महावीर भगोरा : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में अपने खर्च पर भाग ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हमारे देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए धनराशि प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त खेल विधाओं के मामले में खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सरकार अनिवार्य प्रतियोगिताएं जैसे ओलंपिक खेल, विश्व कप, विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप के लिए पूर्णता वित्त पोषण करती है। अन्य प्रतियोगिताओं के मामले में सरकार दो प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पूर्णतः वित्त पोषण करती है तथा दो अन्य प्रतियोगिताओं के लिए केवल हवाई यात्रा का व्यय वहन करती है।

(ग) और (घ) सरकार खिलाड़ियों को विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण से संबंधी योजना और राष्ट्रीय खेल विकास निधि के माध्यम से राशि तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रतियोगिता आयोजित करने, प्रशिक्षण, उपस्कर खरीदने, विदेशी कोचों को अनुबंधित करने, वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करने आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(रु. करोड़ों में)

योजना का नाम	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (बजट अनुमान)
राष्ट्रीय खेल परिसंघ	43.00	37.08	57.49	54.00
प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण	0.50	2.80	3.00	5.00
राष्ट्रीय खेल विकास निधि	0.04	0.05	5.00	5.25

[अनुवाद]

गरीब मरीजों हेतु विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सा सुविधा

751. श्री के. सुब्बारायण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की पहुंच विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं तक निःशुल्क पहुंच है;

(ख) क्या गरीबों के लिए निःशुल्क विशेषज्ञता प्राप्त उपचार हेतु एक कार्मिक निधि बनाने के लिए सरकार की बड़े कारपोरेट व्यापारिक घरानों तथा निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य उपकर लगाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के सभी गरीब वर्गों को निःशुल्क विशेषज्ञता प्राप्त उपचार उपलब्ध कराने में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या, कार्यभार एवं दूरी के आधार पर स्थापित की जाती हैं, विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु निशुल्क पहुंच की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई आंकड़े नहीं है। तथापि, एनएसएसओ का 60वां दौर (2005) आंकड़े जेब से खर्च होने वाले व्यय, यहां तक कि अस्पताली उपचार हेतु सार्वजनिक सुविधा को प्रदर्शित करते हैं। क्षयरोग का उपचार, प्रतिरक्षण, मोतियाबिंद, संस्थागत प्रसव आदि जैसी कई विशिष्ट सेवाएं सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, मिशन अवधि के दौरान सार्वजनिक व्यय पर आबंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2–3% करने की परिकल्पना है। 11वीं योजना ने स्वास्थ्य परिचर्या के लिए 1,36,147 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं जो पहले की 10वीं योजना (33521.20 करोड़ रुपए) से अधिक है। आज की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गरीबों के निशुल्क विशिष्ट उपचार हेतु एक कार्पस बनाने के लिए बड़े कार्पोरेट वाणिज्यिक घरानों पर स्वास्थ्य–उपकर लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार ने देश में जिला एवं उप–जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को उन्नत करने के

लिए विभिन्न पहलें की हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सभी स्तरों अर्थात् ग्राम से शुरू होकर, उप–केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पताल तक, स्वास्थ्य परिचर्या के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत प्लेटफार्म तैयार करने पर बल देता है। यह गैर–सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने की आवश्यकता पर भी बल देता है। ग्रामीण दरिद्र व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्च में कमी लाने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आवश्यकता आधारित, समुदायमुखी फ्लेक्सीबल बीमा योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा छत्र पर बल देता है। अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए ग्राम, उप–केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप–जिला और जिला के सभी स्तरों पर खुली निधि, वार्षिक रखरखाव, वार्षिक कार्पस निधि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। रोगियों के उचित एवं निशुल्क उपचार को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को समुचित योजनाएं तैयार करने की छूट दी गई है।

[हिन्दी]

दिमागी बुखार पर नियंत्रण

752. श्री मो. ताहिर :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिमागी बुखार पर नियंत्रण करने के प्रयासों के बावजूद हर वर्ष इसके मामले प्रकाश में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में पाए गए इसके मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इसके मामले बार–बार प्रकाश में आने के मद्देनजर पहले किए गए उपायों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। दिमागी बुखार में मौसमी अंतर के स्पष्ट रुझान का पता चलता है और इस रोग का प्रकोप वर्ष के सूखे एवं ठंड के महीनों में अधिक होता है। यह रोग कम स्वच्छता की स्थितियों में रह निम्न सामाजिक–आर्थिक वर्ग के लोगों में अधिक देखा जा सकता है।

वर्ष 2005 से 2006 तक की अवधि के दौरान तथा मौजूदा वर्ष के दौरान भी देश में मेनिंगोकोकल दिमागी बुखार के सूचित रोगियों की संख्या नीचे दर्शायी गयी है।

वर्ष	कुल रोगियों की संख्या
2005	8367
2006	3438
2007	5067
2008 (जुलाई, 2008 तक)	2027

(ग) और (घ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान आवश्यकता पड़ते ही प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई दल भेज कर दिमागी बुखार से निपटने के लिए राज्यों को तकनीकी एवं नैदानिक सहायता प्रदान करता है। "मैनिंगोकोकल रोगों पर सीडी एलर्ट" एक तकनीकी दस्तावेज सभी प्रभावित राज्यों को परिचालित किया गया है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना, जो एक विकेन्द्रीकृत राज्य आधारित निगरानी परियोजना है, के अंतर्गत रोग का शुरू में ही पता लगाने और तुरन्त कार्रवाई करने के लिए अन्य रोगों के साथ–साथ दिमागी बुखार पर सतत निगरानी रखी जाती है।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में मेनिंगोकोकल दिमागी बुखार होने की सूचना के बाद राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों आदि के अधिकारियों वाले विशेषज्ञ समूह द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई है और राज्य सरकार ने रोग से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

753. श्री गणेश सिंह :
एडवोकेट सुरेश कुरुप :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके तहत शहरों में रहने वाले गरीबों को दी जा रही स्वास्थ्य परिचर्या विस्तार सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस योजना मिशन के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) 1.00 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

754. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आबंटित तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान योजना की समीक्षा की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संरक्षण कार्यक्रमों पर कार्य कर रहे विभिन्न विभागों तथा राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत बजट आबंटन तथा जारी की गई निधियों का विवरण निम्नलिखित है :

करोड़ रु. में

वर्ष	आबंटन	जारी की गई निधियां
2005–06	297.20	274.21
2006–07	275.92	275.92
2007–08	256.69	251.33
2008–09	249.00	155.37 (सितम्बर 2008 तक)

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इस समय 164 शहर आते हैं जोकि 20 राज्य में फैली 35 नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों के निकट स्थित है। संरक्षण संबंधी कार्यनीतियों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त शहरों और नदियों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नदियों के जल की गुणवत्ता सुधारना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में और सुधार करने के क्रम में संबंधित मंत्रालयों, इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहे विशेषज्ञों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रारंभिक बैठकें आयोजित की गई हैं।

(घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की संचालन समिति में विभिन्न एजेंसियों/विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं और यह समिति इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उचित समन्वय का उद्देश्य पूरा करती है। राज्यों में चल रहे कार्यों की प्रगति को और तेज करने के लिए अधिकारी और मंत्री दोनों स्तरों पर पत्राचार द्वारा तथा केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के निरंतर फील्ड दौरों राज्य सरकारों के साथ नजदीकी समन्वय सुनिश्चित किया जाता है।

भेषज कंपनियों द्वारा खतरनाक कचरे का छोड़ा जाना

755. मो. मुकीम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भेषज कंपनियां खतरनाक कचरे को छोड़ रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना) : (क) से (ग) भेषज उद्योग खतरनाक अपशिष्टों सहित, जिन्हें यदि विनियमित न किया जाए तो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं, बहिस्राव, उत्सर्जन के साथ–साथ उत्पन्न करते हैं। भेषज उद्योगों द्वारा बहिस्त्रावों और उत्सर्जनों को विनियमित करने के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने विशिष्ट बहिस्राव मानक और सामान्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं जिनका उद्योगों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। उद्योग द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्टों को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंध, हथालन और सीमापारीय संचालन) नियमावली, 2008, जिसे ऐसे उद्योगों द्वारा उत्पन्न किए गए खतरनाक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन और हथालन हेतु अधिसूचित किया गया है के अनुसार विनियमित किया जाना भी अपेक्षित है। ऐसी नियमावली के अनुसार, दवाइयों/भेषजों का उत्पादन/फार्मुलेशन ऐसी प्रक्रियाओं में से एक है जो खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं और उद्योग को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से उद्योग द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट का शोधन, भंडारण, हथालन और निपटान हेतु प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय

756. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्क देशों के सहयोग से भारत में एक दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ अधिगृहीत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय में आरंभ किए जाने वाले विषयों तथा पाठयक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने छात्रों को प्रवेश दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां, प्रधानमंत्री ने नवंबर, 2005 में ढाका में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। अप्रैल, 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क नेताओं ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया तथा इस आशय का एक करार संपन्न किया। सार्क सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की एक अंतर–सरकारी संचालन समिति स्थापित की गई है। इसने एक परियोजना कार्यालय स्थापित करने तथा एक अंतरिम कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया। परियोजना कार्यालय का उद्देश्य निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करना तथा इसके चार्टर, उपनियम, कार्ययोजना, प्रशासन ढांचा व पाठयक्रम इत्यादि तैयार करना है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में सार्क के सदस्य देशों में 5000 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

जीडीपी में वन क्षेत्र का योगदान

757. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वन क्षेत्र का योगदान कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को वन क्षेत्र के दायरे में लाने का है;

(ग) यदि हां, तो अब तक वन क्षेत्र के दायरे में लाए गए कुल क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सतत् वन प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस रघुपति): (क) गत दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में वानिकी क्षेत्र का योगदान निम्नलिखित हैं :–

क्षेत्र	वर्ष के दौरान चालू कीमतों (करोड़ रुपये में) पर फैक्टर कॉस्ट पर सकल घरेलू उत्पाद	
क्रम सं. वर्ष	2005–06	2006–07
1. वानिकी और लौगिंग	25839 (0.8)*	26855 (0.7)*
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल जी डी पी	3275670	3790063

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें, कुल जी डी पी में से वानिकी और लौगिंग सेक्टर की प्रतिशतता का शेयर है।

(ख) जी, हां।

(ग) गत दो आकलनों के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेशों में वन आवरण में परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

(वर्ग कि.मी. में)

वर्ष	2003	2005
भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा 2003 और 2005 के बीच में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में किए गए आकलनों में वर्ग कि.मी. में वन आवरण के तहत कुल क्षेत्र	677,816	677,088

वर्ष 2003 और 2005 में किए गए आंकलनों के बीच कुल 728 वर्ग कि.मी. की शुद्ध कमी हुई है।

(घ) सरकार द्वारा सतत वन प्रबंधन (एस एफ एम) के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

– राष्ट्रीय स्तर पर एस एफ एम उद्देश्यों की प्राप्ति में नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रालय में एस एफ एम प्रकोष्ठ गठित किया गया है।

– प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेशों में सभी वन विभाग में इसी के अनुरूप एस एफ एम प्रकोष्ठ गठित किए जा रहे हैं।

– सतत वन प्रबंधन हेतु मानदंड और संकेतक विकसित किए गए हैं। ये स्थानीय वन प्रबंधन इकाई (एफ एम यू) के स्तर पर वनों के स्वास्थ्य का आकलन और मानीटरिंग को मानकीकृत करेंगे। प्रत्येक एफ एम यू के वर्किंग प्लान में इन मानदंडों और संकेतकों को शामिल करना प्रस्तावित किया गया है। चूंकि वर्किंग प्लान्स, वन विभाग के आधारभूत प्रबंधन योजनाएं हैं, मानदंडों और संकेतकों को शामिल करने से संपूर्ण प्रक्रिया संस्थागत हो जाएगी और देश भर में एस एफ एम के उद्देश्य और कार्यान्वयन की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

हाथी दांत की चोरी

758. श्री किरिप चालिहा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तराखंड के कॉरबेट बाघ अभ्यारण्य के भीतर स्थित एक संग्रहालय से लाखों रुपए के हाथी दांत की चोरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 11/12 जून, 2008 की रात को कॉरबेट राष्ट्रीय उद्यान के धनघड़ी संग्रहालय से क्रमशः 18.6 कि.ग्रा. तथा 18.2 कि.ग्रा. के दो हाथी दांत चुराए गए थे।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 12 जून, 2008 को रामनगर पुलिस स्टेशन में विस्तृत जांच एवं कार्रवाई के लिए एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

भारत में स्वास्थ्य परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता

759. श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही स्वास्थ्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन–किन राज्यों में ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक का विचार भारत में स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु ऋणों को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायित स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विश्व बैंक सहायित स्वास्थ्य सेवा की सतत परियोजनाओं के ब्यौरे

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुमोदन का वर्ष	पूरा होने का वर्ष	आईडीए सहायता संघटक
1	2	3	4	5
1	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	2000	2008	110.00
2.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	2004	2009	89.00

1	2	3	4	5
3.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	2005	2010	110.83
4.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास व सुधार परियोजना	2006	2011	141.83
5.	एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	2004	2010	68.00
6.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	2006	2010	360.00
7.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना चरण–II	2006	2011	170.00
8.	राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना–III	2007	2012	250.00

इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल

760. श्री पी.सी. थामस : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूवनंतपुरम, केरल के निकट इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किए गए कार्य की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित तथा जारी की गई; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार का तिरूवनंतपुरम, केरल के समीप अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

कचरे का पाटन

761. श्रीमती जयाप्रदा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटेन भारतीय भूमि पर अपने कचरे का पाटन कर रहा है, जैसाकि दिनांक 09 सितम्बर, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) सीमाशुल्क प्राधिकरणों और तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जांच के अनुसार ब्रिटेन से कचरे के पाटन की कोई घटना उसके ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

762. श्री अधीर चौधरी :

श्री निखिल कुमार :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो उनसे की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उनकी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा (14 से 18 सितम्बर) के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी विषयों पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि जल संसाधनों, व्यापार और पारगमन एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों सहित नेपाल के साथ सभी द्विपक्षीय तंत्रों को फिर से सक्रिय किया जाए। संयुक्त प्रेस वक्तव्य का पाठ विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

नेपाल के प्रधान मंत्री परम माननीय पुष्प कमल दहल "प्रचंड" की भारत की सरकारी यात्रा पर संयुक्त प्रेस वक्तव्य (14–18 सितम्बर,2008)

17/09/2008

1. नेपाल के प्रधान मंत्री परम माननीय पुष्प कमल दहल "प्रचंड" भारत के प्रधानमंत्री महामहिम डा. मनमोहन सिंह के निमंत्रण पर 14–18 सितम्बर, 2008 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए हैं। नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ विदेश मामलों के मंत्री माननीय श्री उपेन्द्र यादव, सूचना एवं संचार मंत्री माननीय श्री कृष्ण बहादुर महर, जल संसाधन मंत्री माननीय श्री विष्णु प्रसाद पोउदेल तथा वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री माननीय श्री राजेन्द्र महतो भी आए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में संविधान सभा के सदस्य, नेपाल के वरिष्ठ अधिकारीगण, एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल तथा मीडिया के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है।

2. यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ मुलाकात की। नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत के प्रधान मंत्री के साथ एक बैठक हुई जिसके उपरांत दोनों प्रधान मंत्रियों के नेतृत्व में आपसी हित एवं चिंता के मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा हुई। भारत के प्रधान मंत्री ने नेपाल के प्रधान मंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, जल संसाधन मंत्री प्रो. सैफुद्दीन सोज और लोक सभा में विपक्ष के नेता श्री एल.के. आडवाणी ने नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ एक बैठक की। नेपाल के प्रधान मंत्री ने राजघाट का दौरा किया और उन्होंने महात्मा गांधी की स्मृति को श्रद्धांजलि दी। यात्रा पर आए गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में एसोचैम, सीआईआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय व्यावसायिक समुदाय के साथ क्रियाकलाप का आयोजन किया गया। भारत में अपने प्रवास के दौरान नेपाल के प्रधान मंत्री 17–18 सितम्बर, 2008 को बंगलौर का दौरा करेंगे।

3. भारत के प्रधान मंत्री ने नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में नेपाल के प्रधान मंत्री का हार्दिक स्वागत किया। दोनों प्रधान मंत्रियों ने नेपाल और भारत के बीच विद्यमान युगों पुराने घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और व्यापक संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों प्रधान मंत्रियों ने आने वाले समय में अपने संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के प्रति अपना समर्थन और सहयोग व्यक्त किया।

4. वार्ताएं सौहार्द एवं गर्मजोशी के वातावरण में संपन्न हुई। उन्होंने स्थितियों पर अपने विचारों और आकलनों का आदान–प्रदान किया। दोनों प्रधान मंत्रियों ने नेपाल में शांतिपूर्ण, राजनैतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के ऐतिहासिक महत्व की सराहना की।

5. नेपाल के प्रधान मंत्री ने देश में शांतिपूर्ण राजनैतिक लोकतांत्रिक परिवर्तन के दौरान भारत की जनता और सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक समर्थन की सराहना की।

6. भारत सरकार ने नेपाल में शांतिपूर्ण राजनैनिक लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

7. दोनों नेताओं ने नेपाल की जनता की इच्छाओं के अनुरूप नेपाल में संविधान सभा के चुनावों और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, नेपाल की घोषणा के साथ नेपाल में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन को स्वीकार किया।

8. नेपाल के प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि संविधान सभा के चुनावों के उपरांत आने वाले दिनों में शांति प्रक्रिया को तार्किक परिणति तक ले जाना, नया संविधान तैयार करना और आर्थिक विकास की गति को तेज करना नेपाल सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।

9. दोनों पक्षों ने समय की वास्तविकताओं और दोनों देशों की जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एक प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए दोनों देशों के बीच विद्यमान संबंधों में नई गतिशीलता का प्रवास करने की आवश्यकता महसूस की।

10. दोनों पक्षों ने उदीयमान संदर्भ में विद्यमान द्विपक्षीय तंत्रों को पुनः सक्रिय बनाने पर सहमति व्यक्त की।

11. दोनों पक्षों ने इस बात पर गौर किया कि दोनों देशों के बीच विद्यमान बहु–पक्षीय और गहन संबंधों को सकारात्मक तरीके से और सुदृढ़ एवं विस्तारित करने की आवश्यकता है जिससे कि ये वर्तमान वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से परिलक्षित कर सकें। इसी व्यापक संदर्भ में दोनों प्रधान मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की विशेषताओं को विधिवत मान्यता प्रदान

करते हुए वर्ष 1950 की शांति एवं मंत्री संधि तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा, समायोजन करने तथा इन्हें अद्यतन बनाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव स्तरीय एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन इस प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

12. नेपाली पक्ष ने सूचित किया कि नेपाल की सरकार नेपाल में भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेशों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेशक हितैषी वातावरण को बढ़ावा देने और समर्थकारी व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

13. दोनों पक्ष सीमा–पार अपराध और सुरक्षा चिंताओं का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए गृह सचिवों की बैठक शीघ्र होगी।

14. भारत सरकार नेपाल में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन, इसके आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण में नेपाल की सरकार और जनता को अपना समर्थन देना जारी रखेगी।

15. दोनों पक्षों ने कोसी बैराज क्षेत्र में बांध में टूटने के कारण बड़े पैमाने पर हुए नुकसान पर अपनी चिंता व्यक्त की तथा बाढ़–पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्य आरंभ करने तथा क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनर्निर्माण करने तथा सहमति के अनुसार तत्काल अन्य उपाय करने एवं आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निरोधात्मक उपाय करने का निर्णय लिया। उन्होंने विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत गंडक और अन्य बैराजों के संबंध में भी निरोधात्मक उपाय करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार दोनों पक्षों ने नेपाल और भारत के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या पर भी चर्चा की और द्विपक्षीय विचार–विमर्शों के आधार पर इसके प्रभावी निरोध के लिए आवश्यक कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।

16. भारत सरकार नेपाल के लोगों लिए तत्काल 20 करोड़ रुपए की खाद्य राहत सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार हाल मे कोसी में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पूर्व पश्चिम राजमार्ग के कुछ भागों में पुनर्निर्माण भी करेगी।

17. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत सरकार राजमार्ग की मरम्मत किए जाने तक बिहार के जरिए नेपाल के अन्य भागों में संपर्कों में सुधार लाने हेतु नेपाली वाहनों के यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बिराटनगर में एक शिविर कार्यालय खोलेगी।

18. विद्यमान द्विपक्षीय तंत्रों को तर्कसंगत बनाने और उनकी प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए मंत्री, सचिव और तकनीकी स्तरों पर एक त्रिस्तरीय तंत्र की स्थापना करेगी जिससे कि जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण एवं जल संबंधी अन्य प्रकार के सहयोग सहित व्यापक तरीके से जल संसाधन पर चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सके। सचिवों की मुलाकात दो हफ्तों के भीतर होगी।

19. दोनों प्रधान मंत्रियों ने विद्यमान व्यापार एवं पारगमन व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा संबंधी पहल किए जाने के लिए एक माह के भीतर वाणिज्य सचिव के स्तर पर गठित अंतर–सरकारी समिति को अपनी बैठक करने का निर्देश दिया जिससे कि नेपाल में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, स्थायी आधार पर संपूरकताओं का विस्तार किया जा सके और व्यापार की बाधाएं समाप्त की जा सकें।

20. दोनों पक्षों ने सड़क, रेल तथा जल विद्युत परियोजनाओं जैसी अवसंरचना विकास परियोजनाओं सहित वृहत परियोजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन को सहायता प्रदान करते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास की गति को और बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। भारत की सरकार और जनता की ओर से एक प्रकार के सदभावना प्रदर्शन के रूप में भारत सरकार राप्ती नदी पर नुआमुरे जल विद्युत परियोजना को क्रियान्वित करने पर भी सहमत हुई।

21. नेपाल में आवश्यक वस्तुओं की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार नेपाल के साथ सहमत मात्रा में चावल, गेहूं, मक्का, चीनी और सुकोज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा लेगी। भारत सरकार नेपाल को पीओएल की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अगले तीन माह के लिए 50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मुहैया कराएगी।

22. नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री को शीघ्र नेपाल की राजकीय यात्रा करने का निमंत्रण दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने इस निमंत्रण को, खुशी–खुशी स्वीकार कर लिया। यात्रा की तारीख के संबंध में निर्णय राजनयिक माध्यमों से लिया जाएगा।

नई दिल्ली
17 सितम्बर, 2008

आंकड़े एकत्र करने के लिए डाकियों की सेवाएं

763. श्री रूपचंद पुर्ती : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देशभर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन हेतु आवश्यक वस्तुओं के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के लिए डाकियों की सेवाएं लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के कार्य में कितने डाकिये लगाने की संभावना है; और

(घ) इन डाकियों को दिए जाने के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) में क्षेत्र अन्वेषकों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन हेतु मूल्य संग्रहण का कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसलिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य संग्रहण के कार्य हेतु राज्य/संघ शासी सरकारों तथा डाक विभाग सहित समुचित एजेंसियों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है।

एम्स जैसी संस्थाओं का निर्माण

764. श्री तथागत सत्पथी :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज तक इनमें से प्रत्येक अस्पताल द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अस्पतालों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) आर्थिक कार्य मंत्रिमण्डलीय समिति ने दिनांक 16.3.2006 को एम्स जैसी छह संस्थाओं को स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। एम्स जैसी सभी छह संस्थाओं के लिए एकल परियोजना परामर्शदाता और प्रोटोटाइप वास्तु डिजाइन के चयन के लिए बोलियां उच्च उद्धत कीमत के कारण अप्रतिक्रियाशील अर्थात निरुत्तर हो रही और अतः उनको अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए दिसम्बर, 2006 में पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाना पड़ा।

तदनुसार, प्रत्येक एम्स स्थल को सभी छह संस्थानों के स्थल को एक साथ जोड़ने के बजाए एक पृथक और स्वतंत्र परियोजना के रूप में लिया गया है। आवासीय परिसर (आवासी और छात्रावास) के निर्माण के कार्य को भी अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय के स्थल से पृथक किया गया है।

प्रत्येक स्थल हेतु डिजाइन डीपीआर परामर्शदाताओं का खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से चयन किया गया है और प्रत्येक स्थल हेतु ले–आउट/मास्टर प्लानों को प्रारंभिक वास्तु डिजाइनों के रूप में भी अनुमोदित किया गया है। जोधपुर और ऋषिकेश के लिए ब्यौरे–वार परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर्स) नवम्बर, 2008 के अंत तक और अन्य 4 स्थलों की ये रिपोर्टें दिसम्बर, 2008 के अंत तक उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है। प्रत्येक स्थल के लिए कार्य के तेजी से निष्पादन करने हेतु परियोजना, परामर्शदाता का चयन किया जा चुका है।

जहां तक जोधपुर में आवासीय परिसर (आवासीय और छात्रावास) के निर्माण का संबंध है, यह कार्य प्रतियोगी बोली के माध्यम से चयन किए गए राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम, जयपुर को प्रदान किया गया है। स्थल पर यह कार्य नवम्बर, 2007 में शुरू हो गया है।

शेष पांच स्थलों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण अभिकरणों का भी खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से चयन किया जा चुका है। पटना, ऋषिकेश, भुवनेश्वर और रायपुर स्थलों की संविदाएं दी जा चुकी हैं और सितम्बर, 2008 से संविदाकर्ताओं को सभी स्थलों पर जुटा दिया गया है और उन्होंने सिविल निर्माण–कार्य शुरू कर दिया है। भोपाल स्थल पर यह कार्य नवम्बर, 2008 से शुरू कर दिया जाएगा।

आवासीय परिसर का कार्य वर्ष 2009–10 तक पूरा कर लिया जाएगा और अस्पताल–चिकित्सा महाविद्यालय का कार्य जून, 2011 तक पूरा हो जाने की संभावना है। ये संस्थाएं 2011 के अंत तक कार्य करने लगेंगी।

बीजिंग ओलम्पिक-2008

765. श्री एम. शिवन्ना : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजिंग ओलम्पिक–2008 में कितने खिलाड़ियों ने स्पर्धा–वार भारत का प्रतिनिधित्व किया;

(ख) इन खिलाड़ियों के साथ कुल कितने अधिकारी गए थे;

(ग) क्या अधिकारियों की संख्या बीजिंग ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अधिक थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) बीजिंग ओलंपिक–2008 में 55 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेल विधा–वार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

तीरंदाजी–4, एथलेटिक्स–16, बैडमिन्टन–2, मुक्केबाजी–5, जूडो–2, रोइंग–3, याटिंग–1, निशानेबाजी–9, तैराकी–4, टेबल टेनिस–2, टेनिस–4 और कुश्ती–3

(ख) से (घ) 2 युवा शिविरवासियों सहित 43 अधिकारी जिनकी सहभागिता को सरकारी लागत पर क्लीयर किया गया था, बीजिंग ओलंपिक–2008 में भारतीय खिलाड़ी दल के साथ गए थे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र

766. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विकास हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन–कौन से हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आबंटित तथा उपयोग की गई धनराशि का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ग्यारहवीं योजना अवधि में उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एन.ई.आर.) में विकास हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संपर्क (सड़क, रेल, वायु, अन्तर्देशीय जलमार्ग, दूरसंचार) विद्युत, कृषि, सामाजिक अवसंरचना (स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन) और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

(ख) योजना आयोग ने बताया है कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में सेक्टरवार धनराशि का आबंटन और इसके उपयोग संबंधी जानकारी राज्य योजना में उनके निष्पादन के संदर्भ में राज्यों से एकत्र की जा रही है।

जुआरी नदी पर समानांतर पुल

767. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा राज्य सरकार ने कोर्टालिम में जुआरी नदी पर एक समानांतर पुल के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य में आरंभ की गई/आरंभ की जाने वाली अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 की संपूर्ण लंबाई को चार लेन का बनाने की परियोजना के भाग के तौर पर विद्यमान पुल के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर जुआरी नदी पर एक नए पुल का प्रस्ताव है जिसके लिए साध्यता अध्ययन शुरू किया गया है और इसके दिसंबर, 2008 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

(ग) जहां तक अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, कर्नाटक/गोवा सीमा से पंजिम के बीच संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग – 4ए की (69 किमी लंबाई) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं; पत्तन संपर्क सड़क परियोजना के अंतर्गत वरना जंक्शन से सदा जंक्शन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 बी को चार लेन का बनाने का कार्य 18.3 किमी. लंबाई में से 13.1 किमी. में पूरा कर लिया गया है और शेष लंबाई में यह कार्य राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 ए (कोर्टालिम से मुरगांव के बीच), 4ए और 17 पर सड़क गुणता सुधार के लिए 8.67 करोड़ रु. के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 4ए एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के लिए सड़क सुरक्षा हेतु 4.53 करोड़ रु. के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

भारतीय कामगारों को अवैध तरीके से विदेश भेजना

768. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री के.एस. राव :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी कंपनियां/भर्ती एजेंट कामगारों को अवैध रूप से विदेश भेजने के व्यवसाय में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इन कामगारों को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों और कठिनाई में रहने पर विवश होना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो दोषी एजेंटों/निजी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन कामगारों को कानूनी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ङ) अपंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा विदेशी रोजगार के लिए भारतीय कामगारों की अवैध भर्ती के बारे में छुटपुट शिकायतें मिलती रहती है जिनकें परिणामस्वरूप उनका कानून लागू करने वाली एजेंसियों और नियोक्ताओं के द्वारा प्रायः शोषण होता है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार दायर की गई शिकायतों और अपंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध की गई कार्रवाई निम्नानुसार है :

अपंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जारी की गई अभियोजन स्वीकृतियां	कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/ उत्प्रवास संरक्षियों को भेजे गए मामले
2005	53	8	45
2006	78	21	57
2007	41	7	34
2008 (30/09/2008 तक)	71	37	34

ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 का उल्लंघन करने के लिए ऐसे अपंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का उत्प्रवास संरक्षी/संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जब कभी किसी बाहरी देश द्वारा अवैध श्रमिकों को भारत लौटने के लिए क्षमादान की घोषणा की जाती है, यह मंत्रालय उनकी वापसी को कारगर बनाने के लिए गृह, विदेश और नागर विमानन मंत्रालयों और विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ समन्वय स्थापित करता है। बड़े पैमाने पर ऐसी स्वदेश वापसी संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब आदि देशों से कराई गई है।

मंत्रालय ऐसे कामगारों की समस्याओं का समाधान करने में विदेशों में भारतीय मिशनों के समन्वय से मामलों को विदेशी नियोक्ताओं और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाता है और समय-समय पर अवैध उत्प्रवासियों की स्वदेश वापसी के लिए समुचित सहायता और समर्थन प्रदान करता है।

ओबीसी हेतु क्रीमी लेयर की नई सीमा

769. **श्री सर्वे सत्यनारायण :**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) हेतु क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक प्रभावी हो जाएगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) जी, हां। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर दर्जा निर्धारित करने के लिए आय सीमा को बढ़ाकर अक्टूबर 03, 2008 से 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

770. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री आनंदराव विठो । अडसूल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) द्वारा छूट और अमरीका के साथ असैन्य परमाणु समझौते 123 की पृष्ठभूमि में ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले के भू-वैज्ञानिक संसाधन

771. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के कुल कितने भू–वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं;

(ख) क्या कोयले के मौजूदा भंडार देश में कोयले की आवश्यकता को पूरा कर सकते है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आबंटित कोयला खंडों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण की सूची के अनुसार भारत में कोयले का कुल भू–वैज्ञानिक संसाधन 1.4.2008 की स्थिति के अनुसार 264.535 बिलियन टन है।

(ख) 11वीं योजना के लिए कोयला तथा लिग्नाइट से सम्बद्ध कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना के अंतिम वर्ष (2011–12) तक देश की कोयले की कुल मांग 731 मिलियन टन है। इसमें से कोकिंग कोयले की अनुमानित मांग लगभग 68.50 मिलियन टन है जिसमें से देश में अनुमानित आपूर्ति 27.65 मिलियन टन है जिसके फलस्वरूप लगभग 41 मिलियन टन का अंतर है। नान–कोकिंग कोयले के मामले में मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर लगभग 10 मिलियन टन है। कोयले की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले के आयात का सहारा लिया जाना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत, लोहा तथा इस्पात, वाणिज्यिक खनन, सीमेंट आदि के क्षेत्र में 32.92 बिलियन टन के भंडार वाले 127 कोयला ब्लाक तथा कैलेण्डर वर्ष (10.9.2008 तक) के दौरान 2.97 बिलियन टन भंडार वाले 19 कोयला ब्लाक विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित किए गए हैं।

देश में यूरेनियम भंडार

772. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरेनियम भंडार मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; जहां ये भंडार स्थित हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक स्थल में कितनी मात्रा में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं;

(घ) क्या इन स्थलों में खनन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य–वार और स्थल–वार यूरेनियम निक्षेपों की मात्रा नीचे दी गई है :

राज्य	स्थल	मात्रा (टन U_3O_8)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	लम्बापुर	1450
(36196)	पेड्डागुट्ट	6407
	तुमल्लापल्ली	8071
	रचाकुंतापल्ली	12000
	कोप्पूनूरू	2468
	चित्रियाल	5800
छत्तीसगढ़	धुमथ–धाबी	500
(3986)	भंडारीटोला	518
	बोडल	1530
	जजवाल	1438
हिमाचल प्रदेश	राजपुरा	364
(784)	काशा–कल; आडि	200
	तीलेली	220
झारखंड	जादुगुडा	6700
(47809)	भाटिन	1150
	नरवापहाड़	11780
	तुरूमडीह	3550
	बंदुहुरंग	5460
	बगजाता	1860
	मोहुलडीह	3330
	तुरूमडीह (दक्षिण)	4850
	गरडीह	1270
	कन्यालुका	1910
	नीमडीह	880

1	2	3
	राजगांव	1130
	नन्दूप	2910
	मध्य केरूआडुंगरी	1029
कर्नाटक	गोगी	3818
(4233)	वाल्कुंजी–येल्लाकी	415
महाराष्ट्र	मोगारा	355
(355)		
मेघालय	केपीएम (डोमियासियात)	9500
(17245)	वाखिन	5381
	गोमाघाट	1000
	फिलांगडीलोइन	
	टिरनाई	600
	लास्टोइन	764
राजस्थान	रोहिल	3720
(4880)	उमरा	1160
उत्तर प्रदेश	नेक्तू	785
(785)		
उत्तराखण्ड	पोखरी–तुनजी	100
(100)		
	कुल	1,16,373

(1 मीटरी टन U_3O_8 = 0.848 मीटरी टन यूरेनियम धातु)

(घ) और (ङ) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) जोकि इस विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, झारखंड में पांच खानें चला रहा है। यूसीआईएल ने झारखण्ड में दो और खानों का तथा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में एक खान का निर्माण शुरू किया है। यूसीआईएल ने नलगोंडा जिले में चार खानें खोलने की भी योजना बनाई है, जिसके लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण (एनईएए) से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा है। मेघालय में, एक खान की योजना बनाई गई है। खानें खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गोगी निक्षेपों (कर्नाटक) और रोहिल निक्षेपों (राजस्थान) में अन्वेषणात्मक खनन का कार्य प्रगति पर है।

बाघ अभ्यारण्यों को नई जगह स्थापित करना

773. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बाघ अभ्यारण्यों को नई जगह स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) बाघों को अनुल्लंघित स्थल मुहैया कराने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत अभिनिर्धारित किए गए कोर अथवा क्रिटिकल बाघ पर्यावास से गांवों को नई जगह बसाने के लिए बाघ रेंज वाले राज्यों को बाघ परियोजना से संबंधित चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ग) से (ङ) बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में संशोधन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ गांव को अन्य जगह बसाने के संवर्धित पैकेज (1.00 लाख रु. प्रति परिवार से 10.00 लाख रु. प्रति परिवार करने) को शमिल किया गया है। इस संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष के बाद से राज्यों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बाघ परियोजना स्कीम के अन्तर्गत गांवों को नई जगह बसाने/अधिकारों के निपटान के लिए वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007–08	2008–09
1.	कर्नाटक	980.19	–
2.	मध्य प्रदेश	1930.8968	1324.49
3.	उड़ीसा	–	350.00
4.	राजस्थान	100.00	2412.00
5.	उत्तराखंड	10.00	–
	कुल	3021.087	4086.49

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं

774. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–दो और तीन के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सर्वेक्षण के अनुसार उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें सुधार नहीं किए जा सके हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–III के दौरान देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में प्राप्त उपलब्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–III के दौरान बच्चों (6–35 महीने) और 15–49 वर्ष की महिलाओं में वेस्टिंग, रक्ताल्पता की व्याप्तता बढ़ी है। वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–III के दौरान देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में प्राप्त उपलब्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा

	स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं	एनएफएच एस–III	एनएफएच एस–II
	1	2	3
I)	**परिवार नियोजन विधियों का मौजूदा प्रयोग**		
	इस समय कोई भी विधि प्रयोग करने वाले का (%)	56.3	48.2
	इस समय कोई भी आधुनिक विधि प्रयोग करने वाले का (%)	48.5	42.8
	इस समय बंध्यकरण कराने वाले का (%)	38.3	36.0
	इस समय जन्म में अंतर रखने संबंधी विधि का प्रयोग करने वाले का (%)	10.0	6.8
II)	**प्रसव पूर्व परिचर्या सूचक**		
	प्रसव पूर्व कम से कम तीन जांच (%)	52.0	44.2
	डा./नर्स/एलएचवी/एएनएम/अन्य स्वास्थ्य कार्मिक की सहायता से जन्म (%)	46.6	42.4
	संस्थागत जन्म (%)	38.7	33.6
III)	**रोग प्रतिरक्षण**		
	पूर्ण रोग प्रतिरक्षण (%)	43.5	42.0
	बी सी जी (%)	78.1	71.6
	डीपीटी (3 इंजेक्शन) (%)	55.3	55.1
	पोलियो की तीन खुराक (%)	78.2	62.8
	खसरा (%)	58.8	50.7
IV)	**बच्चों और व्यस्कों में पोषणिक स्थिति**		
	जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराए गए तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे (%)	23.4	16.0
	रक्ताल्पता वाले 6–35 महीने की आयु वाले बच्चे (%)	79.1	74.2

1	2	3
3 वर्ष से कम आयु के बच्चे की पौषणिक स्थिति में रूझान (%)		
आयु के साथ लम्बाई (अवरूद्ध विकास)	44.9	51.0
लम्बाई के साथ भार (क्षीण)	22.9	19.7
आयु के साथ वजन (कम वजन)	40.4	42.7
सामान्य से कम बॉडी मास इंडेक्स वाली महिलाएं (%)	33.0	36.2
रक्ताल्पता वाली 15–49 वर्ष की आयु वाली विवाहित महिलाएं (%)	56.1	51.8
रक्ताल्पता वाली 15–49 वर्ष की आयु वाली गर्भवती महिलाएं (%)	57.8	49.7

विवरण-II

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित ब्यौरा

बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- देश में i) आहार विविधीकरण, ii) पोषक तत्व का सम्पूरण, iii) बागवानी उपचार, iv) जन स्वास्थ्य उपायों, v) शक्तिवर्धक भोजन के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए कार्यक्रमों में गति लाने हेतु 11वीं योजना के दौरान एक पंचस्तरीय कार्यनीति अपनाई गई है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार रोग निरोधन एवं रक्ताल्पता के उपचार के लिए जोर–शोर से एक कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को 100 दिनों तक प्रतिदिन (100 मिग्रा. इलेमेंटल आयरन और 0.5 मिग्रा. फोलिक एसिड वाली) एक गोली प्रदान की जाती है। गंभीर रक्ताल्पता वाली महिलाओं को इन गोलियों की दोगुनी खुराक दी जाती है।

- पांच वर्ष की आयु तक बच्चों को विटामिन ए और आयरन एवं फोलिक एसिड की आपूर्ति और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमियों को रोकने एवं इससे लड़ने के लिए शिशुओं, स्कूल जाने से पहले की आयु वाले बच्चों, किशोरियों को आयरन एवं फोलिक एसिड की सम्पूरक खुराक।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी निम्नलिखित के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है :

  राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम;

  जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, प्रसव पूर्व परिचर्या का कवरेज और गुणवत्ता बढ़ाना, गर्भवती महिलाओं की कुशल परिचर्या, सामुदायिक स्तर पर प्रसव उपरांत परिचर्या, रोग प्रतिरक्षण और एकीकृत नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था रूग्णता प्रबंधन।

- शिशु को पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने को जोर–शोर से बढ़ावा देना।

- राष्ट्रीय पोषण नीति वर्ष 1993 में अपनाई गई है और पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (1995) सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पोषण संबंधी नोडल मंत्रालय अर्थात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापित किया है।

[हिन्दी]

पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी सहायता

775. श्री शिशुपाल एन. पटले : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन के दौरान सभी पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहायता से सुसज्जित करने के लिए कोई संकल्प लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी पंचायतों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) देश में सभी पंचायतों को कब तक इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां। दिसम्बर, 2004 में जयपुर में आयोजित राज्य पंचायती राज मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि संवैधानिक व वैधानिक अधिदेशाधीन भूमिका निभाने की पंचायतों की क्षमता को सूचना प्रौद्योगिकी व संचार के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा। सातवें गोलमेज सम्मेलन के संकल्प के प्रासंगिक उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) सातवें गोलमेज सम्मेलन में अंगीकृत किए गए संकल्प के अनुरूप देश के सभी पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी सहायता पहुंचाने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया है जो सरकार के पास विचाराधीन है।

विवरण

17 से 19 दिसंबर, 2004 के दौरान जयपुर में आयोजित पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन के संकल्पों से प्रासंगिक उद्धरण

सूचना प्रौद्योगिकी सहित ई-गर्वनेंस

1. पंचायतों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार) की पंचायतों में निवेश हेतु एक महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में पहचान की गई है जिससे कि वे प्रदान किये गए अपने संवैधानिक और विधायी कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

2. सूचना प्रौद्योगिकी की मुख्य रूप से निम्न के लिए आवश्यकता है:–

(i) स्वयं पंचायतों के लिए निर्णय लेने के सहायक प्रणाली के रूप में,

(ii) पारदर्शिता, नागरिक सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के सहायक के रूप में;

(iii) नागरिकों को सेवाओं की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने के एक साधन के रूप में;

(iv) पंचायतों के आंतरिक प्रबंधन तथा कार्यक्षमता में सुधार के साधन के रूप में;

(v) पंचायतों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के साधन के रूप में;

(vi) ई–प्राप्ति का एक माध्यम

इस प्रयास में, गोलमेज सम्मेलन विशिष्ट रूप से निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव करता है:

प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी :

3. सभी राज्य, उनके द्वारा पहले ही की जा रही गतिविधियों सहित, पंचायतों को अंतरित किये गये कार्यों के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया, कार्यान्वयन, लोगों को जानकारी देने, सेवाएं प्रदान करने एवं प्रतिवेदित करने तथा प्रौद्योगिकी सुसज्जित वातावरण में पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना के प्रसार आदि को ध्यान में रखते हुए, एक समयबद्ध प्रक्रिया को पुनः आरंभ करेंगे।

4. इस प्रक्रिया में, विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों तथा एजेन्सियों द्वारा उठाये गये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संबंधी कार्यों की पुनरावृति को रोका जायेगा।

5. संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में, पंचायतों के कार्यक्षेत्र पर विचार करते हुए स्थानीय स्तर पर उठाये गये सभी ई–गर्वनेन्स को समुचित पंचायती राज संस्थाओं के साथ मुख्य बिन्दु के रूप में अभिसारित किया जाए।

डाटा स्वामित्व :

6. पुनः तैयार की गई ऐसी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करना संभव हो सकेगा कि पंचायत स्तर पर एकत्र किये गये आंकड़ों का स्वामित्व प्रथम दृष्टि में उसी स्तर पर रहे क्योंकि कोई भी प्रणाली तभी स्थाई रह सकती है जब आंकड़ों का इस्तेमाल करने वालों को यह महसूस हो कि प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों पर उसका स्वामित्व है।

7. आंकड़ों के स्वामित्व के साथ, पंचायतें सूचना प्रौद्योगिकी सहित बहुसेवा केंद्रों, जो पंचायतों के दायरे में आने वाले कार्यों सहित लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित सेवाएं प्रदान करते हैं, को चलाने, आउटसोर्स करने अथवा स्थान प्रदान करने का कार्य भी कर सकती है।

8. केंद्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किये जाने वाले सामुदायिक सेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय में स्थित हों ताकि पंचायतों की सेवाएं इन साझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा सकें।

प्रशिक्षण :

9. सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर क्रमानुसार ढंग से स्टाफ और पंचायती राज सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यवस्थित तरीका होना चाहिए।

10. "एडुसेट" सहित इसरो के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेटेलाईट सम्पर्कता द्वारा दिये गये अवसरों का उपयोग प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकता है;

11. प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते समय, प्रयोक्ता–अनुकूल डिजाईन की दिशा में विचार किया जाये जिससे अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण देने में सुविधा होगी।

साफ्टवेयर :

12. राज्यों द्वारा समुचित कस्टमाईजेशन के लिए साझा सॉफ्टवेयर प्रयोग पैकेज के विकास को तरजीह दी जायेगी। इस संबंध में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन. आई. सी.) जो सरकारी निकाय के रूप में देश के सभी जिलों में स्थित हैं और जिसने पहले ही पंचायतों के लिए काफी साफ्टवेयर विकसित किये हैं, पर प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रदाता के रूप में विचार किया जा सकता है।

13. यह सिफारिश की जाती है कि एन. आई. सी. सभी स्तरों पर अपने–आप को मजबूत बनाये और पंचायत के सभी स्तरों पर ई–गर्वनेन्स समाधान विकसित करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया के साथ पंचायत सूचना प्रभाग बनाकर, समर्पित स्टाफ प्रदान करे। इसमें एन. आई. सी. के जिला सूचना कार्यालय को मजबूती प्रदान करना शामिल होगा ताकि जिला योजना समिति तथा पंचायतों को समर्थन दिया जा सके।

14. पंचायती राज मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल एक व्यापक सूचना केन्द्र बनेगा, जो पंचायतों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को सूचनाओं का आदान–प्रदान, अनुभवों तथा श्रेष्ठ प्रयासों से आपस में जोड़ेगा। प्रथम कदम के रूप में, सभी राज्य सरकारें अपने वर्तमान पंचायत राज वेबसाइट और पोर्टल को राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल के साथ तत्काल जोड़ें और उनकी सामग्री को राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल को भेजें और सभी जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम पंचायतों को पोर्टल के साथ जोड़ने में सुविधा प्रदान की जा सकती है। संबंधित स्टेक होल्डर्स द्वारा इस सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन किया जा सकता है।

15. कई राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही विकसित सॉफ्टवेयर समाधान का रखरखाव पंचायती राज मंत्रालय अथवा इसके द्वारा नामित संस्थान द्वारा किया जायेगा ताकि अन्य राज्यों द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा सके।

16. सॉफ्टवेयर का विकास, भारतीय भाषाओं के इन्टरफेस सहित, मुख्य रूप से ओपन सोर्स साफ्टवेयर में किया जायेगा ताकि प्रतियां बनाने और लाइसेंसिंग की लागत को कम किया जा सके।

हार्डवेयर :

17. राज्यों को हार्डवेयर के लिए सम्मिलित मानक बनाने की दिशा में विचार करना चाहिए और प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा पारदर्शी खरीद हेतु एक प्रणाली लानी चाहिए।

18. हार्डवेयर की प्राप्ति के लिए निधियां विभिन्न संसाधनों से इकट्ठी करनी चाहिए इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) बहुपक्षीय वित्त पोषित परियोजनाओं में उपलब्ध आधारभूत रचना की निधियां,

(i) पंचायतों की अपनी आय,

(iii) डाटाबेस बनाने तथा रखरखाव करने के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियां,

(iv) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाये गए तथा प्रबंधन किए जाने वाले फण्ड से प्राप्त निधियां,

(v) संसद सदस्य तथा विधायक क्षेत्र विकास निधियां;

(vi) वार्षिक खरीद पर आधारित प्रणाली पर आधारित खरीद,

19. देश में बिजली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हार्डवेयर खरीदते समय कम्प्यूटर प्रणाली के लिए विश्वसनीय तथा बाधा रहित विद्युत आपूर्ति प्रणाली की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पुनः इस्तेमाल किये जाने वाले, ऊर्जा यंत्रों तथा वह प्रणाली जिसमें कम ऊर्जा खर्च हो, को लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

आधारभूत सुविधायें तथा सम्पर्क :

20. सिफारिश की जाती है कि एन. आई. सी. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राज्य व्याप्त एरिया नेटवर्क निधियों के प्रयोग से सभी स्तरों पर पंचायतों को जोड़ने के लिए अपने संचार नेटवर्क निकनेट का और विस्तार करें।

21. राज्य सरकारें सभी पंचायतों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में सेटेलाइट आधारित संपर्कता प्रदान करने के लिए इसरो से संपर्क कर सकती हैं। प्रारंभिक आधारभूत लागत एक आधारभूत निधि द्वारा वहन करने पर विचार किया जा सकता है जिसका संचालन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।

योजना का संचालन :

22. पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता प्रदान करने को, विद्युत दूरसंचार तथा सड़कें जैसी आधारभूत राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करने के समान ही महत्ता दी जायेगी।

23. भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गर्वनेंस कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए, एन. आई. सी. तथा अन्य समाधान प्रदाताओं सहित, पंचायत संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी स्वचालन से सुसज्जित करने के लिए मिशन मोड/अधिकारिता समिति मोड बनाना।

[अनुवाद]

बच्चों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

776. श्री उदय सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में 5 वर्ष से कम आयु के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे मूल स्वास्थ्य परियर्चा सुविधाओं के बिना रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी बच्चों की मूलभूत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005–06 के अनुसार, तीव्र श्वसनीय संक्रमणों एवं अतिसार के लक्षणों वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में क्रमशः 69 प्रतिशत एवं 59.8 प्रतिशत बच्चों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायक के पास ले जाया गया। क्षयरोग वैक्सीन (बीसीजी), डिफ्थीरिया, परटूसिस एवं टेटनस (डीपीटी) के लिए रोग प्रतिरक्षण की तीसरी खुराक, पोलियो वैक्सीन और खसरे के वैक्सीन की तीसरी खुराक का क्रमशः 78.1 प्रतिशत, 55.3 प्रतिशत, 78.2 प्रतिशत एवं 58.8 प्रतिशत है।

(ग) सभी बच्चों को सुनिश्चित रूप से बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में एकीकृत नवजात एवं बाल्यावस्था रूग्णता प्रबंधन कार्यनीति का कार्यान्वयन शामिल है जिसमें नवजात शिशु एवं बाल मृत्यु के आम कारणों–पूतित, तीव्र श्वसनीय संक्रमण, अतिसार, खसरा एवं मलेरिया, जो कुपोषण से अधिक गंभीर हो जाते हैं, के उपचार प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। एकीकृत नवजात एवं बाल्यावस्था रूग्णता प्रबंधन को चरणबद्ध तरीके से देश भर में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने और अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या के बारे में स्वास्थ्य कार्मिक को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि जन्म के समय कुशल परिचर मौजूद रहें तथा सभी नवजात शिशुओं को विशेषीकृत परिचर्या मिल सके। सुविधा केन्द्रों में और घर पर नवजात शिशु परिचर्या प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विटामिन ए, आयरन एवं फालिक एसिड एवं जिंक, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के सम्पूरक आहार और शिशु एवं युवा बाल पोषण पर बल दिया जा रहा है। रोग प्रतिरक्षण, चल रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रमुख भाग है। अप्रैल, 2005 में 7 वर्ष की अवधि (2005–2012) के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समग्र दृष्टिकोण वाली एक व्यापक पहल है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा के उन्नयन और प्रत्येक 1000 की आबादी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ता की व्यवस्था जैसी बहु कार्यनीतिक अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा इसमें शिशु मृत्यु एवं नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाने को प्राप्त किए जाने वाले एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में अभिकल्पित किया गया है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाया जाना

777. श्री अर्जुन सेठी :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रही चार लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 का कुछ हिस्सा अभी अधूरा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के डेंकाउनल – अंगुल – संबलपुर खंड को चार लेन का बनाए जाने का कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे पूरा करने के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) उड़ीसा में चल रही चार लेन की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

क्र.सं.	खंड	रारा	कुल लंबाई (किमी.)	पूरी हो चुकी लंबाई (किमी.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	गंजम–इच्छापुरम (284.00 से 233.00 किमी.)	5	50.80	14.0	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
2	सुनखला–गंजम (338.00 से 284.00 किमी.)	5	56.164	21.03	मूल ठेका समाप्त किया गया, शेष कार्य अभी शुरू होना है।
3	खुर्दा–भुवनेश्वर (387.70 से 414.00 किमी.)	5	27.150	27.15	प्रगति पर
4	भद्रक–बालासोर (136.50 से 199.141 किमी.)	5	62.64	35.56	मूल ठेका समाप्त किया गया, शेष कार्य अभी शुरू होना है।
5	पारादीप से चंडीखोल (0.0 से 77.40 किमी.)	5ए	77.40	68.00	प्रगति पर

(ख) और (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के कुछ खंडों में नॉन परफॉर्मिंग ठेकेदार का मूल ठेका समाप्त कर दिया गया था और शेष कार्य नए ठेकेदार को आबंटित किए गए/आबंटित किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) धेनकनाल – अंगुल – संबलपुर खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 42 है जिसकी उड़ीसा राज्य में संपूर्ण लंबाई कुल 266 किमी. है। राज्य सरकार की मांग पर मांगुली चौक से अंगुल खंड जिसकी कुल लंबाई 107 किमी. है, को चार लेन का बनाए जाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। तदनुसार, चालू वार्षिक योजना 2008–09 में इस खंड को चार लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसका पूरा करने की समय–सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

778. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौ राज्यों के नौ जिलों में प्रायोगिक आधार पर मधुमेह कार्डियोवस्कुलर रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिलों में इस कार्यक्रम को शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार हृदय और गुर्दे के रोगों से पीड़ित गरीब मरीजों के लिए जिला अस्पतालों में उपचार हेतु सुविधाओं के उन्नयन करने के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पल्लमराजू लक्ष्मी) : (क) से (च) इस वर्ष दस राज्यों के दस जिलों में मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के सहयोजित राज्यों के नाम हैं :– (1) असम, (2) पंजाब, (3) राजस्थान, (4) कर्नाटक (5) केरल, (6) तमिलनाडु, (7) आंध्र प्रदेश, (8) सिक्किम, (9) मध्य प्रदेश और (10) गुजरात। इस कार्यक्रम को देशभर में चलाना, प्रायोगिक परियोजना के निष्कर्ष पर निर्भर है।

पाकिस्तानी कारागारों में भारतीय मछुआरे

779. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार और गुजरात राज्य के संसद सदस्यों ने पाकिस्तानी कारागारों में सड़ रहे भारतीय मछुआरों को रिहा करने का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गुजरात राज्य सहित कितने भारतीय मछुआरे और कितनी नावें अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं अर्थात् पी.एम.एस.ए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान की जेलों में मछुआरों सहित भारतीयों की रिहाई से संबंधित मसलों को उच्च स्तर सहित विभिन्न द्विपक्षीय बैठको में निरंतर पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जाता है। 13–14 जनवरी, 2007 तक विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान, एक न्यायिक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था जिसमें भारत और पाकिस्तान के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हों ताकि दोनों में से किसी भी देश के मछुआरे तथा कैदियों की शीघ्र रिहाई और उनके प्रति मानवोचित व्यवहार सुनिश्चित हो सके। इस समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं और इसने सभी निरूद्ध मछुआरों एवं कैदियों से मिलने के लिए दोनों देशों की जेलों का दौरा भी किया है। सरकार को आशा है कि सभी निरूद्ध मछुआरों एवं कैदियों के रिहाई के लिए तथा उन्हें कॉसुली सुविधा प्रदान करने के लिए पाकिस्तान सरकार न्यायिक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी।

(ग) इस समय 435 भारतीय मछुआरे और 379 नौकाएं पाकिस्तानी हिरासत में हैं।

कैलाश-मानसरोवर तीर्थ यात्रा, 2008

780. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष कैलाश–मानसरोवर तीर्थ यात्रा के प्रथम दो जत्थों की यात्रा को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा हेतु अतिरिक्त मार्गों को खोलने की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेश मंत्रालय प्रतिवर्ष 1 जून तथा 30 सितंबर के मध्य कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 16 जत्थे भेजता है। ओलंपिक खेलों से संबंधित घरेलू कारणों से चीन ने कहा था कि वे इस वर्ष 6 जत्थों को समुचित सुविधा नहीं प्रदान कर सकेंगे।

(ग) 20 से 23 नवंबर, 2006 से चीन के राष्ट्रपति हू–जिनताओं के भारत दौरे के दौरान दोनों पक्ष अतिरिक्त मार्ग खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमत हुए। हमने चीन के विचारार्थ मार्गों का प्रस्ताव किया है।

पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा

781. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनीसेफ ने पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा का पता लगाने के लिए आयन मीटर्स की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में ऐसे मीटर्स स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) यूनीसेफ ने पीने के पानी में फ्लोराइड तत्व की मात्रा का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और प. बंगाल राज्यों को इयोन मीटरों की आपूर्ति की है।

(ग) फ्लूरोसिस की रोकथाम मुख्य रूप से पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था से की जाती है जो कि राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत निधियां प्रदान करके राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फ्लूरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम नामक एक नई पहल को अनुमोदित किया है जिसे 11वीं योजना के दौरान 68 करोड़ रुपए की राशि से 100 जिलों में कार्यान्वित किया जाना है।

स्तन कैंसर के कारण मौतें

782. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में महिलाओं की स्तन कैंसर से मौत हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा महिलाओं को मेमोग्राफी परीक्षण करवाने के लिए बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) भारत में स्तन कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु की

सही संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि इसका रख–रखाव केन्द्र स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार वर्ष 2007 के दौरान भारत में स्तन कैंसर से महिलाओं की हुई मृत्यु की अनुमानित संख्या 41,245 है।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और प्राथमिक निवारण के उद्देश्य से कैंसर का शुरू में ही पता लगाने एवं उसके निदान और कैंसर उपचार सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में कैंसर जांच सुविधाओं सहित कैंसर का पता लगाने एवं उसका उपचार प्रबंधन संबंधी व्यापक सुविधाएं देश के विभिन्न भागों में 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में प्रदान की जाती हैं। दूरदर्शन पर "कल्याणी" कार्यक्रम के प्रसारण सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जरिए कैंसर के बारे में जन जागरूकता पैदा की जा रही है।

राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारी

783. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले राष्ट्रीय खेलों के लिए की गई कार्रवाई/तैयारी से जुड़े कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस आयोजन के लिए अभी तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खेलों के लिए स्थान निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) से (घ) अगले राष्ट्रीय खेल दिसम्बर, 2008 में रांची (झारखंड) में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राज्य सरकार को आबंटित किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए तैयारी संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

जहां तक केन्द्र सरकार से सहायता का संबंध है, झारखंड सरकार ने राज्य योजना सहायता के अंतर्गत संघ सरकार से खेल अवस्थापना के सृजन के लिए 2005–06 के दौरान 32 करोड़ रु. और 2006–07 के दौरान 35 करोड़ रु. प्राप्त किए हैं।

(ङ) विगत में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :–

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल	सहायता की राशि
1.	31वें, राष्ट्रीय खेल, 2001, पंजाब	7.00 करोड़ रु.
2.	32वें, राष्ट्रीय खेल, 2002, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	10.00 करोड़ रु.
3.	33वें, राष्ट्रीय खेल, 2007, गुवाहाटी, असम	5.00 करोड़ रु.

पूर्व-पश्चिम गलियारे को चार लेन का बनाया जाना

784. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करते हुए पूर्व पश्चिम गलियारे के खंडों को चार लेन का बनाए जाने की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) विलंब के क्या कारण हैं और प्रत्येक परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या राज्य की राजधानी से जोड़े जाने के अंतर्गत बिहटा से बांदरडोवा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के चार लेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) असम में श्रीरामपुर से सिल्चर तक पूर्व पश्चिम महामार्ग के खंड पर कार्य पहले ही प्रारंभ हो गया है और परियोजना की समग्र प्रगति 22% है। पूर्व पश्चिम महामार्ग का कोई खंड पूर्वोत्तर के किसी अन्य राज्य में स्थित नहीं है।

(ख) इस परियोजना को सितंबर, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कार्य पूरा करने में विलंब परियोजना क्षेत्र में उग्रवाद और कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा जमगुड़ी से गोहपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को चार लने बनाने का कार्य सिद्धांत रूप में अनुमोदित

किया गया है और इस समय बिहटा चरौली से जमगुड़ी और गोहपुर से बांदरदोवा तक विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को चार लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

चंद्रयान-दो का छोड़ा जाना

785. श्री बापू हरी चौरे :

श्री संजय धोत्रे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंद्रयान–दो को छोड़े जाने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चंद्रयान दो को कब तक छोड़े जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। सरकार ने चंद्रयान–2 को छोड़े जाने की स्वीकृति दे दी है।

(ख) चंद्रयान–2 को चन्द्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के स्व–स्थाने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए निर्धारित किया गया है। चंद्रयान–2 में एक कक्षित्र मॉड्यूल और एक अवतरंक–परिभ्रमक (लैंडर–रोवर) को प्राप्त करने की प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की होगी और अवतरक–परिभ्रमक मॉड्यूल को प्राप्त करने की प्राथमिक जिम्मेदारी मेसर्स लेवोस्किन एसोसियेशन, रूस की होगी।

यह अवतरक चंद्रमा पर किसी उपयुक्त स्थल पर उतरेगा तथा जल–हिम एवं हिलियम–3 (He-3) का पता लगाने हेतु वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए रोबेटिक हाथ की सहायता से चंद्रमा से मिट्टी निकालकर उसका स्व–स्थाने विश्लेषण करेगा।

चंद्रयान–2 2011–2012 की समायानुसूची के दौरान पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित है।

हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि

786. श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सऊदी अरब सरकार से वर्ष 2008 के हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सऊदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हज यात्रियों के लिए प्रभारों और सरकार द्वारा अंशदान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तीर्थ यात्रियों को सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले संभावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने सऊदी अरब की शाही सरकार से अनुरोध किया था कि हज 2008 के लिए भारत को 15,000 सीटों का अतिरिक्त कोटा प्रदान करे, जिसके प्रत्युत्तर में भारत के लिए कोटा को 10,991 सीटों तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार हज, 2008 के लिए भारत का कुल कोटा हज, 2007 के 1,57,000 की तुलना में 1,67,991 हो गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध करायी जाने वाली आवास व्यवस्था की श्रेणी के आधार पर, एक हजयात्री को आवास/परिवहन प्रभार तथा मोआलिम शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति 73,759/– रु. से लेकर 84,240/– रु. तक का भुगतान करना होता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक हजयात्री जेद्दाह की वापसी हवाई यात्रा तथा विविध प्रभारों के लिए 12,700/– रु. का भुगतान करेंगे। हवाई किराए की शेष राशि हज सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा एयर इंडिया को दी जाएगी, जो इस वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए होगी। भारत सरकार हज यात्रियों के कल्याण के लिए व्यापक प्रबंध करती है और प्रत्येक वर्ष उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने का प्रयास करती है। भारत की हज समिति के माध्यम से सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों को दी जाने वाली परिवहन, आवास एवं अन्य संभारतंत्रीय सहायता के अतिरिक्त,. हज की व्यवस्थाओं में सहायता देने के लिए हज अवधि के दौरान जेद्दाह स्थित भारत के कोंसलावास द्वारा बड़ी संख्या में मौसमी स्थानीय कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, ड्राइवरों तथा संदेशवाहकों की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त लगभग 600 अधिकारियों का एक दल, जिसमें समन्वयक, डाक्टर एवं नर्स तथा अन्य पैरा–मेडिकल स्टाफ, सहायक हज अधिकारी, हज सहायक शामिल होते हैं, और लगभग 200 खादिम–उल–हुज्जाज प्रत्येक वर्ष भारत से अल्पकालीन प्रतिनियुक्ति पर सऊदी अरब भेजे जाते हैं। भारत का कोंसलावास, जेद्दाह द्वारा मक्का एवं मदीना में स्थापित किए गए सामुदायिक केंद्रों में हजयात्रियों को गहन चिकित्सा अभिमुखीकरण प्रदान किया जाता है, जो हज यात्रियों के लिए मक्का एवं मदीना में दो अस्पताल तथा कई शाखा कार्यालय–सह–चिकित्सालय स्थापित करता है। चिकित्सा

दलों को जेद्दाह हवाई अड्डा पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, जिससे हज यात्रियों को चौबीस घंटे चिकित्सा सहायता दी जा सके। इन चिकित्सालयों एवं अस्पताल में दी जाने वाली दवाइयां भारत से भेजी जाती हैं और स्थानीय तौर पर हासिल की जाती हैं। पिछले वर्ष 17 एम्बुलेंसों को काम पर लगाया गया था। 70 से अधिक वर्षों के समस्त हज यात्रियों के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक व्यवस्था अपनायी जाती है, जिससे संबंधित हजयात्रियों के लिए विशिष्ट चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित हो सके। सरकार भारत में हजयात्रियों के लिए पोलियो, मेनिन्जाइटिस तथा एनफ्लुएंजा के टीकों की भी व्यवस्था करती है। सरकार इन अपेक्षाओं के लिए प्रत्येक वर्ष उपयुक्त निधियां प्रदान करती है। भारतीय हज समिति राज्य की हज समितियों के सहयोग से हजयात्रियों को उनके सीटों की पुष्टि, यात्रा दस्तावेजों, परिवहन, आवास, विदेशी मुद्रा के निर्गम, पोतारोहण स्थलों तथा प्रस्थान तिथियों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

पेट्रोल के साथ नाफ्था का मिश्रण

787. श्री सुभाष महरिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के साथ मिश्रित नाफ्था के धुएं का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) जी हां।

(ख) जब नाफ्था को पेट्रोल में मिलाया जाता है, तब वाहनीय निकास से हानिकारक प्रदूषक तत्व जैसे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोक्साईड और विविक्त कण पदार्थों का उत्सर्जन बढ़ जाता है।

सरकार ने मिलावट के लिए नाफ्था के डाइवर्जन और गलत उपयोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नाफ्था (अधिग्रहण, बिक्री, भंडारण और ऑटोमोबाईल्स में इस्तेमाल पर रोक) आदेश, 2000 जारी किया है। राज्य सरकारों को इस आदेश के तहत कदाचार के मामले में कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकारें खुदरा बिक्री केंद्रों की नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं, रिटेल आऊटलेट्स का उद्योगों, के दलों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण और मोबाइल प्रयोगशालाओं द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है। ऑयल मार्केटिंग कम्पनियां भी पेट्रोल में मिलावट हेतु मार्केटिंग अनुशासन दिशा–निर्देशों के तहत डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करती है।

[अनुवाद]

भारत पाकिस्तान शांति वार्ता

788. श्री पुएल ओराम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने शांति वार्ताएं शुरू कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन मुद्दों पर चर्चा की गई/किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने विश्वासोत्पादक उपायों तथा जम्मू व कश्मीर सहित शांति व सुरक्षा पर विचार विमर्श के साथ 21 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में संयुक्त वार्ता का पांचवां दौर शुरू किया। 24 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भारत के राष्ट्रपति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि दोनों देशों के विदेश सचिव आगामी तीन महीनों में संयुक्त वार्ता के 5वें दौर की बैठकें करेंगे, जिनमें उल्लेखनीय एवं ठोस उपलब्धियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। राजनयिक माध्यम से बैठकों की तारीखें निर्धारित की जा रही हैं। संयुक्त वार्ता बैठकों में आर्तकवाद व मादक पदार्थों के व्यापार, सियाचीन, आर्थिक व वाणिज्यिक सहयोग, तुलबुल नौवहन परियोजना, मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान का संवर्धन तथा सर क्रीक (महासर्वेक्षक स्तर पर) पर सचिव स्तर का विचार विमर्श शामिल होगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य जागरूकता योजनाएं

789. श्री अजीत जोगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन–कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इस संबंध में क्या सफलता हासिल हुई;

(ख) उक्त योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन–किन राज्यों ने उक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) राज्यों/संघ क्षेत्रों को भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मिशन फलेक्सी पूल और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फलेक्सी पूल के अंतर्गत धन दिया जाता है। जो किसी राज्य की वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का अंग है। सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों के लिए अलग से कोई धन आबंटित नहीं किया जाता है। राज्य कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलाप शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय ने राज्यों को धन देकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न सामान्य सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण अभियान भी शुरू किए तथा स्वास्थ्य मेले आयोजित किए।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और सुरक्षित आचरणों को बढ़ावा देने के लिए जोरदार अभियान भी शुरू किए हैं। आयुष विभाग ने भी आयुर्वेद और होम्योपैथी इत्यादि न लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आचरण में सुधार लाने के लिए कतिपय अभियान शुरू किए हैं।

कतिपय सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों की सफलता को मात्रात्मक शब्दों में मापा नहीं जा सकता तथापि, इसका प्रभाव जनसाधारण पर देखा जा सकता है जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और आयुष विभाग द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I, II और III में दिया गया है।

(ख) जनप्रचार के साधनों के माध्यम से जागरूकता पर केन्द्रीय स्तर पर खर्च किए गए, धन एनआरएचएम फलेक्सी पूल, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फलेक्सी पूल के अंतर्गत राज्यों को दिये गये धन, सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी सामान्य कार्यकलापों के लिए दिये गये धन, स्वास्थ्य मेलों के लिए धन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और आयुष विभाग द्वारा दिए गए धन का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण IV से X में दिया गया है।

(ग) कार्यकलापों के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण-I

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम

बहुप्रचार साधनों के माध्यम से जननी सुरक्षा योजना, आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता), विवाह के समय आयु, नेमी रोग प्रतिरक्षण, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी एन डी टी), बालिका, गर्भ–निरोधक, स्तनपान, आयोडीकृत नमक के उपयोग, नवजात परिचर्या, संस्थागत प्रसव, मातृ परिचर्या, किशोर स्वास्थ्य, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) और एचआईवी/एड्स, संचारी और गैर–सरकारी संचारी रोगों इत्यादि जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी मुद्दों को प्रकाश में लाया जा रहा है। शुरू किए गए मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एकक के माध्यम से कार्यकलाप*

(क)	दूरदर्शन	– स्वास्थ्य और परिवार कल्याण/प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रसारण
		– पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण दृश्यों का प्रसार
		– कल्याणी–एक पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण
		– दूरदर्शन धारावाहिक 'आत्मजा'
(ख)	श्रृव्य एवं दृश्य	– स्पाटो का निर्माण और डबिंग
	प्रचार	– निजी एफएम और निजी दूरदर्शन चैनलों पर स्पाटो/कार्यक्रमों का प्रसारण
	निदेशालय	– मुद्रण प्रचार
(ग)	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	– फिल्म शो, फोटो प्रदर्शनियां और जबानी सम्प्रेषण कार्यक्रम
(घ)	गीत एवं नाटक प्रभात	– कठपुतली शो, डान्स, ड्रामा और वार्तालाप शो इत्यादि
(ङ)	फिल्म प्रभात	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी मुद्दों के बारे में फिल्म का निर्माण
(च)	आकाशवाणी	– 'खुशियां भरा आंगन'
		– लोक झंकार
		– किशोर स्वास्थ्य पर कार्यक्रम
		– आकाशवाणी और एफएम 1 और 2 के माध्यम से श्रृव्य स्पाटो का प्रसारण
(छ)	पत्र सूचना कार्यालय	– महतवपूर्ण अवसरों अर्थात् विश्व जनसंख्या दिवस, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, पल्स पोलियों रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम इत्यादि पर मीडिया कवरेज
*	राज्य/संघ क्षेत्र	– दीवार–विज्ञापनों, जननी सुरक्षा योजना, नुस्खों की पर्ची पर स्वास्थ्य संबंधी

		सन्देशों का मुद्रण, स्वास्थ्य मेलों के आयोजन जैसे सामान्य सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलाप
*	महिला स्वास्थ्य संघ	– महिला स्वास्थ्य संघ के माध्यम से अन्तर–वैयक्तिक सम्प्रेषण
*	प्रदर्शनी	– विश्व जनसंख्या दिवस, भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, स्वास्थ्य मेलों, गणतंत्र दिवस झांकी
*	किशोर स्वास्थ्य	– गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रचार परामर्श
*	मुद्रण प्रचार	– प्रेस विज्ञापन
		– पुस्तिकाओं, पोस्टरों, पुस्तकों इत्यादि जैसे मुद्रण साफ्टवेयर
		– कैलेन्डर
		– हमारा घर

विवरण-II

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलाप

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) जागरूकता पैदा करने और सुरक्षित आचरण को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर अभियान चलाता है। नाको के ऐसे जागरूकता अभियान एच आई वी/एड्स से जुड़े कलंक और भेदभाव को कम करने, परामर्श और जांच, ए आर टी जैसी सेवाओं को बढ़ावा देने, कंडोम के प्रयोग को बढ़ाने, माता–पिता से बच्चों को संक्रमण की रोकथाम करने और रक्त सुरक्षा पर संकेन्द्रित होते हैं। एच आई वी के संक्रमण से अधिक असुरक्षित युवाओं और महिलाओं पर विशेष बल दिया जाता है।

शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

* गीत एवं नाटक प्रभाग और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 3453 विशेष अंतर संपर्ककारी कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए।
* 60 हजार ग्राम सभाओं में उनकी नियमित बैठकों के दौरान एच आई वी/एड्स संबंधी संदेशों का प्रचार–प्रसार किया गया।
* 73 हजार पंचायती राज संस्थानों और 1,20,000 स्वयंसेवी समूहों को इन विषयों पर प्रशिक्षित किया गया/सुग्राही बनाया गया।
* समस्त देश में लगभग 2,00,000 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सुरक्षित यौन विषयक ग्राम संदेश नामक पुस्तिका वितरित की गई।
* केवल वर्ष 2007–08 के ही दौरान नाको और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों ने 4,858 मेलों, जागरूकता कार्यक्रमों, प्रचारक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लिया।
* 14 राज्यों में ग्रामीण थियेटर और कंडोम प्रदर्शन बिक्री केन्दों के रूप में 7750 मध्य मीडिया कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
* एच आई वी/एड्स के प्रति सुरक्षित आचरणात्मक आदतों और जागरूकता को बढ़ाने के लिए दिसम्बर, 2007 में दिल्ली से 27 हजार किलोमीटर तक की परिधि को कवर करने के लिए रेड रिब्बन एक्सप्रेस शुरू की गई।
* देशभर में विद्यालयों और कॉलेजों में अभिजात आधारित एच आई वी/एड्स शिक्षा प्रदान करने के लिए देशभर में 20,000 रेड रिब्बन क्लब बनाये गये हैं।
* परामर्श देने और जांच करने, माता–पिता से शिशु तक संक्रमण की रोकथाम करने, रक्त सुरक्षा, एच आई वी – सहसंक्रमण, कंडोम और रेड रिब्बन एक्सप्रेस विषयक 54,083 वीडियो स्पोट्स का प्रसारण किया गया।
* 10,447 ऑडियो स्पोट्स का प्रसारण किया गया।
* 24 भाषाओं में 'जीवन है अनमोल' और 'लेट अस टॉक एड्स' नामक दो साप्ताहिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।
* सुरक्षित परामर्श लेने और जांच करवाने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 'नो यूअर स्टेट्स' नामक एक विशेष 360 डिग्री अभियान शुरू किया गया।
* स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और रेड रिब्बन एक्सप्रेस शुरू करने के अवसर पर विज्ञापन जारी किए गए।
* राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के लिए रक्त सुरक्षा पर एक महीने का एक विशेष मल्टीमीडिया अभियान आयोजित किया गया।
* नाको ने राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों और राज्य स्तर के कार्यक्रमों में भाग लिया।
* आम जनता के लिए एच आई वी/एड्स पर पुस्तिकाओं, पोस्टरों, फ्लिप चार्टों, एच आई वी/एड्स विषयक अद्यतन सूचनाओं, नाको, न्यूजलेटर, पंचायत के सदस्यों के लिए पुस्तिकाओं तथा फोल्डरों और लीफलेट्स तथा अन्य आई ई सी सामग्री मुद्रित और वितरित की गई।

प्राप्त सफलता

* निरंतर जागरूकता कार्यक्रम के फलस्वरूप एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता का स्तर बी एस एस आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 में 76.1 प्रतिशत से बढ़कर 2006 में 80 प्रतिशत हो गया।

विवरण-III

आयुष विभाग द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलाप

* वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य स्तर पर क्षारसूत्र विषयक राष्ट्रीय अभियान आयोजित करने के लिए 18 राज्यों की स्वास्थ्य सोसायटियों को अनुदान जारी किए गए।

* राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का संचालन करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को अनुदान दिया गया।

* होम्योपैथी से मां और शिशु परिचर्या करने के लिए 11 राज्यों को निधियां जारी की गईं।

प्राप्त सफलता

* चूंकि इन अभियानों के अंतर्गत मात्रात्मक रूप में कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है इसलिए इसकी सफलता को वास्तविक रूप में आंका नहीं जा सकता है तथापि इन अभियानों का व्यापक प्रभाव पड़ने के लक्षण दिखाई दिए हैं।

विवरण-IV

लोक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता पर खर्च की गई निधियां

(2005–06 से 2008–09)

रुपए 444.17 करोड़

विवरण-V

वर्ष 2005–06 से 2008–09 के लिए मिशन फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत जारी राशि

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	योग जारी की गई राशि
1	2	3
क. अधिक ध्यान दिये जाने वाले राज्य		
1.	बिहार	331.79
2.	छत्तीसगढ़	188.87
3.	हिमाचल प्रदेश	51.80
4.	जम्मू और कश्मीर	174.32
5.	झारखंड	146.70
6.	मध्य प्रदेश	432.49
7.	उड़ीसा	267.71
8.	राजस्थान	530.47
9.	उत्तर प्रदेश	822.18
10.	उत्तराखण्ड	67.55
	उप–योग	3013.88
ख. पूर्वोत्तर राज्य		
11.	अरुणाचल प्रदेश	54.36
12.	असम	774.67
13.	मणिपुर*	42.92
14.	मेघालय	56.27
15.	मिजोरम*	47.38
16.	नागालैंड	65.30
17.	सिक्किम*	44.97
18.	त्रिपुरा	75.50
	उप–योग	1161.38
ग. अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य		
19	आंध्र प्रदेश	466.37
20.	गोवा*	3.92
21.	गुजरात	347.84
22.	हरियाणा	109.13
23.	कर्नाटक	246.66
24.	केरल	254.31
25.	महाराष्ट्र	482.27
26.	पंजाब	92.86
27.	तमिलनाडु	434.84
28.	पश्चिम बंगाल	489.40
	उपयोग	2927.61

1	2	3
घ. छोटे राज्य/संघ क्षेत्र		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.09
30.	चण्डीगढ़	2.68
31.	दादरा और नगर हवेली	1.43
32.	दमन	1.76
33.	दिल्ली*	29.14
34.	लक्षद्वीप*	1.22
35.	पुदुचेरी	5.95
	अन्य	33.38
	उप–योग	80.85
	कुल–योग	7183.71

विवरण-VI

वर्ष 2005–06 से 2008–09 के लिए आर सी एच फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत जारी राशि

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 जारी की गई राशि	2006-07 जारी की गई राशि	2007-08 जारी की गई राशि	2008-09 अब तक जारी राशि	योग जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
अधिक ध्यान दिये जाने वाले राज्य						
1.	बिहार	29.38	113.14	0.00	160.38	302.90
2.	छत्तीसगढ़	27.46	43.96	35.76	42.80	149.98
3.	हिमाचल प्रदेश	5.01	6.18	6.64	8.40	26.23
4.	जम्मू और कश्मीर	6.05	10.53	9.12	7.62	33.31
5.	झारखंड	40.60	21.41	22.16	43.17	127.34
6.	मध्य प्रदेश	66.20	114.35	230.65	216.84	628.04
7.	उड़ीसा	40.50	60.01	108.85	40.24	249.60
8.	राजस्थान	40.01	105.22	157.07	109.22	411.52
9.	उत्तर प्रदेश	169.73	156.00	192.72	212.52	730.97
10.	उत्तराखण्ड	7.46	12.91	12.97	21.51	54.85
	उपयोग	432.37	643.71	775.94	862.70	2714.72
पूर्वोत्तर राज्य						
11.	अरुणाचल प्रदेश	7.35	6.74	12.08	2.15	28.32
12.	असम	64.92	55.76	166.95	153.07	440.70
13.	मणिपुर	7.43	4.32	14.25		26.00
14.	मेघालय	4.50	6.12	9.96	2.01	22.59
15.	मिजोरम	11.82	1.44	7.53	6.25	27.04
16.	नागालैंड	6.61	3.73	7.87	809	26.30

1	2	3	4	5	6	7
17.	सिक्किम	1.00	2.18	3.31	3.81	10.30
18.	त्रिपुरा	6.00	7.69	14.34	2.47	30.50
	उपयोग	109.63	87.98	236.29	177.85	611.74
अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य						
19.	आंध्र प्रदेश	58.85	134.39	141.34	117.07	451.65
20.	गोवा	1.06	0.46	0.32	2.18	4.01
21.	गुजरात	33.83	49.35	67.01	38.51	188.70
22.	हरियाणा	11.43	30.13	27.75	25.49	94.80
23.	कर्नाटक	28.80	73.20	42.62	86.56	231.18
24.	केरल	21.44	31.20	41.97	32.14	126.74
25.	महाराष्ट्र	52.81	119.25	186.21		358.26
26.	पंजाब	17.42	23.72	13.89	18.84	73.87
27.	तमिलनाडु	61.39	74.80	103.05	18.72	257.96
28.	पश्चिम बंगाल	59.83	65.82	71.10	53.10	249.85
	उपयोग	346.84	602.30	695.26	392.61	2037.01
छोटे राज्य/संघ क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार	0.45	0.48	0.40	0.56	1.89
30.	चण्डीगढ़	0.74	0.82	0.42	0.90	2.88
31.	दादर और नगर हवेली	0.35	0.48	0.17	0.30	1.30
32.	दमन	0.23	0.59	0.00	0.11	0.93
33.	दिल्ली	7.27	13.38	6.19	16.83	43.67
34.	लक्षद्वीप	0.12	0.58	0.01		0.71
35.	पुडुचेरी	0.87	1.38	1.26	1.37	4.88
	अन्य			0.00	2.56	2.56
	उपयोग	10.01	17.71	8.45	22.63	58.80
	कुल योग	898.84	1351.70	1715.94	1455.79	5422.27

विवरण-VII

वर्ष 2006–07 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रियाकलाप वार जारी निधियों से संबंधित ब्यौरा

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सामान्य आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए जारी निधियां	नुसखा पर्ची के लिए जारी निधियां	बहिरंग प्रचार के वितरण के लिए जारी निधियां	जननी सुरक्षा योजना के लिए जारी निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	470.97	0.00	23.00	13.80
2.	गोवा	75.34	0.00	2.00	1.20
3.	गुजरात	470.03	0.00	25.00	15.00
4.	हरियाणा	258.88	0.00	19.00	11.40
5.	हिमाचल प्रदेश	94.25	18.68	12.00	7.20
6.	जम्मू और कश्मीर	121.74	20.07	14.00	8.40
7.	कर्नाटक	575.13	0.00	27.00	16.20
8.	केरल	276.79	0.00	14.00	8.40
9.	महाराष्ट्र	1032.60	0.00	35.00	21.00
10.	पंजाब	689.62	0.00	17.00	10.20
11.	तमिलनाडु	405.78	0.00	30.00	18.00
12.	प. बंगाल	257.23	0.00	19.00	11.40
	योग	4728.56	38.75	237.00	142.20
13.	बिहार	218.00	40.37	37.00	22.20
14.	छत्तीसगढ़	907.92	31.05	16.00	9.60
15.	झारखण्ड	280.00	30.60	18.00	11.40
16.	मध्य प्रदेश	981.10	71.37	48.00	28.80
17.	उड़ीसा	551.56	73.31	30.00	18.00
18.	राजस्थान	837.17	92.93	32.00	19.20
19.	उत्तरांचल	244.37	14.94	13.00	7.80
20.	उत्तर प्रदेश	455.42	185.31	70.00	42.00
	योग	4475.55	539.87	264.00	159.00
21.	अं. और नि. द्वीप समूह	43.61	0.00	2.00	1.20
22.	चंडीगढ़	35.92	0.00	1.00	0.60
23.	दमन और दीव	40.30	0.00	2.00	1.20
24.	दादरा और नगर हवेली	29.08	0.00	1.00	0.060
25.	दिल्ली	253.12	0.00	9.00	5.40
26.	लक्षद्वीप	27.61	0.00	1.00	0.60
27.	पाण्डीचेरी	55.31	0.00	4.00	2.40
	योग	484.94	0.00	20.00	12.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	80.75	6.17	15.00	9.60
29.	असम	76.40	36.09	7.00	13.80
30.	मणिपुर	126.52	5.45	11.00	5.40
31.	मेघालय	134.20	5.67	8.00	4.20
32.	मिजोरम	194.50	4.46	9.00	4.80
33.	नागालैंड	252.71	3.92	4.00	6.60
34.	सिक्किम	104.41	1.89	23.00	2.40
35.	त्रिपुरा	166.91	3.83	4.00	2.40
	योग	1136.41	67.46	81.00	49.20
	कुल योग	10825.46	646.07	602.00	362.40

विवरण-VIII

वर्ष 2003–04 से 2006–07 में स्वास्थ्य मेला के लिए जारी निधियों से संबंधित ब्यौरा

लाखों में

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कुल जारी निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	672.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	72.00
3.	असम	480.00
4.	बिहार	888.00
5.	छत्तीसगढ़	240.00

1	2	3
6.	गोवा	32.00
7.	गुजरात	448.00
8.	हरियाणा	192.00
9.	हिमाचल प्रदेश	128.00
10.	जम्मू और कश्मीर	200.00
11.	झारखण्ड	320.00
12.	कर्नाटक	432.00
13.	केरल	328.00
14.	मध्य प्रदेश	712.00
15.	महाराष्ट्र	760.00
16.	मणिपुर	88.00
17.	मेघालय	64.00
18.	मिजोरम	47.00
19.	नागालैंड	32.00
20.	उड़ीसा	520.00
21.	पंजाब	208.00
22.	राजस्थान	624.00
23.	सिक्किम	40.00
24.	तमिलनाडु	688.00
25.	त्रिपुरा	72.00
26.	उत्तर प्रदेश	1880.00
27.	उत्तरांचल	120.00
28.	पश्चिम बंगाल	576.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.00
30.	चण्डीगढ़	16.00
31.	दादर और नगर हवेली	24.00
32.	दमन और दीव	16.00
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	104.00
34.	लक्षद्वीप	16.00
35.	पांडिचेरी	24.00
	कुल	11079.00

विवरण-IX

वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान 'एसएसीएस' द्वारा किया गया आई. ई. सी व्यय :*

(रु. लाख में)

क्र.सं.	एस ए सी एस का नाम	आबंटित बजट	किया गया व्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	481	476.69
2.	तमिलनाडु	436.04	667.52
3.	चेन्नई मुनी	163	142
4.	कर्नाटक	150	149.99
5.	महाराष्ट्र	388.55	311
6.	मुम्बई डी ए सी एस	118	116.06
7.	मणिपुर	400	660.43
8.	नागालैंड	320.07	121.58
9.	गुजरात	250	529.52
10.	अहमदाबाद	43.78	43.87
11.	गोवा	145	54
12.	पांडिचेरी	74.45	30.79
13.	असम	452.97	492.18
14.	बिहार	250	104.71
15.	दिल्ली	371.33	371
16.	हिमाचल प्रदेश	70	95
17.	केरल	169	68.35
18.	मध्य प्रदेश	80	77.86
19.	पंजाब	159	113
20.	राजस्थान	140	154.6
21.	उत्तर प्रदेश	375	177.68
22.	पश्चिम बंगाल	600	250
23.	छत्तीसगढ़	50	21
24.	झारखंड	120	122
25.	उड़ीसा	260	211.54

1	2	3	4
26.	उत्तरांचल	150	70
27.	अरुणाचल प्रदेश	111	135.54
28.	हरियाणा	40	34
29.	जम्मू और कश्मीर	90	36.71
30.	मेघालय	10	5.86
31.	सिक्किम	75	22.62
32.	त्रिपुरा	88.15	13.65
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	51.61	13
34.	चण्डीगढ़	30	18
35.	दादरा ओर नगर हवेली	14.38	10.71
36.	दमन और दीव	30.68	11.5
37.	लक्षद्वीप	8	8.15
38.	मिजोरम	288.31	142.89
	योग	7054.32	6085

विवरण-X

1. राज्य स्तर पर राष्ट्रीय क्षरसुत्र अभियान आयोजित करने के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान 18 राज्यों की स्वास्थ्य सोसायटियों को जारी किए गए अनुदान

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
2.	छत्तीसगढ़, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
3.	दिल्ली, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	1 लाख
4.	हरियाणा, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
5.	हिमाचल प्रदेश, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	3.06 लाख
6.	जम्मू और कश्मीर, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
7.	कर्नाटक, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
8.	महाराष्ट्र, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	3.5 लाख
9.	राजस्थान, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
10.	उत्तराखंड, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
11.	पंजाब, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
12.	केरल राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	4.99 लाख
13.	मध्य प्रदेश, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
14.	उत्तर प्रदेश, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
15.	त्रिपुरा, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	2.96 लाख
16.	बिहार, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
17.	गुजरात, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	5 लाख
18.	महाराष्ट्र, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	1.50 लाख
	योग	7,701,200.00

आई ई सी स्कीम के अंतर्गत राज्य स्तरीय आरोग्य मेले के लिए जारी अनुदान

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी राशि
1.	आंध्र प्रदेश, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी	25 लाख

वित्तीय वर्ष 2007–08 में होम्योपैथी में माता और बच्चे की परिचर्या के लिए आई ई सी स्कीम के अंतर्गत जारी निधि

क्रम सं.	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08 में जारी की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	5 लाख
2.	असम	5 लाख
3.	गोवा	5 लाख
4.	गुजरात	5 लाख
5.	केरल	5 लाख
6.	मणिपुर	5 लाख
7.	मेघालय	5 लाख
8.	उड़ीसा	5 लाख
9.	त्रिपुरा	5 लाख
10.	उत्तर प्रदेश	5 लाख
11.	पश्चिम बंगाल	5 लाख

[अनुवाद]

ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में खेल प्रतिभा की खोज

790. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान के लिए सरकार द्वारा आयोतित कैंपों/खेल कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में युवा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण, आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन तथा स्थानीय केन्द्रों पर आयोजित परीक्षण श्रृंखला के आधार पर, ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों से उदीयमान खिलाड़ियों का चयन करता है। उसके बाद चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के पास 15,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्हें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के 288 केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(ख) युवा विकास केन्द्रों को 30,000/रु. की एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए सूचना, प्रशिक्षण तथा खेलों के विकास के केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में युवा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई पृथक आबंटन नहीं किया जाता। विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन को धनराशि आबंटित की जाती है जिसमें देश के प्रत्येक जिले में युवा विकास केन्द्रों को चलाया जाना शामिल है। 2007–08 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन को युवा विकास केन्द्रों सहित इसके नियमित कार्यक्रम चलाने के लिए 39.78 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग

791. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री ई. वयालार रवि :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ भारोत्तोलक प्रतिबंधित दवाएं लेने के दोषी पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी, 2008 से भोरोत्तोलन खेल विधा में डोपिंग के दस मामलों का पता लगाया गया है।

(ग) प्रतियोगिता के दौरान तथा प्रतियोगिता से पहले खेलों में डोपिंग की जांच के लिए नियमित रूप से डोप परीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार, डोपिंग के घातक प्रभावों के बारे में एथलीटों को शिक्षित करने के लिए तथा खेलों की स्वच्छ छवि को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना

792. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना (एनएसवीएस) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में कितने लोग नामांकित हुए;

(ख) क्या राज्य सरकार स्वयं सेवकों को दिए जाने वाले मानदेय में भी योगदान देती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रहन–सहन की बढ़ती लागत को देखते हुए मानदेय की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना में दाखिल किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष		तैनात किए गए राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों की संख्या
2005–06	–	158
2006–07	–	162
2007–08	–	167
2008–09	–	268

(ख) और (ग) जी नहीं, राज्य सरकार मानदेय के लिए योगदान नहीं देती है।

(घ) और (ङ) 3 सितम्बर, 2008 से राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों को दिए जाने वाले मानदेय को 1000 रु. से बढ़ाकर 2500 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

एसएआई द्वारा व्यय

793. श्री नवीन जिन्दल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा हरियाणा में विभिन्न खेल योजनाओं के अंतर्गत कोई धनराशि खर्च की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन योजनाओं से विभिन्न प्रकार के खेलों में नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा का उपयोग करने में मदद मिली है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा हरियाणा में विभिन्न भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में खर्च किए गये विभिन्न योजनाओं पर व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार है :–

वर्ष	अवसंरचना	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण
2005–06	607.00 लाख रु.	21,14,950/–रु.
2006–07	207.00 लाख रु.	34,35,965/–रु.
2007–08	584.00 लाख रु.	46,94,065/–रु.
2008–09	सितम्बर, 2008 तक	25,07,963/–रु.

की राशि खर्च की गई है।

(ग) हरियाणा में भाखेप्रा द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं द्वारा विभिन्न प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार किया गया है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है. हरियाणा के ऐसे खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी खेल विधा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	खिलाड़ी/खेल विधा का नाम	उपलब्धियां
1	2	3
1.	श्री सुनील कुमार, मुक्केबाजी, भाखेप्रा भिवानी केन्द्र	1. मई, 2007 में पोलैण्ड में आयोजित जूनियर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक (51 किग्रा.) 2. जुलाई, 2007 में इंग्लैंड में आयोजित सीनियर कामनवेल्थ मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक (51 किग्रा.) 3. नवम्बर/दिसम्बर, 2007 में कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक
2.	मनजीत सिंह, मुक्केबाजी, भाखेप्रा भिवानी केन्द्र	1. जुलाई, 2007 में इंग्लैंड में आयोजित सीनियर कामनवेल्थ मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक (51 किग्रा.) 2. नवम्बर/दिसम्बर, 2007 में कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में कांस्य

1	2	3
3.	श्री विजेन्द्र सिंह, मुक्केबाजी, भाखेप्रा भिवानी केन्द्र	1. बीजिंग ओलंपिक, 2008 में कांस्य (75 किग्रा) 2. जून, 2007 में मंगोलिया में आयोजित सीनियर एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में रजत (75 किग्रा)
4.	श्री जितेन्द्र कुमार, मुक्केबाजी, भाखेप्रा भिवानी केन्द्र	1. बीजिंग ओलंपिक, 2008 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 2. नवम्बर, 2007 में बीजिंग में आयोजित गुडलक कप अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में कांस्य पदक
5.	श्री अखिलेश कुमार, मुक्केबाजी, भाखेप्रा भिवानी केन्द्र	1. बीजिंग ओलंपिक, 2008 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 2. जून, 2007 में मंगोलिया में आयोजित सीनियर एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में कांस्य पदक (54 किग्रा)
6.	श्री दिनेश कुमार, मुक्केबाजी,	बीजिंग ओलंपिक, 2008 में भाग लिया
7.	श्री सुरेश कुमार, मुक्केबाजी, भाखेप्रा भिवानी केन्द्र	नवम्बर/दिसम्बर, 2007 में कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में भाग लिया
8.	श्री नरेश, मुक्केबाजी, भाखेप्रा भिवानी केन्द्र	नवम्बर/दिसम्बर, 2007 में कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में भाग लिया

एन आर एच एम के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना

794. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
एडवोकेट सुरेश कुरुप :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के सार्वभौमिकरण पर ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 145272 उप केन्द्रों 22,370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों को मौजूदा उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन और संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा अपनी-अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के माध्यम से प्रदर्शित की गई आवश्यकता के अनुसार धन जारी किया जाता है।

तापी नदी पर सेतु

795. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत के निकट तापी नदी पर दो लेन वाले अतिरिक्त सेतु के निर्माण कार्य की स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्थानीय संगठन ने कार्य की धीमी प्रगति के संबंध में एनएचएआई को अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्य किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) कार्य पूरा किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यह कार्य कब पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर सूरत के समीप 246/4–8 किमी. पर तापी नदी पर 442 मीटर लंबे तीन लेन के नए पुल का निर्माण चल रहा है। इस समय कार्यस्थल पर सुपरस्ट्रक्चर के लिए गर्डर के साथ दो आरसीसी स्लैब, सबस्ट्रक्चर के लिए 7 पीयर्स और 10 वैल का फाउंडेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य भी प्रगति पर हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वीआईपी पत्रों और गुजरात सरकार के माध्यम से धीमी प्रगति का मामला उठाया गया है। दिसंबर, 2006 से जुलाई, 2008 की अवधि में विभिन्न अन्य स्रोतों से 12 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले ठेकेदार द्वारा जिसे प्रारंभ में यह कार्य सौंपा गया था, संयंत्र, सामग्री, मशीनरी के अपर्याप्त संग्रहण और खराब प्रबंधकीय नियंत्रण आदि धीमी प्रगति के कारण थे।

(घ) और (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस कार्य को करने वाले ठेकेदार को निलंबित कर दिया गया था और तत्पश्चात् इस पुल का शेष कार्य रियायत करार के कार्यक्षेत्र प्रावधानों में परिवर्तन के तहत भरूच से सूरत खंड तक बीओटी आधार पर 6 लेन की चालू परियोजना के बीओटी रियायतग्राही को सौंप दिया गया था और फिलहाल इस पुल का शेष कार्य बीओटी रियायतग्राही द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्य को जुलाई, 2009 तक अर्थात् बीओटी आधार पर भरूच–सूरत खंड को 6 लेन का बनाने के निर्माण कार्य को पूरा करने के समय तक पूरे किए जाने की संभावना है।

म्यांमार में सड़कों तथा राजमार्गों के विकास में भारत की भूमिका

796. श्री मनी कुमार सुब्बा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, थाईलैण्ड तथा म्यांमार ने म्यांमार में सड़कों तथा राजमार्गों के विकास हेतु एक संयुक्त परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसकी लागत कितनी है और तीनों देशों के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) भारत, म्यांमार और थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के विचार पर अप्रैल, 2002 में तीन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति हुई थी। यह सहमति हुई थी कि प्रस्तावित राजमार्ग भारत में मोरेह (मणिपुर) को म्यांमार में बागान होकर थाईलैंड में माई सोट को जोड़ेगा और यह लगभग 1360 कि.मी. लंबा होगा। 2003 में, भारत और थाईलैंड अपनी–अपनी सीमाओं के निकट राजमार्गों के हिस्सों के सुधार का वित्तपोषण करने के विचार से सहमत हुए थे। परियोजना रिपोर्ट भारत द्वारा तैयार की जा रही हैं।

(ग) प्रस्तावित त्रिपक्षीय राजमार्ग से भारत, म्यांमार तथा थाईलैंड के बीच सड़क संपर्क में अत्यधिक वृद्धि होगी। ऐसे संपर्क में वृद्धि हमारी पूर्वोन्मुखी नीति के अनुरूप है।

बीजिंग में भारतीय छात्रों का फंसना

797. श्री एस.के. खारवेंथन : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र बोगस ट्रेवल एजेन्टों द्वारा उन्हें विमान की नकली टिकटें बेचे जाने के कारण बीजिंग में फंस गए थे जैसाकि दिनांक 15 जुलाई, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फंसे हुए छात्रों की मदद करने के लिए चीनी प्राधिकारियों के साथ बात की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार जुलाई, 2008 में बंग्लादेशी नागरिक मोहम्मद जब्बार मियां उर्फ फारूख से चीन में चोंगकिंग, नानजिंग और सुजू चिकित्सा विश्वविद्यालयों के 154 भारतीय चिकित्सा विद्यार्थियों ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए भारत की यात्रा करने के लिए वापसी हवाई टिकट खरीदे थे। इनमें से कुछ विद्यार्थियों को शंघाई हवाई अड्डे पर एमीरात एयरवेज द्वारा इस आधार पर विमान में बैठने के पास नहीं जारी किए थे कि टिकटों को जाली क्रेडिट कार्डों से खरीदा गया था। मलेशियाई एयरवेज ने भी उनकी मार्फत खरीदे गए कुछ टिकटों को रद्द कर दिया था।

(ख) से (घ) चीन में हमारे मिशन द्वारा इस मामले की सूचना बीजिंग म्यूनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के एग्जिट–एन्टरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया गया था जिसमें उनसे मामले में सहायता करने का अनुरोध किया गया था। बंग्लादेशी नागरिक और उसके पासपोर्ट ब्यौरों के बारे में उन्हें सूचित कर दिया गया था। शंघाई में एयर इंडिया कार्यालय से भी सम्पर्क किया गया था कि विस्थापित विद्यार्थियों से रियायती भाड़ा लेकर और वरीयता के आधार पर बुकिंग करके उनकी सहायता करें।

इस घटना के बाद पूर्वी चाइना क्षेत्र में विश्वविद्यालयों ने टिकटों की खरीद के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है जो एयर इंडिया और जेट एयरवेज के अपने समकक्ष प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क बनाएंगे। संबंधित विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों को टिकट खरीदते समय सावधानी बरतने और भविष्य में इस व्यवस्था का पालन करने की सलाह दी गई है ताकि ट्रेवल एजेंटों की आवश्यकता का समाधान हो सके।

जनसंख्या नियंत्रण

798. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने अपनी पहली बैठक अपने गठन के पांच वर्ष बाद की जैसाकि दिनांक 11 जुलाई, 2008 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जनसंख्या नियंत्रण हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए कोई नए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) योजना आयोग के दिनांक 11 मई, 2000 के संकल्प द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया। आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई, 2000 को आयोजित की गई। उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन के उपाय के रूप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अक्टूबर, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में इस आयोग को योजना आयोग, योजना भवन से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन में पुनःस्थापित करने का निर्णय लिया। तब आयोग का दिनांक 11 अप्रैल, 2005 के संकल्प संख्या एन–23011/101/2004–नीति के तहत पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित आयोग की पहली बैठक भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 23 जुलाई, 2005 को आयोजित की गई।

(ग) से (ङ) भारत विश्व में पहला देश है जहां वर्ष 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मितव्ययिता की अपेक्षा के साथ अनुकूल स्तर तक जनसंख्या स्थिर करने के लिए आवश्यक सीमा तक जन्म दर को कम करने का है। देश की लोकतांत्रिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत स्वीकर्ताओं को उपयुक्त परिवार नियोजन पद्धतियों की स्वैच्छिक और सूचित पसंद के माध्यम से जिम्मेदारी और सुनियोजित मातृत्व–पितृत्व को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति फरवरी, 2000 में अपनाई गई और इसमें जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए गर्भ निरोध के लिए अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने, एकीकृत सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करने तथा सरकार, उद्योग, स्वैच्छिक और गैर–सरकारी क्षेत्र के सहयोग से बाल उत्तरजीविता, मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों का एक साथ समाधान करने की आवश्यकता जैसे तात्कालिक उद्देश्यों को पहचान की गई। योजना आयोग ने विगत की प्रवृत्तियों, जन्म दर, मृत्यु दर, कुल प्रजनन क्षमता दर और भारत के महापंजीयक जैसी कई एजेंसियों के परामर्श से वर्ष 2001–2011 की अवधि के लिए 16.2 प्रतिशत के रूप में जनसंख्या वृद्धि की दशकीय लक्ष्य को निर्धारित किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2010 में कुल प्रजनन दर 2.1 तक प्राप्त करने में जनसंख्या की लक्षित वृद्धि दर असंगत है।

सरकार वर्ष 1952 से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यकलाप/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और जनसंख्या संकेतकों में वास्तविक सुधार हुआ है जैसे जीवन प्रत्याशा 33 वर्ष से बढ़कर 64 वर्ष हुई है, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 148 से घटकर 55 हुई है; आशोधित जन्म दर 41 से घटकर 23.8 हुई है और अशोधित मृत्यु दर 25 से घटकर 7.6 हुई है। प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृत्व मृत्यु अनुपात में वर्ष 1988 में 100,000 प्रति जीवित जन्मों में 40211 से घटकर वर्ष 2001–03 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों में 301 हुई है। कुल प्रजनन क्षमता दर जो 1960 की शुरूआत में 6 से अधिक थी वह 2006 में घटकर 2.8 हो गई। जनसंख्या वृद्धि का मूल्यांकन इन संकेतकों को शामिल करके किया जा सकता है।

14 अप्रैल, 2005 को सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2012 तक बाल मृत्यु दर को 1000 जीवित जन्मों में 30 तक कम करना, मातृ मृत्यु दर को 100,000 जीवित जन्मों में 100 तक कम करना तथा कुल प्रजनन क्षमता दर को 2.1 तक कम करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बाल और मातृ मृत्यु को कम करने के लिए जोर देने का प्रावधान है जो प्रजनन क्षमता दर की कमी को प्रभावित करेगा। गुणवत्ता प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं (जिनमें प्रसव सुरक्षित गर्भपात, प्रजनन मार्ग संक्रमण का उपचार और महिलाओं की पूर्ण प्रजनन पसन्दों को सुनिश्चित करते हुए अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार नियोजन सेवाएं शामिल हैं) प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके साथ–साथ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत महिलाओं की आर्थिक और राजनैनिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। उसके परिणामस्वरूप अब महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने परिवारों के पोषण और अपने परिवार के आकार के बारे में निर्णय लेने से संबंधित मामलों में अत्यधिक सचेत हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी राज्यों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाएं/प्रजनन बाल स्वास्थ्य सेवाएं व्यापक रूप से उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रोत्साहित किया गया है। बड़ी संख्या में चिकित्सकों को परिवार नियोजन में महिला और पुरूष बन्धयाकरण तकनीकों और अन्तराल पद्धतियों में प्रशिक्षित किया गया है जो पात्र दंपतियों को व्यापक विकल्प प्रदान कर रहे हैं ताकि गर्भ निरोध की अंतिम और अन्तराल दोनों पद्धतियों में व्यापक अपूरित आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) ने क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह परिवार नियोजन में पुरूष भागीदारी को बढ़ावा देने, बाल मृत्यु दर को कम करने, महिला साक्षरता, स्वच्छता, पोषण, लिंग और सामाजिक अधिकारिता शीघ्र बाल्यावस्था विकास, 18 वर्ष के बाद विवाह, बच्चों में अंतर रखने और व्यावहारिक परिवर्तनों इत्यादि जैसी स्वास्थ्य परिचर्या के व्यापक निर्धारकों को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक सम्मिलन कार्य करने के प्रति ध्यान देने सहित परिवार नियोजन के लिए पात्र दंपतियों को परामर्श देने में अग्रणी रही हैं। पूरे देश में छोटे परिवार के मानदंड को व्यापक स्वीकारिता प्राप्त करने के लिए ये सभी प्रयास संयुक्त रूप से कारगर रहे हैं।

कुल प्रजननता दर जो वर्ष 1960 की शुरूआत में 6 से अधिक थी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण – III के अनुसार वर्ष 2006 में घटकर 2.8 हो गई है, जबकि सरकार, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में उल्लिखित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है।

पारादीप पत्तन तक रेल-सड़क संपर्क

799. श्री अनन्त नायक : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन तथा उड़ीसा के खनन क्षेत्र के बीच रेल–सड़क संपर्क को सुकर बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पारादीप पत्तन और उड़ीसा के खनन क्षेत्र के बीच विभिन्न रेल–रोड संपर्क स्कीम/योजना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(I) रेल संपर्क का ब्यौरा

पारादीप पत्तन, कटक–पारादीप रेल लाइन द्वारा उड़ीसा के खनन क्षेत्र से पहले ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, 147 किलोमीटर का दायतारी–बानसपानी रेल संपर्क मार्ग पूरा हो गया है और आरंभ हो गया है। हरिदासपुर और पारादीप के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

(II) सड़क संपर्क का ब्यौरा

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5ए पर चण्डीखोले–पारादीप को चार लेन का बनाने का कार्य प्रगति पर है और 90% कार्य पूर्ण हो गया है।

(ii) सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी पी पी ए सी) ने बोलीदाता के चयन के पश्चात् बनाओ, चलाओ और अंतरित करो (बी ओ टी) (टौल) आधार के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृत किया है :–

(i) राष्ट्रीय सजमार्ग सं. 200 पर चण्डीखोले–धुबरी–तालचेर को चार लेन का बनाना।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 पर पनीकोयली–क्योंझार–रिमूली को चार लेन का बनाना।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 पर रिमूली–रॉक्सी राजामुण्डा को चार लेन का बनाना।

कोयले की चोरी

800. **श्री मदन लाल शर्मा :**
प्रो. एम. रामदास :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ऐसी कोयला खानों की पहचान की है जिनमें कोयले की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सामने आई ऐसी घटनाओं की कंपनीवार तथा खानवार संख्या कितनी है तथा कितनी मात्रा में कोयले की चोरी की गई है; और

(ग) ऐसी चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) कोयले की चोरी/उठाईगीरी चोरी छिपे और गुप्त रूप से की जाती है और इसलिए चोरी किए गए कोयले की मात्रा तथा कोयले की चोरी/उठाईगीरी के कारण हुई हानियों को सही तरीके से बता पाना संभव नहीं है। तथापि, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोयला कंपनियों के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा की गई छापेमारी तथा संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ संयुक्त छापेमारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बरामद किए गए कोयले की अनुमानित मात्रा निम्नवत है :

कंपनी	2008–09 (अगस्त, 2008 तक) (अनं.)		2007–08		2006–07		2005–06	
	मामलों/ घटनाओं की संख्या	बरामद किए गए कोयले की मात्रा (टन में)	मामलों/ घटनाओं की संख्या	बरामद किए गए कोयले की मात्रा (टन में)	मामलों/ घटनाओं की संख्या	बरामद किए गए कोयले की मात्रा (टन में)	मामलों/ घटनाओं की संख्या	बरामद किए गए कोयले की मात्रा (टन में)
ईसीएल	483	4479.00	1456	13117.00	1473	11444.00	1382	12086.00
बीसीसीएल	26	4366.85	201	11071.52	212	8785.71	390	11723.96
सीसीएल	02	1753.50	05	1803.07	08	517.50	11	626.50
एनसीएल	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
डब्ल्यूसीएल	18	216.65	38	250.01	22	109.75	25	322.94
एसईसीएल	23	533.83	99	1910.57	49	406.99	28	211.03
एमसीएल	11	168.20	40	343.55	27	494.03	43	186.27
एनईसी	11	0.00	09	0.00	28	0.50	41	8.00
सीआईएल (कुल)	574	11518.03	1848	28495.72	1819	21758.48	1920	25164.70

(ग) कोयले की चोरी अथवा उठाईगीरी को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. अवैध कोयला डिपो और कोयले के अवैध परिचालन के बारे में आसूचना रिपोर्टें इकट्ठा करना और निवाराणात्मक कार्रवाई/एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए उक्त की सूचना जिला प्राधिकारियों को देना।
2. परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील बिंदुओं पर चेक पोस्टों की स्थापना करना।
3. वॉच टावरों का निर्माण करना और कोयला भंडार वाले क्षेत्र के आसपास प्रकाश की व्यवस्था करना।
4. पिटहेड डिपो के चारों ओर कंटीले तार/चाहरदीवारी की व्यवस्था करना, रात में हथियारबंद गार्डों की तैनाती सहित स्थाई सुरक्षा बल की तैनाती।

5. हथियारबंद गार्डों द्वारा रेलवे तोल सेतुओं तक लदे हुए रेकों का परिरक्षण करना और रेलवे ट्रेकों जहां वैगनों के लूटे जाने की संभावना होती है, रेलवे सुरक्षाबल (आर.पी.एफ.) के साथ संयुक्त रूप से गश्त लगाना।

6. अवैध खनन स्थलों को सील करना।

7. चोरी अथवा उठाईगिरी के कार्य में पकड़ी गई परिवहन गाड़ियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना।

8. कोयले की चोरी/उठाईगिरी में महिलाओं और बच्चों के लिप्त होने को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड लगाना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुनःआकलन करके सुरक्षा स्कंध को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा कार्य की क्षमता वाले अधिकारियों का होरीजॉटल संचलन तथा कनिष्ठ, मध्यम तथा वरिष्ठ स्तरों पर योग्य सुरक्षा कार्मिकों को लगाना।

9. मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआईएसएफ), कार्मिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा स्कंध में नए भर्ती हुए कार्मिकों को बेसिक प्रशिक्षण देना।

10. कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती हैं।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

801. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जलवायु परिवर्तन की समस्या पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना) : (क) और (ख) इनिशियल नेशनल कम्यूनिकेशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू एन एफ सी सी सी) के एक भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि जल संसाधनों, कृषि, वनों, प्राकृतिक पारि–प्रणालियों, तटीय जोनों, स्वास्थ्य ऊर्जा और अवसंरचना आदि के संबंध में जलवायु परिवर्तन संबंधी संवेदनशीलता मूल्यांकन और अनुकूलन अध्ययन किए गए हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जून, 2007 में जलवायु परिवर्तन प्रभाव पर गठित विशेषज्ञ समिति ने छह क्षेत्रों; नामशः जल संसाधन, कृषि, प्राकृतिक पारि–प्रणाली, स्वास्थ्य, तटीय जोन प्रबंधन और जलवायु मॉडलिंग पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन किया था। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टें तैयार हो चुकी हैं।

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन ए पी सी सी) जारी की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा क्षमता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि–प्रणाली सततता, ग्रीन इंडिया, जलवायु परिवर्तन के लिए सतत कृषि और रणनीतिक ज्ञान, जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशनों को रेखांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सतत विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरु की गई है, जैसे कि :

* विभिन्न क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण और उन्नत ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित करना तथा ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की स्थापना करना।
* नवीनकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना।
* बिजली क्षेत्र में सुधार तथा सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम।
* परिवहन के लिए स्वच्छ और कम कार्बन युक्त ईंधन का इस्तेमाल।
* स्वच्छ ऊर्जा ईंधन का प्रयोग।
* वनीकरण और वनों का संरक्षण।
* स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
* गैस फ्लेयरिंग को कम करना।
* मॉस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियों को बढ़ावा देना।
* सभी क्षेत्रों के लिए पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा यूरेनियम का खनन

802. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) ने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) को देश में यूरेनियम के खनन में प्रवेश करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) देश में यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस देश की भावी मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए गए परमाणु ईंधन का पुनर्चक्रण करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को, तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने देश के भीतर और विदेशों में यूरेनियम के संयुक्त अन्वेषण तथा खनन के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति प्रकट की है, जोकि विचाराधीन है।

(ग) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में नई खानें तथा मिलें स्थापित कर रहा है और मेघालय में भी खनन पेषण कार्य करने की योजना बना रहा है। झारखण्ड में दो मौजूदा खानों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने का काम भी हाथ में लिया गया है। इसके साथ-साथ परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय द्वारा अतिरिक्त भंडारों का पता लगाने के लिए अन्वेषण संबंधी प्रयासों को भी बढ़ाया गया है।

(घ) और (ङ) भारत ने एक बद्ध ईंधन चक्र पद्धति अपनाई है जिसमें किरणित ईंधन को पुनर्संसाधित किया जाता है। त्रि-चरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसे भारत आगे बढ़ रहा है, भुक्तशेष ईंधन का पुनर्संसाधन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे विद्युत कार्यक्रम के पहले चरण में प्राप्त भुक्तशेष ईंधन का पुनर्संसाधन, मूल्यवान विखण्डनीय पदार्थों और उनके साथ-साथ शेष बचे उर्वर पदार्थ को, हमारे कार्यक्रम के दूसरे चरण में पुनर्चक्रण किए जाने हेतु प्राप्त करने के लिए पहले से ही किया जा रहा है।

गुर्दे/मधुमेह के रोगियों में वृद्धि

803. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गुर्दे/मधुमेह रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में गुर्दे/मधुमेह के कितने रोगियों का उपचार किया गया; और

(घ) ऐसे रोगियों को सस्ती दरों पर बेहतर उपचार सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, परिषद ने यह पुष्टि करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है कि विगत वर्षों में देश में गुर्दा रोगियों की संख्या में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है।

(ग) गुर्दा रोगियों के संबंध में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :-

क्रम सं.	अस्पताल	पिछले तीन वर्षों के दौरान उपचार किए गए रोगियों की संख्या
1.	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	25844 (ओपीडी रोगियों सहित)
2.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	1723
3.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	118
4.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	99192 (ओपीडी रोगियों सहित)

मधुमेह के रोगियों के संबंध में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस उपचार के लिए सुविधा कुछ मेडिकल कालेजों और उच्च स्तरीय संस्थानों जैसे एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़, एसजीपीजीआई, लखनऊ आदि में उपलब्ध है। सरकारी संस्थानों में गुर्दे/मधुमेह का उपचार या तो निशुल्क है या अत्यधिक इम्दादी दरों पर है। यदि दरिद्र या जरूरतमंद रोगियों द्वारा उपचार हेतु और सहायता मांगी जाती है तो यह राष्ट्रीय रोग सहायता निधि के तहत

उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मल्टीमीडिया प्रणालियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को प्रचारित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवेस्कुलर रोग एवं स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण भी जनवरी, 2008 में आरंभ किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलाप

804. **श्री पी. करुणाकरन :**
श्री सर्बानन्द सोनोवाल :
श्री महावीर भगोरा :
श्री गणेश सिंह :
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) योजना के अंतर्गत शुरू किए गए विशिष्ट कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एन आर एच एम के अंतर्गत निर्धारित अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में एन आर एच एम के अंतर्गत आबंटित तथा इससे जारी धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–II राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों एकीकृत रोग निगरानी सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों को व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह उत्तम स्वास्थ्य के बुनियादी निर्धारकों के रूप में साफ सफाई एवं स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित पेय जल की सुविधा प्रदान करते हुए क्षेत्र व्यापी तरीके से स्वास्थ्य समस्या को दूर करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कुछ विशेष कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :

- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के माध्यम से घर पर बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या की सुलभता बढ़ाना।
- बेहतर स्टाफ एवं मानव संसाधन विकास नीति, स्पष्ट गुणवत्ता मानकों, बेहतर सामुदायिक सहायता एवं इन मानकों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रबंधन समिति हेतु असंबद्ध निधि के माध्यम से मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।
- पेयजल, साफ–सफाई, स्वच्छता और पोषण सहित जिला स्वास्थ्य मिशन द्वारा तैयार की गई अन्तर्क्षेत्रीय जिला स्वास्थ्य योजना का कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं खंड स्तरों पर वर्टिकल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को मिलाना।
- जन स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी सहायता।
- जन स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- आयुष को मुख्य धारा में लाना – स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनःजीवित करना।
- सुलभ, वहनीय, जवाबदेह एवं अच्छी गुणवत्ता वाली अस्पताल परिचर्या आदि सुनिश्चित करके निर्धन को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी एवं दृश्य जोखिम पूलिंग एवं सामाजिक स्वास्थ्य बीमा।

(ख) और (ग) जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली में व्यापक सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक पहल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रारंभ होने के बाद से काफी प्रगति हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संस्थागत कार्यढांचा स्थापित किया गया है और विभिन्न राज्यों एवं जिलों में इसको प्रभावित किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य मिशन गठित किए गए हैं। मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के चयन एवं उसकी तैनाती के अपेक्षित लक्ष्य को पार कर लिया गया है। 6.24 लाख से अधिक आशाओं का चयन किया गया है और विषय परिचायन प्रशिक्षण के बाद 5.54 लाख आशाओं को गांवों में तैनात कर दिया गया है। राज्य एवं जिला स्तर पर सोसायटियों को मिलाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां संलग्न विवरण–I में दी गई हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य-वार आबंटित एवं रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अन्तरक्षेत्रीय सम्मिलन एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी सेवा प्रदानगी के बेहतर उपयोग के लिए केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर एन आई वी के साथ सम्मिलित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक पृथक प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है। यह संपूर्ण भारत के लिए पृथक रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान राज्यवार अस्थायी आबंटन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य				
1	बिहार	39822	59921	68070
2	छत्तीसगढ़	11800	17458	22523
3	झारखंड	15769	22920	26292
4	मध्य प्रदेश	28076	41310	54405
5	राजस्थान	26427	40791	54818
6	उड़ीसा	19672	28468	34520
7	उत्तर प्रदेश	74669	114270	145942
8	उत्तराखंड	5186	7189	8444
9	जम्मू और कश्मीर	5180	6583	8677
10	हिमाचल प्रदेश	4358	5936	6770
11	असम	24797	51322	64228
12	अरुणाचल प्रदेश	2638	3188	4339
13	मणिपुर	3363	5375	6668
14	मेघालय	3215	5287	6227
15	मिजोरम	3121	2848	3670
16	नागालैंड	3042	4914	5619
17	त्रिपुरा	5059	6635	8814
18	सिक्किम	792	1451	1796
	उप योग	276987	425866	531823
अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	27760	42006	59784
2	गोवा	635	949	1338
3	गुजरात	30682	31848	38058
4	हरियाणा	6933	11769	13760
5	कर्नाटक	18756	29829	39595
6	केरल	11738	17721	21857
7	महाराष्ट्र	31072	51295	67114
8	पंजाब	7509	12844	16197
9	तमिलनाडु	21273	33855	43316
10	पश्चिम बंगाल	27729	43328	54020
11	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	563	910	609
12	चण्डीगढ़	329	637	735
13	दादरा और नगर हवेली	203	346	378
14	दमन और दीव	147	360	343
15	दिल्ली	3136	5725	7920
16	लक्षद्वीप	122	247	225
17	पुडुचेरी	267	529	998
	उप योग	188855	284197	366247
	कुल*	465842	710063	898070

*टिप्पणी : इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्री रूप में किये गये अंतरण शामिल नहीं हैं।

विवरण-II

वर्ष 2005–06, 2006–07, एवं 2007–08 के दौरान राज्यवार रिलीज की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्रों का नाम	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य				
1	बिहार	31588	49012	48210
2	छत्तीसगढ़	11861	16443	17880
3	झारखंड	14351	19159	15828
4	मध्य प्रदेश	29814	47214	63691
5	राजस्थान	32522	45991	69235
6	उड़ीसा	23108	23883	36045
7	उत्तर प्रदेश	93000	118024	153150
8	उत्तराखंड	5666	5067	16214
9	जम्मू और कश्मीर	6769	5710	16557
10	हिमाचल प्रदेश	5865	7897	5407
11	असम	15413	37542	59375
12	अरुणाचल प्रदेश	2900	5069	4225
13	मणिपुर	2698	3868	4764
14	मेघालय	2156	3734	4003
15	मिजोरम	2762	6066	2944
16	नागालैंड	2960	4388	4453
17	त्रिपुरा	2877	4066	7228
18	सिक्किम	947	2445	4208
	उप योग	287256	405578	533416
अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	36539	42328	63124
2	गोआ	617	437	516
3	गुजरात	34628	31175	41789
4	हरियाणा	8514	13469	13179
5	कर्नाटक	19927	28402	31462
6	केरल	11365	19062	29761
7	महाराष्ट्र	33859	36611	70634
8	पंजाब	9413	17350	11889
9	तमिलनाडु	24516	36547	59067
10	पश्चिम बंगाल	29988	44050	54868
11	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	845	1014	797
12	चण्डीगढ़	337	698	477
13	दादर और नगर हवेली	178	289	134
14	दमन और दीव	179	359	51
15	दिल्ली	3283	5440	8136
16	लक्षद्वीप	161	175	50
17	पुडुचेरी	431	617	478
	उप योग	214778	278024	386414
उपयोग (नकद एवं सामग्री अनुदान सहित)		502033	683602	919830
	केन्द्र स्तर पर व्यय	84224	52505	99073
	कुल रिलीज	586257	736107	1018903

पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों का विकास

805. श्री सर्बानन्द सोनोवाल : क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों के अंतर्गत विकास हेतु डिब्रूगढ़ टाऊन प्रोटेक्शन ड्रेन सहित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य–वार आबंटित एवं रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अन्तरक्षेत्रीय सम्मिलन एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी सेवा प्रदानगी के बेहतर उपयोग के लिए केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर एन आई वी के साथ सम्मिलित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक पृथक प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है। यह संपूर्ण भारत के लिए पृथक रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान राज्यवार अस्थायी आबंटन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य				
1	बिहार	39822	59921	68070
2	छत्तीसगढ़	11800	17458	22523
3	झारखंड	15769	22920	26292
4	मध्य प्रदेश	28076	41310	54405
5	राजस्थान	26427	40791	54818
6	उड़ीसा	19672	28468	34520
7	उत्तर प्रदेश	74669	114270	145942
8	उत्तराखंड	5186	7189	8444
9	जम्मू और कश्मीर	5180	6583	8677
10	हिमाचल प्रदेश	4358	5936	6770
11	असम	24797	51322	64228
12	अरुणाचल प्रदेश	2638	3188	4339
13	मणिपुर	3363	5375	6668
14	मेघालय	3215	5287	6227
15	मिजोरम	3121	2848	3670
16	नागालैंड	3042	4914	5619
17	त्रिपुरा	5059	6635	8814
18	सिक्किम	792	1451	1796
	उप योग	276987	425866	531823
अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	27760	42006	59784
2	गोवा	635	949	1338
3	गुजरात	30682	31848	38058
4	हरियाणा	6933	11769	13760
5	कर्नाटक	18756	29829	39595
6	केरल	11738	17721	21857
7	महाराष्ट्र	31072	51295	67114
8	पंजाब	7509	12844	16197
9	तमिलनाडु	21273	33855	43316
10	पश्चिम बंगाल	27729	43326	54020
11	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	563	910	609
12	चण्डीगढ़	329	637	735
13	दादरा और नगर हवेली	203	346	378
14	दमन और दीव	147	360	343
15	दिल्ली	3136	5725	7920
16	लक्षद्वीप	122	247	225
17	पुडुचेरी	267	529	998
	उप योग	188855	284197	366247
	कुल*	465842	710063	898070

*टिप्पणी : इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्री रूप में किये गये अंतरण शामिल नहीं हैं।

विवरण-II

वर्ष 2005–06, 2006–07, एवं 2007–08 के दौरान राज्यवार रिलीज की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्रों का नाम	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य				
1	बिहार	31588	49012	48210
2	छत्तीसगढ़	11861	16443	17880
3	झारखंड	14351	19159	15828
4	मध्य प्रदेश	29814	47214	63691
5	राजस्थान	32522	45991	69235
6	उड़ीसा	23108	23883	36045
7	उत्तर प्रदेश	93000	118024	153150
8	उत्तराखंड	5666	5067	16214
9	जम्मू और कश्मीर	6769	5710	16557
10	हिमाचल प्रदेश	5865	7897	5407
11	असम	15413	37542	59375
12	अरुणाचल प्रदेश	2900	5069	4225
13	मणिपुर	2698	3868	4764
14	मेघालय	2156	3734	4003
15	मिजोरम	2762	6066	2944
16	नागालैंड	2960	4388	4453
17	त्रिपुरा	2877	4066	7228
18	सिक्किम	947	2445	4208
	उप योग	287256	405578	533416
अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	36539	42328	63124
2	गोआ	617	437	516
3	गुजरात	34628	31175	41789
4	हरियाणा	8514	13469	13179
5	कर्नाटक	19927	28402	31462
6	केरल	11365	19062	29761
7	महाराष्ट्र	33859	36611	70634
8	पंजाब	9413	17350	11889
9	तमिलनाडु	24516	36547	59067
10	पश्चिम बंगाल	29988	44050	54868
11	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	845	1014	797
12	चण्डीगढ़	337	698	477
13	दादर और नगर हवेली	178	289	134
14	दमन और दीव	179	359	51
15	दिल्ली	3283	5440	8136
16	लक्षद्वीप	161	175	50
17	पुडुचेरी	431	617	478
	उप योग	214778	278024	386414
उपयोग (नकद एवं सामग्री अनुदान सहित)		502033	683602	919830
	केन्द्र स्तर पर व्यय	84224	52505	99073
	कुल रिलीज	586257	736107	1018903

पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों का विकास

805. श्री सर्बानन्द सोनोवाल : क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों के अंतर्गत विकास हेतु डिब्रूगढ़ टाऊन प्रोटेक्शन ड्रेन सहित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार डिब्रूगढ़ सहित शहरी अवसंरचना विकास उत्तर पूर्व में "उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजनाओं और स्कीमों के लिए प्रावधान" और एशियाई विकास बैंक परियोजना के तहत उत्तर पूर्व में शुरू की गई है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं :–

- विद्यमान और नई सड़कों, पगडंडी का निर्माण और सुधार
- विद्यमान नालियों/नई नालियों का निर्माण और सुधार
- जल आपूर्ति योजना
- सीवर योजना
- दीवारों का निर्माण
- ठोस कचरा प्रबंधन योजना
- पुलों और फ्लाईओवरों का निर्माण
- बाजार परिसर/पार्किंग/ट्रक टर्मिनस का निर्माण
- नागरिक सुविधाएं जैसे – खेल का मैदान/समुदाय भवन, रैन बसेरा, वृद्धाश्रम तथा अनाथालय।

राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	2005–06 में जारी राशि	2006–07 में जारी राशि	2007–08 में जारी राशि
अरुणाचल प्रदेश	48	39.61	35.28	64.46
असम	28	22.12	38.54	26.90
मणिपुर	18	0.05	1.90	6.86
मेघालय	13	9.73	6.58	3.37
मिजोरम	13	32.62	7.12	37.55
नागालैंड	45	28.15	7.79	35.55
सिक्किम	20	3.00	19.64	4.083
त्रिपुरा	15	24.72	13.45	54.18
कुल	200	160.00	130.30#	270.00

[हिन्दी]

स्वदेशी पोत परिवहन उद्योग की वृद्धि

806. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व पोत परिवहन उद्योग की तुलना में देश के पोत परिवहन उद्योग की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है; और

(ख) स्वदेशी पोत परिवहन, उद्योग के विकास में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व पोत परिवहन टनभार की तुलना में भारतीय पोत परिवहन टनभार की वार्षिक वृद्धि दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार, भारतीय टनभार में वृद्धि लाने के लिए समय–समय पर विभिन्न कदम उठाती आ रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अंतर्गत 44,535 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष, 2015 तक कार्यान्वित किए जाने हेतु पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए 111 परियोजनाएं चुन ली गई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कार्य–कलापों में टनभार अधिग्रहण, समुद्रीय प्रशिक्षण, तटीय पोत परिवहन, नौचालनात्मक साधन–सुविधाएं, पोत निर्माण और अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना तैयार किया जाना शामिल हैं। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, भारतीय नौवहन निगम की 15,000 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत पर 76 जलयान खरीदे जाने की योजना है।

(ii) वर्ष, 2004–05 से टनभार कर आरंभ किया गया है, जिससे कराधान के मामले में भारतीय पोत परिवहन उद्योग को अंतर राष्ट्रीय पोत परिवहन उद्योग की तुलना में एक समान अवसर दिए गए हैं।

(iii) जलयानों की खरीद को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत लाया गया है। पोत स्वामी किसी भी प्रकार के पोतों को खरीदे जाने का निर्णय लिए जाने और उनके संचालन के क्षेत्र इत्यादि के बारे में स्वतंत्र हैं।

(iv) पोत परिवहन क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत है।

(v) नए खरीदे गए जलयानों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को सरल बना दिया गया है।

(vi) बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए समुद्रीय प्रशिक्षण, परीक्षा और प्रमाणीकरण प्रणाली को सुप्रवाही बना दिया गया है।

विवरण

2005–2007 तक पंजीकरण देशों के आधार पर विश्व में प्रमुख समुद्रीय देशों का पोत परिवहन टनभार

पंजीकरण–देश	2004	2005		2006		2007	
	कार्गो बेड़ा (मिलियन जी आर टी)	कार्गो बेड़ा (मिलियन जी आर टी)	वार्षिक % वृद्धि	कार्गो बेड़ा (मिलियन जी आर टी)	वार्षिक % वृद्धि	कार्गो बेड़ा (मिलियन जी आर टी)	वार्षिक % वृद्धि
पनामा	129.3	139.7	8.0	152.64	9.3	165.35	8.3
लाइबेरिया	52.5	58.4	11.2	67.15	15.0	75.27	12.1
बाहमास	33.7	36.6	8.6	38.82	6.1	41.29	6.4
ग्रीस	32.0	30.7	–4.1	31.98	4.2	35.60	11.3
माल्टा	22.2	22.9	3.2	24.72	7.9	27.53	11.4
साइप्रस	21.1	18.9	–10.4	18.9	0.0	18.80	–0.5
सिंगापुर	25.8	30.4	17.8	31.54	3.8	34.97	10.9
नार्वे (एन आई एस)	15.1	13.9	–7.9	14.52	4.5	14.39	–0.9
जापान	12.1	11.7	–3.3	11.72	0.2	11.74	0.2
चीन	19.4	21.2	9.3	22.38	5.6	23.64	5.6
संयुक्त राज्य अमेरिका	8.6	8.9	3.5	8.97	0.8	8.96	–0.1
जर्मनी	8.0	11.3	41.3	11.16	–1.2	12.72	14.0
इटली	10.7	11.3	5.6	12.28	8.7	12.67	3.2
भारत	7.1	7.5	5.6	7.73	3.1	8.41	8.8
मार्शल द्वीप	21.9	28.6	30.6	32.18	12.5	35.13	9.2
हांग–कांग	26.0	29.8	14.6	32.66	9.6	35.79	9.6
दक्षिण कोरिया	7.2	8.6	19.4	9.85	14.5	12.47	26.6
यू के	10.4	10.5	1.0	11.41	8.7	12.69	11.2
विश्व का योग (अन्य देशों को मिला कर)	601.7	642.67	6.8	687.98	7.1	730.29	6.1

(स्रोत: विश्व बेड़ा सांख्यिकीय, 2007, एल लायड रजिस्टर–फेयरप्ले)

[अनुवाद]

धौलपुर-मुरैना राजमार्ग

807. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के धौलपुर – मुरैना खंड की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के धौलपुर–मुरैना खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एचएचडीपी) के अंतर्गत चार लेन वाली सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) चंबल पुल के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के 51.00 से 61.00 किमी. तक धौलपुर–मुरैना खंड को चार लेन का बनाने का कार्य 230.28 करोड़ रु. की लागत पर 18.10.2007 से कार्य प्रारंभ किए जाने और 36 माह के कार्य पूरा करने के समय के साथ सौंपा गया था। इस कार्य की प्रगति एक प्रतिशत है। कार्य की धीमी प्रगति मुख्यतः नए चंबल पुल के निर्माण के लिए वन भूमि के परिवर्तन (डाइवर्जन) में कठिनाई और निर्माण पूर्व कार्यों में विलंब के कारण है।

(ख) धौलपुर–मुरैना खंड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और यह उन्नत स्तर पर है। केन्द्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा वन भूमि के परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार लेन बनाने की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे नियमित निगरानी, निर्माण पूर्व कार्यों में राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को शामिल करना, सचिवों की समिति तंत्र के माध्यम से अंतर मंत्रालयी और राज्य सरकार के स्तर पर तात्कालिक और महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाना, भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, खराब कार्य करने वाले ठेकेदारों को नॉन परफार्मिंग ठेकेदार घोषित करना और भावी ठेके सौंपने से उन्हें वंचित करना, नकदी की समस्या का सामना कर रहे ठेकेदारों की सुनिश्चित ब्याजशुदा अग्रिम के माध्यम से सहायता करना आदि।

बाघों का मरना

808. श्री अबु अयीश मंडल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि देश के वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में बाघ मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) राज्य द्वारा वाल्मीकि बाघ रिजर्व (बिहार) में फुट ट्रैप इंजरी के कारण दिनांक 10.05.2008 को एक बाघ की मौत की सूचना दी गई है। बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाघों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा–प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए 17 बाघ रिजर्वों को अतिरिक्त रूप से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा, जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6.6.2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

7. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों को पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ रिजर्वों में मेनस्ट्रीमिंग जीविका और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास अवक्रमण करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघ (सह–जीवियों, शिकारी पशुओं और पर्यावास स्तरों पर मूल्यांकन करने के लिए) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क हैं।

9. 17 राज्यों में लगभग 31111 वर्ग किमी. संवेदनशील/मुख्य बाघ पर्यावासों की पहचान की गई है।

10. बाघ रिजर्व राज्यों के माध्यम से संरक्षण निवेशों के बेहतर/समन्वित कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स, ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघ छोड़ा जाना

15. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाई गई रिकवरी रणनीति के आधार पर सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान) में एक नर बाघ और एक बाघिन छोड़ी गई है। रेडियो टेलीमेट्री द्वारा बाघों की गहन मानीटरी की जा रही है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस टी पी एफ) का गठन

16. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन टी सी ए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए एकमुश्त 50.00 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

राज्यों को कोयला आबंटित करने संबंधी मानदण्ड

809. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :**
श्री महेश कनोडीया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोलियरीज लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) से एक राज्य को कोयले का आबंटन करने हेतु क्या मानदण्ड/मानक अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या गुजरात राज्य को पूर्वी कोयला बेल्ट से कोयला आबंटित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार गुजरात को डब्ल्यूसीएल से कोयला आबंटित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी औपचारिकताएं क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) कोयले के निष्कर्षण के लिए कोयला संभारतंत्रीय प्रबंध की उपलब्धता, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के मानदण्डों आदि के अनुसार गुणवत्ता आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) से कोयले के आबंटन सहित कोयले का दीर्घावधि तथा अल्पावधि आधार पर आबंटन एक अन्तर–मंत्रालयी समिति, अर्थात् स्थायी लिंकेज समिति द्वारा किया जाता है।

(ख) से (च) गुजरात में स्थित 5 विद्युत उपयोगिताओं में से सप्लाई का मुख्य स्रोत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) तथा नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) है। गुजरात में केवल एक तापीय विद्युत स्टेशन अर्थात सिक्का 1600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रचालित खान से कोयला प्राप्त कर रहा है। गुजरात के अन्य विद्युत स्टेशन अपना कोयला साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) से प्राप्त कर रहे हैं जो एनसीएल के अलावा गुजरात का अगला समीपस्थ स्रोत हैं तथा कोयले के कुछ भाग की आपूर्ति

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) से की जाती है। इसके अलावा, चूंकि गुजरात के विद्युत स्टेशन कोलफील्डों से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसलिए पर्यावरण और वन संबधी शर्तों को पूरा करने के लिए निर्धारित राख की मात्रा के भीतर अपेक्षित मिश्रित मिश्रण प्राप्त करने हेतु एसईसीएल के कोरिया–रीवा के समीपस्थ कोलफील्डों से कम राख की मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति की जा रही है। डब्ल्यूसीएल की मौजूदा कोयला वचनबद्धताओं तथा डब्ल्यूसीएल में आगामी वर्षों में कोयला उत्पादन की भावी संभावना के किसी विकास का बोध न होते देखकर इस स्तर पर गुजरात के विद्युत संयंत्रों के लिए डब्ल्यूसीएल से स्रोत के किसी युक्तिकरण पर विचार करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

नक्सली क्षेत्र के साथ सड़क संपर्क

810. श्री मधु गौड यास्की :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्ध–सैनिक बलों को नक्सल प्रभावित दूर–दराज के क्षेत्रों तक शीघ्र पहुंच प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों को राजमार्ग से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित तथा आबंटित की गई है; और

(घ) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अर्धसैनिक बलों को शीघ्र पहुंच प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभागों के परामर्श से कुल 1320.53 किमी. लंबाई के 21 राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अभिनिर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अभिनिर्धारित खंडों के उन्नयन के लिए अस्थायी तौर पर 1555.59 करोड़ रु. की अनंतिम लागत का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण सामान्य बजट सहायता से वार्षिक योजना में किया जा रहा है। धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध रूप में क्रमिक वार्षिक योजनाओं में इन राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल करने और उन्नयन कार्य करने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) ये परियोजनाएं मंत्रालय की निर्दिष्ट कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी जो इस मामले में संबंधित राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन है।

विवरण

नक्सली क्षेत्रों में उन्नयन/सुधार/निर्माण किए जाने के लिए अभिनिर्धारित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग	लंबाई (किमी)	प्रस्तावित सुधार	अनंतिम लागत (लाख रु.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	खम्माम	(एनएच–221) – किमी. 168/6 से 236/150 तक विजयवाड़ा से जगदलपुर सड़क	67.550	चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	6785.00	
			हैदराबाद–भोपालपट्टनम सड़क पर (एनएच–202) गोदावरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल और दोनों ओर 7.0 किमी. लंबे पहुंच मार्गों का निर्माण	14.000	उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	15000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			एनएच–221 (किमी 103/0 से 141/4 भद्राचलम–चांदरूपडरा सड़क	38.400	चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	3982.00	
2	बिहार	गया	एनएच–99 (किमी 0.00 से किमी. 11.50)	11.500	चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	700.00	
		जहानाबाद	एचएच–83 (पटना–जहानाबाद खंड)	32.000	चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और क्षतिग्रस्त और पुराने पुल के स्थान पर दर्धा नदी पर 43 किमी. पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	4500.00	एनएचडीपी चरण–III में शामिल
			एनएच–110 (किमी. 36.00 से किमी. 68.00)	32.000	चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और क्षतिग्रस्त और पुराने पुल के स्थान पर दर्धा नदी पर 53 किमी. पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण		
3.	छत्तीसगढ़	बस्तर/ दांतेवाड़ा	एनएच–221 जगदलपुर से कोंटा	170.000	दो लेन बनाना	35000.00	11 किमी. के चौड़ीकरण और 82 किमी. के नवीकरण के लिए कार्य स्वीकृत (24.35 करोड़ रु.)
			एनएच–16 जगदलपुर से भोपालपट्टनम	204.00	दो लेन बनाना		कार्य स्वीकृत (446.00 करोड़ रु.) और प्रगति पर।
		बीजापुर	एनएच–202 भोपाल–पट्टनम से तरलागुडा	36.00	दो लेन चौड़ीकरण	10800.00	वन स्वीकृति अपेक्षित
4.	झारखंड	चतरा एवं हजारीबाग	(एनएच–100–चतरा – बगरामोर – सिमनिया – हजारीबाग – विष्णुगढ़ – बगोदर	108.500	सीडी कार्य के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ दो लेन चौड़ीकरण	13020.00	
		चतरा	(एनएच–99) डोभी–चतरा–बालमुठा–चंदवा	86.000	सीडी कार्य के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ दो लेन चौड़ीकरण	10320.00	
		गढ़वा	(एनएच–75)–परवा मोड़–उत्तर प्रदेश सीमा (किमी. 183 से 260)	77.00	सीडी कार्य के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ दो लेन चौड़ीकरण	9240.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			(एचएच–98)–हैहरगंज–अंबा–चतरपुर–परवा मोड़	55.400	सीडी कार्य के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ दो लेन चौड़ीकरण	6648.00	
		लोहरदगा, लातेहार और पलामू	(एनएच–75), रांची–डाल्टनगंज से परवा मोड़	100.000	सीडी कार्य के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ दो लेन चौड़ीकरण	12000.00	
		पश्चिम सिंहभूम	(एनएच–75 विस्तार) (एनएच–33 जंक्शन)–खूंटी–मुरहु–चक्रधरपुर–चाईबासा–जैतगढ़ (उड़ीसा सीमा)	143.000	सीडी कार्य के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ दो लेन चौड़ीकरण	17160.00	
			(एनएच–75 विस्तार)–रांची (एनएच–33 जंक्शन)–खूंटी–मुरहु–चक्रधरपुर–चाईबासा–जैतगढ़ (उड़ीसा सीमा)	59.900	सीडी कार्य के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ दो लेन चौड़ीकरण	7248.00	
5.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	एनएच–75ई किमी. 211.20 से किमी. 215.00	3.800	सड़क गुणता सुधार	200.00	
			एनएच–75ई किमी. 215.00 से किमी. 263.535	48.535	सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट द्वारा आवधिक नवीकरण	1000.00	
			एनएच–75ई किमी. 263.535 से किमी. 278	14.465	सुदृढ़ीकरण	778.00	
			एनएच–75ई किमी. 280.00 से किमी. 288.00	4.000	सुदृढ़ीकरण	400.00	
			एनएच–75ई किमी. 288.00 से किमी. 302.478	14.478	सुदृढ़ीकरण	778.00	
			कुल जोड़ :–	1320.528		155559.00	

चीन और बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद

811. श्री प्रबोध पांडा :

योगी आदित्यनाथ :

श्री निखिल कुमार :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन और बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्यपद्धति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच सीमावर्ती अंतः क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीमावर्ती अंतः क्षेत्रों का आदान–प्रदान कब तक पूरा होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेई की 22 से 27 जून, 2003 की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन समग्र द्विपक्षीय संबंध के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में सीमा समझौते की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रत्येक ओर से एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने पर सहमत हुए थे। अब तक विशेष प्रतिनिधियों की बारह बैठकें हो चुकी हैं। दो विशेष प्रतिनिधि भारत चीन सीमा के सभी सैक्टरों को शामिल करके एक अंतिम पैकेज निपटारे हेतु रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

भारत और बांग्लादेश ने 1974 में एक भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किया जिसे केवल तीन मुद्दों को छोड़कर शेष को कार्यान्वित किया गया है, ये मुद्दे (i) तीन सेक्टरों में 6.1 किलोमीटर सीमा का निर्धारण अर्थात् : लठीटीला–दुमाबरी (असम सैक्टर में तीन किलोमीटर), दक्षिण बेरूबरी (पश्चिम बंगाल सैक्टर में 1.5 कि.मी.) और मुहुरी नदी/बेलोनिया सैक्टर (त्रिपुरा सैक्टर में 1.6 कि.मी.) (ii) प्रतिकूल आधिपत्यों का आदान–प्रदान और (iii) विदेशी अंतःक्षेत्रों का आदान–प्रदान से संबंधित हैं।

भारत सरकार बांग्लादेश के साथ विदेशी अंतःक्षेत्रों और प्रतिकूल आधिपत्यों के आदान–प्रदान सहित सीमा से जुड़े सभी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए इच्छुक है। भूमि सीमा करार (एलबीए) के कार्यान्वयन से संबंधित सभी बकाया मुद्दों को हल करने के लिए 2001 में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सीमा कार्यदल (जेबीडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। जेबीडब्ल्यूजी की तीन बैठकें हो चुकी हैं, जेबीडब्ल्यूजी की पिछली बैठक ढाका में 15 और 16 जुलाई, 2006 को हुई।

(ग) से (ङ) बांग्लादेश में 111 भारतीय विदेशी अंतःक्षेत्र हैं और भारत में 51 बांग्लादेशी विदेशी अंतःक्षेत्र हैं। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 1997 में विदेशी अंतःक्षेत्रों की सहमत सूची पर हस्ताक्षर हुए थे। 1974 के भूमि सीमा करार में कहा गया है कि विदेशी अंतःक्षेत्रों का आदान–प्रदान शीघ्र किया जाना चाहिए। विदेशी अंतःक्षेत्रों के आदान–प्रदान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच संयुक्त सीमा कार्य दल में विचार किया जा रहा है। भारत सरकार बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के लिए संकल्पबद्ध है।

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

812. श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ठ उन्मूलन के प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) प्राप्त सफलता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है और किन–किन राज्यों ने अभी तक कुष्ठ के उन्मूलन के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्यों को आबंटित निधियों और व्यय की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रुपए लाख में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2005–06	3762	3161.52
2006–07	3725	3256.76
2007–08	3650	2282.10
2008–09	4100.40	846.07 अगस्त/सितम्बर, 2008 तक

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) एम डी टी की शुरूआत के बाद रोग के प्रति काफी महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। 1982–83 में एम डी टी की शुरूआत से मार्च, 2008 तक एम डी टी द्वारा कुल 12.14 मिलियन कुष्ठ रोगियों का उपचार किया गया। वर्ष 1980–81 में प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 57.60 रोगियों से घटकर दिसम्बर, 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 जनसंख्या पर 1 रोगी से कम कुल रोगी का रिकार्ड दर्ज किया गया। इस प्रकार देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 द्वारा निर्धारित अनुसार दिसम्बर, 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 1 रोगी से भी कम जनस्वास्थ्य समस्या अर्थात व्याप्तता दर के रूप में कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और दादरा नगर एवं हवेली को अभी उन्मूलन करना है। वर्ष 2007–08 के दौरान पता लगाए गए नए कुष्ठ रोगियों का राज्यवार ब्यौरा और मार्च, 2008 तक रिकार्ड किए गए रोगियों की संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2005.06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के लिए बजट आबंटन और राज्यों द्वारा सूचित व्ययः

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्यों/संघ क्षेत्रों के नाम	बजट–आबंटन				राज्यों द्वारा सूचित व्यय			जारी	अगस्त/सितम्बर 2008 तक व्यय
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	113.34	113.41	174.91	196.49	111.05	140.81	170.12	122.81	138.14
2	अरुणाचल प्रदेश	50.03	75.39	130.51	146.61	49.86	60.67	36.02	40.55	10.00
3	असम	54.45	88.91	161.77	181.73	48.74	119.64	46.84	57.47	23.42
4	बिहार	388.37	358.42	290.97	326.88	198.29	134.90	134.56	28.04	0.00
5	छत्तीसगढ़	204.73	209.99	130.09	146.14	216.54	186.12	69.83	96.31	47.68
6	गोवा	17.61	17.45	7.03	7.90	2.94	7.40	4.52	4.60	1.10
7	गुजरात	130.35	157.93	159.15	178.79	88.74	129.17	104.75	89.10	102.71
8	हरियाणा	38.84	38.72	64.39	72.34	44.39	46.92	52.34	49.10	22.34
9	हिमाचल प्रदेश	43.67	49.02	64.39	72.34	37.44	51.27	43.96	44.64	26.91
10	जम्मू और कश्मीर	63.38	61.16	57.52	64.62	40.75	42.47	32.03	27.99	2.38
11	झारखंड	345.08	320.04	162.01	182.00	307.40	95.92	56.62	103.16	5.40
12	कर्नाटक	83.99	59.21	136.40	153.23	65.35	126.81	107.45	36.93	6.00
13	केरल	30.39	36.57	102.43	115.23	43.85	53.90	14.65	33.70	3.63
14	मध्य प्रदेश	389.65	250.49	136.76	153.64	159.09	237.17	126.29	113.67	34.20
15	महाराष्ट्र	179.71	210.96	196.55	220.82	304.91	267.96	156.08	139.22	64.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	मणिपुर	32.09	31.50	41.84	47.00	17.43	47.63	22.48	17.00	20.00
17	मेघालय	33.15	42.19	42.29	47.51	10.59	13.58	17.24	12.02	3.56
18	मिजोरम	35.07	45.23	58.12	65.29	28.36	34.81	12.23	26.57	3.20
19	नागालैंड	78.57	78.22	43.46	48.82	36.60	43.43	37.67	10.91	25.96
20	उड़ीसा	261.33	242.20	147.96	166.20	167.54	219.03	107.55	82.85	32.58
21	पंजाब	50.88	62.92	68.09	76.49	40.09	42.21	63.29	54.11	53.78
22	राजस्थान	82.02	76.47	125.41	140.89	126.02	109.48	82	83.25	5.53
23	सिक्किम	23.92	23.00	33.11	37.20	17.35	21.31	19.65	12.63	7.65
24	तमिलनाडु	90.50	138.53	150.38	168.94	169.04	148.78	91.64	104.30	27.47
25	त्रिपुरा	21.12	21.00	35.64	40.04	23.87	15.96	3.47	0.34	1.34
26	उत्तरांचल	109.19	432.98	76.94	86.43	54.62	82.57	54.38	20.45	8.36
27	उत्तर प्रदेश	447.03	81.80	454.06	510.09	383.69	463.25	380.57	393.36	72.50
28	पश्चिम बंगाल	234.70	275.96	287.29	322.74	268.12	237.69	169.13	138.47	72.26
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.19	11.18	11.23	12.62	6.07	4.76	4.99	8.30	प्रतीक्षित
30	चंडीगढ़	10.75	11.00	10.21	11.47	6.55	6.30	4.97	5.22	2.76
31	दादरा और नगर हवेली	9.65	9.00	7.54	8.47	5.70	6.89	4.98	10.00	प्रतीक्षित
32	दमन और दीव	15.54	15.00	17.52	19.68	14.69	7.58	6.69	0.00	प्रतीक्षित
33	दिल्ली	63.41	61.00	55.65	62.52	57.36	40.02	36.26	39.96	18.25
34	लक्षद्वीप	7.02	7.00	2.03	2.28	2.52	0.78	0	0.00	प्रतीक्षित
35	पांडिचेरी	11.28	11.15	6.34	7.12	5.97	9.57	6.85	6.12	2.14
	कुल	3762.00	3725.00	3650.00	4100.56	3161.52	3256.76	2282.10	2013.15	846.07

विवरण-II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष 2007–08 के दौरान पता लगाये गए राज्यवार नये कुष्ठ रोगी और 31 मार्च, 2008 को रिकॉर्ड में मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	वर्ष 2007–08 के दौरान पता लगाये गये मामले	ए एन सी डी आर/ 100.00	मार्च, 2008 को रिकॉर्ड में मामले	मार्च, 2008 को व्याप्तता दर (पी.आर.)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	10047	12.12	5817	0.70
2	अरुणाचल प्रदेश	45	3.51	52	0.41
3	असम	1268	4.22	1137	0.38
4	बिहार	19041	19.33	10262	1.04
5	छत्तीसगढ़	7808	33.46	5465	2.34
6	गोवा	156	10.54	112	0.76
7	गुजरात	7228	12.41	4752	0.82
8	हरियाणा	379	1.52	319	0.13
9	हिमाचल प्रदेश	246	3.62	201	0.30
10	जम्मू और कश्मीर	6799	21.86	3460	1.11
11	झारखंड	209	1.74	201	0.17
12	कर्नाटक	4522	7.68	3059	0.52
13	केरल	778	2.30	775	0.23
14	मध्य प्रदेश	6058	8.63	4799	0.68
15	महाराष्ट्र	12397	11.12	7870	0.71
16	मणिपुर	54	1.89	43	0.15
17	मेघालय	14	0.51	13	0.05
18	मिजोरम	26	2.44	18	0.17
19	नागालैंड	54	1.93	70	0.25
20	उड़ीसा	5685	13.97	3283	0.81
21	पंजाब	964	3.50	897	0.33
22	राजस्थान	1201	1.79	1278	0.19

1	2	3	4	5	6
23	सिक्किम	27	4.10	26	0.40
24	तमिलनाडु	5511	8.24	3665	0.55
25	त्रिपुरा	85	2.41	65	0.18
26	उत्तरांचल	31028	15.94	18254	0.94
27	उत्तर प्रदेश	763	7.96	535	0.56
28	पश्चिम बंगाल	13551	15.07	9358	1.04
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	4.28	24	0.57
30	चंडीगढ़	190	16.70	140	1.23
31	दादर और नगर हवेली	150	49.50	57	1.88
32	दमन और दीव	2	0.93	1	0.05
33	दिल्ली	1331	7.43	1195	0.67
34	लक्षद्वीप	0	0.00	1	0.15
35	पांडिचेरी	50	451	24	0.22
	कुल	137685	11.70	87228	0.74

घरेलू दूषित जल शोधन

813. श्री के. सुब्बारायण : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घरेलू दूषित जल के शोधन और इसके पुनः उपयोग हेतु उपलब्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये योजनाएं शोधित जल की शुद्धता को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली हैं;

(ग) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में इस जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है उसके ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य से जिस वैकल्पिक योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है, उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) और (घ) शहरी जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे राज्य योजना निधियों की मदद से घरेलू अपशिष्ट जल शोधन योजनाओं सहित जल आपूर्ति और सफाई परियोजना को तैयार, डिजाइन, निष्पादित/प्रचालित और उनका रखरखाव करें। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत द्वि-राज्य सैक्टर मिशन मोड आधारित सुधारोन्मुख कार्यक्रम, नामतः छोटे और मध्यम स्तर के शहरों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन (जेएनएनयूआरएम) और शहरी ढांचा विकास योजना, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए इस समय प्रचालित किए जा रहे हैं। इसके लिए योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। सीवेज को प्राकृतिक वातावरण छोड़ने के लिए शोधन करने अथवा उसके पुनः प्रयोग सहित सीवरेज और सीवेज शोधन (अर्थात् घरेलू अपशिष्ट जल शोधन) योजनाएं, इन कार्यक्रमों के स्वीकार्य घटकों में शामिल हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रदूषण उपशमन उपायों में अवरोधित और अपवर्तित सीवेज को जल निकायों तक पहुंचने से पूर्व उसका इच्छित स्तर तक शोधन करने हेतु सीवेज शोधन संयंत्र की स्थापना करना शामिल है।

(ख) और (ग) उपचारित किए गए अपशिष्ट जल की शुद्धता का आशय सीवेज/घरेलू अपशिष्ट जल का शोधन अनिवार्य बहिस्राव मानकों तक सुनिश्चित करना है। अपशिष्ट जल का शोधन उपचारित किए गए अपशिष्ट जल के अंतिम अनुप्रयोगों के आधार पर द्वितीयक, तृतीयक और अधिक उच्चतर स्तर पर किया जा सकता है। उपचारित किए गए जल का उपयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुप्रयोगों के लिए बागवानी, कृषि, सिंचाई, उद्योग, भूमिजल रीजार्च आदि के लिए किया जा सकता है और यह उपचार के प्राप्त स्तर पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

बाघों के संरक्षण हेतु विश्व बैंक सहायता

814. श्री गणेश सिंह :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में बाघों के संरक्षण हेतु अभियान चलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य से स्वीकृत निधियों की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निधियों का उपयोग किस प्रकार किया गया/किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक इकाइयों को कोयले की आपूर्ति

815. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री जुएल ओराम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि., उड़ीसा में नालको, एनटीपीसी सहित औद्योगिक इकाइयों की कोयले की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नालको) सहित सभी औद्योगिक इकाइयों को कोयले की आपूर्ति उपभोक्ता तथा महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) के बीच ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) द्वारा निर्देशित है। अप्रैल-सितम्बर, 2008-09 के दौरान एमसीएल से सभी उपभोक्ताओं को कुल उठान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 39.4 मिलियन टन की तुलना में लगभग 42 मिलियन टन (अनंतिम) है। इसके अलावा, अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान 2.65 मिलियन टन की वचनबद्धता की तुलना में एमसीएल से नालको को 2.37 मिलियन टन की कोयले की आपूर्ति हुई, जो कार्यान्वयन का लगभग 89% है। जहां तक राष्ट्रीय तापीय विद्युत कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी) की विद्युत उपयोगिताओं का संबंध है, अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान इन संयंत्रों को एमसीएल से आपूर्ति 8.475 मिलियन टन के यथानुपात आबंटन की तुलना में 9.124 मिलियन टन था जो लगभग 108% के कार्यान्वयन को दर्शाता है। लगातार हड़तालों और ग्रामवासियों द्वारा किए गए अवरोधों, मानसून के दौरान अभूतपूर्व भारी वर्षा, ठेकेदारों, ड्राइवरों की हड़ताल के कारण नालको को कोयले के प्रेषण में मामूली कमी आयी। तथापि, एमसीएल रेलवे साइडों पर अधिक कोयले की ढुलाई द्वारा प्रेषण को बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

एन आर एच एम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

816. मो. मुकीम :
श्री जशुभाई धाना-भाई बारड़ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आज की तारीख के अनुसार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत वर्ष 2008-09 और 2009-2010 में विभिन्न राज्यों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार सहित सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जनसंख्या, कार्यभार एवं दूरी के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक में 24×7 अस्पताली सुविधा प्रदान करना है।

संस्थानों/स्वास्थ्य केन्द्रों की वास्तविक संख्या राज्य सरकार की प्राथमिकता पर निर्भर करती है जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उसकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में उल्लिखित है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, जिसे राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। ये निधियां राज्यों हेतु एक फ्लेक्सीबल पूल के रूप में जारी की जाती हैं जिन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित फ्लेक्सीपूल के तहत राज्यों द्वारा वरीयता दिए गए कार्यकलापों के आधार पर व्यय किया जाता है। वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के गठन सहित मिशन फ्लेक्सीपूल कार्यकलापों के तहत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यकी पर बुलेटिन

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1570
2.	अरुणाचल प्रदेश	85
3.	असम	610
4.	बिहार	1648
5.	छत्तीसगढ़	518
6.	गोवा	19
7.	गुजरात	1073
8.	हरियाणा	411
9.	हिमाचल प्रदेश	443
10.	जम्मू–कश्मीर	374
11.	झारखंड	330
12.	कर्नाटक	1679
13.	केरल	909
14.	मध्य प्रदेश	1149
15.	महाराष्ट्र	1800
16.	मणिपुर	72
17.	मेघालय	103
18.	मिजोरम	57
19.	नागालैंड	84
20.	उड़ीसा	1279
21.	पंजाब	484
22.	राजस्थान	1499
23.	सिक्किम	24
24.	तमिलनाडु	1181
25.	त्रिपुरा	75
26.	उत्तराखंड	232
27.	उत्तर प्रदेश	3660
28.	प. बंगाल	922
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	20
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6
32.	दमन और दीव	3
33.	दिल्ली	8
34.	लक्षद्वीप	4
35.	पुदुचेरी	39
	अखिल भारत	22370

विवरण-II

वर्ष 2005–06 से 2008–09 के लिए मिशन फ्लेक्सीपूल के तहत निधियों को जारी किया जाना

करोड़ रुपए

क्रम संख्या		राज्य	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	कुल
1		2	3	4	5	6	7
क.	अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य						
	1.	बिहार	68.37	125.79	137.63		331.79
	2.	छत्तीसगढ़	29.10	61.75	64.13	33.89	188.87
	3.	हिमाचल प्रदेश	16.15	30.29	5.36		51.80
	4.	जम्मू एवं कश्मीर	18.68	31.39	122.05	2.21	174.32
	5.	झारखंड	32.48	46.53	66.47	1.22	146.70
	6.	मध्य प्रदेश	82.23	136.62	152.24	61.40	432.49
	7.	उड़ीसा	59.32	66.91	107.43	34.06	267.71
	8.	राजस्थान	70.56	138.06	266.36	55.49	530.47
	9.	उत्तर प्रदेश	129.52	241.77	417.21	33.68	822.18
	10.	उत्तराखंड	17.54	15.92	34.09		67.55
		उपयोग	523.94	895.02	1372.97	221.95	3013.88
ख.	पूर्वांचल राज्य						
	11.	अरुणाचल प्रदेश	10.05	31.07	13.24		54.36
	12.	असम	36.02	245.41	322.31	170.93	774.67
	13.	मणिपुर*	7.52	20.48	14.92		42.92
	14.	मेघालय	7.22	19.51	23.22	6.32	56.27
	15.	मिजोरम*	6.01	32.43	8.95		47.38
	16.	नागालैंड	7.83	22.62	18.08	16.78	65.30
	17.	सिक्किम*	3.09	18.22	23.67		44.97
	18	त्रिपुरा	3.92	12.97	38.06	20.55	75.50
		उप–योग	81.65	402.70	462.45	214.58	1161.38
ग.	अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य						
	19.	आंध्र प्रदेश	46.20	119.19	179.89	121.09	466.37
	20.	गोवा*	1.86	1.12	0.94		3.92

1	2	3	4	5	6	7
21.	गुजरात	46.38	93.63	142.19	65.64	347.84
22.	हरियाणा	23.50	34.32	46.51	4.80	109.13
23.	कर्नाटक	48.84	84.38	88.54	24.90	246.66
24.	केरल	25.26	44.60	143.11	41.33	254.31
25.	महाराष्ट्र	65.33	113.94	177.88	125.12	482.27
26.	पंजाब	24.37	42.41	26.08		92.86
27.	तमिलनाडु	31.63	97.93	226.83	78.45	434.84
28.	पश्चिम बंगाल	36.10	115.71	233.71	103.89	489.40
	उप–योग	349.48	747.22	1265.68	565.22	2927.61
ब	छोटे राज्य/संघ क्षेत्र					
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.49	0.63	3.97		6.09
30.	चंडीगढ़	0.44	0.47	1.77		2.68
31.	दादरा और नगर हवेली	0.47	0.45	0.12		1.13
32.	दमन	0.59	0.67	0.00	0.50	1.76
33.	दिल्ली*	1.37	4.54	23.23		29.14
34.	लक्षद्वीप*	0.94	0.28	0.00		1.22
35.	पुदुचेरी	1.76	1.64	2.55		5.95
	अन्य		15.65	17.23		33.38
	उप–योग	7.06	24.42	48.87	0.50	80.85
	कुल योग	962.13	2069.36	3149.97	1002.25	7183.71

[अनुवाद]

खाद्य विनियामक प्राधिकरण

817. श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विनियामक उपबंधों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में इस समूह द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 5 सितम्बर, 2008 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2165(ई) के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार पहले ही खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना कर दी है जिसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे विभिन्न विशेषज्ञ निकाय गठित करने का कार्य कर रहा है।

एलएसी पार से चीनी घुसपैठ

818. श्रीमती जयाप्रदा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में चीन द्वारा एलएसी पार करके भारतीय प्रदेश में घुसपैठ की जानकारी है जैसाकि 10 सितम्बर, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन की सरकार के साथ यह मामला उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) सरकार ने 10 सितंबर, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" की रिपोर्ट देखी है। चीन भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विरोध करता है। वर्ष 1993 से दोनों सरकारें वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण के साथ-साथ सीमा के प्रश्न पर अपने-अपने पक्ष पर बिना किसी पूर्वाग्रह के भारत-चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे सीमा प्रांतों में शांति व युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमत हुई हैं। इसी बीच दोनों पक्ष अंतिम समझौता होने तक वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने तथा संयुक्त कार्य समूह, विशेषज्ञ समूह, सीमा कार्मिकों की बैठकों, ध्वज बैठकों तथा राजनयिक माध्यमों सहित स्थापित तंत्रों के माध्यम से कथित उल्लंघन पर विचार विमर्श करने के लिए सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री का यूएसए और फ्रांस दौरा

819. श्री अधीर चौधरी :
श्री मोहन सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूएसए और फ्रांस का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दौरे के दौरान किए गए करारों और उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा की गयी?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री ने 24 से 27 सितम्बर, 2008 तक अमरीका का दौरा किया। न्यूयार्क में प्रधानमंत्री ने 26 सितम्बर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने 25 सितम्बर, 2008 को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की बैठक में भी हिस्सा लिया तथा संयुक्त राष्ट्र आम सभा के साथ-साथ विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने 26 सितम्बर, 2008 को न्यूयार्क में भारतीय समुदाय के सदस्यों के एक समूह को संबोधित किया जहां उन्होंने अमरीका-अटलांटा और सिएटल शहरों में दो अतिरिक्त भारतीय कोंसलावास के खोले जाने की घोषणा की।

25 सितम्बर को प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन का कार्यकारी दौरा किया और अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत-अमरीकी द्विपक्षीय संबंध की महत्ता में अपना विश्वास व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने 29 सितम्बर, 2008 को मारसिल्स में आयोजित 9वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन और 30 सितम्बर, 2008 को पेरिस में भारत-फ्रांस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस का दौरा किया। भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थितियों, वैश्विक मसलों और यूरोपीय संघ-भारत संबंधों के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की।

भारत-फ्रांस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सरकोजी ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और फ्रांस के बीच सामरिक भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न किए गए:-

(i) असैन्य परमाणु सहयोग संबंधी भारत-फ्रांस अंतर-सरकारी करार।

(ii) बाहरी अंतरिक्ष में सहयोग हेतु भारत-फ्रांस रूपरेखा करार।

(iii) सामाजिक सुरक्षा संबंधी भारत-फ्रांस अंतर-सरकारी करार।

मनोरोग चिकित्सालय

820. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार मनोरोग चिकित्सालयों में उपचार कराने वाले रोगियों की राज्य–वार औसत संख्या क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इन मनोरोग चिकित्सालयों को आबंटित निधियों और उनके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) देश के मानसिक अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन मानसिक अस्पतालों में धन के आबंटन और इसके समुपयोजन का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इस मंत्रालय के अधीन तीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, एल जी बी क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर और केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्था रांची है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान क्रमशः 4373, 4310 और 3700 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। वर्ष 2005–06 को छोड़कर इनमें से सारी आबंटित राशि का उपयोग कर लिया गया। वर्ष 2005–06 के दौरान 205.35 लाख रुपए की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया लेकिन इस धनराशि का बाद के वर्ष अर्थात 2006–07, वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007.08 के दौरान किया गया। एल जी बी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर को क्रमशः 880, 1080 और 375 लाख रुपए आबंटित किए गए। इस संस्थान ने इस अवधि के दौरान क्रमशः 662, 821 और 779 लाख रुपए का उपयोग किया।

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची को वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के लिए क्रमशः 1850, 1870 और 1000 लाख रुपए का बजट आबंटित किया गया। इस अवधि के दौरान व्यय क्रमशः 855.6, 1191 और 979 लाख रुपए का व्यय हुआ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 23 मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान सहायतानुदान जारी किया है। इन मानसिक अस्पतालों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। आधुनिकीकरण का यह कार्य निर्माण/समुपयोजन के विभिन्न अवस्थाओं में है।

विवरण

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किया गया सहायतानुदान

मानसिक अस्पताल

क्रम सं.	राज्य	वर्ष	मानसिक अस्पताल	धनराशि (रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य संस्था, हैदराबाद	2,71,00,000
2.	आंध्र प्रदेश	2006–07	सरकारी मानसिक परिचर्या अस्पताल, विशाखापट्टनम	3,00,00,000
3.	असम	2005–06	लोकप्रिय गोपीनाथ, बोरोनचलाई क्षेत्रीय संस्थान, तेजपुर	3,00,00,000
4.	गुजरात	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद	76,64,000
5.	गुजरात	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, बडोदरा	2,99,50,000
6.	गुजरात	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, जामनगर	82,28,000
7.	झारखंड	2004–05	तंत्रिका मनोचिकित्सक एवं संह–विज्ञान संस्थान, रांची	2,45,00,000
8.	कर्नाटक	2006–07	कर्नाटक मानसिक संस्थान, धारवाड़	3,00,00,000
9.	केरल	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोजीकोड़ी	2,85,00,000
10.	केरल	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्रिस्सुर	1,10,00,000
11.	केरल	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	2,50,00,000

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	2005-06	मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्वालियर	2,13,00,000
13.	मध्य प्रदेश	2006–07	मानसिक अस्पताल, इंदौर	2,99,75,000
14.	महाराष्ट्र	2005–06	क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल पुणे, यर्वदा	2,71,00,000
15.	महाराष्ट्र	2005–06	क्षत्रीय मानसिक अस्पताल, थाणे	2,49,50,000
16.	महाराष्ट्र	2005–06	क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, नागपुर	2,89,00,000
17.	उड़ीसा	2005–06	मानसिक अस्पताल, कटक	1,51,00,000
18.	तमिलनाडु	2005–06	मानसिक अस्पताल संस्थान, किलपौक	2,69,00,000
19.	उत्तर प्रदेश	2005–06	मानसिक अस्पताल बरेली	2,33,32,000
20.	उत्तर प्रदेश	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा	3,00,00,000
21.	पश्चिम बंगाल	2005–06	पैवलोव मानसिक अस्पताल, कोलकाता	94,40,000
22.	पश्चिम बंगाल	2005–06	ब्रहमपुर मानसिक अस्पताल, मुर्शीदाबाद	2,94,80,000
23.	पश्चिम बंगाल	2005–06	मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान, पुरूलिया	1,00,00,000

[अनुवाद]

के.स.स्वा.यो. औषधालयों का निर्माण

821. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की विभिन्न औषधालयों के निर्माण कार्य को पूरा करने के संबंध में समय विस्तार की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लागत से अधिक हुए व्यय, यदि कोई हो तो, सहित उस पर अब तक कितनी निधि खर्च हो सकी है; और

(घ) इसे कब तक पूरा करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित औषधालयों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है :–

1. शालीमार बाग
2. योजना विहार
3. दिलशाद गार्डन और
4. कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद

इन औषधालयों के निर्माण के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी को निधियां प्रदान कर दी गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और विकास

822. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और विकास हेतु होने वाले आबंटन में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य से महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य को आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी निधियों का उपयोग किया;

(घ) आबंटित निधियों का कम उपयोग होने के क्या कारण हैं;

(ङ) आबंटित निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा कार्यक्रम हेतु राज्यवार कितनी निधि आबंटित और जारी की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां, सिवाय वर्ष 2006–07 के।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और विकास के लिए धनराशि के आबंटन और उपयोग के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) कुछ राज्यों में कुछ गिरावट आई है। लंबी मानसून अवधि, कार्य के लिए कम समय की उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण में विलंब, सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, कानून और व्यवस्था की समस्या, कुछ ठेकेदारों द्वारा निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन आदि के कारण कुछ राज्यों द्वारा आबंटित धनराशि का कम उपयोग किया गया है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्यों की प्रगति और धनराशि के उपयोग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और समय समय पर सभी निष्पादन एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

(च) सड़क सुरक्षा के लिए इस मंत्रालय को आबंटित धनराशि का उपयोग सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान, भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना और राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम, जिसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों एवं गैर संगठनों को दुर्घटना के पश्चात् कार्य के लिए ट्रेनिंग और एंबुलेंसों की खरीद की जाती है और प्रदान की जाती है, जैसी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए निर्धारित धनराशि राज्यवार आबंटित नहीं की जाती। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि
2005–06	43.50	29.70
2006–07	47.00	43.25
2007–08	52.00	42.87
2008–09	73.00	–

विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005–06		2006–07		2007–08		2008–09	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (30.09.08 तक)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	76.23	69.65	65.76	65.40	82.44	81.59	95.66	81.80
2	अरुणाचल प्रदेश	6.00	6.00	8.30	8.29	6.00	5.65	6.00	0.61
3	असम	59.50	58.00	79.11	77.10	87.96	86.00	87.95	16.26
4	बिहार	79.00	66.21	108.00	106.17	96.82	90.28	92.92	37.38
5	चंडीगढ़	1.00	0.89	1.00	0.96	2.00	2.00	2.00	1.51
6	छत्तीसगढ़	51.40	49.08	39.45	36.19	42.19	40.15	50.76	18.03
7	दिल्ली	1.00	0.50	3.00	1.47	9.00	8.30	15.00	2.29
8	गोवा	6.00	6.00	2.95	2.64	15.00	15.00	18.70	17.66
9	गुजरात	103.27	103.25	69.00	68.92	67.70	65.16	60.00	23.30
10	हरियाणा	57.42	57.42	64.00	64.00	81.25	81.24	70.33	47.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	हिमाचल प्रदेश	39.00	39.00	39.50	39.44	57.00	57.00	55.00	33.94
12	झारखंड	40.00	39.97	34.86	35.00	57.25	57.24	89.00	49.85
13	कर्नाटक	88.61	88.54	88.91	86.75	104.21	106.51	147.51	122.14
14	केरल	70.96	65.99	58.02	54.44	58.48	50.10	72.79	34.73
15	मध्य प्रदेश	90.10	77.92	93.73	91.71	80.88	76.40	82.17	32.48
16	महाराष्ट्र	119.65	111.93	160.81	159.32	142.55	144.79	153.28	127.89
17	मणिपुर	20.07	20.00	14.74	14.65	12.14	10.34	40.12	5.56
18	मेघालय	24.21	24.18	25.40	24.31	22.88	22.33	23.83	19.03
19	मिजोरम	15.75	15.75	15.53	15.53	15.00	15.00	13.00	8.35
20	नागालैंड	11.25	11.25	11.82	11.81	12.00	10.20	15.00	6.25
21	उड़ीसा	67.63	67.27	73.37	72.22	139.31	138.87	139.87	75.78
22	पांडिचेरी	2.65	2.64	5.00	4.99	7.55	7.49	9.00	0.66
23	पंजाब	64.51	62.50	75.34	74.69	85.95	85.47	112.77	93.84
24	राजस्थान	88.36	84.60	81.87	80.78	103.18	102.81	110.44	84.50
25	तमिलनाडु	86.91	81.80	84.69	79.40	94.03	94.48	105.81	64.56
26	उत्तर प्रदेश	199.30	199.00	104.20	101.36	135.87	132.50	159.87	110.51
27	उत्तराखंड	41.06	40.42	54.61	52.86	41.30	38.98	64.89	41.13
28	पश्चिम बंगाल	56.00	55.75	47.00	46.77	58.00	57.99	71.00	46.35
	जोड़	1566.84	1505.51	1509.96	1477.17	1717.94	1683.87	1964.70	1203.63

नोट : इस धनराशि में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य और स्थायी पुल शुल्क निधि के अंतर्गत आवंटन और व्यय शामिल है।

छठी अनुसूची पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

823. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'छठे अनुसूचित तथा संविधान के भाग नौ और नौ क द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों हेतु योजना' पर बनी विशेषज्ञ समिति ने गांवों और स्वायत्त परिषदों को मजबूत बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी हां। ग्राम परिषदों के संबंध में विशेषज्ञ समिति का यह दृष्टिकोण था कि ग्राम–योजना–निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के उत्तरदायित्वों के साथ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई ग्राम विकास समिति अथवा बोर्ड का होना आदर्श रहेगा। जब तक यह नहीं होता, तब तक के लिए समिति ने संबंधित राज्यों द्वारा उनकी अपनी विशिष्ट स्थिति के

आधार पर कतिपय अंतरिम हलों को अपनाए जाने का सुझाव दिया जिसमें वास, ग्राम या समूह स्तर पर विकेंद्रीकृत योजनाकरण के लिए विद्यमान सांस्थानिक तंत्र को प्रयोग में लाया जाना अथवा ग्राम, समूह या वास स्तर पर एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किए गए तंत्र के प्रयोग अथवा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 में सुझाई गई प्रणाली को अपनाया जाना शामिल था। छठी अनुसूची के क्षेत्रों के संबंध में, जिला अथवा क्षेत्रीय परिषद से, जैसा कि छठी अनुसूची में उपबंधित है, अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए सदृश तर्ज पर ग्राम स्तर के निकायों की स्थापना करने के लिए आग्रह किया जा सकता है।

जिला परिषदों के संबंध में विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि अंतरित कार्यों को उन्हें पूरी तरह हस्तांतरित किया जाना चाहिए। परिषदों एवं राज्य के लाइन विभागों के मध्य प्रकार्यों व भूमिकाओं में कोई परस्पर व्यापन न हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए दोनों की प्रकार्यात्मक जिम्मेवारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। विशेषज्ञ समिति ने यह भी सिफारिश की कि हस्तांतरित विभागों के संबंध में राज्यों को समांतर संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए अथवा उन्हें परिषदों में विलयित कर देना चाहिए।

समिति की रिपोर्ट को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, एवं नागालैंड राज्य के मुख्य सचिवों, गृह मंत्रालय, योजना आयोग, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को देख रहे केंद्रीय मंत्रालयों को अग्रेषित किया गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अन्तर मंत्रालयी परामर्श किए गए हैं।

एम्स ट्रामा सेन्टर में उपचार

824. श्री उदय सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्स के ट्रामा सेन्टर के सफाई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाने और यहां तक कि घावों में टांके लगाने के लिए प्राधिकृत हैं जैसा कि 06 मई, 2008 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एम्स प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की कृत्यों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, नहीं। रोगियों को इंजेक्शन लगाने और उनके घावों में टांके लगाने के लिए सफाई कर्मचारियों को प्राधिकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। एम्स में सुलभ इंटरनेशनल सोसियल सर्विसिज आर्गेनाईजेशन के द्वारा संस्थान को स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता प्रदान किए गए हैं और ये स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता "सफाई कर्मचारी" नहीं हैं जैसा कि 06 मई, 2008 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है। एम्स ने बताया है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता संस्थान में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं और ये रोगी परिचर्या के कार्यकलापों में सीधे रूप से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। संस्थान ने आगे यह बताया है कि द हिन्दुस्तान टाइम्स की यह सूचना कि जेपीएनएटी सेंटर में "सफाई कर्मचारी" घावों में टांके लगाने के कार्यों से जुड़े हैं, पूर्णतया निराधार है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एमएससीडी योजना के अंतर्गत पत्तन का विकास

825. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) योजना के अंतर्गत बेदी पत्तन सहित मगडाल्ला और अन्य पत्तनों के विकास हेतु निधियों की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव जमा कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमएसडीसी ने अपना हाल ही की बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) जी नहीं। तथापि, गुजरात में मगडाल्ला सहित प्रत्येक समुद्री राज्य से एक गैर–महापत्तन का राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास करने के लिए पता लगाया गया था। लेकिन, चूंकि ग्यारहवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए निधि का कोई आबंटन नहीं किया जा सका इसलिए, गैर–महापत्तनों का विकास स्वयं राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किया जा सकता है।

खनन कंपनियों द्वारा प्रदूषण मानकों का उल्लंघन

826. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई खनन कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानदण्डों का पालन न करके प्रदूषण फैला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 2006–07 और 2007–08 के दौरान विभिन्न राज्यों में उल्लंघन के मामलों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की खनन कंपनियों पर सरकार द्वारा की गयी अथवा प्रसारित कार्रवाई का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। देश की कुछ खनन कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानदण्डों का अनुसरण न करते हुए प्रदूषण फैला रही हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पी सी सी) संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में खनन परियोजनाओं के लिए जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति प्रदान कर रही हैं। जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 का क्रियान्वयन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में है जो संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रही है।

(ख) 2006–07 और 2007–08 के दौरान, कुछ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसे उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश से नीचे सूचीबद्ध अनुसार क्रमशः 21, 7 और 1 खनन कंपनियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों के उल्लंघन किए जाने की रिपोर्ट की है।

उड़ीसा

1. मैसर्स सुकरंगी क्रॉमाइट माईन्स (ओ.एम.सी. लिमिटेड), जाजपुर
2. मैसर्स हुंगुला ओ.सी.पी. (एम.सी. लिमिटेड) तलचर, आंगुल
3. मैसर्स हीराखण्ड–बुंडला कोयला माईन्स (एम.सी. लिमिटेड), झारसुगुडा
4. मैसर्स सम्लेश्वरी ओ.सी.पी. (एम.सी. लिमिटेड), झारसुगुडा
5. मैसर्स भरतपुर ओ.सी.पी. (एम.सी. लिमिटेड), अंगुल
6. मैसर्स कलिंगा/बलराम ओ.सी.पी. (एम.सी. लिमिटेड), अंगुल
7. मैसर्स भोलामल फायर क्ले माईन्स (जे.के. एवं के.पी.), झारसुगुडा
8. मैसर्स नवयुग मिनरल्स लिमिटेड (बन्डोगुड़ा जेम स्टोन माईन्स), कालाहांडी
9. मैसर्स डेवर जेमस्टोन माईन्स, कालाहाण्डी
10. मैसर्स बड़ीबहल ग्रेफाईट माईन्स, कालाहाण्डी
11. मैसर्स बल्दा–पल्सा–जजंगा लौह अयस्क माइन्स (ओ.एम.सी. लिमिटेड), क्योंझर
12. मैसर्स देवझर आयरन और माइन्स, क्योंझर
13. मैसर्स भंजापली आयरन ओर माइन्स, सुन्दगढ़
14. मैसर्स खाटकुरबहल चूना पत्थर एवं डोलोमाइट माइन्स, सुन्दरगढ़
15. मैसर्स पुरनापानी–भोजपुर चूना पत्थर एवं डोलोमाइट माइन्स, (कलिंगा लाईम)
16. मैसर्स काटासाही मैंगनीज ओर माइन्स (एफ.ए.सी.ओ.आर.), क्योंझर
17. मैसर्स काटासाही–कोल्हा–रूदकेला मैंगनीज अयस्क माइन्स, क्योंझर
18. मैसर्स पुरनापानी क्वार्टजाईट माइन्स, मयूरभंज
19. मैसर्स नवगांव और लौह एवं मैगनीज माइन्स (तरिनी मिनरल्स लिमिटेड), सुन्दरगढ़
20. मैसर्स तेहराई–सोनुआ लौह एवं मैंगनीज अयस्क माइन्स (तरिनी मिनरल्स लिमिटेड), सुन्दरगढ़
21. मैसर्स तंत्र लौह अयस्क माइन्स (क्रॉप रिसोर्सेज लिमिटेड), सुन्दरगढ़

गुजरात

1. मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, अमरेली
2. मैसर्स गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (सुगोला एवं जगंतिया), जूनागढ़
3. मैसर्स गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (रामपाड़ा–कुकारास–भेतादो एवं आनन्द पाड़ा माईन्स), जूनागढ़
4. मैसर्स जी.एच.सी.एल. लिमिटेड (खादासालिया), जिला भावनगर
5. मैसर्स राजुल स्टोन क्रशर (सिहोर), जिला – भावनगर
6. मैसर्स जलराम क्वेरी वर्कर्स (सिहोर), जिला – भावनगर
7. मैसर्स आशापुरा माईन केम लिमिटेड (मठादेविन, तलुका जमकल्याणपुर), जिला – जामनगर

मध्य प्रदेश

1. मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट (मलजखण्ड), बालाघाट

(ग) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा गैर अनुपालन खनन कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमतियों की अस्वीकृति, कारण बताओ नोटिस जारी करना और निर्देशों को जारी करने, जैसाकि समयबद्ध ढंग से प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों के अनुपालन के लिए कंपनी को बाध्य करने के लिए बैंक गारंटी लेने के अतिरिक्त लागू है, शामिल है।

अस्वास्थ्यकर मांस का उपभोग

827. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्वास्थयकर मांस खाने के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : अस्वास्थ्यकर मांस खाने के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रचार–प्रसार करने के लिए राज्य सरकारों के मध्य निम्नलिखित पैम्फलेट्स वितरित किए गए हैं :

(1) खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम एवं उपभोक्ता जागरूकता – उपभोक्ताओं हेतु टिप्स – स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

(2) खाद्य सुरक्षा एवं अच्छे खान–पान हेतु टिप्स – असुरक्षित खाद्य पदार्थ एवं पेयजल द्वारा होने वाले रोगों को कैसे दूर रखा जाए – उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वैच्छिक संगठन।

(3) यात्रियों हेतु सुरक्षित खाद्य पर एक गाइड – असुरक्षित खाद्य पदार्थ एवं पेयजल द्वारा होने वाले रोगों को कैसे दूर रखा जाए और अतिसार होने की स्थिति में क्या किया जाए – उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वैच्छिक संगठन।

(4) सी–II ग्रहणियों के लिए खाद्य सुरक्षा टिप्स – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारतीय उद्योग संघ एवं भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित।

उपभोक्ताओं को ये सामान्य दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि वे मांस एवं मांस उत्पादों सहित सुरक्षित खाद्य उत्पाद लेने के प्रति जागरूक रहें।

(5) कल्याणी कार्यक्रम के तहत, दूरदर्शन एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों पर खाद्य सुरक्षा पहलुओं पर शीर्ष प्रसारित किए जा रहे हैं। ये सतत कार्यकलाप हैं।

इस मंत्रालय ने एक "खाद्य सुरक्षा वेबसाइट" भी विकसित की है जो कि मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in/pfa.htm पर उपलब्ध है।

स्वास्थ्य अवसंरचना और चिकित्सा शिक्षा में सुधार

828. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में स्वास्थ्य अवसंरचना और चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक संस्था हेतु आबंटित और खर्च की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे देश में उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन के लिए निधियां जारी की जाती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक चल चिकित्सा एकक उपलब्ध कराए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा के मामले में, भारतीय चिकित्सा परिषद, विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए निरीक्षणों का आयोजन करके और शिक्षण संकाय, औषधालय सामग्री और अवसंरचना इत्यादि के अभाव में संस्तुतियों का आहवान करके देश में गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यकलापों के मिशन फलेक्सी पूल के तहत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक के व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक चिकित्सा शिक्षा का संबंध है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय वित्त पोषण के माध्यम से राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों के पुनगर्ठन और उन्नयन से संबंधित एक योजना है। योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही चिकित्सा महाविद्यालय को आबंटित की जाने वाली निधियों की व्यवस्था की जाती है। तथापि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केन्द्रीय सरकार ने अल्पसेवित क्षेत्रों में एम्स जैसे छः संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में भी एम्स जैसे दो और संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	2005–06		2006–07		2007–08				2008–09						
		जारी/ आबंटन	व्यय	जारी आबंटन	व्यय	1.04.07 को अप्रयुक्त राशि	बअ/ आबंटन	जारी राशि	व्यय	1.04.08 को अप्रयुक्त राशि	बअ/ आबंटन	जारी राशि	30.06.08 तक व्यय	जारी राशि	व्यय	30.06.08 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(क) अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य																
1	बिहार	68.37	0.00	125.79	7.02	187.14	256.31	137.63	12.18	312.59	186.28		1.14	331.79	20.34	311.45
2	छत्तीसगढ़	29.10	4.89	61.75	41.00	44.96	64.23	64.13	43.84	65.25	46.68	33.89	9.93	188.87	99.66	89.21
3	हिमाचल प्रदेश	16.15	0.39	30.29	7.18	38.86	14.58	5.36	2.95	41.27	10.59		0.70	51.80	11.23	40.57
4	जम्मू व कश्मीर	18.68	0.11	31.39	3.54	46.41	24.08	122.05	35.49	132.97	17.50	2.21	4.80	174.32	43.94	130.38
5	झारखंड	32.48	0.95	46.53	0.90	77.16	83.26	66.47	33.00	110.63	60.51	1.22	8.77	146.70	43.62	103.08
6	मध्य प्रदेश	82.23	0.68	136.62	47.06	171.11	186.73	152.24	102.83	220.52	135.71	61.40	9.05	432.49	159.62	272.87
7	उड़ीसा	59.32	6.98	66.91	28.46	90.78	113.58	107.43	36.50	161.71	82.55	34.06	8.50	267.71	80.44	187.27
8	राजस्थान	70.56	1.05	138.06	22.49	185.09	174.54	266.36	132.02	319.43	126.85	55.49	76.78	530.47	232.33	298.14
9	उत्तर प्रदेश	129.52	1.10	241.77	41.31	328.89	513.22	417.21	82.80	663.30	373.02	33.68	28.72	822.18	153.92	668.26
10	उत्तराखंड	17.54	0.33	15.92	1.44	31.69	26.17	34.09	13.59	52.19	19.02		3.15	67.55	18.51	49.04
	उप–योग	523.94	16.48	895.02	200.39	1202.08	1456.70	1372.97	495.20	2079.85	1058.71	221.95	151.54	3013.88	863.61	2150.26
(ख) पूर्वी राज्य																
11	अरुणाचल प्रदेश	10.05	1.68	31.07	8.33	31.11	13.23	13.24	19.05	25.30	9.36		2.26	54.36	31.32	23.04
12	असम	36.02	0.11	245.41	45.28	236.04	322.31	322.31	335.14	223.21	227.90	170.93	9.64	774.67	390.17	384.50
13	मणिपुर	7.52	0.00	20.48	0.82	27.18	28.83	14.92	13.43	28.67	20.38		2.56	42.92	16.81	26.11
14	मेघालय	7.22	0.02	19.51	2.54	24.18	27.88	23.22	9.71	37.69	19.72	6.32	3.46	56.27	15.73	40.55
15	मिजोरम	6.01	0.17	32.43	3.91	34.35	10.88	8.95	28.48	14.82	7.69		2.30	47.38	34.86	12.52
16	नागालैंड	7.83	0.87	22.62	12.55	17.02	24.10	18.08	21.71	13.39	17.04	16.78	1.21	65.30	36.34	28.96
17	सिक्किम	3.09	0.00	18.22	1.14	20.17	6.62	23.67	2.47	41.37	4.68		1.58	44.97	5.19	39.79
18	त्रिपुरा	3.92	0.30	12.97	2.93	13.66	38.75	38.06	5.84	45.88	27.40	20.55	2.25	75.50	11.32	64.18
	उप योग	81.65	3.14	402.70	77.50	403.71	472.60	462.45	435.83	430.33	334.17	214.58	25.26	1161.38	541.73	619.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(ग) कम ध्यान दिए जाने वाले राज्य																
19	आंध्र प्रदेश	46.20	4.83	119.19	59.39	101.17	179.89	.179.89	91.60	189.46	130.74	121.09	18.50	466.37	174.32	292.06
20	गोवा	1.86	0.00	1.12	0.35	2.63	3.27	0.94	0.76	2.81	2.38		0.30	3.92	1.41	2.6
21	गुजरात	46.38	0.35	93.63	25.37	114.29	120.42	142.19	137.55	118.93	87.52	65.64	16.36	347.84	179.63	168.2
22	हरियाणा	23.50	1.12	34.32	2.23	54.47	50.25	46.51	24.12	76.86	36.52	4.80	5.95	109.13	33.42	75.7
23	कर्नाटक	48.84	0.00	84.38	4.25	128.97	125.48	88.54	41.86	175.65	91.20	24.90	4.14	246.66	50.25	196.4
24	केरल	25.26	0.00	44.60	0.52	69.35	75.82	143.11	73.67	138.79	55.11	41.33	11.99	254.31	86.18	168.1
25	महाराष्ट्र	65.33	0.00	113.94	8.89	170.38	229.55	177.88	132.68	215.58	166.83	125.12	22.59	482.27	164.16	318.1
26	पंजाब	24.37	1.95	42.41	5.15	59.68	57.68	26.08	21.37	64.39	41.92		3.02	92.86	31.50	61.3
27	तमिलनाडु	31.63	8.68	97.93	27.34	93.55	147.19	226.83	91.77	228.61	106.97	78.45	8.95	434.84	136.74	298.11
28	प. बंगाल	36.10	4.17	115.71	4.86	142.78	190.60	233.71	8.74	367.75	138.52	103.89	36.12	489.40	53.89	435.5
	उप योग	349.48	21.10	747.22	138.36	937.24	1180.15	1265.68	624.12	1578.80	857.71	565.22	127.92	2927.61	911.50	2016.10
(घ) छोटे राज्य/संघ क्षेत्र																
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.49	0.00	0.63	0.05	2.07	0.89	3.97	0.60	5.44	0.65		0.36	6.09	1.01	5.00
30	चंडीगढ़	0.44	0.00	0.47	0.13	0.78	2.08	1.77	0.09	2.46	151		0.08	2.68	0.30	2.31
31	दादरा एवं नगर हवेली	0.47	0.00	0.54	0.00	1.01	0.59	0.12	0.73	0.40	0.43		0.06	1.13	0.79	0.34
32	दमन	0.59	0.00	0.67	0.06	1.20	0.48	0.00	0.31	0.89	0.35	0.50	0.12	1.76	0.49	4.27
33	दिल्ली	1.37	0.00	4.54	0.32	5.60	32.71	23.23	0.28	28.55	23.77		0.47	29.14	1.07	28.08
34	लक्षद्वीप	0.94	0.00	0.28	0.06	1.16	0.24	0.00	0.01	1.15	0.17		0.06	1.22	0.13	1.09
35	पुदुचेरी	1.76	0.03	1.64	0.57	2.79	2.38	2.55	0.87	4.47	1.73		0.26	5.95	1.73	4.27
	अन्य			15.65			6.18	17.23			5.80			33.38	0.00	33.38
	उप योग	7.06	0.03	24.42	1.18	14.62	45.55	48.87	2.89	43.37	34.41	0.50	1.41	80.85	5.51	75.34
	कुल योग	962.13	40.76	2069.36	417.43	2557.65	3155.00	3149.97	1558.04	4132.35	2285.00	1002.25	306.13	7183.71	2322.36	4861.35

राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को दो लेन का बनाना

829. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनाए गए/बनाए जाने वाले पुलों/बाइपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को दो लेन का बनाने हेतु खंडवार स्थिति और निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस खंड में कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं;

(ग) लक्ष्य पूरा करने के लिए लंबित कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बीहटा से उत्तरी लखीमपुर हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के दो लेन वाले भाग के साथ-साथ फुटपाथ बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसको पूरा करने के लिए तय समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का बीहटा चरैली से उत्तरी लखीमपुर खंड पहले से ही दो लेन का है और सरकार द्वारा असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को उत्तरी लखीमपुर से जोनई और रूपई से दीरक तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है और इसे मार्च, 2011 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अरुणाचल प्रदेश में दीरक से नमसई तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने का कार्य भी सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसे मार्च, 2010 तक पूरा किया जाना है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को जोनई से नमसई तक दो लेन का बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजनाओं पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संक्रमण संबंधी बीमारियों में वृद्धि

830. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संक्रमित बीमारियों से प्रभावित होने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त रोगों से राज्य-वार और रोग-वार कितने रोगी पीड़ित हैं;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है, और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त बीमारियों से बचाव के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हैंड-फुट-माऊथ रोग का फैलना

831. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विषाणु हमला और हैंड-फुट-माऊथ बीमारी होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन बीमारियों से मरने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की बीमारी फैलने से रोकने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जैसाकि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा सूचित किया गया है, देश में ऊपरी तौर से हैंड-फुट और माऊथ रोग (एचएंफएमडी) की महामारी का कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि एन्ट्रोवायरस (ईवी)-71 संक्रमण के कारण इक्के-दुक्के मामलों की सूचना दी गई है।

अक्तूबर-नवम्बर, 2003 की अवधि के दौरान कालीकट, केरल में चर्म और बच्चों के ओरल मुकोसा पर पेपुलोवेसिकुलर लेसियन्स के 81 मामलों की सूचना दी गई है। सीरोविज्ञानीय

विश्लेषण के आधार पर ईवी–71 के कारण ये मामले हाने की पुष्टि की गई थी। यह वायरस एचएफएमडी की महामारी से जोड़ा गया है। देश के किसी भाग से भी एचएफएमडी के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) एशिया–प्रशान्त क्षेत्र में एचएफएमडी के हाल ही के प्रकोपों को देखते हुए सरकार ने तैयारी की एक कार्ययोजना तैयार की है जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

- रोगी परिभाषा तैयार करना (सीडीसी/विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन की रोगी परिभाषा);
- रोगी उपचार और नमूना संग्रहण के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;
- शुरू में ही रोगी का पता लगाने और उनकी सूचना देने के लिए प्रमुख अस्पतालों को परिपत्र;
- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और एन्ट्रोवायरस अनुसंधान केन्द्र (ईआरसी), मुम्बई का निदान और वायरल पृथक्करण के लिए रेफरेल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करना;
- प्रोटोटाइप सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण सामग्री का विकास करना।

सीआईएल द्वारा विद्युत उत्पादन

832. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने धोवनशाला अपशिष्टों (रिजक्ट) और मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, से विद्युत उत्पादन हेतु किसी संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे परिणामस्वरूप उत्पादन की जाने वाली कुल विद्युत के आकलन हेतु सीआईएल द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) बाशरी अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यमों के बारे में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, टाटा पावर ने खान तथा ईंधन अनुसंधान के केन्द्रीय संस्थान (सीआईएमएफआर) और भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) का एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर मुन्नाडीह खान की वापसी वायु से विद्युत उत्पादन हेतु एक प्रारूप प्रस्ताव पेश किया है।

(ग) इस समय कोल इंडिया लि. ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाघों/सिंहों/तेंदुओं की संख्या में कमी

833. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाघों/सिंहों/तेंदुओं की संख्या कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के वन्यजीवों की कुल संख्या कितनी है और इसमें से जानवरों के मारे जाने का पता चला है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन अवैध मौतों के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) संशोधित कार्यप्रणाली का उपयोग करके हाल ही में किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन के परिणामों के अनुसार, बाघों की देश स्तर पर कुल संख्या 1411 (मिड वैल्यू) है, लोवर और अपर सीमाएं क्रमशः 1165 और 1657 हैं। नए परिणाम सांख्यिकीय प्रणाली पर आधारित हैं और पूर्व की पगमार्क गिनती पर आधारित आकलनों के साथ तुलनीय नहीं हैं, ये 17 बाघ राज्यों में

बाघ रिजर्वों और सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर बाघ की संख्या की खराब स्थिति दर्शाते हैं। ऐसे राज्यों के बाघ रिजर्वों और सुरक्षितों क्षेत्रों में बाघों की संख्या कुल मिलाकर व्यावहारिक स्तर पर है और इनके लिए सतत संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सिंहों की संख्या 359+10 है, तो पिछले वर्षों में बढ़ी है। हाल की अखिल भारतीय बाघ आकलन के एक भाग के रूप में 17 बाघ राज्यों में तेंदुओं की स्पाटियल आक्यूपेंसी ही निर्धारित की गई है। बाघ राज्यों में बाघ की संख्या और तेंदुओं की स्पाटियल आक्यूपेंसी संलग्न विवरण–I में दी गई है। बाघों और अन्य जंगली जानवरों की मौजूदा स्थिति के कारणों को सामान्य रूप से संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में बाघ, सिंह और तेंदुओं की हत्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(घ) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों में अब तक 131 लोग गिरफ्तार/पकड़े गए हैं। राज्यों द्वारा व्यक्तिगत अवैध शिकार मामलों पर चलाए गए मुकदमों/अन्वेषण से संबंधित मामलों का भारत सरकार के स्तर पर मिलान नहीं किया जाता है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आते हैं।

(ङ) सरकार द्वारा बाघों और अन्य जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण–IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

परिष्कृत कार्य पद्धति के अनुसार तेंदुओं की वन आक्यूपेंसी तथा बाघों की संख्या का अनुमान

राज्य	तेंदुएं वर्ग किमी.	बाघों की संख्या		
		सं.	निचली सीमा	ऊपरी सीमा
1	2	3	4	5
शिवालिंग गंगा मैदानी लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
उत्तराखंड	3683	178	161	195
उत्तर प्रदेश	2936	109	91	127
बिहार	552	10	7	13
शिवालिक गंगा (कुल)	7171	297	259	335
मध्य भारतीय लैंडस्केप काम्प्लैक्स और पूर्वी घाट लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
आंध्र प्रदेश	37609	95	84	107
छत्तीसगढ़	14939	26	23	28
मध्य प्रदेश	34736	300	236	364
महाराष्ट्र	4982	103	76	131
उड़ीसा	25516	45	37	53
राजस्थान		32	30	35
झारखंड**	131	मूल्यांकन नहीं किया गया		
मध्य भारतीय (कुल)	117913	601	486	718
पश्चिम घाट लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
कर्नाटक	20506	290	241	339
केरल	8363	46	39	53
तमिलनाडु	14484	76	56	95
पश्चिम घाट (कुल)	43353	412	336	487
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान				
असम*	1500	70	60	80
अरूणाचल प्रदेश*	670	14	12	18
मिजोरम*	2324	6	4	8
पश्चिमोत्तर बंगाल*	1135	10	8	12
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र (कुल)	5629	100	84	118
सुन्दरवन मूल्यांकन नहीं किया गया				
बाघों की कुल संख्या	1411	1165	1657	

*संख्या का अनुमान बाघों द्वारा वासित क्षेत्र में उनकी संभावित संख्या पर आधारित है, न कि डायल सैंपलिंग आधार पर

**ये आंकड़े बाघों की संख्या के अनुमान के अनुसार नहीं थे। लेकिन लैंडस्केप के बारे में उपलब्ध सूचनाएं यह संकेत करती हैं कि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या 05.5 से 1.5 प्रति 100 वर्ग किमी. तक कम हो रही है।

विवरण-II

1. अवैध शिकार के कारण जंगली जानवरों की मृत्यु।
2. मानव दबाव, पशुधन दबाव और पारिस्थितिकीय रूप से असतत भूमि उपयोग के कारण सुरक्षित क्षेत्रों/बाघ रिजर्वों के बाहर वन स्थिति का अवक्रमण।
3. स्रोत पौधरोपण से जीन फ्लो की हानि के कारण विखंडन।
4. मानव–पशु भिडंतों के कारण जंगली जानवरों की मृत्यु।
5. अत्यधिक प्रयुक्त अवसंरचना जैसे राजमार्ग आदि के कारण होने वाले व्यवधान की वजह से जनन की हानि।
6. बाहरी क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा की कमी।
7. बाघ और तेंदुओं जैसे बड़े मांसाहारियों की सहायता के लिए शिकार बायोमास के संदर्भ में वन गुणवत्ता की हानि।
8. कुछ बाघ रिजर्वों/सुरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में विद्रोह/कानून और व्यवस्था की समस्या।

विवरण-III

बाघ रेंज वाले राज्यों और गुजरात (केवल सिंहों के लिए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाघ, सिंह और तेंदुओं की हत्या से संबंधित ब्यौरा

क्र.सं	बाघ				तेंदुआ (बाघ रिजर्व के अंदर और बाहर)				सिंह			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	17	14	30	10	14	17	08	08	35	35	52	सूचित नहीं

विवरण-IV

बाघों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारो को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा–प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।
3. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए 17 बाघ रिजर्वों को अतिरिक्त रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।
4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा, जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना।
5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6.6.2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

7. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों को पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ रिजर्वों में मेनस्ट्रीमिंग जीविका और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास अवक्रमण करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघ (सह–जीवियों, शिकारी पशुओं और पर्यावास स्तरों पर मूल्यांकन करने के लिए) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क हैं।

9. 17 राज्यों में लगभग 31111 वर्ग किमी. संवेदनशील/मुख्य बाघ पर्यावासों की पहचान की गई है।

10. बाघ रिजर्व राज्यों के माध्यम से संरक्षण निवेशों के बेहतर/समन्वित कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स, ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघ छोड़ा जाना

15. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाई गई रिकवरी रणनीति के आधार पर सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान) में एक नए बाघ और एक बाघिन छोड़ी गई है। रेडियो टेलीमेट्री द्वारा बाघों की गहन मानीटरी की जा रही है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस टी पी एफ) का गठन

16. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन टी सी ए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, सशस्त्रीकरण और तैनाती के लिए एकमुश्त 50.00 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

भारत-अमरीका द्विपक्षीय
सुरक्षा सहयोग

834. श्री पी. करुणाकरन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षी सुरक्षा सहयोग के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यप्रणाली तैयार की गई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) "भारत–अमरीका रक्षा संबंध की नयी रूपरेखा" पर 28 जून, 2005 को तत्कालीन रक्षा मंत्री की अमरीका की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह रूपरेखा जनवरी, 1995 में हस्ताक्षरित "भारत और अमरीका के बीच रक्षा संबंधों पर सहमत कार्यवृत्तों" को अद्यतन बनाती है। यह रूपरेखा साझे सुरक्षा हितों जैसे कि सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखना; आतंकवाद को पराजित करना; सामूहिक विनाश के हथियारों और संबंधित सामग्रियों, आंकड़े और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकने; और वाणिज्य के मुक्त प्रवाह का संरक्षण को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है।

यह रूपरेखा, अन्य बातों के साथ–साथ, भारतीय सशस्त्र बलों के आतंकवाद, आपदाओं का सामना करने और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने की क्षमताओं को बढ़ाती है, अमरीका के साथ रक्षा व्यापार, उत्पादन और प्रौद्योगिकी संबंधों का संवर्धन करती है, साझा रुचि के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों और रक्षा नीतियों पर सूचना एवं संदर्शों का आदान–प्रदान करती है, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने में भारत के विकल्पों और मोल–भाव करने की शक्ति का विस्तार करती है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका को बढ़ाती है।

नई रूपरेखा ने अमरीका के साथ रक्षा व्यापार, उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी संबंध का संवर्धन करने के लिए रक्षा नीति समूह के अंतर्गत एक रक्षा प्रापण एवं उत्पादन समूह और कई अन्य कार्य समूह गठित की है।

ब्रह्मपुत्र से गाद निकालना

835. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी में समय–समय पर आने वाली बाढ़ और अपरदन को कम करने के लिए इस नदी में से गाद निकालने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) इस मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इस नदी की मुख्य नौचालनात्मक नहर में नौचालन के लिए 2 मीटर का डुबाव कायम रखने हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग–2 (सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी) में ड्रेजिंग से संबंधित कार्य करता है। यह ड्रेजिंग केवल अक्तूबर/नवम्बर से फरवरी/मार्च के दौरान ही किया जाता है, जब इस नदी में जल का स्तर कम होता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऐसे ड्रेजिंग कार्यों पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 91.05 लाख रुपए का व्यय किया गया था। फिर भी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बाढ़ और कटाव को कम करने में ब्रह्मपुत्र नदी में कोई भी ड्रेजिंग नहीं करता है क्योंकि ऐसा करना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिदेश में नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र

836. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण :
श्री श्रीपाद येस्सो नाईक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांत नीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने देश में इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, परमाणु बिजलीघरों की स्थापना केवल सरकार अथवा किसी सरकारी कम्पनी द्वारा ही की जा सकती है। तथापि, परमाणु बिजलीघर के लिए उपस्करों, सेवाओं आदि की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जा सकती है।

(ग) से (ङ) विदेशी सहकार के आधार पर साधारण पानी रिएक्टर स्थापित करने की संभावनाओं को ध्यान मे रखते हुए

रोसाटोम (रूसी परिसंघ), ए आर ई वी ए (फ्रांस), जनरल इलैक्ट्रिक एंड वैस्टिंगहाउस (यूएसए), न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ अन्वेषण संबंधी बातचीत करते रहे हैं। ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनुमोदन देने से पहले, सरकार द्वारा इनके सभी पहलुओं के बारे में व्यापक रूप से विचार किया जाएगा।

मेडिकल अपशिष्ट से होने वाली बीमारियां

837. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एसोचैम) की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अस्पतालों द्वारा फैंके गए मेडिकल अपशिष्टों से एड्स, हेपेटाइटिस–बी एंड सी, डमेटाइटिस और आंत्रशोध इत्यादि जैसी बीमारियों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे दोषी अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, का संबंध है, उनके द्वारा अपनी अपशिष्ट सामग्री का निपटान करते समय जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम, 1998 का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने की किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

'कंपनसेट्री एफोरेस्टेशन कार्य'

838. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या **प्रधानमंत्री** वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर–वन भूमि के रूप में वन भूमि के उपयोग हेतु एक तदर्थ कंपनसेट्री एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (सीएएमपीए) द्वारा धनराशि जारी करने के बारे में 19 मार्च 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 'कंपनसेट्री एफोरेस्टेशन' कार्य करने के लिए धनराशि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 मई, 2008 को लोक सभा में "प्रतिपूरक वनरोपण कोष विधेयक, 2008" प्रस्तुत किया है जिसमें एक कोष की स्थापना और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धन की क्रेडिटिंग, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, पेनल प्रतिपूरक वनीकरण, नेट प्रैजेंट वेल्यू और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ऐसी एजेंसियों से वसूल की गई अन्य धनराशियां कोष संचालन के लिए एक प्राधिकरण का गठन और इस तरह इकट्ठी की गई राशि का कृत्रिम पुनर्जनन (पौधरोपण) शुरू करने के लिए उपयोग करना, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा, अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्यजीव सुरक्षा, और अन्य संबंधित गतिविधियों तथा उससे जुड़े मामलों अथवा घटनाओं के लिए व्यवस्था की गई है।

कोष बनाए जाने अर्थात् प्रतिपूरक वनीकरण कोष और प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) संचालित होने के बाद गुजरात सहित राज्यों और संघशासित प्रदेशों को धनराशि जारी कर दी जाएगी।

भारतीय बाघों की आनलाइन बिक्री

839. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय बाघों की आनलाइन बिक्री के संबंध में इटली की एक वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन की जानकारी है जैसाकि दिनांक 15 सितम्बर, 2008 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) "भारतीय नस्ल" के बाघ शावकों की बिक्री का www.buytigers.com पर ऑनलाइन ऑफर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के ध्यान में आया है।

(ग) इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को साइट की प्रमाणिकता के सत्यापन अथवा अन्यथा हेतु भेजा गया है।

एनएचएआई द्वारा ठेकेदारों को काली सूची में डालना

840. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुछ स्वदेशी और विदेशी फर्मों को काली सूची में डाला गया है और उन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना के कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूरा नहीं करने के लिए 'नान परफार्मिंग' की सूची में डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो फर्मों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक फर्म द्वारा परियोजना में कितना विलंब किया गया है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ठेका पैकेजों के कार्यान्वयन में विभिन्न ठेकेदारों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के आधार पर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अब तक 15 ठेका फर्मों (8 भारतीय और 7 विदेशी ठेकेदार) की पहचान नॉन परफॉर्मिंग ठेकेदारों के रूप में की गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) नॉन परफॉर्मिंग ठेकेदारों पर, ऐसे कारणों से जिनके लिए ठेकेदार जिम्मेदार हैं, परियोजना पूरी करने में विलंब के लिए सिविल कार्य ठेके में विनिर्दिष्ट नकद क्षति (ठेका मूल्य के प्रतिदिन नियत प्रतिशत जो ठेका मूल्य का अधिकतम 10% होगा) के रूप में, जुर्माना लगाया जा सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नीति के अनुसार नॉन परफॉर्मिंग ठेकेदारों की सूची में रखे गए ठेकेदार एनएचएआई में किसी भावी ठेके को सौंपे जाने के लिए पूर्व–अर्हक नहीं होंगे जब तक कि बाद में की गई समीक्षा के दौरान उनके कार्य निष्पादन में सुधार नहीं होता।

लगातार नॉन परफॉर्मेंस के कारण कुछ मामलों में स्वर्णिम चतुर्भुज को चार लेन का बनाने के कुछ ठेके समाप्त कर दिए गए थे जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

नॉन परफॉर्मिंग ठेकेदार और इन फर्मों द्वारा विलंबित परियोजना (विदेशी एवं भारतीय)

विदेशी फर्में

क्र.सं.	फर्म का नाम	विलंबित परियोजनाएं
1.	भूमिहाइवे वेंचर बरहद, मलेशिया	भोगपुर से जालंधर (एनएस– 16/पीबी) गंजम–इच्छापुरम
2.	सेंट्रोडोस्ट्रॉय (रूस)	फतेहपुर–खागा (टीएनएचपी/2–सी) हंड़िया–वाराणसी (टीएनएचपी/2–सी)
3.	चाइना कोल कंस्ट्रक्शन ग्रुप कारपोरेशन, चीन	शिकोहाबाद–इटावा
4.	डोलोमाइट इंडस्ट्रीज को. एसडीवी बरहद, मलेशिया	चित्रदुर्ग बाइपास
5.	स्टिको किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया	सुनखला–गंजम (ओआर–7)
6.	यूईएम बिल्डर्स (6551–के) मलेशिया	हावेर–हरिहर (समाप्त) हरिहर–चित्रदुर्ग (समाप्त) चित्रदुर्ग–सीरा
7.	यूवन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लि., कोरिया	श्रीकाकुलम–चंपावती हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक 8 लेन बनाना गुंडला पोचमपल्ली से बावनपल्ली

भारतीय फर्में

क्र.सं.	फर्म का नाम	विलंबित परियोजनाएं
1.	अश्विनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, भारत	इटावा बाइपास
2.	ए एल सुदर्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि., भारत	तुमकुर बाइपास कलकल्लू गांव से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस 8) चित्रदुर्ग बाइपास
3.	एपीआईएल (एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. की सहायक) भारत	हुबली–हावेरी
4.	भागीरथ इंजीनियरिंग लि., भारत	पुल खंड (डब्ल्यू बी 3) थुम्पीपाड़ी से सलेम (एनएस–26/टीएन) अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल सहित करूर बाइपास को चार लेन का बनाना गढ़मुक्तेश्वर–मुरादाबाद इटावा बाइपास
5.	डीडी बिल्डर्स लि., भारत	गंजम–इच्छापुरम
6.	मै. एस्सार ग्रुप, भारत	हावेर–हरिहर (समाप्त) हरिहर–चित्रदुर्ग (समाप्त) चित्रदुर्ग–सीरा
7.	लैंको कंस्ट्रक्शन, भारत	डलखोला–इस्लामपुर उप खंड 2 (ईडब्ल्यू/6) पूर्णिया–गयाकोटा (ईडब्ल्यू–12/बीआर)
8.	रानी कंस्ट्रक्शन, भारत	पूर्णिया–गयाकोटा (ईडब्ल्यू–12/बीआर)

विवरण-II

समाप्त ठेके

खंड	रारा	ठेकेदार
चित्रदुर्ग बाइपास	4	डोलोमाइट बरहद–एएल सुदर्शन एंड कंपनी
गंजम–इच्छापुरम	5	भूमि–हाइवे–डीडीबीएल
शिकोहाबाद–इटावा	2	चाइना कोल कंस्ट्रक्शन ग्रुप कारपोरेशन, चीन
श्रीकाकुलम–चंपावती (एपी 1)	5	यूवन–महरिया
इटावा बाइपास	2	भागीरथ इंजीनियरिंग लि. और अश्विनी कंस्ट्रक्शन कंपनी (संउ.)
हावेरी–हरिहर	4	यूईएम–एस्सार (संउ.)
हरिहर–चित्रदुर्ग	4.	यूईएम–एस्सार (संउ.)
सुनखला–गंजम	5	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.–स्टिको (संउ.)
तुमकुर बाइपास	4	एएल सुदर्शन एंड कंपनी
पुल खंड (डब्ल्यूबी 3)	6	भागीरथ इंजीनियरिंग लि.

एनएसजी बैठक में भारत-अमरीका असैनिक परमाणु करार

841. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–अमरीका असैनिक परमाणु करार के संबंध में परमाणु ईंधन के आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के कुछ सदस्यों द्वारा कुछ आपत्तियां प्रकट की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में परमाणु अप्रसार अथवा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के प्रति कोई वचन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) परमाणु ईंधन के आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) द्वारा 6 सितंबर, 2008 को सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया जो भारत के साथ पूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग को सक्षम बनाएगा

(ग) और (घ) सरकार ने अप्रसार और वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण पर दीर्घकालिक राष्ट्रीय सर्वसम्मति को दोहराया है।

खेल में प्रदर्शन को सुधारने के लिए उठाए गए कदम

842. श्री भर्तृहरि महताब : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या पहल की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं अथवा प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में खेलों के विकास के लिए वर्ष–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत, सरकार परिसंघों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण और तैयारी के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करती है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण समर्थन, प्रतियोगिता में प्रदर्शन, उपस्कर समर्थन और वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सरकार शीर्ष खिलाड़ियों को उनकी आवश्यकता के आधार पर 'टेलर मेड' सहायता उपलब्ध कराने के लिए खुलकर सहायता उपलब्ध कराती है जिससे प्रमुख प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

सकार ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी के लिए योजना अनुमोदित की है जिनमें मुख्य संभावित विजेताओं को अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और विश्व स्तर की कोचिंग प्रदान की जाती है। इस योजना में 678.00 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित है।

(ख) सभी स्वामित्वधारियों द्वारा दी गई पहल, जिसमें सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता भी शामिल हैं, के परिणामस्वरूप प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे प्रदर्शन में निरंतर सुधार हुआ है इन प्रतियोगिताओं में हाल ही का बीजिंग ओलंपिक भी शामिल है जिसमें भारत ने आज तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में खेलों के विकास के लिए आबंटित धनराशि निम्नानुसार है :–

(रु. करोड़ में)

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
365.27	470.88	540.01	824.83

तम्बाकू निगरानी परियोजनाएं

843. श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक तम्बाकू निगरानी परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं;

(ख) ये योजनाएं किस हद तक अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों को प्राप्त कर पाई हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू–वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई निधियों का राज्य–वार ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) भारत सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान 9 राज्यों के 18 जिलों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू किया है। इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर निम्नलिखित बातें शामिल हैं :–

1. तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के कारगर कार्यान्वयन में राज्य का क्षमता निर्माण। राज्य तम्बाकू नियंत्रण कक्ष और जिला स्तर मानीटरिंग कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है;

2. तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों इत्यादि को प्रशिक्षित करना;

3. सरकारी स्कूलों में स्कूल कार्यक्रम चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाना;

4. क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार जन प्रचार के साधनों/सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण अभियान चलाना;

5. तम्बाकू उत्पाद परीक्षण के लिए क्षमता निर्माण प्रयोगशालाएं।

इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के दौरान यथावधि में इस कार्यक्रम का एक मूल्यांकन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए राज्य/जिलों को 1.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जिलों/राज्यों की सूची

क्रमांक	राज्य	राज्य तम्बाकू नियंत्रण एकक के लिए धनराशि (रुपए)	जिले	प्रत्येक जिला तम्बाकू नियंत्रण कक्ष हेतु धनराशि (रुपए)	कुल (कालम 3+5)
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्थान	3,76,000/–रुपये	जयपुर और झुनझूनू	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये
2.	असम	3,76,000/–रुपये	कामरूप और जोरहट	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये
3.	कर्नाटक	3,76,000/–रुपये	बंगलौर (ऊ) और गुलबर्गा	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये
4.	पश्चिम बंगाल	3,76,000/–रुपये	मुर्शिदाबाद और कूचबिहार	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये
5.	तमिलनाडु	3,76,000/–रुपये	कॉच्चीपुरम और विल्लुपुरम	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये
6.	उत्तर प्रदेश	3,76,000/–रुपये	लखनऊ और कानपुर	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये
7.	गुजरात	3,76,000/–रुपये	सूरत और आनंद	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3,76,000/–रुपये	नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये
9.	मध्य प्रदेश	3,76,000/–रुपये	ग्वालियर और खंडवा	6,74,000/–रुपये 6,74,000/–रुपये	17,24,000/–रुपये

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना

844. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य–योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) जी, हां। भारत ने 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाने हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की थी।

(ख) भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में एक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा बनाई गई है जिसका उद्देश्य देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन योग्य बनाना और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकीय निरंतरता को बढ़ावा देना है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भरत की विशाल जनसंख्या के जीवन स्तर में वृद्धि करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उनकी संवदेनशीलता कम करने के लिए उच्च वृद्धि दर आवश्यक है।

आठ राष्ट्रीय मिशन जो राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रमुख भाग है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु–आयामी, दीर्घावधिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मिशन हैं : नेशनल सोलरमिशन, नेशनलमिशन ऑन एनहैंस्ड एनर्जी एफिसिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन ईको–सिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलिज फॉर कलाईमेंट चेंज। संबंधित मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय मिशनों को संस्थानिक बनाया जाएगा और इंटर–सेक्टोरल ग्रुपों द्वारा इनका संगठन किया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त वनरोपण परियोजनाएं

845. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार किन–किन राज्यों में विदेशी सहायता से वनरोपण परियोजनाएं चल रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू–वर्ष के दौरान वन क्षेत्र में राज्य–वार कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) विदेशी सहायता से वनीकरण परियोजनाएं ग्यारह विभिन्न राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में चल रही हैं।

(ख) वनावरण का निर्धारण द्विवार्षिक सेटेलाईट डाटा के आधार पर किया जाता है। अद्यतन निर्धारण सेटेलाइट डाटा नवम्बर– दिसम्बर, 2004/फरवरी 2005 के आधार पर किया गया है। वनावरण में परिवर्तन, वनावरण के पूर्व–निर्धारण (वर्ष 2003) से अद्यतन निर्धारण की तुलना द्वारा विश्लेषित किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों/संघशासित प्रदेशों में वनावरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वनावरण (वर्ग कि.मी.) (एस एफ आर 2005)	(एफ एफ आर 2003)	परिवर्तन
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	44,372	44,412	–40
अरुणाचल प्रदेश	67,777	67,692	85
असम	27,645	27,735	–90
बिहार	5,579	5,573	6
छत्तीसगढ़	55,863	55,992	–129
गोवा	2,164	2,164	0
गुजरात	14,715	14,814	–99
हरियाणा	1,587	1,576	11
हिमाचल प्रदेश	14,369	14,359	10
जम्मू और कश्मीर	21,273	21,273	0
झारखण्ड	22,591	22,569	22
कर्नाटक	35,251	35,246	5
केरल	15,595	15,595	0
मध्य प्रदेश	76,013	76,145	–132
महाराष्ट्र	47,476	47,514	–38

1	2	3	4
मणिपुर	17,086	17,259	–173
मेघालय	16,988	16,925	63
मिजोरम	18,684	18,583	101
नागालैंड	13,719	14,015	–296
उड़ीसा	48,374	48,353	21
पंजाब	1,558	1,545	13
राजस्थान	15,850	15,821	29
सिक्किम	3,262	3,262	0
तमिलनाडु	23,044	23,003	41
त्रिपुरा	8,155	8,123	32
उत्तर प्रदेश	14,127	14,127	0
उत्तरांचल	24,442	24,460	–18
पश्चिम बंगाल	12,413	12,389	24
अंडमान और निकोबार	6,629	6,807	–178
चंडीगढ़	15	15	0
दादरा और नगर हवेली	221	221	0
दमन और दीव	8	8	0
दिल्ली	176	174	2
लक्षद्वीप	25	25	0
पांडिचेरी	42	42	0
कुल	677,088	677,816	–728

[अनुवाद]

खेल मंत्रियों का सम्मेलन

846. श्री नवीन जिन्दल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 2008 में खेल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सम्मेलन में यह राय बनी थी कि बीजिंग ओलम्पिक में मेडल जीतने की अत्यल्प संभावना थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) और (ख) राज्य युवा और खेल मंत्रियों का सम्मेलन 9 जुलाई, 2008 को आयोजित किया गया था। पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) के कार्यान्वयन, खेल अवसंरचना के सृजन तथा 1.4.2005 से पूर्व अवधि के लिए प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के साथ–साथ राज्यों की भूमिका, स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेल–कूद के संवर्धन के लिए मसौदा योजना, विकलांगों के लिए खेल–कूद हेतु मसौदा योजना, राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम का मसौदा, युवा छात्रावास योजना की समीक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) और युवाओं तथा किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना आरंभ करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

मंत्रालय ने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) की योजना, युवा और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है और सम्मेलन के दौरान अन्य मुद्दों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए चर्चा की गई।

(ग) सम्मेलन में ऐसा कोई विचार सामने नहीं आया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जापान के साथ असैन्य परमाणु सहयोग

847. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत के साथ किसी प्रकार के असैन्य परमाणु सहयोग/समझौता हेतु वार्ता करने से इंकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जापान आईएईए के शासी बोर्ड की बैठक में हुई आम सहमति का एक हिस्सा था, जिसमें अगस्त, 2008 में वियना में भारत विशिष्ट सुरक्षोपाय करार को अनुमोदित किया गया था। जापान ने एनएसजी के दिशा–निर्देशों में समायोजन करने से संबंधित परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (एनएसजी) के निर्णय का समर्थन भी किया ताकि भारत के साथ पूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग किया जा सके।

उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार व उद्योग मंत्री श्री तोशीहिरो निकाई के मध्य दिनांक 17 सितंबर 2008 को टोकियो में आयोजित भारत–जापान की तीसरी मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता में दोनों मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, जिसमें निम्नलिखित पैरा शामिल हैं – "दोनों मंत्रियों ने यह नोट किया कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग से संबंधित वक्तव्य को आम सहमति से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह पुष्टि की कि वे अपनी–अपनी परमाणु ऊर्जा नीतियों पर विचारों एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान करेंगे।"

गुटखा और तम्बाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध

848. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से गुटखा और तम्बाकू के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्र सरकार को वर्ष 2004 में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार से उनके राज्यों में गुटका के निर्माण एवं बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के तहत दिनांक 21.8.2006 के सा.क.नि. संख्या 491(अ) (दिनांक 20.8.2007 से प्रभावी) द्वारा एक प्रावधान किया गया है जिसमें यह व्यवस्था रखी गई है कि तम्बाकू और निकोटिन का प्रयोग किसी भी खाद्य उत्पाद में तत्वों के रूप में नहीं किया जाएगा। तथापि, उक्त नियम को उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है तथा इन उच्च न्यायालयों ने इसके कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश जारी किए हैं। इसके उपरान्त इस मुद्दे को माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया गया है और इसलिए यह न्यायाधीन है।

पोत यातायात निगरानी प्रणाली

849. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** कच्छ की खाड़ी में पोत यातायात निगरानी प्रणाली के बारे में 12 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1804 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सिविल इंजीनियरिंग घटक से संबंधित कार्य की धीमी प्रगति के कारण परियोजना पूर्ण नहीं हुई है। अब तक सिविल इंजीनियरिंग कार्य का लगभग 47% कार्य पूरा हो गया है। इस कार्य के अगस्त, 2009 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

गिर अभयारण्य और उसके आसपास लाइव-शो

850. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिर अभयारण्य और उसके आसपास पर्यटकों के लिए लाइव–शो आयोजित किए जाते हैं जैसाकि 23 अप्रैल, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में पशुधन की हानि हेतु क्षतिपूर्ति दावों के मामले बढ़ हैं;

(घ) यदि हां, तो 2007–08 के दौरान क्षतिपूर्ति दावों संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन दावों की जांच/सत्यापन किया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गिर अभयारण्य एवं उसके आसपास पर्यटकों के लिए कोई लाइव–शो आयोजित नहीं किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गिर क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा मारे गए पशुधन के लिए क्षतिपूर्ति हेतु दावों के मामलों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। 2007–08 के दौरान, गिर अभयारण्य क्षेत्र में पशुधन के लिए क्षतिपूर्ति हेतु 2018 दावे किए गऐ थे। राज्य सरकार ऐसे मामलों में जांच पड़ताल करती है तथा अनुसमर्थित साक्ष्यों जैसे पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की पड़ताल के बाद ही क्षतिपूर्ति की अदायगी की जाती है।

बीपीओ कर्मचारियों हेतु
स्वास्थ्य नीति

851. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीपीओ कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के कब तक बनाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) बीपीओ कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य नीति बनाने के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एड्स रोगियों के लिए सेकेण्ड
लाइन उपचार

852. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में एड्स के 'सेकेण्ड लाइन' उपचार हेतु दवायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;;

(ग) सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार के उपचार हेतु दवायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एड्स के संबंध में जागरुकता पैदा करने और उसकी रोकथाम हेतु चलाए गए प्रचार अभियान पर कितनी लागत आई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय रिट्रोवायरल रोधी चिकित्सा कार्यक्रम केवल पहली पंक्ति की एआरवी की ओषधि प्रदान कर रहा है। दूसरी पंक्ति की राष्ट्रीय रिट्रोवायरल रोधी चिकित्सा बहुत ही महंगी (पहली पंक्ति औषधों की अपेक्षा 10 गुणा महंगी है) इसके लिए विशिष्टीकृत प्रयोगशाला परीक्षणों, डाक्टरों के प्रशिक्षण, परामर्श और मानीटरिंग तंत्र प्रणालियों का पालन करना अपेक्षित है। इन औषधों को दूसरी पंक्ति की औषधों प्रदान कर सकने से पहले देना होता है ताकि इन औषधों की प्रतिरोधिता को रोका और संतोषजनक रोगी–परिणामों को प्राप्त किया जा सके।

(ग) दूसरी पंक्ति की रिट्रोवायरल रोधी चिकित्सा को जनवरी, 2008 से दो स्थलों अर्थात् जी एच टी एम, तम्बारम और जे जे अस्पताल, मुबई में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया। इस प्रायोगिक चरण में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर इस चिकित्सा को दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, इम्फाल, हैदराबाद, वाराणसी, बंगलौर और अहमदाबाद में स्थित देश के 8 अन्य प्रस्तावित 'उत्कृष्टता–केन्द्रों' तक विस्तार किया जा रहा है।

उपचार नयाचारों, मानीटरिंग औजारों और पुस्तिकाओं, परामर्शी सामग्री, रोजगार सहायता सामग्री और रोगी–शिक्षा से संबंधित सामग्री को तैयार करने जैसे विस्तार के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं। इन केन्द्रों को वायरल लोड परीक्षण के लिए सुविधाओं से युक्त विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं से जोड़ा जा रहा है। इन केन्द्रों से नोडल अधिकारियों के नवम्बर, 2008 में प्रशिक्षण के लिए थाईलैंड में जाने का कार्यक्र निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और तमिलनाडु के सभी रिट्रोवायरल–रोधी केन्द्रों को 1 नवम्बर, 2008 से जे जे अस्पताल से जोड़ा जा रहा है।

देश के सभी रिट्रोवायरल–रोधी चिकित्सा केन्द्रों को दूसरी पंक्ति की रिट्रोवायरल–रोधी चिकित्सा के इन 10 उत्कृष्टता केन्द्रों से चरणवार ढंग से जोड़ा जाएगा।

(घ) विभिन्न राज्यों में वर्ष 2007–08 और 2008–09 में किए गए प्रचार अभियान पर 18371 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान किया गया व्यय

लाख रुपए में

क्र.सं.	व्यय	वित्तीय वर्ष (2007–08)	वित्तीय वर्ष (2008–09), सितम्बर तक
1.	एड्स की जागरूकता के बारे में एसएसीएस के माध्यम से प्रचार अभियान	6085	4291
2.	डीएवीपी	2613	1057
3.	दूरदर्शन	829	826
4.	आकाशवाणी	1324	391
5.	एनआरएचएम	500	445
	कुल	11361	7010

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव हेतु सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब पहले मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 02.01½ बजे

(इस समय डा. के. एस. मनोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप पहले सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाए।

श्री मणिशंकर अय्यर

...(व्यवधान)

अपराह्न 02.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) उत्तर पूर्व क्षेत्र विजन 2020

(2) उत्तर पूर्व क्षेत्र विजन 2020 – उपाबंध

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9008/08]

मैं इस विषय पर चर्चा हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आपकी और सभा की अनुमति चाहता हूं। ...(व्यवधान)। जैसाकि मैंने पहले ही बता दिया है, मैं इस विषय पर चर्चा हेतु एक प्रस्ताव पेश करूंगा। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2007–2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9009/08]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 603(अ) जो 21 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 9010/08]

...(व्यवधान)

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट श्रीपेरुम्बुदुर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बदूर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9011/08]

...(व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 9012/08]

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : मैं, श्रीमती प्रानाबाका लक्ष्मी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9013/08]

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 2127(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 अगस्त, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 90 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(दो) का.आ. 1758(अ) जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जिसके द्वारा 15 अक्टूबर, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की, उसमें उल्लिखित, धाराओं के उपबंध प्रवत्त होंगे।

(तीन) का.आ. 1246(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मई, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 और 30 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9014/08]

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2008 जो 4 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 9015/08]

(5) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 और 5 की उपधारा (1) के अंतर्गज जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2165(अ) जो 5 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उसमें उल्लिखित, अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से स्थापित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 9016/08]

(6) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2008, जो 18 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2008, जो 5 जुलाई 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9017/08]

(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383(अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 9018/08]

(8) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9019/08]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 2142(अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्थायी समिति के पदधारी वाइस–चेयरमैन के बदल जाने के परिणामस्वरूप 20 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या का.आ. 594(अ) जिसे तत्पश्चात् 18 अगस्त, 2003 के आदेश सं. 932(अ) द्वारा संशोधित किया गया था, में प्रकाशित मूल आदेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 9020/08]

...(व्यवधान)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 1088(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पूणे–शोलापुर खण्ड) पर स्थायी लम्बोटी पुल के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय पुल शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का.आ. 1562(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर–हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (सामान्य), नागपुर को ऐसे अधिकारी के कार्यों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1624(अ) जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 2043(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1084(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 294(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 1085(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 295(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 1437(अ) जो 11 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग–नागपुर खण्ड), उपमार्गों के निर्माण सहित, के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1126(अ) जो 13 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग संख्या 8 (मैनोर–दहीसर खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहीयता शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1228(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (आगरा–शिकोहाबाद खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(दस) का.आ. 1390(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पालनपुर–राधनपुर खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1391(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (मोहनिया–बारून खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1392(अ) जो 6 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (छतिया–भद्रक खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1565(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरिपेट–विजयवाड़ा खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1615(अ) जो 3 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (राधनपुर–आदेसार खण्ड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 1646(अ) जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से 5 के प्रयोक्ताओं से, उसमें उल्लिखित मैकेनिकल वाहनों पर शुल्क एकत्र करने तथा बनाए रखने के लिए अनुदानग्राही को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 900(अ) जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (कोंधाली–तालेगांव खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 345(अ) जो 16 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई–2 (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जज के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 480(अ) जो 12 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 513(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 418(अ) जो 12 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2087(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ. 275(अ) जो 7 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई–2 (ईस्टर्न पेरिफेरल एकसप्रेसवे ऑफ दिल्ली) (गाजियाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 526(अ) जो 19 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2216(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एनई–2 (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2217(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1791(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 541(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग–नागपुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 474(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके

द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 633(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ. 540(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग–नागपुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 787(अ) जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे, नासिक रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के ज्यामितीय सुधार के साथ लघु पुलों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 475(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से धुले तक) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1501(अ) जो 20 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 25 (भोगनीपुर–बारा और कराई–भोगनीपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2063(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 25 (भोगनीपुर–बारा और कराई–भोगनीपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 2014(अ) जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (हापुड़–मुरादाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2015(अ) जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1198(अ) जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1124(अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 24 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2015(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(पैंतीस) का.आ. 810(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधकारी, हरिद्वार को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 1651(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकर–पंचकुला–कालका खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1652(अ) और का.आ. 1653(अ) जो 10 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाण राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक–हिसार खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 807(अ) से का.आ. 809(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट–अमृतसर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 854(अ) और का.आ. 855(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर–पठानकोट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 1838(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ–मुजफ्फर नगर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 1869(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ–फैजाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1883(अ) और का.आ. 1884(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर–वाराणसी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (सोलह) से (अट्ठाइस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तेरह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9021/08]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 1552(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 76(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(दो) का.आ. 1553(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1001(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(तीन) का.आ. 1056(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1729(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 9022/08]

...(व्यवधान)

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2008

जो 30 जुलाई, 2008 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 567(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9023/08]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008, जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9024/08]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9025/08]

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 12 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 12 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2007 जो 24 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 786(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2008 जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 2008 जो 14 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 519(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 14 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 520(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 561(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य–संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय वन सेवा (संवग सदस्य–संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2008 जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) (5) के मद संख्या (i) से (xiv) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले चौदह विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9026/08]

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : मैं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:–

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या छत्तीस पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9027/08]

2. विवरण संख्या अड़तीस सातवां, सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9028/08]

3. विवरण संख्या पैंतीस ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9029/08]

4. विवरण संख्या अड़तीस तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9030/08]

5. विवरण संख्या छब्बीस चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9031/08]

ग्यारहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या सैंतीस दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9032/08]

7. विवरण संख्या सैंतीस तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9033/08]

8. विवरण संख्या अड़तीस चौथा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9034/08]

बारहवीं लोक सभा

9. विवरण संख्या तैंतालीस दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9035/08]

10. विवरण संख्या सैंतीस तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9036/08]

11. विवरण संख्या उनतालीस चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9037/08]

तेरहवीं लोक सभा

12. विवरण संख्या चालीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9038/08]

13. विवरण संख्या चवालीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9039/08]

14. विवरण संख्या सैंतीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9040/08]

15. विवरण संख्या पैंतीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9041/08]

16. विवरण संख्या चवालीस छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9042/08]

17. विवरण संख्या तैंतालीस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9043/08]

18. विवरण संख्या इकतीस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9044/08]

19. विवरण संख्या तीस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9045/08]

20. विवरण संख्या छब्बीस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9046/08]

21. विवरण संख्या तेईस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9047/08]

22. विवरण संख्या तेईस बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9048/08]

23. विवरण संख्या बीस तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9049/08]

24. विवरण संख्या उन्नीस चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9050/08]

चौदहवीं लोक सभा

25. विवरण संख्या सत्रह दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9051/08]

26. विवरण संख्या पन्द्रह तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9052/08]

27. तिवरण संख्या पन्द्रह चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9053/08]

28. विवरण संख्या बारह पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9054/08]

29. विवरण संख्या ग्यारह छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9055/08]

30. विवरण संख्या दस सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9056/08]

31. विवरण संख्या आठ आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9057/08]

32. विवरण संख्या सात नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9058/08]

33. विवरण संख्या छह दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9059/08]

34. विवरण संख्या चार ग्यारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9060/08]

35. विवरण संख्या तीन बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9061/08]

36. विवरण संख्या एक तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9062/08]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) ओजोन ह्रासकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1561(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 344(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2008 जो 6 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2008 जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 600(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9063/08]

(3) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9064/08]

...(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): मैं केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1121(अ), जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित ट्रस्टियों से मिलकर भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पेंशन निधि ट्रस्ट का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9065/08]

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 अक्टूबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

* सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, मैं 21 अक्तूबर, 2008 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2008 भी सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03¼ बजे

लोक लेखा समिति

75वां और 76वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं, लोक लेखा समिति (2008–2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) "विदेश मंत्रालय द्वारा संपत्ति प्रबंधन" के बारे में लोक लेखा समिति के 51वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 75वां प्रतिवेदन; और

(2) "कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कार्यकरण" के बारे में लोक लेखा समिति के 48वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03½ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

7वां और 8वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का सातवां और आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.03¾ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

20वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.04 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

20वां और 21वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : मैं, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 20वां और 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.04½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

25वां और 26वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 25वां और 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.04¾ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

10वां और 11वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : मैं, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2008–09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008–2009) के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(2) "नदियों को आपस में जोड़ना" के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.05 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

210वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : मैं, संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान, मिड–डे मील स्कीम और एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी

स्थायी समिति का 210वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.05½ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

194वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट) : मैं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 194वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.06 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2008, जो अंतर-सत्रावधि के दौरान 4 अगस्त, 2008 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था, के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.07 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

50वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : महोदय, मैं, कार्यमंत्रणा समिति का पचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

** यह प्रतिवेदन 4 अगस्त, 2008 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, राज्य सभा के माननीय सभापति के निर्देशों के निदेश 31(1) के अंतर्गत राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति ने प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और प्रचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी। प्रतिवेदन की एक प्रति उसी तारीख को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित कर दी गई थी।

अपराह्न 2.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) श्रीलंका में स्थिति*

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, यह वक्तव्य श्रीलंका में स्थिति के संबंध में है। माननीय सदस्य श्रीलंका के नागरिकों को जिन मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है इस पर हमें अपनी चिन्ता व्यक्त करने के संबंध में संबोधन करने से रोक रहे हैं *...(व्यवधान)*

मैं आपकी सहमति से यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं . *..(व्यवधान)* यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है *...(व्यवधान)*

मैं श्रीलंका में हाल में हुए घटनाक्रमों से इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

श्रीलंका की स्थिति विशेष रूप से श्रीलंका के उत्तरी भाग में बिगड़ती हुई मानवीय स्थिति सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम युद्ध की स्थिति में फंसे हुए लोगें के पलायन और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंतित हैं। हमने श्रीलंका की सरकार से बलपूर्वक कहा है कि असैनिकों की संरक्षा और सुरक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए और बिना किसी बाधा के खाद्य पदार्थ और अनिवार्य वस्तुएं उन तक पहुंचनी चाहिए। हमें यह आश्वस्त किया गया है कि श्रीलंका में रह रहे तमिल समुदाय की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में संसद सदस्य और श्रीलंका के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार माननीय बासिल राजपक्षा जल्द ही भारत आने वाले हैं।

मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जातीय संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। संयुक्त श्रीलंका के ढांचे के अंदर तमिल समुदाय सहित अल्पसंख्यकों के वैध अधिकारों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके राजनीतिक समाधान ढूंढना ही श्रीलंका की जरूरत है। लिट्टे के विरुद्ध चल रहे युद्ध में श्रीलंका के तमिल समुदाय के अधिकार और कल्याण उलझने नहीं चाहिए। हम श्रीलंका की सरकार को पूर्वी प्रांत में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संपुष्ट करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

हमारे मछुआरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एस. टी. 9066/08

रेखा का सम्मान करें, हमने श्रीलंका की नौसेना से जोर देकर कहा कि वे संयम बरतें और भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी न करें। दोनों सरकारें इन घटनाओं को रोकने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था करने हेतु मिलकर कार्य करने पर सहमत हैं।

अपराह्न 2.08½ बजे

(दो) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं विदेश कार्यसंबंधी स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अध्यक्ष महोदय के निर्देश 73क के अंतर्गत वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2008–09) के संबंध में विदेश कार्य संबंधी स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 15 अप्रैल, 2008 को प्रस्तुत की गई थी। समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के उत्तर समिति को 30 जुलाई, 2008 को भेज दिए गए थे।

तथापि, यथा अपेक्षित, स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को इस वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि मंत्रालय ने 21वीं रिपोर्ट में निहित सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन पर तदनुसार कार्रवाई की गई है। मुझे आशा है कि वे मेरे मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट होंगे।

अपराह्न 2.08¾ बजे

(तीन) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोक सभा बुलेटिन भाग–II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत दिए गए निदेश 73–क के अनुसरण में ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) लोक सभा में 17.4.2008 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2008–2009 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

इस समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरे सितम्बर, 2008 में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे।

इस समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन में 25 सिफारिशें की गई हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यों, कर्मियों एवं कोषों के अंतरण की प्रगति, जिला आयोजना समितियों के गठन, 12वें वित्त आयोग, पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन एवं स्कीमवार विश्लेषण से संबंधित है।

इस समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध की सभी विषय वस्तुओं को पढ़ने के लिए सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 2.09½ बजे

(चार) चन्द्रमा तक भारत के पहले मानवरहित वैज्ञानिक मिशन चन्द्रयान-I का सफल प्रक्षेपण*

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मुझे इस सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट, पी.एस.एल.वी.–सी 11 ने भारत के प्रथम मानवरहित वैज्ञानिक चन्द्र मिशन, चन्द्रयान–1 अंतरिक्षयान को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं शेष वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9067/08

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9068/08

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9069/08

पी.एस.एल.वी.–सी 11 का प्रमोचन पी.एस.एल.वी. श्रृंखला की चौदहवीं उड़ान है। प्रमोचक राकेट की प्रणालियों ने संतोषप्रद रूप से कार्य किया है।

चन्द्रयान–1 मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य चन्द्रमा की परिक्रमा करना और चन्द्रमा के 3–आयामी एटलस को तैयार करने हेतु चन्द्रमा का उच्च विभेदन सुदूर संवेदन तथा चन्द्र सतह का रासायनिक एवं खनिजविज्ञानी मानचित्रण करना है। इस अंतरिक्षयान में भारत तथा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, यू.एस.ए. और बल्गेरिया के विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं के ग्यारह वैज्ञानिक उपकरण हैं।

आज चन्द्रयान–1 अंतरिक्षयान को पृथ्वी के निकट 255 x 22,860 कि.मी. की दीर्घवृत्तीय मध्यवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। आने वाले दिनों में, पृथ्वी से लगभग 4,00,000 कि.मी. की दूरी पर चन्द्रमा के निकट कक्षा प्राप्त करने हेतु अंतरिक्षयान में मौजूद नोदन प्रणालियों का उपयोग करते हुए अंतरिक्षयान का युक्तिचालन किया जाएगा।

मुझे विश्वास है कि इस जटिल मानवरहित वैज्ञानिक चन्द्र मिशन को पूरा करने तथा इसके प्रबंधन में शामिल इसरो के अध्यक्ष और पूरी टीम को बधाई देने में यह महान सदन मेरे साथ होगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.10 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:–

"कि नेशनल शिपिंग बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि नेशनल शिपिंग बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.10½ बजे

(दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:–

"कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए।

(एक) महान देशभक्त तथा स्वतंत्रता-पूर्व-युग के रंगमंच कलाकार स्व. श्री विश्वनाथ दास के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : महोदय, विश्वनाथ दास जो तमिलनाडु के एक प्रमुख और बहुमुखी प्रतिभा वाले रंगमंच कलाकार थे, का जन्म 16 जून, 1886 को शिवकाशी में हुआ था। वर्ष 1916 में तुथुकुडी में उनकी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। महात्मा जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल हो गए। जब भी और जहां भी उन्होंने 'हरिश्चन्द्र', 'वल्ली थिरूमानम', 'कोवलम' और 'कन्नगी' जैसे प्राचीन नाटकों में अभिनय किया। नाटक के बीच में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और तत्कालीन ब्रिटिश शासन का विरोध किया जिसका दर्शकों ने भरपूर स्वागत किया और उसे हर-बार भरपूर समर्थन मिला।

नाटकों के दौरान ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण गीतों को गाने के कारण उन्हें अपने जीवनकाल में 15 से अधिक बार गिरफ्तार किया गया। "व्हाईट बर्डस आर फ्लाइंग" तथा "ट्राईकलर फ्लैगशिप इज विजिबल" जैसे गीतों की श्रोताओं द्वारा करतल ध्वनि से प्रशंसा की गई थी।

उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी सारी सम्पत्ति का भी त्याग कर दिया।

उनकी मृत्यु 31 दिसम्बर, 1940 को रंगमंच पर ही 'लॉड मुरूगा' नाटक में अभिनय करते समय हुई।

तमिलनाडु सरकार ने उनके नाम पर तिरूमंगलम में, जहां वे निवास करते थे, एक कल्याण मंडपम् और पुस्तकालय की स्थापना की है।

यह स्वर्गीय विश्वनाथ दास, महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी यदि हमारी सरकार उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करती है।

---

* सभा पटल पर रखे गये।

(दो) उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रस्तावित रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने के वैकल्पिक स्थल के रूप में बरेली के इज्जतनगर पर विचार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि रायबरेली, उ.प्र. में प्रस्तावित रेल कोच फैक्ट्री को क्षेत्रीय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भूमि में अधिग्रहण के लिए असमर्थता व्यक्त की गई है, इस कारण प्रतीत हो रहा है कि उक्त कोच फैक्ट्री रायबरेली में लगना संभव नहीं हो पायेगा। यदि सरकार इस कोच फैक्ट्री हेतु कोई अन्य स्थान तलाश करती है तो इसके लिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत इज्जतनगर, बरेली, उ.प्र. को प्रस्तावित करता हूं। यह इस हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। वर्ष 1984 में रेल कोच फैक्ट्री हेतु इस स्थान को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, यहां पर पूर्वोत्तर रेल का मंडल कार्यालय है तथा पूर्वोत्तर रेल का डिब्बा सुधार व क्रेन निर्माण का कारखाना एवं स्लीपर प्लांट है जहां आजकल न्यूनतम कार्य हो रहा है। इस कोच फैक्ट्री हेतु बरेली में पर्याप्त आधारभूत संरचना है और इस हेतु रेल के पास इतनी भूमि है कि उसे कृषकों की जमीन नहीं लेनी पड़ेगी और तत्काल कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(तीन) गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक और शैक्षिक केन्द्र भी है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी के बीच एकमात्र विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1956-57 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश अपितु बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र केन्द्र है। राज्य सरकार के संसाधन सीमित होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और सम्पूर्ण क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में विश्वविद्यालय की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वह अत्यंत ही सीमित रह गई है।

कृपया गोरखपुर के धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाये।

(चार) अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान के समाधि स्थल की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों को तीर्थयात्री सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिन्दू शासक थे जिन्होंने विदेशी मुहम्मद गौरी के साथ 17 बार युद्ध किया। 16 बार गौरी को हराने के बाद 17वें बार पराजित होकर गिरफ्तार हुये, तब गौरी उनको बंधक बनाकर अपने देश ले गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में इतने पारंगत थे कि गौरी द्वारा उनकी आंखे निकाल लेने के बाद भी उन्होंने अपने मंत्री चन्दबरदाई भाट जी की आवाज पर बाण चलाया जो सुल्तान की छाती में जा घुसा, पृथ्वीराज रासो नाम पुस्तक में ऐसा वर्णन आया है।

चार हाथ चौबीस गज अंगुल अष्ठ प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूके चौहान, ऐसे शब्दभेदी बाण चलाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो विदेश की धरोहर एवं हमारे क्षेत्रीय समाज के सिरमौर है, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर दर्शनार्थ भारतवासियों को हज की तरह शासन द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें।

(पांच) मध्य प्रदेश में पानी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय कोटे से विद्युत आपूर्ति किए जाने तथा केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, मध्य प्रदेश में कम वर्षा के कारण पेयजल, सिंचाई एवं जल विद्युत गृहों से बिजली उत्पादन का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके कारण उज्जैन संभाग के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर सहित इन्दौर और भोपाल संभाग में पानी की कमी से जनजीवन एवं कृषि अत्यधिक संकट की स्थिति में है।

अतएव, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश को पानी की कमी की स्थिति में आवश्यक सहायता तथा केन्द्र से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें।

(छह) देश के करदाताओं को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न करदाताओं का काफी योगदान है। देश का विकास, देश की सुरक्षा, देश में शिक्षा, रोजगार एवं अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए देश का करदाता अपना योगदान देता है, परन्तु सरकार द्वारा उस करदाता को अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता। अधिक कर देने वालों को सरकारी समितियों में लेना, करदाता को सरकारी कार्यक्रमों में सम्मानित करना, व्यापार बंद हो जाने पर, बीमार हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर ऐसे करदाताओं की सामाजिक सुरक्षा का जिम्मा सरकार ले एवं उनके द्वारा जमा करदाताओं की सामाजिक सुरक्षा पर लगे।

(सात) समुद्री क्यूकम्बर को पकड़ने पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, कई सदियों से हमारे तटीय क्षेत्रों के मछुआरे परम्परागत पेशे के रूप से गोता लगाकर सी–क्यूकम्बर पकड़ते रहे हैं। ऐसे हजारों मछुआरों की आजीविका इस जलग्रहण क्षेत्र पर निर्भर है क्योंकि इससे उन्हें रोजगार और रोटी दोनों मिलती है।

वर्ष 2001 में दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के नाम पर भारत सरकार ने सी–क्यूकम्बर सहित 56 प्रकार के समुद्री जीवों को पकड़ने पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2001 के शीतकालीन सत्र के दौरान जब सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया तो कुछ छूट की घोषणा की गई थी। किंतु सी क्यूकम्बर पर प्रतिबंध अभी भी जारी है।

इसकी घोषणा की गई थी कि तीन वर्षों के बाद इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी और पांच वर्ष के पश्चात् प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाएगा। किंतु सात वर्षों के बाद भी इसका पुनरावलोकन नहीं किया गया है। जब अन्य पड़ोसी देश इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा रहे हों तो किसी एक देश द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। इस एक तरफे प्रतिबंध पर विशेषज्ञों की राय को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि श्रीलंका द्वारा इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जबकि यह मुख्य भारतीय मुख्यभूमि से मात्र 20 किमी की दूरी पर है। इसलिए, हमारी सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रतिबंध अनुचित और निरर्थक है क्योंकि सी–क्यूकम्बर की मृत्यु समुद्र में एक निर्धारित अवधि में बढ़ते रहने के पश्चात् स्वभाविक रूप से हो जाती है। इन कोमल जीवों को केकड़ों द्वारा आसानी से निगल लिया जाता है।

इन जीवों को बचाने का प्रयास को बड़े जहाजों द्वारा विशाल जाल के माध्यम से इन सी क्यूकम्बर को बड़ी मात्रा में पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इनके प्रजनन के मौसम के दौरान इन्हें पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार सी–क्यूकम्बर पकड़ने पर रोकथाम होनी चाहिए किंतु तर्कहीन पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। समुद्र के विभिन्न जीवों की रक्षा के प्रयास के साथ हमारे मछुआरे के परम्परागत अधिकारों की रक्षा करना भी आवश्यक है।

(आठ) सहकारी सोसाइटियों तथा बाजारों में डीएपी और एपी उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, देश में डी.ए.पी. की खाद की कमी से किसानों की स्थिति बहुत खराब है। सहकारी समितियों में एवं बाजार में खाद की कमी के कारण किसान दिन भर लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन उसे उचित समय पर खाद न मिल पाने के कारण धान, आलू एवं गेहूं के खेतों में खाद डालने हेतु विक्रय केन्द्रों पर दूर–दूर भटकना पड़ रहा है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय रसायन उर्वरक मंत्री जी से चाहूंगा कि डी.ए.पी, ए.पी. खादों का कोटा बढ़ाते हुए तत्काल खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(नौ) बिहार के समस्तीपुर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, बिहार के समस्तीपुर जिले को भारी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है जबकि जिले के अंदर एक औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे डिवीजन एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। बड़े कृषि बागबानी एवं फल उत्पादक क्षेत्र होने के नाते सिंचाई के लिए बिजली की अति आवश्यकता है। यूपीए सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन के पांच वर्ष होने जा रहे हैं। मैंने पहले दो बार समस्तीपुर में इस योजना के शुभारंभ की मांग की है। इसके बावजूद आज तक इस योजना की शुरूआत समस्तीपुर में नहीं हुई, जिसकी जिम्मेदारी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिले में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं एवं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की शुरूआत शीघ्र करायी जाये।

(दस) कृषि ऋण माफी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कठोर मार्गनिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महोदय, भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजनाओं की घोषणा संपूर्ण कृषक समुदायों के लिए एक बड़ी राहत है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की पहचान संवितरण संबंधी उद्देश्य हेतु नोडल एजेंसी के रूप में की गई है।

विभिन्न प्राथमिक कृषि सोसाइटियों के बेइमान तत्वों ने अपने मौद्रिक लाभ के लिए इस अद्भुत योजना का इस्तेमाल किया है। इसमें अपनाए गए तरीके बहुत ही आसान है। चूंकि किसानों को दी जाने वाली फसल ऋण की राशि की कोई सीमा नहीं होती अथवा प्रति एकड़ फसल ऋण अग्रिम का कोई पैमाना नहीं होता है, इस लिए बेईमान एजेंटों और प्राथमिक कृषि सोसाइटियों (पीएसीएस) ने बकाये फसल ऋण के रूप में बहुत ही बड़ी राशि को दर्शाया है। इन पीएसीएस ने उन लोगों की सूची अग्रेषित की है जिनके ऊपर ऋण बकाया है। तथापि, कई मामलों में गैर–विद्यमान ऋणों और व्यक्तियों को चूककर्ता के रूप में दर्शाया गया है। मुख्य मानदंड यथा, कृषि और फसल के लिए बकाया ऋण और 2 हेक्टेयर भूमि धारिता को नजरअंदाज कर दिया गया है।

जिन ईमानदार किसानों ने ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया, वे ही इसके शिकार हुए। इससे भुगतान में चूक करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मैंने सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है कि नियमित रूप से ऋण अदा करने वाले कृषकों को पर्याप्त लाभ देने के साथ साथ कठोर दिशा निर्देश जारी किए जाएं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि वे इन धोखाधड़ी वाले मामलों की जांच उच्च स्तर पर कराएं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के विद्युतकरघा उद्योग में संकट के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे विद्युतकरघा बुनकरों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं आपका और सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में आत्म हत्या कर रहे विद्युतकरघा बुनकरों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विद्युतकरघा बुनकर बेरोजगारी और बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। चूंकि विद्युतकरघा से तैयार कपड़ों के

लिए किसी बाजार के न होने के कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा है। विद्युतकरघा संकट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार अन्य कारण पोलिएस्ट धागे और अन्य कच्ची सामग्री पर अत्यधिक कर लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त, अनियमित विद्युत आपूर्ति ने सिरसिल्ला के बुनकरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में, एक सर्वदलीय शिष्ट मंडल ने भी सिरसिल्ला का दौरा किया है। सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को दिया जाने वाला पेंशन भी कई विद्युतकरघा बुनकरों को नहीं मिल रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत कामगारों को आवास स्थल और आवासों का संवितरण भी असफल रहा है।

5 अक्तूबर को श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इस क्षेत्र के बुनकरों की समस्या के आकलन के लिए सिरसिल्ला का दौरा किया। समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, चिकित्सा बीमा और आवास के प्रावधान सहित कई उपाय सुझाए हैं।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों की घोषणा करें। सरकार सिरसिल्ला क्षेत्र को 'टेक्सटाइल इकॉनोमिक जोन' के रूप में घोषित करे, शहर में एक आयुक्त कार्यालय स्थापित करे, बुनकरों की पेंशन में वृद्धि करे जिससे वे बड़े अस्पतालों में इलाज करा सकें, बुनकरों द्वारा विद्युतकरघा से उत्पादित कपड़ा खरीदने के लिए विशेष सरकारी संगठन की स्थापना करें और अनुग्रह राशि को पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जाए।

अपराह्न 2.12 बजे

लोक सभा के सदस्यों के दुराचरण की जांच करने संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :–

"कि यह सभा 30 अप्रैल, 2008 को सभा पटल पर रखे गए 'अवचार के विविध पक्ष तथा सदस्यों से अपेक्षित आचरण/व्यवहार के मानकों की मूल विशेषताएं' के बारे में लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि यह सभा 30 अप्रैल, 2008 को सभा पटल पर रखे गए 'अवचार के विविध पक्ष तथा सदस्यों से अपेक्षित आचरण/व्यवहार के मानकों की मूल विशेषताएं' के बारे में लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा केवल 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। नेताओं से अनुरोध है कि वे माननीय अध्यक्ष के कक्ष में आएं।

अपराह्न 2.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.28 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.28 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.28 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)...

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2008-09

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 30–अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा करेगी। श्री लालू प्रसाद।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2008–09 की अनुपूरक अनुदानों की सभी मांगों (रेल) को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :–

कि कार्यसूची के दूसरे स्तम्भ में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशिया भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

...(व्यवधान)...

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008–09 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
16	परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
अन्य व्यय		
	पूंजी	526,00,30,000
	रेलवे निधियां	85,000
	रेलवे संरक्षा निधि	55,000
	जोड़	526,01,70,000

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कुछ माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वे अपनी स्पीच सभा पटल पर रख सकते हैं।

[अनुवाद]

यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

...(व्यवधान)...

***श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, कर्नाटक में यह सभी लोगों का अनुभव है कि जहां तक रेलवे के विकास कार्यों का संबंध है, भारतीय रेल ने इस राज्य के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। मैं आपके माध्यम से यह बात बार–बार सरकार के ध्यान में लाता रहा हूं।

रेल बजट 2008–09 पर की गई कई चर्चाओं के दौरान मैंने मंत्रालय पर गडग–बगालकोट आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा करने और इस लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने पर जोर दिया। आमान परिवर्तन का कार्य काफी समय पहले पूरा हुआ बताया जाता है परन्तु अब दक्षिण पश्चिम रेलवे इस लाइन पर ट्रेनों को शुरू करने में टाल–मटोल कर रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस लाइन पर यात्री ट्रेनों का परिचालन आरंभ करे।

हुबली-अंकोला : दक्षिण–पश्चिम रेलवे की उदासीनता के कारण हुबली–अंकोला नई लाइन पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने दक्षिण–पश्चिम रेलवे द्वारा सौंपे गए संरेखण (एलाईनमेंट) के लिए अपेक्षित वन भूमि को दिए जाने के लिए पहले ही सहमति दे दी है। परंतु रेलवे इस संरेखण को अनुमोदित करवाने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय को संतुष्ट करने के लिए पहल नहीं कर रहा है और इसलिए यह समस्या है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस प्रक्रिया में तेजी लाए।

हुबली से बंगलौर तथा मुंबई के लिए रात की ट्रेनें : मैंने इस मांग को अनेकों बार दोहराया है परंतु कुछ भी नहीं हो रहा है। कम से कम हुबली–पुणे के बीच एक रात्रि–ट्रेन शुरू की जाए।

दक्षिण-पश्चिम रेलवे, हुबली में समूह 'घ' के पदों पर भर्ती : पिछले वर्ष दक्षिण–पश्चिम रेलवे, हुबली में समूह 'घ' के लगभग 4000 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गयी थी परंतु बाहरी उम्मीदवारों की प्रमुखता के विरुद्ध हुए विरोध के कारण कानून–व्यवस्था की सस्मयाओं की वजह से इसे रोक दिया गया। कर्नाटक के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण हेतु आंदोलन किया गया था। मैंने भर्ती नियमों में परिवर्तन किए जाने पर बल दिया था ताकि स्थानीय लोगों के लिए पदों को निर्धारित किए जाने का प्रावधान किया जा सके। अब मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसी न किसी प्रक्रिया को अपनाकर भर्ती की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय लोगों को बेहतर अवसर मिल सकें।

इंटरसिटी ट्रेन का धारवाड़ तक विस्तार : बंगलौर–हुबली इंटरसिटी का धारवाड़ तक विस्तार किए जाने की चिर लंबित मांग को पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

* **श्री संतोष गंगवार** (बरेली) : महोदय, समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि रायबरेली, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित रेल कोच फैक्ट्री को क्षेत्रीय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भूमि में अधिग्रहण के लिए असमर्थता व्यक्त की है इस कारण प्रतीत हो रहा है कि उक्त कोच फैक्ट्री रायबरेली में लगना संभव नहीं हो पायेगा, यदि सरकार इस कोच फैक्ट्री हेतु कोई अन्य स्थान तलाश करती है तो इसके लिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश को प्रस्तावित करता हूं। यह इस हेतु इस स्थान को सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। वर्ष 1984 में रेल कोच फैक्ट्री हेतु इस स्थान को सर्वाधिक उपयुक्त

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

माना गया, यहां पर पूर्वोत्तर रेल का मंडल कार्यालय है तथा पूर्वोत्तर रेल का डिब्बा सुधार व क्रेन निर्माण का कारखाना एवं स्लीपर प्लांट है जहां आजकल न्यूनतम कार्य हो रहा है। इस कोच फैक्ट्री हेतु बरेली में पर्याप्त आधारभूत संरचना है और इस हेतु रेल के पास इतनी भूमि है कि उसे कृषकों की कोई जमीन नहीं लेनी पड़ेगी और तत्काल कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : सियालदह डिवीजन पूर्व रेलवे के लालगोला–सियालदह सेक्शन में रेल सेवाओं में सुधार के बारे में मुझे यह कहना है कि मुर्शिदाबाद जिले के सैंकड़ो लोग भारत में पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में कार्य करते हैं और ये लोग शरदिया पूजा के समय घर आते हैं। इन लोगों को घर वापस आने के लिए सियालदह–लालगोला डिवीजन पर ट्रेन पकड़नी होती है। साथ ही, सैंकड़ों लोग जो देश में विभिन्न हिस्सों में कार्य कर करते है, उन्हें अपने निवास स्थान पर लौटने के लिए इस रेलखंड सेक्शन के विभिन्न स्थानों से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। परंतु इस खंड में चल रही इन सभी ट्रेनों से जुड़े डिब्बों की क्षमता इन यात्रियों की संख्या की तुलना में अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप इन यात्रियों को यात्रा के दौरान अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को देखें और वर्तमान हालात से उबरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं :

(i) इस खंड में चल रही सभी पैसेंजर ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाएं।

(ii) दैनिक भगीरथी एक्सप्रेस ट्रेन के अप और डाउन दोनों ट्रेनों में एक अतिरिक्त कुर्सीयान जोड़ा जाए।

(iii) यह बताया गया है कि 111 अप लालगोला–सियालदह पैसेंजर में तीन शयनयान डिब्बे हैं जबकि इसी ट्रेन के 112 डाउन में केवल दो शयनयान डिब्बे हैं। इस ट्रेन की सेवा में इस असंगति को दूर करने के लिए उक्त ट्रेन में एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा जाए जिससे यात्रियों को अधिकाधिक लाभ पहुंच सके।

इसके साथ–साथ मुझे यह भी उल्लेख करना है कि बरहामपुर कोर्ट स्टेशन के कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र के दो काउंटर रोजाना अपराहन दो बजे तक खुलते हैं। यह समयावधि लोगों की मांग को देखते हुए अपर्याप्त है।

आपसे अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई करें ताकि उक्त कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र के कम से कम एक काउंटर को तत्काल प्रचालन में लाएं।

मैं आपका ध्यान संसद में रेल बजट सत्र के दौरान आपके द्वारा की गई घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूं कि सत्र के बाद शीघ्र ही "हजारद्वारी एक्सप्रेस" नामक एक ट्रेन सियालदह–लालगोला रेलखण्ड, सियालदह डिवीजन, पूर्व रेलवे शुरू की जाएगी। यह एक्सप्रेस ट्रेन पूर्व रेलवे के उक्त खंड पर 6.50 बजे सुबह कोलकाता से शुरू होगी और मुर्शिदाबाद स्टेशन से अपराह्न 2.40 बजे शुरू होनी निर्धारित थी। परंतु यह खेद का विषय है कि संसद में आपके द्वारा किए गए वादे के बावजूद इस ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इस संदर्भ में मुझे यह उल्लेख करना है कि इस जिले के लोगों को इस ट्रेन के बारे में यह सब पता चला और अब रेलवे की निष्क्रियता के कारण निराशा है।

लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को देखें ताकि इस जिले के लोगों की लंबे समय से की जा रही शिकायत के समाधान के लिए 'हजारद्वारी एक्सप्रेस' को और देरी किए बिना शुरू किया जा सके।

* **श्री जे.एम. आरून रशीद** (पेरियाकुलम) : आरंभ में, मैं माननीय रेल मंत्री को धर्मनिरपेक्ष ताकतों का हिमायती होने के कारण बधाई देता हूं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की योग्य और सक्रिय पथ प्रदर्शन और माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, और आपके अधीन रेलवे मंत्रालय वास्तव में आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है। भारतीय रेल, जो विश्व का विशालतम नेटवर्क है, ने गत 5 वर्षों में अतुलनीय ऊंचाइयों को छुआ है। आप इस देश के लोगों के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद गत 5 वर्षों में यात्री किरायों में वृद्धि न किए जाने से निर्धनतम, मध्यम और उच्च वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं, जिसकी प्रशंसा सबने की है। इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूं कि हाल तक रेल विभाग को घाटे में चलने वाला विभाग माना जाता था लेकिन लालू जी ने बिना किरायों में वृद्धि कर इसे लाभ अर्जित करने वाला विभाग बनाकर सबको चकित कर दिया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रत्येक भारतीय को लालू जी पर गर्व होना चाहिए क्योंकि वे एमबीए स्नातक नहीं है फिर भी उन्होंने रूग्ण कंपनियों को लाभ अर्जित करने वाली कंपनी में परिवर्तित करने के बारे में एमबीए स्नातकों की कक्षाएं ली हैं।

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

[श्री जे.एम. आरून रशीद]

महोदय तमिलनाडु के लोगों की काफी समय से लम्बित मांग रही है कि चेन्नई, हैदराबाद, कर्नाटक और मुंबई के तीर्थ यात्रियों के लिए चेन्नई से भगवान अयप्पा मंदिर (साबरीमाला) तक के लिए रेल सेवा को बरास्ता तमिलनाडु से चलाया जाना चाहिए। इस रेल सेवा को बरास्ता डिण्डीगुल, वथालागुन्डु, पेरियाकुलम, थेनी, बोडी, कम्बन, कुडालुर और आधार स्टेशन तक चलाया जाना चाहिए।

महोदय, वर्ष दर वर्ष साबरीमाला तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है और तमिलनाडु के लोग उपर्युक्त उल्लिखित रेलमार्गों से सीधी रेल सेवा के चलाए जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। महोदय, लोग साबरीमाला सुरंग से गुजरने के लिए 200 से 250 रु. ज्यादा भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि निवेश की गई पूरी राशि की वसूली एक या दो साल में रेलवे द्वारा की जा सकती है। अन्य राज्यों के साबरीमाला तीर्थयात्रियों को पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते से गुजरना पड़ता है और लगभग 180–200 किलोमीटर तक अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें घूमकर जाना पड़ता है। (जंगल के रास्ते) और इस क्षेत्र में जंगली जानवरों (हाथी, भालू, रेड डॉग भेड़िये) की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, जिनसे तीर्थयात्रियों को जान का खतरा रहता है। ऐसी अनेकों घटनाएं तीर्थयात्रियों के पास समय की कमी के कारण क्योंकि उन्हें तीर्थयात्रा के बाद अपने राज्य में लौटना होता है, और समय बचाना पड़ता है, प्रकाश में नहीं आ पाती हैं।

मैं संप्रग सरकार, लालू जी, वेलू जी और राठवा जी को कुडालूर तक सर्वेक्षण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। महोदय, डिण्डीगुल से वथालागुन्डु, बोडी कुडालुर समृद्ध कृषि और सम्भवनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र है। मसाला बोर्ड इलायची ई–एक्शन केन्द्र बोडी में स्थित है; उसी प्रकार अनेक चाय/मसाले/कॉफी धान और नारियल कृषक लाभान्वित होंगे। सभी केन्द्रों पर रेलवे पार्सल बुकिंग काउन्टर खोलने से साबरीमाला तीर्थयात्रियों के साथ–साथ रेलवे को बड़े पैमाने पर फायदा होगा।

साबरीमाला रेलवे लाइन परियोजना का कार्यान्वयन दक्षिण भारत के लोगों के हित में होगा। रेलवे आम जनता के लिए है। मैं माननीय रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड और अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे आम आदमी को लाभ पहुंचाए क्योंकि इस योजना से रेलवे को वाणिज्यिक रूप से ज्यादा लाभ होगा। यदि परियोजना का कार्यान्वयन होता है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वाणिज्यिक रूप से भी यह लाभप्रद होगा क्योंकि लाखों लोग साबरीमाला की हर वर्ष यात्रा करते हैं। 200–250 रु. के शुल्क प्रभार को लोग ज्यादा मुश्किल नहीं पायेंगे क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्र की 5–8 घंटे की यात्रा से बच जाएंगे जो उन्हें काफी मंहगा पड़ता है।

अतः मैं संप्रग सरकार, जो कि जनता और वंचित लोगों की सरकार है, से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द इस योजना का कार्यान्वयन करें क्योंकि जनता इसके कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रही है।

• **श्री एस.के. खारवेन्थन** : महोदय मैं, वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम मैं रेल मंत्रियों, लालू जी, श्री वेलू और श्री राठवा जी को भारतीय रेल को निर्धन लोगों की हवाई सेवा बनाने के लिए बधाई देता हूं। केन्द्र में संप्रग की सरकार के आने के 52 महीनों में रेल किरायों में वृद्धि नहीं की गई है और वास्तव में कुछ श्रेणियों/खंडों में किरायों में कमी की गई है। चूंकि भारतीय रेल कम किराया ले रही है यह अपनी लोकप्रियता पुनः प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। हमारा भारतीय रेल नेटवर्क एक एकीकृत प्रणाली है जो देश के विभिन्न भागों से यात्रियों और माल के परिवहन को सुकर बनाने के लिए सुदूर और दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों को जोड़ती है। हाल के वर्षों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है और साथ ही आमदनी में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, दक्षिण रेलवे में यात्रियों की संख्या में 12% और आमदनी में 16% की वृद्धि हुई है। वास्तव में, 2008–09 की तिमाही में दक्षिणी रेलवे में चेन्नई–बंगलौर खंड पर लगभग 28% ज्यादा यात्रियों की ढुलाई की और इसका राजस्व भी 15.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 16.25 करोड़ रु. हो गया। चेन्नइ–मदुरई–नागरकोल खंड अभी भी दक्षिण रेलवे के लिए राजस्व अर्जित करने वाला सबसे बड़ा खंड बना हुआ है। पूरे देश में स्थिति इसी प्रकार की है। यही कारण है कि भारतीय रेल ने 68,812 करोड़ रु. का अधिशेष राजस्व अर्जित किया है। वर्ष 2004–05 के दौरान यह 8,664.23 करोड़ रु., वर्ष 2005–2006 में 14,710.00 करोड़ रु., वर्ष 2006–2007 में 20,338.49 करोड़ रु., वर्ष 2007–2008 में 25,065 करोड़ रु. था और वर्ष 2008–09 में इसके बढ़कर 31,000/करोड़ रु. हो जाने की आशा है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों से संबंधित है, रेल मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, विशाखापटनम्, कानपुर, कोलकाता और बंगलौर सहित विभिन्न शहरों में आर एल डी ए को 10 प्लाट हस्तांतरित किए हैं और

• भाषण मूल–पटल पर रखा गया।

इससे भारतीय रेल को 4,000 करोड़ रु. प्राप्त होने की आशा है। अभी भी कुछ लोकप्रिय क्षेत्रों में भारतीय रेल के पास काफी भूमि है और उसे अत्यंत कम धनराशि पर निजी पक्षकारों को पट्टे पर दिया गया है। उदाहरण के लिए, मेरे पलानी निर्वाचन क्षेत्र में ओड्डांचतरम शहर तक महत्वपूर्ण स्थान है। और यह एन एच 209 पर स्थित है। उपर्युक्त एन एच 209 की दक्षिण ओर दक्षिण रेलवे की भूमि है और यह शहर के मध्य में स्थित है। अभी इसे नाममात्र धनराशि लेकर उसका उपयोग साइकिल स्टैंड के रूप में करने के लिए एक निजी पक्ष को पट्टे पर दिया गया है। यह शॉपिंग मॉल के निर्माण के लिए अच्छा स्थान है और इससे दक्षिण रेलवे को अच्छी आमदनी होगी। अतः मैं रेल मंत्री से मौजूदा पट्टे को निरस्त करने का अनुरोध करता हूं और दक्षिण रेलवे को शॉपिंग माल के निर्माण के लिए अवश्य आगे आना चाहिए और यह आम जनता के लिए अत्यंत लाभदायक और रेलवे के लिए काफी लाभप्रद भी होगा।

यद्यपि भारतीय रेल को भारी आमदनी हो रही है, हम रेल यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। हमारी सरकार ने एक "एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना" तैयार की है ताकि वर्ष 2005–2010 के 5 वर्षों के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय–सारणी के साथ कार्यकलापों की पहचान की जा सके। इसमें सभी राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में आधुनिक डिब्बे लगाने की योजना है। पूरे देश में यात्री आरक्षण प्रणाली, अनारक्षित टिकट प्रणाली के विस्तार और डिब्बों में पर्यावरण–अनुकूल शौचालयों की व्यवस्था इसमें शामिल है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश सुपर फास्ट ट्रेनों में उचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तमिलनाडु में महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां जैसे चेरन एक्सप्रेस, नीलगिरी एक्सप्रेस, येरकुड एक्सप्रेस और पांडियन एक्सप्रेस ट्रेनों में उचित शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। शौचालयों की नियमित साफ–सफाई और रख–रखाव नहीं होता है।

हमने ई–टिकटिंग प्रणाली की घोषणा की थी और तीन माह पूर्व आरक्षण की अनुमति भी प्रदान की थी। अब चेन्नई के यात्रियों का काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण की ओर मुदुरई और नागरकोल जाने वाली सभी रेलगाड़ियों की 1 फरवरी 2009 तक की सभी टिकटें बिक गई हैं। प्रत्येक सुबह सीधे–साधे निर्धन लोग 3 बजे सुबह से ही लाइन में खड़े होते हैं लेकिन वे अपना टिकट नहीं खरीद पाते हैं। क्योंकि ट्रेवल एजेंट काफी संख्या में टिकट खरीदने में सक्षम होते हैं और फिर उनकी काला बाजारी करते हैं। मैं रेल मंत्री से इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। यद्यपि रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं, लेकिन इससे अधिक लाभ नहीं हुआ है और विशेष रेलगाड़ियों की स्थिति भी वैसी ही है।

केन्द्र में संप्रग के कार्यभार ग्रहण करने के तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2004–2005, 2005–2006, 2006–07 में रेल मंत्रालय ने कई परियोजनाओं की घोषणा की है जिसमें से 12,749 किमी लंबाई वाली 127 परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया गया था। जिस पर 47,934 करोड़ रुपए की लागत आई। उक्त 127 परियोजनाओं में से 33 नई लाइन परियोजनाओं को बजट 2008–09 में अनुमोदित और संस्वीकृत कर दिया गया और इरोड–पलानी बरास्ता धरमपुर ऐसी ही एक परियोजना है जिसकी लंबाई 91.05 किमी है और जिसकी लागत 289 करोड़ रु. की है। इस परियोजना हेतु स्थल हेतु अंतिम सर्वेक्षण निविदा प्रक्रिया 18.8.08 तक पूरी हो गई थी। यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो चार पहाड़ी पर स्थित मंदिरों अर्थात चेन्नीमलाई, शिवनमलाई, वट्टामलाई और पलानी पहाड़ियों को जोड़ती है। ये सारे मंदिर भगवान कार्तिक के हैं। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे प्राधिकारियों को निदेश दें कि उक्त परियोजना हेतु स्थल संबंधी अंतिम सर्वेक्षण अविलंब पूरा किया जाए और योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

महोदय, दक्षिण तमिलनाडु में डिण्डीगुल–पलानी– उदुमलाईपेट–पोल्लाची–पालक्कड–कोयंबटूर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण लाइन सबसे पुरानी मीटर गेज लाइनों में से एक है। केन्द्र में संप्रग सरकार के आने के बाद पहले चरण में आमान परिवर्तन हेतु 30 करोड़ रुपए आबंटित किए गए और कार्य पोथानूर तक पूरा किया गया। अब डिण्डीगुल से पलानी तक आमान परिवर्तन का कार्य पूरा करने हेतु 70 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और दो महीने पहले 'भूमि पूजा' करके कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। इस योजना में कई उपरिपुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव भी है।

मैं रेल मंत्री से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस कार्य को तीव्र गति से पूरा किया जाए और पलानी–पोथानूर के बीच कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियां आबंटित की जाएं और इस पूरे मार्ग को ब्राडगेज लाइन में परिवर्तित किया जाए।

महोदय, मैं संप्रग सरकार को छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए बधाई देता हूं। रेलवे ने भी उसको स्वीकार किया है। तथापि, मुझे लगता है कि रेल कर्मचारियों की कुछ शिकायतें हैं। समूह 'ग' के इंजीनियर स्वयं को वंचित होकर यह महसूस करते हैं कि छठे वेतन आयोग में तकनीकी कर्मचारियों की पूरी तरह से

[श्री एस.के. खारवेनथन]

अनदेखी की गई है क्योंकि समिति में कोई तकनीकी अर्हताप्राप्त इंजीनियर नहीं था और उन्होंने रेलवे में समूह 'ग' की इंजीनियरों को नर्सों और अध्यापकों के समकक्ष करने के लिए विसंगति समिति में किसी इंजीनियर को नामनिर्दिष्ट करने का अनुरोध किया है क्योंकि समूह 'ग' इंजीनियर रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों संबंधी, अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

* **श्री हरिभाऊ जावले** (जलगांव) : महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे रेलवे की अनुपूरक मांगों संबंधी चर्चा पर बोलने का अवसर दिया।

मैं महाराष्ट्र और मेरे निर्वाचन क्षेत्र जलगांव में नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं। हाल ही में हमारी राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल ने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के साथ मध्य रेलवे, भुसावल मंडल से चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। हाल ही में शुरू की गई रेलगाड़ियों में अमरावती–मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अमरावती–सूरत फास्ट पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं श्री लालू जी से अनुरोध करता हूं कि अमरावती–सूरत ट्रेन को अहमदाबाद तक, भूसावल–सूरत पैसेंजर को अहमदाबाद तक और जामनगर–नंदूरबाद ट्रेन को भूसावल तक विस्तारित किया जाए ताकि गुजरात राज्य के सुदूर क्षेत्रों से जलगांव और बुलढ़ाना जिले में अपने पैतृक गांवों की यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। मैंने अहमदाबाद और भूसावल तक विस्तारण के संबंध में माननीय मंत्री जी को भी एक पत्र भेजा है।

जनता और स्थानीय राजनेताओं ने समय–समय पर भुसावल से मुंबई सीएसटी तक एक ट्रेन शुरू करने के लिए तत्कालीन कार्यवाहक संसद सदस्य के माध्यम से कई बार प्रश्न उठाया है। भूसावल मंडल में जलगांव और बुलढाना जिले से अनेक लोग व्यवसाय अथवा अन्य कार्यों के लिए विभिन्न जगहों पर जाते हैं। हाल में अमरावती–मुंबई नई सुपरफास्ट ट्रेन को आरंभ कर लोगों की मांग काफी हद तक पूरी की गई है और मांग की पूर्ति हेतु मैंने पत्र सं. एमपी एचएम/जे/0162/2008, दिनांक 11.3.2008 द्वारा माननीय श्री लालू जी से एक थ्री टायर एसी कोच, दो स्लीपर कोच और दो सामान्य श्रेणी कोच उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

मैंने सभा के माध्यम से गोवा एक्सप्रेस (2779/2780) और कर्नाटक एक्सप्रेस (2627/2628) के लिए एक–एक प्रथम श्रेणी एसी कोच उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।

मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि नांदुरा और बोडवाड स्टेशन पर कुछ अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और नागपुर–पुणे (2136/2135), आजादहिंद एक्सप्रेस (2130/2129); गोंडवाला एक्सप्रेस (2405/2406) बिलासपुर–पुणे (2850); नागपुर–पुणे गरीब रथ (2114) और नई शुरू की गई अमरावती–मुंबई सीएसटी (2112/2111) ट्रेनों का इन स्टेशनों पर ठहराया जाए।

मैं लोको कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान की विसंगतियों को माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं और माननीय लालू जी से अनुरोध करता हूं कि इन लोको कर्मचारियों के वेतनमान का उन्नयन करने के लिए इस पर सकारात्मक विचार किया जाए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि सेवा कार्यघंटों के दौरान स्थायी स्वास्थ्य हानि की प्रतिपूर्ति हेतु कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाएं। इस संबंध में यह देखा गया है कि पहले और दूसरे वेतन आयोग के आरंभ में सहायक लोको पायलट का ग्रेड गार्डों की तुलना में आरंभ में अधिक और ग्रेड के अंत में कम था। जैसे–जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वेतनमान उल्टा होता जाता है और एएलपी की तुलना में गार्डों (ग्रेड के शुरू और अंत में) के लिए काफी अधिक हो जाता है। ग्रेडों में ऐसा प्रतिक्रम किन कारणों से है।

***श्री सनत कुमार मंडल** (जयनगर) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि सोनारपुर–कैनिंग खंड, दक्षिण सियालदह पूर्व रेल सहित सोनारपुर एवं घुटियारी शरीफ स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है। किंतु घुटियारी शरीफ और कैनिंग रेलवे स्टेशनों के बीच रेल खंड पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के दूसरे चरण का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है।

इस खंड पर दोहरी लाइन सुविधा नहीं होने के कारण इस भाग के दैनिक यात्रियों को पहले की ही तरह काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कैनिंग स्टेशन सुन्दरवन का प्रवेश द्वार है। सुन्दरवन द्वीपों का समूह है जो इस ग्रह का सबसे बड़ा डेल्टा है, घने मैंग्रोव जंगल, प्रसिद्ध रायल बंगाल टाइगर हैं जो प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर में देशी–विदेशी सैलानियों को आकर्षित करता है और इससे देश को विदशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसीलिए, कैनिंग तक लाइन के दोहरीकरण के दूसरे चरण के कार्य को जल्द से जल्द

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

पूरा करना अत्यावश्यक है। इससे इस क्षेत्र के साथ रेलवे की आय में निश्चित तौर से वृद्धि होगी। कैनिंग स्टेशन तक लाइन को दोहरा नहीं किए जाने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और यदि इसे पूरा कर लिया जाता है तो इससे रेलवे के राजस्व में और अधिक वृद्धि होगी।

सुन्दरवन के प्रवेश द्वार के कारण कैनिंग रेलवे स्टेशन में देश और विदेश के हजारों लोग आते हैं, इसलिए इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में बनाए जाने की घोषणा की गयी है। तथापि, कई विकासात्मक कार्य को युद्ध स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। कैनिंग स्टेशन के आस-पास हुए अतिक्रमण को स्थाई रूप से हटाया जाना है क्योंकि पूर्व में हटाए गए अतिक्रमणकारियों ने पुनः वहां अपना कब्जा कर लिया है। वहां के मंडल रेल प्राधिकारियों को यह अनुदेश दिया जाए कि वे कैनिंग स्टेशन के आस-पास के अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।

घुटियारी शरीफ एक तीर्थ स्थल है जहां देश के विभिन्न भागों से मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक कार्य से वर्ष में तीन बार जाते हैं। घुटियारी शरीफ से कैनिंग बीच के दूसरे चरण के कार्य के पूरा होने से यातायात सुचारु हो जाएगा। इसके अतिरिक्त घुटियारी शरीफ और कैनिंग के बीच केवल दो स्टेशन ही हैं और ये भी थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अवस्थित है, इसलिए दूसरे चरण के कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाए गए तो, यातायात सुचारु हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह बेरूईपुर-जयनगर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सुन्दरवन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सुन्दरवन में उल्लिखित रेलवे से संबंधित कार्यों को कराएं।

* **श्रीमती के. रानी** (रासीपुरम) : माननीय महोदय, मैं इस रेल बजट को पूरे दिल से अपना समर्थन देती हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने इस वर्ष के शुरूआत में अभूतपर्वू रेल बजट प्रस्तुत करने का वृहत कार्य किया है, यह बजट जनमुखी है और सदन के सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया है उन्होंने आम जनता के लाभार्थ और अनेक कदम उठाए हैं।

उन्होंने सभी श्रेणियों के यात्रा किराए में कमी की है जिसका सभी ने स्वागत किया है। अन्य स्वागतयोग्य कदम वातानुकूलित डिब्बों में गरीब लोगों की यात्रा के लिए आठ नई 'गरीब रथ' ट्रेनों को चलाया जाना है। यहां मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि दिल्ली से चेन्नई के बीच चलने वाली 'गरीब रथ' ट्रेन सोमवार को चलती है जो कि एक कार्य दिवस है जिसके परिणामस्वरूप चेन्नई तक जाने वाले यात्रियों के लिए यह असुविधाजनक है।

मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि कृपया वे शुक्रवार अथवा शनिवार को एक और ट्रेन को चलाने संबंधी प्रस्ताव संस्वीकृत करने पर विचार करें और इसे सप्ताह में एक दिन के बजाए दो दिन चलाएं।

मैं नवसृजित सेलम मंडल में विकास संबंधी कार्य हेतु निधि संस्वीकृत करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभारी हूं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आबंटित निधि इस मंडल की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि पर्याप्त निधि तत्काल आबंटित की जाए ताकि लंबित कार्य में तेजी आए और यह जल्द पूरा हो।

आपातकालीन कोटे से 'टिकट जारी' किए जाने के संबंध में मैं कुछ कहना चाहती हूं। संसद सदस्य होने के नाते हम 'आपातकालीन कोटे' के तहत रेल आरक्षण हेतु डीसीएम कार्यालय, सेलम को सीट/बर्थ देने के लिए मांग पत्र भेजते हैं। किंतु आश्चर्य कि उस कार्यालय में संबंधित अधिकारियों द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती और टिकट की संपुष्टि नहीं होने के कारण अप्रिय स्थिति पैदा हो जाती है।

इसके अतिरिक्त जब हम मंडल कार्यालय में अग्रिम फोन करते हैं तो अधिकांश समय फोन उठाया नहीं जाता है। इसके अलावा हमें यह स्थिति देखकर भी धक्का लगा है कि फैक्स मशीन को बंद कर दिया जाता है और हमें कह दिया जाता है कि फैक्स नंबर अक्सर बदल दिया जाता है जिससे हमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे कृपया जल्द ही इस मामले का समाधान करें।

एक अंतिम किंतु बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं यहां उठाना चाहूंगी यह सेलम-करूर के बीच बड़ी लाइन परियोजना से संबंधित है जो बिना किसी समाधान के बहुत दिनों से लंबित पड़ी है। यह बड़ा ही छोटा रेल खंड है जो मात्र 80 किमी का है किंतु कई कारणों से इसमें अनुचित रूप से देरी हो गई है। मैंने इसी सदन में अनेक बार इस मामले को उठाया भी है। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि इस वर्ष के बजट में भी इसके लिए किसी प्रकार का आबंटन नहीं किया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हू

* भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्रीमती के. रानी]

कि वे कृपया इस परियोजना के लिए और अधिक निधि आबंटित करें, शीघ्रता से सभी लंबित मुद्दों को सुलझाएं और इस परियोजना को शीघ्र पूरा कराएं ताकि लोगों को लाभ पहुंचे।

मैं इस अनुपूरक बजट का पुनः समर्थन करती हूं और इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिए जाने के लिए पीठाध्यक्ष का धन्यवाद करती हूं।

[हिन्दी]

*श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : महोदय, जब से श्री लालू प्रसाद यादव जी, रेल मंत्री बने हैं, रेल मंत्रालय आंकड़ों की बाजीगरी का केन्द्र बन गया है। रेलवे का विकास सिर्फ घोषणाओं तक सिमट कर रह गया है और यह घोषणाएं भी क्षेत्रों के पिछड़ेपन और आवश्यकताओं के आधार पर न होकर, राजनैतिक व दलगत आधार पर हो रही है। इसका दुष्परिणाम यह है कि जन क्षेत्रों में रेलवे विकास की धुरी बन सकता था वे क्षेत्र उपेक्षा की पीड़ा सह रहे हैं। विकसित देशों में जहां रेल यात्रियों को कम समय में बेहतर सुविधाओं के साथ परिवहन का आधुनिकतम साधन बनी हैं वहीं हमारे देश में रेल असुरक्षित व कष्टदायक यात्रा का प्रतीक बनता जा रहा है। महोदय, ट्रेनों में लूटपाट, चोरी, हत्या और बलात्कार जैसी घटनायें बढ़ती जा रही हैं। रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां इनको रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। चोर, डाकुओं और मुजरिमों से निपटने के बजाय आर.पी.एफ. जैसी एजेंसियां इसी सदन के सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार के साथ क्रूरता से मारपीट कर रही हैं। अध्यक्ष जी, पूरे देश ने टेलीविजन के माध्यम से यह दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखा है लेकिन अफसोस है कि ऐसी घटना होने पर बात-बात पर बयानबाजी करने वाले रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा।

महोदय, रेल मंत्रालय के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का खामियाजा मध्य प्रदेश को सर्वाधिक भुगतना पड़ा है और मध्य प्रदेश में महाकोशल क्षेत्र जिसका मुख्यालय जबलपुर है आजादी के बाद से अभी तक भी रेल के सार्थक विकास का रास्ता देख रहा है।

सिर्फ रेलवे की बेहतर सुविधायें न होने के कारण मध्य प्रदेश की राजधानी न बन पाने वाला यह क्षेत्र अभी भी अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहा है।

मैं बताना चाहता हूं कि महोदय कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जबलपुर गोंदिया गेज परिवर्तन। बरसों की मांग के पश्चात् माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृत कर लगभग 265 किमी. लंबी और उस समय 511.86 करोड़ रुपये लागत वाली इस योजना के लिए 109.32 करोड़ रु. की राशि प्रदान की थी। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आई इस परियोजना की उपेक्षा शुरू हो गई है। इसका प्रमाण है इस परियोजना की दी गई राशि जो 2004-06 में 38.06 करोड़ वर्ष 2005-06 में 25 करोड़ रु. रुपये दिए गये। इसके पश्चात् मेरे द्वारा बार-बार रेल मंत्री महोदय व चेयरमैन रेल बोर्ड से आग्रह करने पर 2006-07 में 57.40 करोड़ रुपये तथा इसके पश्चात् जबलपुर में आंदोलन व रेल महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव करने के पश्चात् 2007-08 में 80.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।

महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय रेल मंत्री जी के जबलुपर आगमन पर बहुत विस्तार से मैंने मंच पर ही रेल मंत्री जी को इस परियोजना का महत्व व जबलपुर सहित सम्पूर्ण महाकोशल क्षेत्र की आवश्यकताओं की विस्तार से जानकारी दी थी। माननीय मंत्री जी ने इन सबको सुनने के बाद उसी मंच से ही घोषणा की थी कि 2010 तक यह परियोजना पूर्ण कर दी जायेगी। लेकिन अपनी ही घोषणा को गलत साबित करते हुए माननीय मंत्री जी ने इस परियोजना के लिए वर्ष 2008-09 में मात्र 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। मैं जानना चाहता हूं महोदय कि यह सारी राशि जोड़ने पर भी परियोजना की कुल लागत में से 162 करोड़ रुपये की राशि शेष बचती है जबकि परियोजना की लागत निश्चित रूप से बढ़ चुकी हैं और उसका अंतर अलग से चाहिए होगा तो क्या रेल मंत्री जी यह सारी राशि 2009-10 में प्रदान कर सकेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसा नहीं हो सकेगा इसका मतलब रेल मंत्री जी ने जबलपुर में झूठी घोषणा की थी।

मान्यवर, लोक सभा में लगातार मैं प्रत्येक बजट या अनुपूरक मांगों में रेल संबंधित अपनी मांगों को उठाता आ रहा हूं। मेरा यह भी आरोप है कि इस परियोजना की वर्तमान लागत के संबंध में भी रेल मंत्रालय व रेल प्रशासन गलत जानकारियां देकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है।

रेल मंत्रालय द्वारा जबलपुर व महाकौशल क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में मैंने कटनी से जबलपुर तक पदयात्रा की थी जिसका समापन हल्ला बोल रैली के रूप में जबलपुर में महाप्रबंधक कार्यालय के घेराव के साथ हुआ था। इस रैली में लगभग 30 हजार महिलाओं और पुरूषों ने एकत्रित होकर अपने आक्रोश को प्रकट किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय इस रैली के परिणामस्वरूप

* भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

हमारी मांग के अनुसार जबलपुर मुम्बई तक ही ट्रेन तथा कटनी जबलपुर इटारसी पैसेंजर ट्रेन की घोषणा भी रेल बजट में कर दी गई, लेकिन आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा बैकलाग बहुत ज्यादा है इसलिए मात्र इतने से ही जबलपुर व महाकौशल का विकास नहीं हो सकता।

इसलिए महोदय गेज परिवर्तन के कार्य की पूर्णता हेतु लागत के वास्तविक आंकड़े मंत्रालय सामने लाये और एक साथ बची हुई सारी राशि इस योजना हेतु प्रदान की जानी चाहिए। मैं रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं इस परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता भी मध्य प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित कर दी है।

अब गेज परिवर्तन का यह कार्य शीघ्र पूरा हो इसके लिए इसकी कार्यपालन एजेंसी जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है और जिसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है, के स्थान पर इसकी एजेंसी पश्चिम मध्य रेल जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, को बनाया जाये ताकि कार्य की गति तीव्र हो सके।

माता वैष्णों देवी दर्शन के लिए जबलपुर से जम्मू तक की ट्रेन जो सप्ताह में मात्र एक दिन चल रही है कम से कम सप्ताह में चार दिन चलायी जाये।

जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में लाखों सिख धर्मावलम्बी रहते हैं अतः जबलपुर से अमृतसर के बीच एक सीधी ट्रेन चलायी जाये।

महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र में जबलपुर और कटनी दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेशन हैं और मैं पिछले वर्षों से लगातार मांग कर रहा हूं कि जबलपुर और कटनी स्टेशन को आई.एस.ओ. 9001 सर्टिफिकेट दिया जाये। लगभग 20 लाख आबादी वाले शहर जबलपुर में भेड़ाघाट से खमरिया के बीच लोकल ट्रेन चलायी जाये जिसके लिए आवश्यक रेल पथ पहले से ही विद्यमान है।

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट को सर्व सुविधायुक्त पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये।

महोदय, जबलपुर शहर की आबादी के दबाव को मुख्य स्टेशन पर कम करने शहर के दूसरे छोर पर स्थित कछपुरा स्टेशन को सर्वसुविधा युक्त यात्री स्टेशन के रूप में मदन महल स्टेशन को हबीबगंज (भोपाल) स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने का कार्य शीघ्र हो।

मध्यप्रदेश सम्पर्क क्रांति ट्रेन को जबलपुर से दिल्ली के बीच यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रतिदिन चलायी जाये।

* भाषण हिन्दी-पटल पर रखा गया।

जबलपुर में बंग भाषियों की संख्या अत्यधिक है अतः जबलपुर से कलकत्ता तक एक सीधी ट्रेन चलायी जाये साथ ही जबलपुर से प्रारंभ होकर इलाहाबाद-छपरा होते हुए सिवान तक एक नई ट्रेन चलायी जाये जिससे जबलपुर में निवासरत बहुत बड़ी संख्या में बिहार व उत्तरप्रदेश के निवासियों को आसानी हो सके।

महोदय, जबलपुर से बैंगलोर के बीच एक नई ट्रेन की अत्यधिक आवश्यकता है। पिछले दो वर्षों से लगातार पश्चिम मध्य रेल जोन कार्यालय से यह प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जा रहा है तिरूवनंतपुरम के लिये सीधी ट्रेन चलायी जाये एवं गाड़ी क्रमांक 6360 राजेन्द्र नगर एर्णाकुलम जो सप्ताह में एक दिन चलती है, को तिरूवनंतपुरम तक प्रतिदिन चलाया जाये। जबलपुर से गोवा तक सप्ताह में एक या दो दिन ट्रेन चलाई जाएं।

रेल मंत्री जी से मेरी अपेक्षा है कि पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। जबलपुर पूर्वी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है अतः रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय भी जबलपुर में खोला जाये।

पूरे देश में रेल मार्ग का विद्युतीकरण हो रहा है, किन्तु इटारसी-जबलपुर-कटनी रेल मार्ग लगातार मांग और आवश्यकता के बाद भी उपेक्षित है। इस मार्ग का विद्युतीकरण का कार्य तत्काल प्रारंभ करने हेतु निर्णय लिया जाये।

जबलपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलम्बी निवास करते हैं जिनकी आस्था का केन्द्र अजमेर है। अतः जबलपुर-जयपुर एक्सप्रेस को अजमेर तक बढ़ाया जाये।

महोदय, जबलपुर के उपनगरीय क्षेत्र पन्नागर स्टेशन पर यात्री सुविधायें नगण्य हैं। इस स्टेशन पर महाकौशल, रेवाचंल, शक्तिपुंज, अमरकंटक, जनता एक्सप्रेस तथा जबलपुर-रीवा लिंक सिटी के स्टॉपेज दिये जायें।

पन्नागर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित किया जाये।

मैं रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सिहोरा जबलपुर जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवीन औद्योगिक क्षेत्र व एस. ई.जेड. की घोषणा भी हो चुकी है अतः यातायात के दबाव को देखते हुए खितौला रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाया जाये।

सिहोरा स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली स्वीकृत होने के पश्चात् भी यू.टी.एस. प्रणाली अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है, इसे शीघ्र पूर्ण किया जाये।

[श्री राकेश सिंह]

गोंडवाना एक्सप्रेस दिल्ली से जबलपुर पहुंचते समय इसका स्टॉपेज व अमरकंटक एक्सप्रेस सहित महानगरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी सिहोरा में दिया जाये।

सिहोरा स्टेशन से लगी हुई 123 एकड़ भूमि रेलवे की है जिसका उपयोग जबलपुर से प्रारंभ होने वाली गाड़ियों के रखरखाव व बोगियों की मरम्मत के लिए कारखाने स्थापित करने तथा कामर्शियल, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य विभागों से संबंधित स्टेशनरी आदि की छपाई हेतु कारखाना स्थापित करने में किया जाना चाहिए।

महोदय, कटनी रेलवे स्टेशन देश का एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन है। अतः इस रेलवे स्टेशन का आई.एस.ओ. 9001 प्रमाणीकरण के अनुरूप विकसित किया जाये। इस क्षेत्र में मार्बल उद्योग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। अतः कटनी से कोटा–चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर तक एक नई ट्रेन चलायी जाये।

कटनी से बिलासपुर के बीच एक इंटर सिटी एक्सप्रेस की अत्यंत आवश्यकता है। इंदौर–बिलासपुर ट्रेन का स्टॉपेज कटनी स्थित माधव नगर स्टेशन पर दिया जाये।

महोदय, स्लीमनाबाद स्टेशन को यात्री सुविधाओं के अनुकूल सर्वसुविधायुक्त स्टेशन बनाया जाये। इस स्टेशन पर जबलपुर–रीवा इंटरसिटी, वीना–भोपाल साथ ही जबलपुर–लखनऊ चित्रकूट एक्सप्रेस का स्टॉपेज प्रारंभ किया जाये।

महोदय, दमोह की दूरी 110 कि.मी. है और इस मार्ग पर रेल मार्ग उपलब्ध नहीं होने से कटनी से दमोह होकर यह ट्रेन मार्ग से तय करना होता है जो लगभग 210 किमी. है। यदि जबलपुर से दमोह के बीच रेल मार्ग उपलब्ध हो तो सभी रेलों को 10 किमी. की दूरी कम तक करनी होगी। इसका सर्वे का कार्य भी पूर्ण हो चुका है अतः इस कार्य को स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें साथ ही दमोह से कुण्डलपुर के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जबलपुर व महाकौशल क्षेत्र की जनता ने आजादी के बाद से अभी तक रेलवे द्वारा लगातार उपेक्षा के बाद भी अत्यधिक संयम व धैर्य का परिचय दिया है, किन्तु निरन्तर हो रही उपेक्षा व रेल मंत्री जी की अपनी ही की गयी घोषणाओं पर अमल नहीं होना जनता के आक्रोश को और बढ़ा रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी जबलपुर की जनता के धैर्य की और अधिक परीक्षा नहीं लेते हुए अपनी ही घोषणानुसार जबलपुर–गोंदिया ब्रॉडगेज के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करते हुए वास्तविक आंकड़े जनता के सामने रखेंगे तथा वर्ष 2010 तक इस कार्य को पूर्ण करने ठोस व व्यवहारिक कदम उठायेंगे।

मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगे पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के. सुब्बारायण** (कोयम्बटूर) : महोदय, नई बड़ी लाइनें बिछाने और आमान परिवर्तन के कार्य के लिए आबंटित की गई धनराशि नियत समयावधि के अन्दर परियोजना को पूरी करने के लिए वास्तविक अनुमानित अपेक्षित राशि की तुलना में बहुत कम रहती है। विल्लुपुरम और कटपादी, तिरूचि–नागोर–कराईकल, मनमदुरै–विरूदनगर आदि के बीच पहले से ही प्रारंभ हो चुकी परियोजनाओं और प्रस्तावित नेल्ली–थेनकासी और मदुरै–बोदी आमान परिवर्तन का कार्य निरूद्ध होगा और वित्त की कमी की वजह से काफी पिछड़ जाएगा क्योंकि बजटीय सहायता अपेक्षित अनुमानित लागत से बहुत कम है। उदाहरण के लिए, विल्लुपुरम और कटपादी के बीच आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 276 करोड़ रुपये है जबकि मात्र 121 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है; तिरूचि–नागोर–कराईकल, परियोजना, जिसका कार्य तिरूवरूर तक पूरा हो गया है, को पिछले वर्ष के 281 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 50 करोड़ और दिए गए हैं और अब भी लगभग 120 करोड़ रुपए की और आवश्यकता पड़ेगी; मनमदुरै–विरूदनगर परियोजना का कार्य तभी पूरा किया जा सकेगा जब 60 करोड़ रुपए की दी गयी सहायता के अतिरिक्त 84 करोड़ रुपए का आबंटन और किया जाए। मैं प्रस्तावित लागत के विरूद्ध किए गए आबंटन की समीक्षा करने और निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की आपसे अपील करता हूं।

इसके अतिरिक्त, मैं नई चलाई गई 'गरीब रथ' और कुम्बकोणम–कोयम्बटूर जनशताब्दी, के विस्तार जिसे कोयम्बटूर और तिरूप्पुर स्टेशनों पर हाल्ट देने से वहां के लोगों को लाभ होगा, जैसी कुछ सौगातों को छोड़कर अपने महत्वपूर्ण और श्रमसाध्य कार्य में कोयम्बटूर क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अलग–थलग रखने की बात से व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक व्यथित हुआ हूं। कोयम्बटूर एक वाणिज्यिक केन्द्र है जहां तीव्र गति से अत्यधिक आर्थिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र की वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों में कई गुना वृद्धि के कारण कोयम्बटूर और डिण्डीगुल के बीच आमान

* भाषण समा–पटल पर रखा गया।

परिवर्तन जैसी प्रतिज्ञात परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किये जाने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप इस क्षेत्र हेतु कोई नयी योजनाएं नहीं हैं और साथ ही काफी परिकल्पित कोयम्बटूर–डिण्डीगुल आमान परिवर्तन हेतु दी गई बजटीय सहायता राशि निराशाजनक है, जिससे इसके कभी न पूरा होने का डर पैदा होता है।

224.88 किमी. लम्बी इस विशेष परियोजना की घोषणा को कोयम्बटूर क्षेत्र की जनता ने काफी राहत और उत्साह के साथ स्वीकार किया जिससे कि यात्रियों और वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बढ़ती हुई आवश्यकताओं के प्रति भारतीय रेल की प्रतिबद्धता पर पुनः विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दिया। परन्तु इस परियोजना को दी गई बजटीय सहायता बहुत निराश करती है। वर्ष 2006 में एक करोड़ रुपए के आबंटन और तदनंतर 2007 में 30 करोड़ रुपए के आबंटन और इस बजट में 65 करोड़ रुपए की बिल्कुल नगण्य सहायता की घोषणा से अपने अनिवार्य कार्यों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय के उदासीन रवैये की बात ही उजागर होती है। परियोजना की अनुमानित लागत 613.61 करोड़ रुपए है और इसकी तुलना में किया गया आबंटन नगण्य है।

इसे आपके द्वारा सावधानीपूर्वक और तत्काल विचार करने हेतु प्रस्तुत करते हुए मैं एकबारगी आबंटन के रूप में कोयम्बटूर–डिण्डीगुल आमान परिवर्तन की इस परियोजना हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की समीक्षा करने का निवेदन करता हूं ताकि इस क्षेत्र की सर्वाधिक पूर्वाधिकृत आवश्यकता को 31.03.09 से पहले हर हाल में पूरा किया जा सके जोकि देश में एक प्रधान वाणिज्यिक और आर्थिक केन्द्र के रूप में तेजी से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र की निम्नलिखित अपेक्षाओं को तत्काल प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाए ताकि पर्याप्त और समुचित अवसंरचना के अभाव से उत्पन्न कठिनाई को कम किया जा सके। कोयम्बटूर, उत्तरी जंक्शन और इरूगुर के बीच ट्रैक का दोहरीकरण कार्य 31.3.09 से पहले पूरा करने के लिए शीघ्रता से किया जाए।

कोयम्बटूर के तेजी से विकसित होते हुए शहर में बढ़ते यातायात भीड़–भाड़ का समाधान करने के लिए, शहर के चारों ओर सर्कुलर रेलपथ और कोयम्बटूर तथा तिरूप्पुर के बीच शटल रेल सेवा और पलोलाची पलाक्काड–मेट्टपलयम में यात्री सेवाएं प्रारंभ की जानी चाहिए।

तिरूप्पुर को अपने बढ़ते हुए हौजरी और वस्त्र निर्यातों के साथ "डॉलर सिटी" के रूप में विश्व–पटल पर चिन्हित किया गया है। कन्जीयम और वेल्लाकोइल के माध्यम से तिरूप्पुर और करूर के बीच एक नये रेल संपर्क से तिरूप्पुर और तूथूकुडी पत्तन के बीच एक छोटी दूरी का मार्ग बन जाएगा और एक प्रभावकारी यात्री सुविधा के अतिरिक्त एक स्वंतत्र वाणिज्यिक मालवहन को सुकर बनाने में सहायक होगा।

एन एच 209 पर ईचानारी के समपार को हटाकर एक रेल उपरिपुल की तत्काल आवश्यकता है ताकि कोयम्बटूर के मुख्य मार्ग, जो इसे दक्षिणी जिलों से जोड़ता है, पर भीड़–भाड़ कम करने में सुगमता हो सके। अवरमपलयम रेल समपार पर एक आर ओ बी के लिए गंभीर रूप से तत्काल विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अत्यधिक विकास के कारण रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों के मद्देनजर कोयम्बटूर के लिए नई रेलगाड़ियां बढ़ती हुई आवश्यकता बन गई हैं। कोयम्बटूर–इरोड, कोयम्बटूर–मेट्टूपलयम, कोयम्बटूर–पलक्काड, पोडानुर–पोल्लाची के बीच निरन्तर अथवा हर घंटे पर रेल सेवा प्रारंभ की जानी चाहिए।

कोयम्बटूर को कुड्डालोर, नागापट्टीनम, तिरूवरूर, पुडुकोट्टै, शिवगंगै और रामन्नथपुरम से जोड़ने वाली नई पैसेन्जर ट्रेन सेवा, कोयम्बटूर से तिरूपति और तिरूवनन्तपुरम तक के लिए पैसेंजर सेवा, और कोयम्बटूर से बंगलौर तक अलग से रात्रि ट्रेन सेवा प्रारंभ किए जाने के बारे में पूरा ध्यान देते हुए तत्काल विचार किया जाए।

इसके अतिरिक्त, मैं आपसे कोयम्बटूर जंक्शन, कोयम्बटूर नार्थ जंक्शन, पीलामेडु स्टेशन, सिंगनालियर स्टेशन और पोडानुर जंक्शन को मास्टर प्लान विकास रणनीति के अंतर्गत सम्मिलित करने का निवेदन करता हूं। कोयम्बटूर स्टेशन पर प्लेटफार्मों के विस्तार, विशेष टिकट कांउटरों, अतिरिक्त प्रतीक्षालयों, और अधिक उपमार्गों और जलपान गृहों सहित एक अधुनातन अवसंरचना सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए।

बजट को देखने के पश्चात मैंने अपने अनुरोध रखे हैं जो, निसन्देह, आप मुझसे सहमत होंगे, अत्यावश्यक हैं। मैं आपसे इस बजट में ही वित्तीय सहायता से क्षेत्र की मांगों का कार्यान्वयन करने पर विचार करने की पुरजोर अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे निवेदन पर सही और सकारात्मक रूप से विचार करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

• **श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरन** (रामनाथपुरम) : महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के लिए आपका धन्यवाद।

• भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

सबसे पहले, मैं अपने सर्वाधिक आदरणीय नेता और द्रमुक पार्टी के प्रमुख डा. कलांइगर एन. करूणानिधि और हमारे युवा शाखा के थलपति थिरू एम.के. स्टालिन के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मानीय सभा में भेजा और चूंकि मुझे अपने दल की ओर से यह मौका मिला है, इसीलिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, रामनाथपुरम के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बोल सकती हूं। मैं पहले ही रामेश्वरम तक बड़ी लाइन की आवश्यकता के बारे में अपने विचार प्रकट कर चुकी हूं और माननीय रेल मंत्री लालू जी और रेल राज्य मंत्री थिरू वेलु ने हमारी मांग मानी है और भारत में रहने वाले लोग रामेश्वरम तक बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का उपयोग कर इसका लाभ उठा रहे हैं।

यहां पर मैं इस सम्मानीय सभा को बताना चाहती हूं कि बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के कार्य को किए जाने से पहले हमारे यहां कुछ और रेलगाड़ियां चल रही थीं जो यहां के लोगों के लिए बड़ी उपयोगी थीं। ये हैं (1) रामेश्वरम से चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस, (2) रामेश्वरम से चेन्नई एग्मोर मेल बरास्ता मायावरम, (3) रामेश्वरम से कोयम्बटूर एक्सप्रेस बरास्ता मदुरई तथा डिण्डीगुल और (4) रामेश्वरम से पालघाट पैसेंजर बरास्ता मदुरई और डिण्डीगुल (5) रामेश्वरम और त्रिची (6) रामेश्वरम से मदुरई एक्सप्रेस

कुछ दिनों पहले मैं माननीय वित्त मंत्री थिरू चिदम्बरम और माननीय राज्यमंत्री थिरू रघुपति के साथ रेल मंत्री थिरू लालू और रेल राज्य मंत्री थिरू वेलू से मिले थे और उनसे हमारे क्षेत्र में इन रेलगाड़ियों को शुरू करने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि रामेश्वरम से चेन्नई के बीच चलने वाली सेतु एक्सप्रेस इस क्षेत्र के मुख्य स्टेशनों पर उपयुक्त समय पर नहीं रूकती है।

मैं माननीय रेल मंत्री से यह भी अनुरोध करती हूं कि रामेश्वरम से वाराणसी तक और (2) रामेश्वरम से भुवनेश्वर तक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करें, जिसकी घोषणा पिछले बजट में की जा चुकी है।

हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में एक अवांछित युद्ध चल रहा है। हजारों शरणार्थी रोजाना रामेश्वरम आते हैं। हमें इन सभी ट्रेनों की आवश्यकता है ताकि इन शरणार्थियों को तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा सके।

मैं संप्रग सरकार से आग्रह करती हूं कि श्रीलंका में गरीब तमिलों और हमारे रामेश्वरम तटीय क्षेत्रों में मछुआरों की हत्या को रोकने के लिए तत्काल तथा अविलंब कदम उठाए।

इन शब्दों के साथ, मैं द्रमुक पार्टी की ओर से रेल संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

*श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : महोदय, रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के संबंध में हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आपने समय दिया। आभार व्यक्त करता हूं।

रेल मंत्रालय ने भारतवर्ष में प्रगति के नये आयाम देने में जो तेजी दिखाई है उसके लिए मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में प्राकृतिक रूप से विषमताओं को दूर करते हुए नई रेल परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिससे परिलक्षित होता है कि वास्तव में रेल मंत्रालय देश की कठिन से कठिन हालत में काम कर सकता है। इस मंदी के दौर में सभी विभाग विशेषकर उड्डयन मंत्रालय परेशान है, वहीं रेल मंत्रालय भारतीय नागरिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहा है।

माननीय रेल मंत्री जी आप भी कहते हैं वह करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे उन्नाव में चमड़े के कई कारखाने हैं तथा औद्योगिक नगर है। आपसे अनुरोध है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन उन्नाव से नई दिल्ली को प्रतिदिन चलाने का कष्ट करें, क्योंकि उन्नाव के यात्रियों को भटकते हुए कानपुर या लखनऊ से ट्रेनें पकड़नी पड़ती हैं।

[अनुवाद]

*श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं यहां पर रेल संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करना चाहता हूं। रेल विभाग, जो भारत में आम जनता के लिए परिवहन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है, प्रतिदिन 9 हजार ट्रेनें चला रहा है जो 8 हजार स्टेशन तक पहुंचती है और लगभग 1.4 करोड़ यात्रियों को ढो रही है और यात्रियों को सुरक्षित तथा भरोसेमंद रेल सेवा प्रदान करने तथा रेलगाड़ियों एवं रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने के लिए 'भारतीय रेल में यात्री सुविधाओं से संबंधित नागरिक चार्टर' में कई प्रतिबद्धताएं की गई हैं। इनमें रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनों दोनों पर साफ और स्वच्छ वातावरण का प्रावधान भी शामिल है। परंतु मुझे यह उल्लेख करते हुए दुख है कि भारतीय रेल विश्व की सर्वाधिक अस्वच्छ रेल सेवा ही इस समस्या से निपटने के लिए एक बार 'स्वच्छता अभियान' चलाया गया था और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था परंतु ज्यादा कुछ नहीं

* भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

किया गया। मानकों, कार्ययोजना तथा स्वच्छता के मानदंडों की अपर्याप्तता, स्वच्छता के लिए जिम्मेवार एक एकीकृत विभाग के नहीं होने और बहुत सारे विभागों के इस कार्य में शामिल होने, स्वच्छता संबंधी कार्य पर अपर्याप्त व्यय तथा कचरा प्रबंधन संबंधी कारगर नीति के नहीं होने से इतनी बुरी हालत हो गयी है। यहां तक कि आज इस 21वीं शताब्दी में भी स्वच्छता को दूसरे दर्जे की गतिविधि माना जाता है जिसे अनुरक्षण जैसी अन्य गतिविधियों के बाद स्थान मिलता है। क्यों नहीं जिस तरह से अनुरक्षण द्वारा कोच को अगली यात्रा के लिए फिर प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उसी प्रकार स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए भी अगली यात्रा के 'फिट' होने का प्रमाण दिया जाए। एक बार ऐसा किए जाने के बाद जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है। इसी प्रकार स्टेशन बिल्डिंग के बाहर तथा प्लेटफार्मों पर परिचालन क्षेत्र में, कोनकोर्स, प्रतीक्षा कक्षों, विश्राम कक्षों, प्रसाधन, प्लेटफॉर्म के पास की रेल लाइनों, पैदल उपरिपुल तथा नालों और सीवरों, स्टेशन परिसर के भीतर साफ-सफाई बनाए रखने की अविलंब आवश्यकता है। परंतु हरेक जगह इसकी कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी निगरानी के लिए कोई सुचारु तंत्र नहीं है। कचरा संग्रह तथा निपटान में त्रुटियां, अवसंरचना, यात्री सुविधाओं के प्रावधान में कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण सभी मिलकर स्थिति को और भी बदतर बना रही हैं। स्वच्छता की गतिविधियों में कई विभाग शामिल हैं और उनके बीच में समन्वय का अभाव है। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अनधिकृत व्यक्तियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश को रोकने में विफलता से समस्या और अधिक बढ़ गयी है। स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने पर व्यय के स्तर के आकलन या उस पर नियंत्रण के लिए रेलवे में कोई तंत्र नहीं है और न ही कचरा प्रबंधन पर कोई नीति है। रेलवे ने न तो कोई मानक या स्तर विकसित किया है और न ही रेलवे स्टेशनों, रेलगाड़ियों तथा पटरियों पर साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जोनल स्तर पर को मानदंड निर्धारित किया है। भारतीय रेल के साफ-सफाई और स्वच्छता के कार्य के लिए आप किन्हीं प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की सहायता क्यों नहीं लेते हैं? दिल्ली मेट्रो में अपनाई गई प्रणाली और पद्धति की दिल्ली के यात्रियों द्वारा सराहना की गयी है। क्या आप इन जांचे परखे उपायों में से कुछ को नहीं अपना सकते हैं? चूंकि साफ-सफाई और स्वच्छता को बनाए रखने और उसकी निगरानी के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, क्या आबंटन में वृद्धि या रेलवे स्वच्छता पर व्यय को प्राथमिकता दिए जाने की आशा की जा सकती है? पूर्व में मंत्रालय ने प्रत्येक डिवीजन में पांच स्टेशनों को चुनने और उन्हें आदर्श स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में क्या प्रगति है?

पहले भी मैंने बड़े स्टेशनों पर सी सी टी वी कैमरों को लगाए जाने का मुद्दा उठाया था। कितने स्टेशन सी सी टी वी कैमरे से सज्जित हैं? वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वे रेल परिसरों में स्वच्छता को बढ़ावा दिए जाने में प्रभावी है? क्या आपके पास रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के विनियमन के लिए कोई प्रभावी तंत्र है?

अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं। यह सुरक्षा से संबंधित है। हमें बार-बार बताया गया है कि कुल परिवहन में रेलवे का हिस्सा चौथी पंचवर्षीय योजना के 53 प्रतिशत से घटकर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 37 प्रतिशत रह गया है। 2004-05 में रेलवे ने 600 मिलियन टन माल ढोया जो रेलवे द्वारा अर्जित कुल राजस्व का 64 प्रतिशत है। इससे साबित होता है कि रेलवे के लाभप्रदता के लिए माल परिवहन के प्रचालनों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सुचारु यात्री तथा माल परिवहन के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और प्रभावी आधुनिक अवसंरचना की आवश्यकता है। यह केवल विद्यमान अवसंरचना के उन्नयन द्वारा ही किया जा सकता है जिससे यात्री और माल परिवहन में सुधार हो सकता है। अन्य वे सुविधाएं प्रदान कर रहा है जिनका उद्देश्य विशेष रूप से परिशुद्ध भाड़ा प्रचालनों हेतु अवसंरचना का निर्माण करना है। समुचित रख-रखाव, पटरियों के पुनः नवीकरण, और पुलों को सुदृढ़ बनाया जाना पहली श्रेणी में आते हैं जबकि और अधिक वैगनो और लोको इंजनों की प्राप्ति, उच्चतम भार लदानों को खड़ी रखने के लिए उपयुक्त नया रालिंग स्टॉक प्राप्त करना इत्यादि दूसरी श्रेणी में आते हैं। समर्पित फ्रेट कॉरीडोरों और उनके फीडर रूटों को भी सुदृढ़ बनाने और सुधारने की आवश्यकता है।

जब मुख्य योजना शीर्षों के अन्तर्गत व्यय एक ऐसा निवेश है जिसका उद्देश्य परिशुद्ध भाड़ा और यात्री सेवाओं हेतु अवसंरचना का निर्माण करना है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि यह रेलवे की आय के स्तर के समनुरूप क्यों नहीं है। अवसंरचना विकास हेतु भारतीय रेल द्वारा सृजित विभिन्न निधियों के माध्यम से प्रदान की गई धनराशि का उपयोग विगत वर्षों में पूर्णतया क्यों नहीं किया गया है? इस परिदृश्य में, रेलवे सुचारु भाड़ा परिचालनों के लिए एक ठोस, सुरक्षित और प्रभावी आधुनिक अवसंरचना की व्यवस्था कैसे करती है?

एक्सल भार में वृद्धि चिन्ता का विषय है। इस उद्देश्य से इस वृद्धि की अनुमति दी गई थी ताकि प्रति वैगन और अधिक टन भार ढोया जा सके जिसमें रेल इंजनों और अतिरिक्त वैगनों पर बचत के द्वारा प्रचालनों की इकाई लागत को कम किया जा सके। इन्हें रेलगाड़ी परिचालनों में समुचित रूप से सुरक्षा को सुनिश्चित

[श्री भर्तृहरि महताब]

करते हुए किया जाना था। नवम्बर 2009 से पहले वैगनों में सी सी + 2 टन (वजन क्षमता) तक लदाई करने की अनुमति थी जिसमें अनुमेय एक्सल लोड 20.32 टन माना जाता था। नवम्बर के बाद से, सी सी + 9 + 2 तक के लदान की अनुमति दी गई थी। मार्च और मई 2005 में 16 चिन्हित लौह–अयस्क रेल मार्गों (रूटों) पर इन वैगनों में C C + 8 + 2 टन तक भार लदान को ढोने की अनुमति दी गई। अतिरिक्त लदान 22.82 टन के अधिकतम एक्सल भार तक सीमित रखा जाना था। तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में किसी विशिष्टीकृत अभिकरण द्वारा बगैर किसी अध्ययन के यह किया गया था। आप कहते हैं कि यह निर्णय क्षेत्र (फील्ड) अनुभव के आधार पर लिया गया था। परन्तु क्या आप बढ़े हुए भार (लोड) के साथ मालगाड़ियाँ चलाने में समाविष्ट लागत निहितार्थ के बारे में अवगत हैं? क्या आपने लागत और अर्जन के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है? निसन्देह लदान में काफी अधिक वृद्धि हुई है परन्तु क्या आपने रेल पथ, रॉलिंग स्टॉक और पुलों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की समीक्षा की है? हमें बताया गया है भारतीय रेल के बी–ग्रेड मार्गों को सी सी + 6 मार्गों के रूप में अधिसूचित किया गया है। लौह–अयस्क मार्गों को सुदृढ़ किया गया है। परन्तु आपके यहां कितने मार्ग संकुलित है? दि. 1.4.2007 को 75 संकुलित पुलों की सूचना आपके रेलवे जोनों ने दी थी जिनमें से 55 को वर्ष 2007–08 के दौरान पुनः निर्माण करने का लक्ष्य था और तदनतर शेष पुलों का कार्य किया जाना था। क्या प्रगति हुई है? यह घोर निष्ठुरता है।

यह भी पाया गया है कि वैगनों में प्रति एक्सल 24.49 टन तक लदान होता था जबकि स्वीकृत लदान 22.82 टन प्रति एक्सल था। यह मध्य और दक्षिण पूर्व रेल पर पटरी दरारों और वेल्ड दरारों में परिणत हुआ। आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या आपने कोई जिम्मेदारी तय की है? क्या आपने त्रुटि करने वाले कर्मचारियों की खबर ली है? इसका एक भी उदाहरण हो तो बताइये? तथापि आप कहते हैं कि आप सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। क्या आपने रॉलिंग स्टॉक की मरम्मत और अनुरक्षण और इस प्रकार की मरम्मत के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय हेतु अपेक्षित अतिरिक्त व्यय का आकलन किया है? मार्च और मई, 2005 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियत मार्गों पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन बढ़े हुए लदान की अनुमति दी जानी थी। एक शर्त जोनल रेलवे पर व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर्स, जिन्हें डब्ल्यू आई एल डी कहा जाता है, का पर्याप्त संख्या में संस्थापन करना थी। डब्ल्यू आई एल डी के संस्थापन में विलंब क्यों किया गया है? इन सबसे यह साफ–साफ पता चलता है कि निरापद और भरोसेमन्द रेल सेवा मुहैया कराने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए हैं।

तीसरा पहलू यह है कि उच्च ब्याज दरों से मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं पर काफी खर्च बढ़ गया है। सरकार ने स्वीकार किया कि नए स्टेशनों जिन्हें उच्च विश्व स्तर का बनाया जाना है के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय प्राक्कलन में 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि होगी। नई दिल्ली और बंगलूरू के साथ भुवनेश्वर के स्टेशनों को चिन्हित किया गया था। परन्तु क्या प्रगति हुई है? आधुनिकीकरण कार्यक्रम विवाद में फंस गया है। कोई नहीं जानता है कि ये परियोजनाएं कब पूरी होंगी। चौथी बात, मानवरहित समपारों पर प्रतिवर्ष ही बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। क्या सरकार को पता नहीं है कि ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित हुई है जिससे रेलगाड़ी के आने पर फाटक स्वतः ही बंद हो सकते हैं। समपार को पार करने वाले पैदल पथिकों को श्रव्य प्रणाली के माध्यम से सचेत किया जा सकता है। यदि फाटक नहीं होगा तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। क्या सरकार द्वारा प्रायोगिक परियोजना के रूप में चुनिन्दा फाटकों को संचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया गया है? मैं सुझाव दूंगा, कतिपय मानवरहित फाटकों को चिन्हित कीजिए जहां इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता हो। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दुर्घटनाएं वर्ष 2006–07 में 72 से घटकर 2007–08 में 65 तक रह गयी हैं परन्तु यह अभी भी चिन्ता का कारण है क्योंकि देश में कुल 34 हजार 152 समपारों में से केवल 16 हजार 775 मानवरहित नहीं है। यद्यपि अधिकतर मानवरहित समपार फाटकों पर दुर्घटनाएं सड़क पर चलने वालों की असावधानी के कारण होती हैं इसलिए निःसन्देह जन–जागरूकता की आवश्यकता है, परन्तु नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र स्वचालित फाटकों के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

अब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की उस परियोजना पर आता हूं जिसका जिक्र बार–बार होता आया है अर्थात कटक में कथाजोड़ी नदी पर दूसरे पुल का निर्माण जो पूर्वी तट रेलवे के अन्तर्गत आता है। मुझे जानकारी दी गई है कि इंडोनेशिया की कंपनी, जो इस कार्य को कर रही थी, भाग गई है और अब इंजीनियरी की समस्या है जिसके कारण पुल निर्माण में विलंब हो रहा है। इसे इस वर्ष तक पूरा कर लिए जाने की बात थी परन्तु अब एक वर्ष से अधिक समय की आवश्यकता है। क्या मंत्री जी हमें आश्वासन दे सकते हैं, कि जब तक कथाजोड़ी नदी पर दूसरा पुल सही–सही किस तारीख और समय पर परिचालन में काम में

आने लगेगा।

कटक रेल स्टेशन की सैकण्ड ओपनिंग नहीं हुई है क्योंकि मुख्य मार्ग से कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। ऐसा किस प्रकार हो सकता है? मैं रेलवे से पहुंच मार्ग की भूमि शीघ्रातिशीघ्र अधिगृहीत करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का निवेदन करता हूं ताकि वह निवेश जोकि कटक रेल स्टेशन की द्वितीय ओपनिंग के लिए किया गया है सक्रिय हो।

* **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** (कराड़) : महोदय, कृपया मुझे अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दीजिए जो निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

रेलगाड़ी सेवा

1. कोल्हापुर–अहमदाबाद साप्ताहिक रेलगाड़ी की आवृत्ति को बढ़ाकर एक सप्ताह में तीन बार किया जाए।
2. कोल्हापुर–अहमदाबाद एक्सप्रेस का ठहराव कराड़ रेल स्टेशन पर करने को मंजूरी दी जाए।
3. वास्को–एच. निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस में कवेल एक 3ए बोगी है। दो और 3 ए बोगियों को जोड़ा जाए, चूंकि यह रेलगाड़ी शिरडी–तीर्थस्थान का दर्शन करने और गोवा के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने वाले उत्तर भारतीयों लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है।
4. कोल्हापुर–राजकोट हॉलीडे विशेष रेलगाड़ी को द्वारका (अर्थात् कोल्हापुर–द्वारका) तक और आगे बढ़ाते हुए एक साप्ताहिक रेलगाड़ी के रूप में नियमित आधार पर चलाया जाए।
5. पुणे–एरनाकुलम पूर्णा एक्एप्रेस का विस्तार त्रिवेन्द्रम अथवा कन्याकुमारी तक किया जाए।
6. कोल्हापुर–बंगलौर रानी चेन्नमा एक्सप्रेस को पुणे–बंगलौर रानी चेन्नमा एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाए।
7. कोल्हापुर–मुम्बई सहयाद्रि एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया जाए। रेलगाड़ी मुम्बई सुबह 9.00 बजे पहुंचनी चाहिए। मुंबई से कोल्हापुर तक वापसी यात्रा के समय में परिवर्तन नहीं किया जाए।
8. कोल्हापुर से पुणे–लखनऊ रेलगाड़ी चलाई जाए और उसका नाम शाहू एक्सप्रेस अथवा शाहू महाराज एक्सप्रेस अथवा करवीट एक्सप्रेस रखा जाए।

आधारभूत संरचना विकास

1. कराड रेलवे स्टेशन के माल चढ़ाने/उतारने वाले प्लेटफार्म पर वेदर शेड।
2. गोवा एक्सप्रेस जैसी 22 डिब्बों वाली एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा के लिए कराड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं.–2 का विस्तार।
3. पुणे–मिराज–कोल्हापुर रेल खंड का दोहरीकरण।
4. कराड–चिपलुन के बीच नई बड़ी रेल लाइन संबंधी सर्वेक्षण के कार्य में तेजी लाना।

* **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर) : मेरी मांग मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि क्या रेलवे ने रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण, विकास और आधारभूत संरचना विस्तार के लिए उच्च प्राथमिकता वाली कार्य योजना को निरूपित करने का प्रस्ताव किया है।

मेरे अनुरोध किए जाने के बावजूद सत्यनगर और साहिदनगर पर फ्लाईओवर और साथ ही भान्जेस्वर के बीरोसुरेन्द्रसाई नगर में फ्लाई ओवर के कार्य में अत्यधिक देरी हो गयी है। लेवल क्रॉसिंग के कारण वहां अधिक लोग हताहत हो रहे हैं और ट्रैफिक की भीड़ इतनी अधिक है कि एक ओर से दूसरी ओर पार करना बहुत ही कठिन होता है और इसमें घंटों लग जाते हैं।

इसीलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसकी संस्वीकृति तत्काल दी जाए। जब मैं रेल संबंधी स्थायी समिति का सदस्य था तो बार–बार अनुरोध के बाद ही मेरे संसदीय क्षेत्र में पूर्वी तट जोन के नए भवन का निर्माण पहले ही हो पाया है। इसे पूर्ण जोन बनाया जाना है और मुख्य मंत्री के साथ परामर्श करके भवन का उद्घाटन किया जाना है।

लोगों द्वारा आंदोलन किए जाने के बाद भी खुरदा–बोलनगीर रेलवे संपर्क लाइन के कार्य में अत्यधिक देरी हो रही है। केन्द्र सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। दक्षिणी उड़ीसा से उत्तरी उड़ीसा के बीच केवल एक ही संपर्क रेल लाइन है। यह रेलवे संपर्क लाइन आदिवासी, अनुसूचित जाति और दलितों के क्षेत्र से होकर गुजरती है। राज्य सरकार ने रेलवे द्वारा दी गई सेवा और राज्य–वार ब्यौरा पहले ही सौंप दी है। उड़ीसा राज्य में रेलवे संपर्क लाइन उपेक्षित रही है। इसलिए, रेलवे के रिकार्ड में हमारी आय सबसे अधिक है और केन्द्र को हमने सबसे अधिक राजस्व दिया है।

मंत्री जी ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

[डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

बनाए जाने के लिए पहले ही आश्वासन दे चुके हैं और यही उचित समय है कि कार्य तत्काल शुरू किए जाए तथा रेलवे के मामले में अखिल भारत स्तर पर स्वतन्त्रता पश्चात हमारे राज्य की अत्यधिक अनदेखी की गई है।

*श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं वर्ष 2008–09 के लिए रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं रेल के बेहतरीन कार्य निष्पादन के कारण ही इसका समर्थन कर रहा हूं। इसके कार्य निष्पादन में आमूल–चूल परिवर्तन आया है। यह 35,000 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि 76 के परिचालन अनुपात और 25,000 करोड़ रुपए के नकदी शेष से प्रदर्शित होता है। कई नए उपाय किए गए है यथा, मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर डेहरी ऑनसोन एवं पटना के बीच एक दैनिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलायी गई, बिहटा तक के एक मात्र रेल लाइन का सर्वेक्षण, गया और नई दिल्ली के बीच महाबोधि एक्सप्रेस में पेन्ट्री कार दिया जाना आदि है। सबसे महत्वपूर्ण, जम्मू और कश्मीर में रेल लाइन का उद्घाटन एक बेहतरीन असाधारण कार्य है जिसके लिए रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी बधाई के पात्र हैं।

तथापि मैं सीमेंट एवं इस्पात इत्यादि जैसे माल के विशेष संदर्भ में वैश्विक आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के विरुद्ध रेलवे को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में बोलूंगा। इसे अनुमोदन के साथ रिकार्ड किया जाना चाहिए कि रेलवे ने अब तक मंदी के प्रभाव को झेल लिया है किंतु इन्हें भविष्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है।

तथापि, मैं श्री लालू जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया लोकहित में रफीगंज के नजदीक पूर्व मध्य रेलेव के ग्रांड कॉर्ड खंड पर गोदिहा हॉल्ट की घोषणा का अनुमोदन करें। इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं श्री लालू जी से अनुरोध करता हूं कि वे नबीनगर स्थित 1000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के लिए एम जी आर संबंधी कार्य को शीघ्रता से शुरू करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सलाह दें।

इन्हीं टिप्पणियों और सुझावों के साथ मैं वर्ष 2008–2009 की अनुपूरक अनुदान में लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग का समर्थन करता है।

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। रेलवे देश की जनता की जीवनी बन गयी है। करोड़ों की संख्या में लोग इस रेलवे का दैनदिन या हमेशा लाभ लेते हैं। मेरे क्षेत्र जी जनता, जो इस देश की सबसे बड़ी सेवा करती है, वह इस उद्योग के लाभ से वंचित है। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ जरूरतों को आपके माध्यम से इस अनुपूरक बजट में समाहित कर बजटीय प्रावधान की मांग करता हूं।

बल्लरशाह से चांदाफोर्ट–गोंदिया रेल मार्ग पर विद्युतीकरण तथा दूसरी रेल लाइन बिछाने की तथा चांदाफोर्ट को मॉडल स्टेशन बनाने की मांग करता हूं तथा इसी लाइन पर आरओबी (बाबूपेठ) रेलवे 100% अपने धनराशि पर निर्माण करे। राज्य सरकार इस पर 50% अपना हिस्सा देने में असमर्थ है तथा बल्लरशहा स्टेशन से नागपुर के लिए हर दिन दो बार शटल ट्रेन चलाने की तथा बल्लरशहा से घुगुस के बीच पूर्ववत गाड़ी पुनः प्रारंभ करें। मद्रास से दुर्ग–बिलासपुर गाड़ी चलती है, उस गाड़ी को हावड़ा तक चलाया जाये, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पडोनी रेलवे स्टेशन पर बुकिंग काउंटर तथा ताडाकी स्टेशन पर माल धक्का (गुड्स) बनवाने तथा बल्लरशहा स्टेशन पर पिटलाईन का कार्य करवाया जाये। अन्य गाड़ियो को कलपनगरी–सेवाग्राम, नंदीग्राम व गोंदिया से चलने वाली गाड़ियों को बल्लरशहा से चलने की सुविधा प्रारंभ होगी। इन सभी कार्यों के साथ मूल स्टेशन पर पी आर एस लगवाने की मांग करता हूं।

*श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में इंटरसिटी पूजा एक्सप्रेस झांसी से लखनऊ चलाई जा रही है, उसको मोठ स्टेशन पर ठहराव देने की आवश्यकता है, जिससे सैंकड़ों ग्रामों के ग्रामीणों को इस गाड़ी का लाभ मिल सके।

महोदय, एटा स्टेशन पर ओवर ब्रिज बनाया जाये जिससे एक नम्बर प्लेटफार्म से यात्री प्लेटफार्म नम्बर दो पर जा सकें तथा प्लेटफार्म नम्बर दो को ऊंचा उठाया जाये जिससे यात्री प्लेटफार्म नम्बर दो पर उतर सकें।

महोदय, झांसी से कानपुर के बीच जो भी क्षेत्र आता है, वहां के पैसेंजर को सीधी गाड़ी कोई भी दिल्ली के लिए नहीं है। अतः जो श्रम शक्ति दिल्ली में कानपुर चलती है उसको कानपुर से आगे झांसी तक ले जाया जाये जिससे पुखरायां, कालंजी, उरई, एटा, मोठ, चिरगांव स्टेशनों के ग्रामीण भी दिल्ली यात्रा कर सकेंगे।

महोदय, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन से कोई भी गाड़ी

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

उरई कालजी एटा से इलाहाबाद के लिए नहीं है। अतः मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि झांसी से बैरंगपुर चलने वाली गाड़ी जो पांच दिन झांसी में खड़ी रहती है इसको झांसी से इलाहाबाद तक चला दिया जाये तो इस क्षेत्र के यात्रियों को इलाहाबाद के लिये सीधी गाड़ी मिल जायेगी।

महोदय, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन को झांसी से कानपुर तक जो सिंगल लाइन है, इस लाइन का दोहरीकरण किया जाये जिससे यात्रियों को क्रासिंग में जो समय लगता है उससे कम समय में यात्रा कर सकें।

*श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं वर्ष 2008–09 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) संबंधी अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, उड़ीसा में लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट इत्यादि जैसे खनिज संसाधनों की प्रचुरता है और लंबे तटीय क्षेत्र और सड़क संपर्क के कारण यहां आधारभूत ढांचे की असीम क्षमता है।

जैसाकि आप जानते हैं महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के सक्रिय नेतृत्व में उड़ीसा ने समृद्ध औद्योगिक क्रांति के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इसलिए रेल मंत्रालय को उड़ीसा में रेल आधारभूत ढांचे के विकास हेतु विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। यद्यपि कई अवसरों पर हमने माननीय रेल मंत्री जी को कई ज्ञापन दिए हैं फिर भी उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण, इसके दोहरीकरण में उड़ीसा को विशेष प्राथमिकता दी जाए, उड़ीसा में चल रही परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाए, एक्सप्रेस ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की जाए और पैंट्री कार इत्यादि की सुविधा दी जाए।

यद्यपि पूर्वीतट रेलवे भारतीय रेलवे को अत्यधिक लाभ दे रहा है किंतु रेल मंत्रालय स्वतंत्रता से ही उड़ीसा के प्रति भेद–भाव करता रहा है।

रेल मंत्रालय चल रही परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए उड़ीसा को पर्याप्त निधि आबंटित नहीं कर रहा है।

जैसाकि आप जानते ही हैं, हम खुदरा–बोलनगीर सड़क, जो एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, के शीघ्र पूरा कराये जाने की मांग करते रहे हैं, उसी प्रकार हरिदासपुर–पारादीप रेल लाइन, खुरदा–पुरी लाइन के दोहरीकरण आदि को शीघ्र पूरा किए जाने की भी मांग करते रहे हैं। रेल कर्मचारियों की परीक्षा और भर्ती में रेल द्वारा कोई एकरूपता नहीं बरती जाती है। पूर्वी तटीय रेल जोन में हम पाते हैं कि किसी खास राज्य के ही कर्मचारीगण भरे–पड़े हैं, जिससे हमारे राज्य के लोग वंचित हो रहे हैं। गत बाढ़ के दौरान उड़ीसा जबरदस्त प्रभावित हुआ किंतु रेलवे द्वारा रेल कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहां के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई।

हम मांग करते हैं कि रेल मंत्रालय मेरे राज्य में रेल आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें। हम यह भी मांग करते हैं कि राउरकेला में एक नया मंडल बनाया जाए और उड़ीसा में अवरुद्ध पड़े आधारभूत ढांचे के निवारण के लिए इसे तत्काल परिचालित किया जाए।

[हिन्दी]

*श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों पर अपना विचार व्यक्त करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में माननीय रेल मंत्री जी के राजस्थान से संबंधित चार नई रेल गाड़ियां चलाने की घोषणा की थी, किंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से एक गाड़ी अभी तक चलाई नहीं गई है।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 2008–09 के लिए अनुदान की पूरक मांगों पर बहस में भाग लिया है। अनेक सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों के संबंध में कुछ मांगें हमारे सामने रखी है। मैं माननीय सदस्यों को आवश्वस्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जितने भी सुझाव दिए हैं, उन पर समुचित विचार किया जाएगा तथा उनके संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

*वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 526 करोड़ 170 हजार रुपये की अनुदान की पूरक मांग मुख्यतः राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 526 करोड़ रुपये की लाभांश मुक्त बजटीय सहायता के लिए, तथा बिना बारी के आधार पर शुरू किए जाने वाले 146 कार्यों के लिए संसद का अनुमोदन लेने के लिए प्रस्तुत की गई है।

मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2007–08 में हमारा कैश सरप्लस 25 हजार 6 करोड़ रुपये रहा

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

* भाषण सभा–पटल पर रखा गया।

[श्री लालू प्रसाद]

है और रेलवे की फंड बैलेंस की राशि बढ़कर 22 हजार 297 करोड़ रुपये हो गयी है। पिछले 4 वर्षों में भारतीय रेल ने लगातार उन्नति के नये शिखर प्राप्त किये हैं। करीब एक दशक पहले पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई थी। जबकि इस बार रेलवे के वित्तीय कायाकल्प की बदौलत हमने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन ही नहीं, बल्कि इस वर्ष बढ़ी हुई दरों से बोनस देने के अलावा पिछले वर्ष के बकाया बोनस का प्रबंध भी आसानी से कर लिया है। पिछले वर्षों की तरह इस वित्तीय वर्ष में भी अभूतपूर्व टर्न अराउंड को कामय रखा गया है।

इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 401.9 मिलियन टन माल का लदान हुआ है। फलस्वरूप रेलवे ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल ढुलाई से आय में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इसी अवधि के दौरान यात्री आय में भी 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि इस वित्त वर्ष के पहले छः महीनों में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन अक्टूबर माह के पहले 20 दिनों में प्रगति दर में कमी आई है। अक्टूबर माह में निर्यात के लिए आयरन-ओर के लदान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और तैयार सीमेंट एवं स्टील के लदान तथा इनके उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल के लदान की प्रगति दर में भी कमी हुई है। विश्व के विभिन्न देशों में देखी जा रही आर्थिक मंदी का असर संभवत/इन उद्योगों पर पड़ रहा है। हमें आशा है कि यह अस्थायी है और साल के बाकी महीनों में लदान की प्रगति दर में सुधार होगा।

यात्रियों एवं गाड़ियों की संरक्षा एवं सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेलपथों, सिगनलों एवं रालिंग स्टॉक के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण गाड़ी दुर्घटनाओं में निरंतर कमी आई है। परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 2000-01 में 473 से घटकर 2007-08 में मात्र 194 रह गई है। सितम्बर, 2008 तक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 91 रही जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या 104 थी।

सड़क यातायात की सुगमता और व्यस्त समपार फाटकों पर संरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसी दृष्टि से ऊपरी व निचले सड़क पुल बनाने के 49 कार्य, राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, माल की आसानी से लोडिंग/अनलोडिंग हेतु और माल यातायात ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए गुड्स शेड और गुड्स टर्मिनलों के सुधार व विकास संबंधी 10 कार्यों का प्रस्ताव किया गया है।

बजट 2008-09 में दिए गए आश्वासन के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत वैगन व इंजीनियरी लिमिटेड का स्वामित्व भारी उद्योग विभाग से रेल मंत्रालय को सौंपने के लिए एक कार्य प्रस्तावित है। बजट 2008-09 के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने संबंधी मेरे आश्वासन के अनुसार मुंबई व चैन्ने की उपनगरीय सेवाओं में मोबाइल फोन से अनारक्षित टिकट बुक करवाने संबंधी एक पायलट परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है। पारसनाथ से मधुबन, बिलासपुर से लेह बरास्ता कुल्लू, मनाली, निजामाबाद-अदिलाबाद नई लाइनों तथा पठानकोट-जोगिन्दरनगर का आमान परिवर्तन हेतु सर्वे करवाने के कार्य प्रस्तावित हैं।

ऊर्जा संरक्षण के लिए, भारतीय रेल ऊर्जा कुशल तकनीक अपनाने के लिए कटिबद्ध है। इस आलोक में प्रत्येक रेलवे क्वार्टर में 4 बल्ब, सी.एफ.एल. से निःशुल्क बदले जाएंगे। इस कार्य को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कार्बन क्रेडिट अर्जित कर वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई उपनगरीय रेलवे में प्रयोग की जा रही "री-जेनरेटिंग ब्रेकिंग" परियोजना को कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए पंजीकृत किया जाएगा। भारतीय रेल जाखापुरा-तुमका खंड के बीच बिजली इंजन से डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने का सफल परीक्षण कर रही है। इसमें 7.45 मीटर की ओ.एच.ई. विश्व में सबसे ऊंची है। विदेश से आए विशेषज्ञों ने भी इस कार्य की सराहना की है।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मामलों को संज्ञान में लिया है। मैं उन सभी सदस्यों को जल्द ही पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से तथा इन मुद्दों पर की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराऊंगा। मैं रेलवे का भारी समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा तथा सदन से 2008-09 के लिए रेलवे की अनुदान की पूरक मांगों तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक को अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा में मतदान हेतु वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) प्रस्तुत करता हूं :-

प्रश्न यह है -

"कि मांग संख्या 16 के समक्ष कार्यसूची के स्तंभ 2 में दिखाई गई मांगशीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.30 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008–09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008–09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008–09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008–09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड 2, दिनांक 22.10.2008 में प्रकाशित।
*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करना आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अभिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.35 बजे

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 31 को विचार हेतु लेंगे। श्री प्रफुल पटेल।

...(व्यवधान)...

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रफुल पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–*

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि विमानपत्तनों पर दी जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करने और विमानपत्तनों के कार्यपालन मानकों को मानीटर करने तथा विवादों का न्यायनिर्णयन और अपीलों का निपटान करने के लिए विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और अपील प्राधिकरण की भी स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007 में सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को इस सम्मानीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यह विधेयक 5.9.2007 को इस सभा को पुरःस्थापित किया गया था .. .*(व्यवधान)*...

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि नागर विमानन क्षेत्र में विकास होने के साथ विमानपत्तन अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 और एअरक्राफ्ट नियम, 1937 में 2004 में संशोधन किया गया था ताकि विमानपत्तन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी हो सके और उनकी गुणवत्ता, क्षमता में सुधार किया जा सके तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल के परिणामस्वरूप सार्वजनिक–निजी भागदारी में बंगलौर और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड्स एअर पोर्ट्स स्थापित किए गए हैं। ऐसा ही विमानपत्तन कोचीन में भी पहले से ही पूर्णतः प्रचालन में है। दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों को भी आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु संयुक्त उपक्रम माध्यम से पुनःसंरचित किया गया है। ...*(व्यवधान)*...

महोदय, विमानपत्तनों का स्वभाविक रूप से एकाधिपत्य होता है इसलिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रशुल्क दी गई सेवाओं के स्तर के अनुरूप हों। यही नहीं, विमानपत्तनों की विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा के समान अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भावी निवेशक छूट अवधि के बजाय विनियामक तंत्र के बारे में निश्चितता ढूंढ रहे हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य है कि वैमानिक सेवाओं के प्रशुल्क को विनियमित करने और निर्धारित निष्पादन मानकों को मानीटर करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए ताकि सक्षम, लाभदायक और अर्थक्षम विमानपत्तनों का प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके ...*(व्यवधान)*...

इसी के मद्देनजर मैंने गत वर्ष इस सभा में विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया था जिसमें विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ए ई आर ए) के गठन के साथ–साथ स्टेकहोल्डरों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने और विनियामक प्राधिकरण के आदेशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अपीलों पर विचार करने के लिए एक अपील अधिकरण की स्थापना करने का भी प्रावधान है ...*(व्यवधान)*...

विधेयक पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया और समिति द्वारा कई सिफारिशें की गईं। समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं–एईआरए की परिधि में गैर–वैमानिक सेवाओं को शामिल करना; विमानपत्तनों पर ईंधन आपूर्ति अवसंरचना को विनियामक परिधि में लाना; और एईआरए की भूमिका और इसके कार्यों के अंतर्गत सभी छोटे–बड़े विमानपत्तनों को शामिल किया जाना। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात् सरकार का मत है कि विमानपत्तन अवसंरचना/परिसंपत्तियों के उपयोग हेतु विमानपत्तन प्रचालक को तेल कंपनियों द्वारा संदाय थ्रूपुट चार्जेज के निर्धारण के संबंध में एकाधिकार की प्रवृत्ति पनपने की संभावना है। अतः हम इस संबंध में समिति की सिफारिशों से सहमत हैं। हमारी यह भी राय है कि इसके अतिरिक्त ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं और मालदुलाई संबंधी सेवाएं जैसी सेवाएं भी एकाधिकार प्रकृति की होती हैं और इसलिए इन्हें विशेष रूप से एईआरए की परिधि में लाया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*...

जहां तक गैर–वैमानिक सेवाओं के विनियमन का संबंध है, यह महसूस किया गया कि ऐसी सेवाएं अक्सर रियायत पाने वालों के माध्यम से दी जाती हैं जिन्हें खुली विविदा प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। जिसमें बाजार द्वारा छूट का मूल्य निर्धारण किया जाता है, इसके अतिरिक्त, सामान्यतया अधिकांश गैर–वैमानिकीय सेवाओं के मामले में हवाईअड्डे पर प्रतिस्पर्धी खुदरा बिक्री केन्द्र है। इसलिए ये सेवाए एकाधिकार प्रकृति की नहीं हैं। अतः, ए ई आर ए द्वारा गैर–वैमानिकीय सेवाओं के प्रभार के विनियमन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही यह देखना महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े हवाई अड्डों को गैर–वैमानिकीय सेवाओं के माध्यम से बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है जिससे वे वैमानिकीय प्रभारों को क्रय करने में सक्षम हैं। हमारे देश में भी गैर–वैमानिकीय राजस्व में वृद्धि करने का रुझान है ...*(व्यवधान)*...

इसे ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया है कि वैमानिकीय सेवाओं हेतु प्रशुल्कों के निर्धारण हेतु संगत कारकों में से एक कारक गैर–वैमानिकीय सेवाओं के माध्यम से हवाई अड्डे के परिचालक द्वारा वसूला गया राजस्व हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जबकि गैर–वैमानिकीय सेवा हेतु प्रभारों को विनियमित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इससे सृजित राजस्व को ए ई आर ए द्वारा वैमानिकीय सेवाओं हेतु प्रभारों के निर्धारण के लिए संगत कारक के रूप में माना जा सकता है। स्थायी समिति की कुछ अन्य सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया गया है। ...*(व्यवधान)*...

महोदय, मैं जिन सरकारी संशोधनों को अब प्रस्तुत कर रहा हूं इसमें उपर्युक्त सीमा तक स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। मैं इस विधेयक पर इस सम्मानीय सभा द्वारा विचार किए जाने और इसे स्वीकृत किए जाने की सिफारिश करता हूं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि संसद द्वारा इस विधेयक पर स्वीकृति देने के साथ हम इस स्थिति में होंगे कि देश भर में हवाई अड्डे के बढ़ते हुए आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र के लिए स्वायत्त विनियामक व्यवस्था स्थापित कर सकें जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हवाई अड्डों पर यात्रीगण एवं अन्य उपयोगकर्ताओं को उच्च स्तर की सेवाएं उपयुक्त प्रशुल्क पर उपलब्ध कराई जा सके ...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 26 फरवरी, 2009 तक राय जानने के लिए विधेयक परिचालित किया जाए।" मैं यह भी मांग करता हूं कि जयपुर एरोड्रम का नाम महाराजा मान सिंह अंतर्राष्ट्रीय एरोड्रम रखा जाए। ...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विमानपत्तनों पर दी जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करने और विमानपत्तनों के कार्यपालन मानकों को मानीटर करने तथा विवादों का न्यायनिर्णयन और अपीलों का निपटान करने के लिए विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और अपील प्राधिकरण की भी स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

"कि विधेयक पर 26 फरवरी, 2009 तक राय जानने के लिए विधेयक परिचालित किया जाए।"

[अनुवाद]

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ...*(व्यवधान)*... किंतु, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए देश के सीमावर्ती राज्यों के हवाईअड्डों के समक्ष आ रही कुछ समस्याओं के संबंध में माननीय नागर विमानन मंत्री से एक अपील करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*...।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ मैन्या जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ मैन्या जी की बात रिकार्ड में जाएगी और मेरी अनुमति के बिना जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)*...*

डा. टोकचोम मैन्या : सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर इम्फाल सहित पूर्वोत्तर भारत के हवाई अड्डों पर रात्रि काल में विमान उतारने की सुविधाएं नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*... इसके परिणामस्वरूप हम अपने संसदीय क्षेत्र से राजधानी की ओर देर रात में नहीं लौट सकते हैं ...*(व्यवधान)*... भुवनेश्वर और विजैग तथा जम्मू कश्मीर सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ अन्य छोटे हवाई अड्डों पर भी ऐसी ही स्थिति है। ...*(व्यवधान)*...

मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि इन हवाई अड्डों विशेषकर इम्फाल सीमावर्ती राज्यों के हवाई अड्डों पर रात्रि काल में विमान उतारने की सुविधा प्रदान करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*...

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य ने जो कुछ सुझाव दिए हैं वे महत्वपूर्ण हैं। ...*(व्यवधान)*... तथापि, इस विधेयक में यथा आवश्यक विनियामक ढांचे के तहत अधिक हवाई अड्डों को शामिल किए जाने का प्रावधान है ...*(व्यवधान)*...। आज प्रस्तुत किए गए इस विधेयक में ...*(व्यवधान)*... इसलिए, भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी ...*(व्यवधान)*...

मैं अनुरोध करता हूं कि यथा प्रस्तुत विधेयक पारित हो ... *(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को इस सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"कि विमानपत्तनों पर दी जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करने और विमानपत्तनों के कार्यपालन मानकों को मानीटर करने तथा विवादों का न्यायनिर्णयन और अपीलों का निपटान करने के लिए विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और अपील अधिकरण की भी स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सदन इस विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगा।

...(व्यवधान)...

खंड 2 परिभाषाएं

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए –

"(iv) विमानपत्तन पर विमान यात्रियों एवं कार्गो से संबंधित ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाओं के लिए;

(v) विमानपत्तन पर कार्गो सुविधा के लिए;

(vi) विमानपत्तन पर विमान के लिए ईंधन की आपूर्ति हेतु; और

(vii) विमानपत्तन पर स्टेक होल्डर, जिसके लिए प्रभार, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों के लिए केन्द्रीय सरकार की राय में प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जा सकेगा।" (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 24, "यात्री" के स्थान पर "यात्री या कार्गो" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए –

'(ण) "स्टेक होल्डर" में किसी विमानपत्तन का लाइसेंसधारक, वहां प्रचालनरत एयरलाइन, कोई व्यक्ति जो वैमानिकी सेवा प्रदान करता है, और व्यष्टियों का कोई संघ जो प्राधिकरण की राय में यात्री या कार्गो सुविधा प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, शामिल है। (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17 में (ण) के स्थान पर (त) प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

(श्री प्रफुल पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-6 सभापति तथा सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा-शर्तें आदि।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 37 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए –

स्पष्टीकरण – इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी सदस्य को प्राधिकरण को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा परंतु कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।" (7)

(श्री प्रफुल पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 13 प्राधिकरण के कृत्य

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 7, पंक्ति 15 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए –

"(v) वैमानिकी सेवाओं से इतर सेवाओं से प्राप्त राजस्व;"(8)

पृष्ठ 7, पंक्ति 16 में "(v)" के स्थान पर "(vi)" प्रस्थापित किया जाए–(9)

पृष्ठ 7, पंक्ति 18 में "(vi)" के स्थान पर "(vii)" प्रस्थापित किया जाए–(10)

पृष्ठ 7, पंक्ति 19 में "(i)" से "(vi)" के स्थान पर "(i) से (vii)" प्रस्थापित किया जाए–(11)

(श्री प्रफुल पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 से 55 विधेयक में जोड़ दिए गये।

...(व्यवधान)...

अनुसूची

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 20, पंक्ति 8 में "2007" के स्थान पर "2008" प्रस्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 20, पंक्ति 16 में "2007" के स्थान पर "2008" प्रस्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 20, पंक्ति 19 में "2007" के स्थान पर "2008" प्रस्थापित किया जाए। (14)

पृष्ठ 20, पंक्ति 22 में "2007" के स्थान पर "2008" प्रस्थापित किया जाए। (15)

(श्री प्रफुल पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनी"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाइये, हम आपकी बात सुनेंगे।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीटों पर जाएं, मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाएं, मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाएं, मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलना चाहेंगे तो मैं आपको मौका दूंगा।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग पहले मेरी बात तो सुनिये।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.15 बजे

लोकसभा अपराह्न 3.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

...(व्यवधान)...

अपराह्न 3.15¼ बजे

(इस समय श्री विजय कृष्ण और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)...

अपराह्न 3.15½ बजे

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007 - जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर आगे खंडवार विचार करना आरंभ करेंगे।

...(व्यवधान)...

खंड 1 संक्षिप्त नाम, प्रवृत्त होने की तिथि तथा व्याप्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, "2007" के स्थान पर "2008" प्रस्थापित किया जाए। – (2)

श्री प्रफुल पटेल

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "अटठावनवें" के स्थान पर "उनसठवें" प्रस्थापित किया जाए। (1)

(श्री प्रफुल पटेल)

अपराह्न 3.16 बजे

(इस समय श्री एस. अजय कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.17 बजे

(इस समय श्री एस. अजय कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा कल 23 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 23 अक्तूबर, 2008/1 कार्तिक, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1	श्री अनन्त नायक	61
2	श्री बसुदेव आचार्य श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	62
3	श्री प्रभुनाथ सिंह	63
4	श्री पी. करूणाकरन श्री पी.सी. थामस	64
5	श्री सर्वानन्द सोनोवाल श्री भर्तृहरि महताब	65
6	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	66
7	श्री एल. राजगोपाल डा. एम. जगन्नाथ	67
8	डा. आर. सेनथिल श्री बृज किशोर त्रिपाठी	68
9	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री एस.के. खादवेनथन	69
10	श्री दानवे रावसाहेब पाटील श्री दुष्यंत सिंह	70
11	श्री मानिक सिंह श्रीमती करूणा शुक्ला	71
12	श्री मधु गौड. यास्खी मो. मुकीम	72
13	श्री जी.एस. सिद्दीश्वर श्री दलपत सिंह परस्ते	73
14	श्री एन. एस. वी. चित्तन श्रीमती मेनका गांधी	74
15	श्री प्रबोध पाण्डा	75
16	श्री रायापति सांबासिवा राव	76
17	श्री जुएल ओराम	77
18	श्री वी.के. दुम्मर श्री जीवाभाई ए. पटेल	78
19	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	79
20	श्री मो. ताहिर श्री नन्द कुमार साय	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	आचार्य, श्री बसुदेव	734, 802, 832
2	आदित्यनाथ, योगी	673, 679, 811
3	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	656, 684, 770, 774, 822
4	अहीर, श्री हंसराज गं.	629, 715, 747, 801
5	अजय कुमार, श्री एस.	661, 740
6	अजनाला, डा. रतन सिंह	738
7	अंगड़ि, श्री सुरेश	647
8	अप्पादुरई, श्री एम.	701
9	आठवले, श्री रामदास	655, 733, 820, 845
10	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	633, 757
11	'बघवा', श्री बची सिंह रावत	708
12	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	641, 723, 812, 816, 828
13	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	694
14	भगोरा, श्री महावीर	664, 750, 804
15	भाईलाल, श्री	642, 686
16	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	695
17	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	654, 766
18	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	639, 721
19	चक्रवर्ती, श्री अजय	690

1	2	3
20	चालिहा, श्री किरिप	670, 758
21	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	661, 844
22	चटर्जी, श्री सांताश्री	671
23	चौरे, श्री बापू हरी	702, 785
24	चावड़ा, श्री हरिसिंह	705, 714
25	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	746
26	चौधरी, श्री पंकज	706
27	चौधरी, श्री अधीर	674, 762, 819
28	देवरा, श्री मिलिन्द	649, 722, 786, 814
29	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	738
30	घोत्रे, श्री संजय	659, 738, 785
31	दत्त, श्रीमती प्रिया	648
32	गढ़वी, श्री पी.एस.	657, 692, 779, 825, 849
33	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	745, 810, 839
34	गांधी, श्रीमती मेनका	782, 827, 833, 851
35	गंगवार, श्री संतोष	663
36	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	637
37	गेहलोत, श्री थावरचन्द	635
38	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	631, 743, 748
39	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	658, 716
40	जटिया, डा. सत्यनारायण	687
41	जयाप्रदा, श्रीमती	672, 739, 761, 818
42	जिन्दल, श्री नवीन	632, 717, 793, 846
43	जोगी, श्री अजीत	679, 710, 789
44	जोशी, श्री प्रहलाद	699
45	कनोडीया, श्री महेश	657, 742, 809, 838
46	करूणाकरन, श्री पी.	735, 804, 834
47	खैरे, श्री चंद्रकांत	650, 730
48	खां, श्री सुनील	688, 684, 734
49	खंडेलवाल, श्री हेमंत	739
50	खन्ना, श्री अविनाश राय	644, 726
51	खारवेनथन, श्री एस.के.	632, 724, 797, 831

1	2	3
52	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	643, 725, 780
53	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	697
54	कृष्ण, श्री विजय	709
55	कृष्णदास, श्री एन.एन.	696, 804
56	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	651, 753, 794
57	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	673
58	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	836
59	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	636
60	महरिया, श्री सुभाष	704, 787
61	महताब, श्री भर्तृहरि	754, 815, 842
62	महतो, श्री टेक लाल	679, 693
63	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	737, 806, 837
64	माने, श्रीमती निवेदिता	745, 810, 839
65	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	667, 838
66	मुकीम, मो.	755, 816
67	मो. ताहिर, श्री	685, 691, 734, 752
68	मंडल, श्री अबु अयीश	662, 741, 808
69	मोरे, श्री वसंतराव	628
70	मुर्मू, श्री हेमलाल	703, 786, 830
71	मुर्मू, श्री रूपचंद	763
72	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	634, 688, 718, 836
73	नायक, श्री अनन्त	729, 799
74	निखिल कुमार, श्री	762, 811
75	ओराम, श्री जुएल	788, 815
76	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	752
77	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	645, 674, 727, 734, 798
78	पाण्डा, श्री प्रबोध	748, 811, 841
79	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	658, 716, 791, 836
80	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	667, 742
81	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	714
82	पटेल, श्री किसनभाई वी.	653, 732, 759, 817, 843
83	पाठक, श्री हरिन	667
84	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	659, 738

1	2	3
85	पटले, श्री शिशुपाल एन.	685, 691, 752, 775
86	प्रसाद, श्री हरिकेवल	679
87	राधाकृष्णन, श्री वरकला	631, 783
88	राई, श्री नकुल दास	624
89	राजगोपाल, श्री एल.	713
90	रामदास, प्रो. एम.	652, 731, 800
91	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	630, 734
92	राणा, श्री काशीराम	667
93	राव, श्री ई. दयाकर	623, 695, 744, 791
94	राव, श्री के.एस.	626, 768
95	राव, श्री रायापति सांबासिवा	749
96	राठौड़, श्री हरिभाऊ	689, 778
97	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	738, 769
98	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	698
99	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	661, 719, 794, 844
100	रिजीजू, श्री कीरेन	737
101	साय, श्री नन्द कुमार	653, 759, 817, 843
102	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	677, 767
103	शर्मा, डा. अरुण कुमार	700, 784, 829
104	सत्यनारायण, श्री सर्वे	681, 738, 769
105	सत्पथी, श्री तथागत	679, 764, 777
106	सेठी, श्री अर्जुन	660, 764, 777
107	शैलेन्द्र कुमार, श्री	669, 756, 833, 852
108	शर्मा, श्री मदन लाल	652, 731, 800
109	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	653, 656, 770, 822, 847
110	शिवन्ना, श्री एम.	676, 765
111	शुक्ला, श्रीमती करुणा	678, 744
112	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	684, 712, 792, 840
113	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	679, 680, 777
114	सिंह, श्री चन्द्रभान	675
115	सिंह, श्री दुष्यंत	734, 739, 807
116	सिंह, श्री गणेश	666, 753, 804, 814
117	सिंह, श्री मानिक	743
118	सिंह, श्री मोहन	819
119	सिंह, श्री प्रभुनाथ	790, 803, 833
120	सिंह, श्री रेवती रमन	707
121	सिंह, श्री सुग्रीव	653, 732, 759, 817, 843
122	सिंह, श्री उदय	743, 776, 824
123	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	657, 742, 809, 838
124	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	736, 804, 805, 835
125	सुब्बा, श्री मणी कुमार	640, 678, 722, 796
126	सुब्बारायण, श्री के.	665, 751, 813
127	सुगावनम, श्री ई.जी.	646, 727, 728
128	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	625, 772
129	सुमन, श्री रामजीलाल	673
130	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	638, 667, 720, 795
131	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	627, 803
132	थामस, श्री पी.सी.	760
133	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	678, 744
134	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	684, 781, 826, 850
135	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	682, 771
136	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	667, 680
137	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	711
138	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	653, 683, 773, 823, 848
139	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	685, 691, 734, 752, 848
140	यास्खी, श्री. मधु गौड़	745, 810, 839
141	येरननायडु, श्री किन्जरपु	659, 739, 768, 780, 821

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	
परमाणु ऊर्जा	80
कोयला	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	
पर्यावरण और वन	61, 68, 74
विदेश	64, 66
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	62, 65, 70, 71, 72, 73
प्रवासी भारतीय कार्य	69
पंचायती राज	79
संसदीय कार्य	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना	76
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग अंतरिक्ष	67, 77, 78
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन :	
युवक कार्यक्रम और खेल :	63, 75

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री :	
परमाणु ऊर्जा :	642, 671, 687, 690, 739, 770, 772, 802, 836
कोयला	637, 646, 650, 652, 675, 686, 693, 699, 715, 730, 731, 733, 746, 747, 771, 800, 809, 815, 832
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	624, 654, 766, 805
पर्यावरण और वन	627, 633, 635, 636, 638, 639, 649, 660, 683, 684, 698, 704, 707, 722, 725, 732, 754, 755, 761, 773, 787, 801, 808, 813, 814, 826, 833, 838, 839, 844, 845, 850
विदेश	630, 640, 659, 663, 673, 678, 688, 717, 729, 745, 748, 756, 757, 758, 762, 779, 780, 786, 788, 796, 811, 818, 819, 834, 841, 847
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	634, 641, 645, 651, 655, 656, 662, 664, 666, 669, 674, 676, 680, 681, 685, 691, 692, 702, 705, 708, 709, 712, 714, 716, 719, 724, 726, 727, 728, 734, 737, 743, 749, 751, 752, 753, 759, 764, 774, 776, 778, 781, 782, 789, 794, 798, 803, 804, 812, 816, 817, 820, 821, 824, 827, 828, 830, 831, 837, 843, 848, 851, 852
प्रवासी भारतीय कार्य	625, 632, 695, 711, 768, 797
पंचायती राज	775, 823
संसदीय कार्य	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना	744, 769, 623, 626, 629, 653, 658, 723
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	628, 631, 643, 647, 657, 661, 665, 667, 668, 677, 679, 696, 697, 700, 703, 710, 713, 718, 720, 735, 736, 740, 742, 760, 767, 777, 784, 795, 799, 806, 807, 810, 822, 825, 829, 835, 840, 849
अंतरिक्ष	706, 785
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	672, 721, 763
युवक कार्यक्रम और खेल	644, 648, 670, 682, 689, 694, 701, 738, 741, 750, 765, 783, 790, 791, 792, 793, 842, 846

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस. – 48/ 35 /6 /2008 (एन.)
215

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।